खण्ड-467, अंक-7
बुधवार, 01 फाल्गुन, शक संवत् 1929
(20 फरवरी, 2008 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2008)

खण्ड 467 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2008

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये |

विषय-सूची

विषय				पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	...	...	...	क-च
प्रश्नोत्तर	...	...	...	1-71
विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री समई के निधन पर शोकोद्गार			...	71-72
मेरठ के हार्जा इश्तियाक पर रासुका तामील किये जाने के प्रकरण पर दिनांक 13 फरवरी, 2008 को मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उचित कार्यवाही का आश्वासन दिये जाने पर अभी तक कोई कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	...	...	...	72-74
कानपुर के श्री एस0 के0 सिंह ब्लाक प्रमुख की दिनांक 16 फरवरी, 2008 की रात्रि गोली मार कर हत्या किये जाने विषयक प्रकरण			...	74-76
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	...	...	76-77
गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2007-08 में ध्वस्त कराये गये प्राथमिक विद्यालयों का पुनः भवन निर्माण कराने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना			...	77
फतेहपुर के खागा क्षेत्रान्तर्गत हथगांव फीडर में रोस्टर के हिसाब से 14 घण्टे बिजली आपूर्ति करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना			...	78
आजमगढ़ के चयनित अम्बेडकर ग्राम कटहन में जूनियर हाई स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना		...	...	78
मथुरा के गोवर्धन क्षेत्रान्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना		...	...	79
महामायानगर की सादाबाद तहसील में अबाध विद्युत आपूर्ति कराने एवं कतिपय अन्य क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में सुधार किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना		...	...	79-80
जनपद बागपत के बडौर-छपरौली-टाण्डा क्षतिग्रस्त मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण के साथ हाटमिक्स से निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना		...	...	80
फैजाबाद के अयोध्या संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना		...	...	80
राज्य संसाधन केन्द्र उ0 प्र0 साक्षरता निकेतन, लखनऊ में विभागाध्यक्षों एवं लिपिक का गत वर्ष से लम्बित वेतन का भुगतान कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना		...	...	81

विषय		पृष्ठ-संख्या
एटा के निधौली कला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मेहनी के 12 दलित लोगों की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के फलस्वरूप परिजनों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	...	81-82
राजकीय औद्योगिक प्रक्षेत्र बलिया को ग्राम समाज की जमीन दिये जाने के बावजूद सही उपयोग न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	... ...	82
सीतापुर के ग्राम बर्न्हापुरवा मजरे निजामाबाद में तालाब की खुदाई के नाम पर स्थानीय लोगों को परेशान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	... ...	82-83
जनपद आगरा में प्रदूषित जलापूर्ति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	... ...	83
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पी0 सी0 एस0 2004 के चयनित अभ्यर्थियों को न्यायालय के आदेशानुपालन में सशर्त नियुक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	... ...	83-84
जनपद गाजियाबाद की ग्राम सभा रामपुर इनयामतपुर से नया ग्राम इनायतपुर तक के कच्चे मार्ग पर खड़न्जा/सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	... ...	84
हमीरपुर परगना सुमेरपुर के ग्राम टिकरौली के किसानों का उत्पाड़न रोकने एवं कृषि ऋणों को माफ करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना..		84-85
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	... ...	85
जनपद आजमगढ़ के ग्राम आराजी महल पुरवा महाजी देवारा निवासी श्री श्रीराम यादव के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी थाना महराजगंज के थानेदार व दीवान की गिरफ्तारी न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (जारी)	... ...	85-86
उत्तराखण्ड विधान सभा के तृतीय सत्र 2007 में नियम 301 की ग्राह्य सूचनाओं पर वर्तमान सत्र में पटल पर रखे गये कृत कार्यों के विवरण में अधिकांश सूचनाओं का उत्तर अपरिहार्य कारणों से विलम्ब का उल्लेख होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (जारी)	... ...	86-88
मुजफ्फरनगर के थाना भोराकलां के ग्राम आदमपुर में मृतक ग्राम प्रधान के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने सम्बन्धी दिनांक 19 फरवरी, 2008 को उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर पीठ के निर्देश के बावजूद भी सुरक्षा व्यवस्था प्रदान न किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	...	88

विषय				पृष्ठ-संख्या
पन्द्रहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र 2007 में नियम 301 की ग्राह्य सूचनाओं पर वर्तमान सत्र में पटल पर रखे गये कृत कार्यों के विवरण में अधिकांश सूचनाओं का उत्तर अपरिहार्य कारणों से विलम्ब का उल्लेख होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	...	...		88-89
जनपद आजमगढ़ के ग्राम आराजी महल पुरवा महाजी देवारा निवासी श्री श्रीराम यादव के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी थाना महराजगंज के थानेदार व दीवान की गिरफ्तारी न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	...			89-90
बागपत के बड़ौत में अवैध वसूली के लिये विद्युत विभाग द्वारा भेजे गये लाखों रुपये के फर्जी बिलों के कारण किसानों की हार्ट अटैक से हो रही मौतों के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	...	...		90-91
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	...	...	...	91-117
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2008 (पारित)	...	...	...	117-118
उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2008 (पारित)	...			118-121
उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2008 (पारित)	...	...	...	122-127
मद संख्या 15 के पश्चात् मद संख्या 17 लिये जाने का अनुरोध	...			127
उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2008 (जारी)	...	...		127-137
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी)	...			137-168
दिनांक 25 फरवरी, 2008 को पारित होने वाले बजट अनुदानों का साहित्य और कार्यक्रम अभी तक प्राप्त न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	...			168-169
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	...	...	...	170-171
उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2008 (पारित)	...			171-182
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	...	...	182-183
बुन्देलखण्ड में सूखा राहत चेकों के वितरण में की जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चौ0 धूराम लोधी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य	...			183-184

विषय		पृष्ठ-संख्या
जनपद	आगरा के अकोला निवासी श्री प्रवेन्द्र कुमार शर्मा के पुत्र की डी0पी0टी0 वैक्सीन लगाने के कारण हुई मृत्यु के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	184-185
जनपद	मुजफ्फरनगर की ढ़िढाली गांव के प्राथमिक विद्यालय में मिड-डे-मील के भोजन की सामग्री में जहरीले पदार्थों की मिलावट के सम्बन्ध में श्री अब्दुल वारिस खां द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	185
जनपद	गाजीपुर स्थित नक्सल प्रभावित क्षेत्र जमानियां में फाक्सगंज-चोचकपुर मार्ग की मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 राजकुमार सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	185-186
जनपद	गौतमबुद्धनगर के दादरी तहसील में ग्राम घोड़ी व मयुरापुर में किसानों की भूमि का प्रतिकर समान रूप से देने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	187-188
जनपद	मेरठ स्थित दौराला चीनी मिल द्वारा उत्सर्जित गन्दे पानी से फैल रहे जल एवं वायु प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य	188-189
जनपद	बलरामपुर के ग्राम सिसवां अन्तर्गत मुस्लिम दरगाह की दीवार, शिलापट्ट तोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	189
जनपद	गाजियाबाद की लालबाग कालोनी स्थित हरित पट्टी की भूमि से माफियाओं के अवैध कब्जे हटवाने के सम्बन्ध में श्री मदन भैया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री का केवल वक्तव्य	189
जनपद	चन्दौली के ग्राम जलालपुर के श्री योगेन्द्र यादव एवं उनकी पत्नी की घर में घुसकर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम किशुन द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	190
जनपद	झांसी स्थित ऐतिहासिक 'लक्ष्मी तालाब' की सफाई एवं उसका विकास कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप जैन आदित्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ...	190-191

विषय				पृष्ठ-संख्या
जनपद गाजीपुर के डेहमा-बेनीपुर मार्ग से दलित बस्ती कुसहा तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री कालीचरन राजभर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	...			191
जनपद प्रतापगढ़ में बेलहा देवी मन्दिर के पास सई नदी के प्रदूषित जल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यावरण मंत्री का केवल वक्तव्य	...			192
लखनऊ स्थित राजाजीपुरम् में रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त चिकित्सालय में मानक के अनुरूप डाक्टरों एवं स्टाफ की नियुक्ति एवं संचालन न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य	...			192-193
चीफ फार्मासिस्ट सी0एम0एस0डी0 स्टोर, आजमगढ़ द्वारा दवाओं में की गयी हेराफेरी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य	...	...	...	193-194
जनपद गोण्डा के मनकापुर एवं छपिया पंचायत क्षेत्र में बी0पी0एल0/अन्त्योदय कार्ड धारक को मिड-डे-मील खाद सामग्री एवं मिट्टी का तेल न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम बिशुन आजाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य...				194-195
नत्थियां	...	...	...	196-212

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पन्द्रहवीं विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी, 2008

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी)

उपस्थित सदस्य-315

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय तोमर, डा0	बागपत
अजय यादव, श्री	एटा
अजय सिंह, श्री	जालौन
अनन्त मिश्रा, श्री	फर्रुखाबाद
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
अनिल कुमार अहिरवार, श्री	महोबा
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)
अर्नास अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्दुल वारिस खाँ, श्री	मुजफ्फरनगर
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
अमेरिका प्रधान, श्री	गाजीपुर
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
अरविन्द सिंह यादव, श्री	कन्नौज
अरशद खान, श्री	पीलीभीत
अरूण कुमार यादव, श्री	आजमगढ़
अरूणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अर्चना सरोज, श्रीमती	सन्तरविदास नगर (भदोही)
अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
अर्लीम हार्जा, श्री	बुलन्दशहर
अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
अशोक कुमार दोहरे, श्री	औरैया
अशोक कुमार कंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर
आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
आनन्द सेन, श्री	फैजाबाद
आर0 ए0 उस्मानी, डा0	लखीमपुर खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 शर्मा, पंडित	बरेली
आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आसिफ, श्री	हरदोई

इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इमरान मसूद, श्री	सहारनपुर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री	कानपुर देहात
काजिम अली खाँ उर्फ नवेद मियां, नवाब	रामपुर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
कुवेर सिंह, श्री	एटा
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रुखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार, श्री	बहराइच
कृष्णाराज, श्रीमती	लखीमपुर खीरी
के0 के0 सचान, डा0	जौनपुर
केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौकब हमीद खाँ, श्री	बागपत
कौशल किशोर, डा0	लखीमपुर खीरी
कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत	बलरामपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
घूराराम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रवीर सिंह, श्री	मेरठ
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री	सिद्धार्थनगर
छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जमीरउल्ला, श्री	अलीगढ़
जमुना निषाद, श्री	गोरखपुर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री	कुशीनगर
जावेद अंसारी, श्री	जौनपुर
जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली
जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री	बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर

गिरिभुवन दत्त, श्री	अम्बेडकरनगर
गुदुदन मिश्रा, श्री	श्रावस्ती
गुदुदू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
गयाराम, श्री	कौशाम्बी
गिरधर प्रसाद चौहान, श्री	सन्तकबीर नगर
गुलाम अहमद, श्री	हरदोई
गिरीश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
गोपीनाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
गोमतीनाथ पाण्डेय, श्री	वाराणसी
गुर्रा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
गुरुराम, श्री	बस्ती
धर्मपाल, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल सिंह, डा0	आगरा
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बलरामपुर
धूरा राम लोधी, (चौधरी), श्री	हमीरपुर
नकुल दूबे, श्री	लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री	इलाहाबाद
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
नाथू राम कुशवाहा 'इंजीनियर', श्री	ललितपुर
नारायण सिंह, श्री	आगरा
निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री	शाहजहाँपुर
पशुपति, श्री	गाजीपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री	बाँदा
पूजा पाल, श्रीमती	इलाहाबाद
पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती	कानपुर देहात
प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री	बदायूं
प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री	झाँसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री	इलाहाबाद
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फागू, श्री	मऊ
बजरंग बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
बलवीर, श्री	मुजफ्फरनगर
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बिरजू राम, श्री	जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री	प्रतापगढ़
बैजनाथ दूबे, श्री	गोण्डा
ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगवती प्रसाद सागर, श्री	झाँसी
भगवान दास, श्री	सन्तकबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री	इटावा
भोला, श्री	आजमगढ़
मंजू, श्रीमती	बलिया
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद

मधुसूदन शर्मा, श्री	आगरा
ममतेश शाक्य, श्री	एटा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश चन्द्र, श्री	कानपुर देहात
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मिथलेश कटियार, श्रीमती	कानपुर देहात
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मुस्लिम खाँ, श्री	बदायूँ
मोहम्मद इकबाल, श्री	बिजनौर
मोहम्मद इरशाद खान, श्री	लखनऊ
मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री	सीतापुर
मोहम्मद ताबीश खां, श्री	सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह, श्री	बिजनौर
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
यसपाल सिंह रावत, श्री	गोरखपुर
योगराज सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र सागर, श्री	बदायूँ
रंगनाथ मिश्र, श्री	सन्त रविदासनगर (भदोही)
रघुनाथ प्रसाद शंखवार, डा0	कानपुर देहात
रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया", कुँवर	प्रतापगढ़
रविन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्ना भइया, श्री	फतेहपुर
रतनलाल अहिरवार, श्री	झाँसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश गौतम, श्री	गोण्डा
रमेश चन्द्र विन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री	महोबा
राकेश धर त्रिपाठी, डा0	इलाहाबाद
राजकिशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजकुमार सिंह गौतम, डा0	गाजीपुर
राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
राजपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजीव चन्ना, श्री	मुरादाबाद
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, डा0	आगरा
राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
राधामोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकरनगर
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कुमार तिवारी, पण्डित	ललितपुर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई

राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम प्रसाद जायसवाल, श्री	देवरिया
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूँ
रामस्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लखीराम नागर, श्री	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वाचस्पति, श्री	कौशाम्बी
वारिस अली, श्री	बहराइच
वासुदेव सिंह "बाबा", श्री	बुलन्दशहर
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय कुमार उर्फ	
विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विजय बहादुर यादव, श्री	गोरखपुर
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विनोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
विनोद सिंह, श्री	सुल्तानपुर
विनोद चतुर्वेदी, श्री	जालौन
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विशम्भर सिंह यादव, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र कुमार, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शम्भू चौधरी, श्री	कुशीनगर
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिवशंकर, श्री	बलिया
शीशराम, श्री	बिजनौर
शेखर तिवारी, श्री	औरैया
शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री	जौनपुर
श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा)	वाराणसी
श्याम नरायण यादव, श्री	आजमगढ़
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीभगवान पाठक, श्री	बलिया
श्रीभगवान शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय कुमार त्रिपाठी, श्री	प्रतापगढ़
संजय कपूर, श्री	रामपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संध्या, कुमारी	मैनपुरी
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह, चौ0	अलीगढ़
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	[illegible]नगर	सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	[illegible]गपत	सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सनातन पाण्डेय, श्री	बलिया	सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री	आजमगढ़	सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर	सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
सी0 एम0 प्रसाद, श्री	सोनभद्र	सूरजपाल ठाकुर, श्री	आगरा
सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर	सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर	सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़	सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव	हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
सुनील शर्मा, श्री	गाजियाबाद	हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव	हरिओम, श्री	जालौन
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर	हसरत उल्ला, श्री	[illegible]टा
सुभाष, श्री	बलिया	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर	होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़		

नोट- आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी), भूतत्व एवं खनिकर्म तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) तथा कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री (श्री कमला कान्त गौतम) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बुन्देलखण्ड में भयंकर सूखे से प्रभावित कृषकों को राहत दिलाने की मांग

**1-श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद व श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बुन्देलखण्ड में भयंकर सूखे से त्रस्त जनता को निजात दिलाने हेतु सरकार कोई पैकेज जारी करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री फागू चौहान)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जिलाधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी रिपोर्ट के आधार पर क्रमशः जनपद महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, झांसी तथा जालौन को सूखाग्रस्त घोषित किया गया।

- सूखाग्रस्त घोषित जनपदों में प्रभावित कृषकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से शासन द्वारा विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 05 नवम्बर, 2007 में यह निर्णय लिया गया कि अवशेष राजस्व मुख्य देयों की वसूली स्थगित कर दी जाय, साथ ही कृषकों से उक्त विविध देयों की वसूली हेतु कोई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही न की जाय।
- सूखाग्रस्त घोषित जनपदों के जिलाधिकारियों को सूखे से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु रु0 07-07 करोड़ उनके निवर्तन पर रखने के आदेश दिये गए।
- बुन्देलखण्ड के सूखाग्रस्त जनपदों के कृषकों को रु0 13385.51 लाख का कृषि निवेश अनुदान वितरित किया गया है।
- सूखाग्रस्त जनपदों में विशेषकर बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों में पेयजल की समस्या तथा बीमारियों की रोकथाम तथा पशुओं के चारे तथा पेयजल की समस्या हेतु निम्नानुसार धनराशि स्वीकृत की गई है :-

क्र0सं0	विभाग का नाम	स्वीकृत धनराशि
1	जल निगम	7896.89 लाख
2	सिंचाई विभाग (राजकीय नलकूपों की मरम्मत)	645.40 लाख
3	सिंचाई विभाग (पम्प नहर की मरम्मत)	1152.10 लाख
4	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन (ऊर्जीकरण हेतु)	5641.42 लाख
5	स्वास्थ्य विभाग	1182 68 लाख
6	लघु सिंचाई (कूपों को गहरा करने हेतु)	752.86 लाख
7	पशुधन विभाग	1286.93 लाख
8	रिमोट सेंसिंग (भू-गर्भ जल का पता लगाने हेतु)	52.65 लाख
	योग :	18610.93 लाख

- किन्हीं परिस्थितियों में यदि किसी पात्र व्यक्ति को बी0पी0एल0 कार्ड नहीं मिल सका है तो उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति न उत्पन्न हो, से निपटने के लिए आपदा राहत निधि से आवंटित धनराशि में से सूखे से प्रभावित प्रत्येक ग्राम में 02 कुन्तल खाद्यान्न बैंक की स्थापना करके निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कराये जाने की व्यवस्था की गई है।
- असहाय एवं निराश्रित लोगों की भुखमरी की समस्या के निवारण हेतु सामुदायिक रसोई की व्यवस्था करके ऐसे व्यक्तियों को पके-पकाये भोजन की सुविधा प्रदान करने की भी व्यवस्था की गई है।
- सूखे से प्रभावित जनपदों में पशुओं में होने वाली बीमारियों की रोकथाम/देखभाल तथा पशु कैम्प लगाकर उनके चारे-भूसे एवं पानी की व्यवस्था हेतु रु0 1286.93 लाख की कार्य योजना स्वीकृत की जा चुकी है।
- इस प्रकार बुन्देलखण्ड के सूखाग्रस्त जनपदों को राहत कार्य हेतु दैवीय आपदा राहत निधि से रु0 31996.44 लाख आवंटित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सूखाग्रस्त जनपदों में सूखा राहत कार्य के सुचारु रूप से संचालन हेतु अपर जिलाधिकारी राहत के पद सृजित कर अधिकारियों की तैनाती की गयी है।

प्रत्येक जनपद में चलाये जा रहे सूखा राहत कार्यों का निरीक्षण करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु शासन स्तर से वरिष्ठ अधिकारियों को नामित किया गया है।

बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र के सूखाग्रस्त जनपदों में सूखे के प्रभाव के न्यूनीकरण हेतु विभिन्न विभागों की मांगों को सम्मिलित करते हुए निम्नानुसार रु0 7016.00 करोड़ का सूखा राहत पैकेज भारत सरकार को भेजा गया है :-

क्र0 सं0	विभाग का नाम	पैकेज में मांगी गयी धनराशि (लाख में)
1	2	3
1	कृषि विभाग (कृषि उत्पादकता के विकास एवं सूखारोधी फसलों के विकास आदि हेतु)	218338.21
2	खाद्य विभाग (फूड बैंक स्कीम, सामुदायिक भोजन आदि हेतु)	27881.00
3	ग्राम्य विकास (सुनिश्चित रोजगार सृजन हेतु)	19218.00
4	सिंचाई विभाग (सामुदायिक नलकूपों द्वारा सिंचाई, नहर प्रणाली के विकास, पम्प कैनाल के सुदृढ़ीकरण आदि हेतु)	7049.34

1	2	3
5	लघु सिंचाई (ब्लास्टिंग द्वारा कूपों के निर्माण, गुलों के निर्माण आदि हेतु)	28062.50
6	जल निगम (हैण्डपम्प, चरही निर्माण तथा टैंकर से वाटर सप्लाई आदि हेतु)	3373.47
7	पशुपालन (पशु कैम्पों की स्थापना टीकाकरण, चारे आदि हेतु)	5400.18
8	पंचायती राज (सामुदायिक भवन निर्माण हेतु)	17675.00
9	भूमि विकास एवं जल संसाधन (जलागम परियोजना के माध्यम से सिंचन क्षमता में वृद्धि)	2698.32
10	स्वास्थ्य विभाग (सूखारोधी औषधि किट के वितरण एवं स्वास्थ्य सुविधा आदि हेतु)	129.20
11	ऊर्जा विभाग (निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु)	2820.00
12	मत्स्य पालन (मत्स्य फार्मों के विस्तार तथा मत्स्य पालन के माध्यम से स्वरोजगार हेतु)	990.49
13	वन विभाग (वर्नीकरण हेतु)	3164.04
14	उद्यान विभाग (औद्यानिक फसलों के विकास/विस्तार हेतु)	2457.70
15	अहेतुक सहायता मद में	4500.00
16	क्रेडिट पैकेज (अतिरिक्त ऋण के प्रवाह/ब्याज मार्फी हेतु)	354179.97
17	मिड डे मील (अवकाश के दिनों में भी भोजन हेतु)	3056.80
18	अतिरिक्त ऊर्जा मद में	607.50
	योग :-	701601.00

उक्त के अतिरिक्त रु0 2797.00 करोड़ का एक ऋण राहत पैकेज भी भारत सरकार को भेजा गया है, जिसके अन्तर्गत पूर्व में लिये गये ऋणों पर ब्याज की माफी कतिपय दशाओं में ऋण की मार्फी तथा भविष्य में लिये जाने वाले ऋण के ब्याज पर चार प्रतिशत की दर से सब्सिडी एवं नाबार्ड सहायतित स्कीमों में सुनिश्चित सब्सिडी की आदि की व्यवस्था हेतु मांग की गई है।

मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखा राहत कार्यों एवं सूखारोधी विकास कार्यों हेतु निम्न घोषणायें की गयी हैं :-

- सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक एवं राष्ट्रीयकृत बैंक के 50,000 रु0 से कम के सभी ऋण पर बकाया ब्याज की धनराशि को माफ किया जायेगा।
- प्रत्येक परिवार के एक-एक सदस्य को सुनिश्चित रोजगार देने हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।

- प्रत्येक पात्र व्यक्ति को उनकी पात्रता के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन एवं विधवा पेंशन से लाभान्वित किया जायेगा।
- शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को अनुदान दिया जायेगा।
- इस क्षेत्र के अनुसूचित जाति, जनजाति के वर्गों के लिये शादी अनुदान दस हजार से बढ़ाकर बीस हजार किया जायेगा।
- सभी गांव में पेयजल की व्यवस्था हेतु फरवरी माह तक हैण्डपम्प लगाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा खराब हैण्डपम्पों को रिबोर किया जायेगा।
- सिंचाई व्यवस्था हेतु प्राइवेट ट्यूबवेलों को तत्काल विद्युत कनेक्शन देने की व्यवस्था दी जायेगी।
- पूरे बुन्देलखण्ड के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में बीस घण्टे प्रतिदिन बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था की जायेगी।
- सिंचाई के लिये नयी तकनीक स्प्रिंकलर एवं ड्रिप की सुविधा के लिये अनुदान राशि बड़े किसानों के लिए 75 प्रतिशत तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा अनुसूचित जाति जनजाति के कृषकों के लिये शासकीय व्यय पर इन यंत्रों के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था की जायेगी।
- नीयू प्रजाति एवं अन्य पौधों के रोपण का कार्यक्रम चलाया जायेगा।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र की जिन नहरों में पानी नहीं पहुंच पाता है उसके आस-पास समूह में नलकूप लगाकर पानी की कमी को पूरा किया जायेगा।
- कृषि के लिये मौसम बीमा योजना लागू की जायेगी।
- रोजगारपरक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये पांच पालीटेक्निक स्थापित किये जायेंगे।
- व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु 09 आई0टी0आई0 स्थापित किये जायेंगे।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।
- बांदा जिले के अन्तर्गत बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर कालेज की स्थापना की जायेगी।
- मान्यवर, श्री कांशीराम जी पैरामेडिकल ट्रेनिंग कालेज की स्थपना की जायेगी।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मेरे द्वारा किये गये इस प्रश्न के दो भाग है। एक भाग तो वह है जो राज्य सरकार तात्कालिक तौर पर सूखा ग्रस्त लोगों को राहत देने के लिये कर रही है और दूसरा भाग है कि बुन्देलखण्ड और विंध्य क्षेत्र में जो सूखा पड़ा है और उस सूखे से उत्पन्न स्थिति के न्यूनीकरण के लिए भारत सरकार को लिखा गया है पैकेज के लिए। मैं आपके माध्यम से राज्य द्वारा जो कार्य किये जा रहे हैं उसके सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने जो बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जो अभूतपूर्व सूखा पड़ा है और उसके परिणामस्वरूप जो नुक्सान हुआ है क्या सरकार द्वारा इसका कोई आंकलन

कराया गया है कि वहां कितने जनधन की क्षति हुई है। कितने लोग भूख से मरे हैं ? यदि हां, तो वह क्या है, यह बताने की कृपा करें ?

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, अब तक भूख से मरने की कोई सूचना की पुष्टि नहीं हो पाई है। दूसरी बात...

श्री विवेक कुमार सिंह-

क्या कोई क्राइटेरिया बनाया गया है कि भूख से कोई मरा है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष-

वह अभी माननीय सदस्य का जवाब दे रहे हैं, माननीय चौधरी साहब के अनुपूरक का जवाब दे रहे हैं बीच में क्या औचित्य है ? जब अनुपूरक का जवाब दे दें तब माननीय सदस्य पूछें।

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, जहां तक कृषि की फसलों का नुकसान है, आंकलन किया गया है लगभग 14 अरब रुपये का नुकसान हुआ है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न पूछा था उसमें जनधन की क्षति के विषय में था और उसको थोड़ा मैंने विस्तार दिया कि क्या भूख से भी मौतें हुई हैं ? क्या पशु भी बिना पानी के भूख के कारण बिना चारे के मरे हैं यह आपने बताने की कृपा नहीं की है। यदि आपके पास कोई इस तरह का आंकड़ा हो, कोई आपने सर्वे कराया हो तो बता दें।

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, इस तरह की कोई सूचना नहीं है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से दूसरा अनुपूरक यह करना चाहूंगा कि जो कुछ आपने अपनी योजना बताया है यह तो ठीक हो सकता है कि आपने जो आंकलन किया और उस परिस्थिति में राहत देने के लिए आपने कुछ कदमों को उठाया है और उसकी घोषणा भी की है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जो विगत दिनों का अनुभव है या जो नैतिक पतन है, मूल्यों का अवमूल्यन है उसको देखते हुये यह सारे राहत कार्य धरती पर हो रहे हैं और उसका लाभ जो आपदाग्रस्त लोग हैं, उनको मिल रहा है कि नहीं ? इसकी मानीटरिंग के लिये क्या आपने कोई कार्यवाही की है, क्या कोई कार्यदल बनाया है, यह बता दें ?

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, सूखा राहत के जो कार्य हो रहे हैं, सरकार की तरफ से, उसकी निगरानी के लिये ए0डी0एम0 स्तर के अधिकारी को प्रभारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है कि वह वहां समीक्षा करे और देखे कि सूखा राहत का जो धन जा रहा है, उसके आवंटन में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, हमने जो प्रश्न किया था कि क्या राजस्व मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी जनपद सूखे की चपेट में हैं, यदि हां, तो क्या सरकार वहां के किसानों को सूखा राहत देने व पशुओं के चारे की समस्या के लिये व्यवस्था करेगी, यदि नहीं तो क्यों ? चूंकि मान्यवर, यह प्रश्न माननीय श्यामदेव राय चौधरी जी का था, उसी में हमारा भी प्रश्न जोड़ दिया गया तो हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि बुन्देलखण्ड सूखा पीड़ित क्षेत्र है और वहां पर करीब 20.33 लाख हेक्टेयर जमीन है जिसमें 50 प्रतिशत जमीन वहां की असिंचित है और असिंचित जमीन होने के कारण वहां सिंचाई के साधन न होने के कारण वहां का किसान परेशान है। माननीय मंत्री जी ने श्यामदेव राय चौधरी जी के प्रश्न में जो उत्तर दिया है उसमें पैकेज देने के बारे में कहा है कि जी नहीं। तो हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि बुन्देलखण्ड में सूखा पीड़ित किसानों की और पशुओं की जनपदवार संख्या क्या है तथा कितनी धनराशि वितरित की गयी है और कितनी शेष है ? मान्यवर, वैसे तो जो चेक धनराशि दी गयी है उसकी अनुपूरक सूची जो बनी थी उसका वितरण अभी तक नहीं हुआ है। हमारे माननीय सदस्य धूराम लोधी जी ने आज के ही एजेन्डे में मद संख्या-21 पर नियम-51 के तहत इसी सम्बन्ध में पूछा है। वहां पर इस समय भारी अनियमितता हो रही है, हम माननीय मंत्री जी से चाहेंगे कि वह इसकी जांच करवा लें। हम चाहते हैं कि जो कर्ज ब्याज माफी का आपने ऐलान किया है तो कर्ज ब्याज माफी का शासनादेश क्या है ? किस तारीख को जारी किया है, क्या उसका विवरण रखेंगे ?

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, कर्ज माफी नहीं कर्ज के ब्याज की माफी है जो बचा हुआ ब्याज है उसकी माफी। शासनादेश शीघ्र ही जारी हो जायेगा। नहीं मान्यवर, जी0ओ0 जारी हो गया है।

श्री अध्यक्ष-

जी0ओ0 जारी हो गया है, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट बता दिया है।

श्री प्रदीप जैन आदित्य-

माननीय अध्यक्ष जी, बुन्देलखण्ड में जो सूखा है, वहां पर सूती मिल बन्द पड़ी है जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ था और जिसको बेचने का पिछली सरकार ने एक मंसूबा तय किया था क्या उस षडयंत्र को खत्म कर सूती मिल प्रारम्भ कराई जायेगी ? दूसरा आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि बुन्देलखण्ड में अरबों-खरबों रुपये की परियोजनायें जाती हैं। क्या सरकार बुन्देलखण्ड पर एक श्वेत-पत्र जारी करेगी ? तीसरी बात हम कहना चाहते हैं कि वहां स्प्रिंकलर पर जो 100 प्रतिशत सब्सिडी और 75 फीसदी बड़े काश्तकारों को सब्सिडी है, वह गांव स्तर पर और जिला स्तर पर नहीं पहुंच रही है तो क्या उसके क्रियान्वयन के लिये सरकार बुन्देलखण्ड के लिये एक पृथक मंत्रालय का निर्माण करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

जैन साहब, अभी उन्होनें बताया कि इसके लिये ए0डी0एम0 रैंक के एक अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर नियुक्त कर दिये गये हैं। उसी वह पूरी मानीटरिंग कर रहे हैं। आपने षड़यन्त्र शब्द का प्रयोग

किया है और पूछा है कि षड़यन्त्र को खत्म करेंगे तो इसमें षड़यन्त्र कौन सा है ? सिंह साहब बैठिये, मैंने तिवारी जी को बुला लिया है।

श्री प्रमोद तिवारी-

पूरा सदन इससे सहमत है कि बुन्देलखण्ड में घोर आपदा आई हुई है। मेरे दो छोट-छोटे और सीधे प्रश्न हैं, एक तो यह कि क्या इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पहल करेगी ? दूसरा यह है कि बीमा, जो सामूहिक कृषि बीमा है, उसे प्राप्त करने के लिए क्या सरकार कदम उठायेगी ? मान्यवर, एक तो क्या राष्ट्रीय आपदा घोषित करेगी और दूसरा सामूहिक कृषि बीमा है उसकी धनराशि दिलाने की कृपा सरकार करेगी ?

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जैसा मा0 मंत्री जी ने अपना विस्तृत उत्तर में एक-एक प्वाइन्ट पर कि हम बुन्देलखण्ड के लिए क्या कर रहे हैं और मान्यवर, यह सूखा केवल इस वर्ष नहीं पड़ा बल्कि यह सूखा पिछले तीन साढ़े तीन सालों से है और उन साढ़े तीन सालों में बुन्देलखण्ड को न तो सूखाग्रस्त घोषित किया गया था और न तो राहत के लिए कोई विशेष कार्य किये गये थे। मान्यवर, जैसा कि मा0 मंत्री जी ने बताया कि इसमें जो बुन्देलखण्ड के आम व्यक्ति है वह इस समय इस बात की चर्चा कर रहे हैं। फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जो कार्रवाई होगी वह अवश्य होगी।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, समस्या एक है। प्रश्न है राजस्व मंत्री जी से सम्बन्धित। मा0 राजस्व मंत्री की क्षमता को या तो कम समझ रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री जी या उनको अक्षम मान रहे हैं। खड़े हो गये बीच में। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त है, मैं मना नहीं कर सकता, इसीलिए आपने अनुमति भी दे दी। लेकिन मुझे कहने में दुःख हो रहा है कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने ए0 बी0 सी0 डी0 भी इस प्रश्न की नहीं पढ़ी है। अगर पढ़ा होता तो सवाल कानपुर का, जवाब झाँसी का नहीं देते। मान्यवर, मेरा सीधा सा प्रश्न है कि क्या इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे? कह दें "हाँ" या "नहीं"। दूसरा सामूहिक बीमा योजना, जो कृषि बीमा योजना है उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि जो आपको पैसा जमा करना है वह जमा कर दें जिससे इंश्योरेंश कम्पनी से पैसा मिल जाये। इसका बहुत सीधा सा ही उत्तर होगा "हाँ" या "ना"। राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे या नहीं, दूसरा सामूहिक बीमा योजना के लिए आप उसकी किश्त जमा करायेंगे या नहीं। अब दूसरी सरकार क्या कर रही थी, तीसरे साल क्या हो रहा था, यह प्रश्न मेरा नहीं है। यह आपका अधिकार है जब आप बोलियेगा तो बोल लीजिएगा। उत्तर जरूर दें राजस्व मंत्री का लेकिन पढ़ लिख करके दें, बिना पढ़े-लिखे बीच में घुस जाना अच्छी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, यह फसलों का जो सामूहिक बीमा होता है, क्या उसका कुछ आंकलन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो क्या उसके बारे में सरकार विचार कर रही है कि जमा किया जायेगा ?

श्री प्रमोद तिवारी-

अगर उत्तर इस समय नहीं है तो इसे स्थगित कर दें।

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, हम आंकलन करवा ले रहे हैं, उसके बाद देख लेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

यह आंकलन नहीं होता, मैं कह रहा हूं कि किसका आंकलन करवा रहे हैं, बीमा कम्पनी का आंकलन करा रहे हैं क्या ? मा0 अध्यक्ष महोदय, कहीं रहम करें, कहीं रहम करें। मान्यवर, मैं तो सहायता करने का प्रयास कर रहा हूं मैं तो आपका बोझ बांटने का काम कर रहा हूं। मान्यवर, यह जो बीमा कम्पनियां हैं, इनकी दो शर्तें होती हैं एक तो पूरे ताल्लुके में या पूरे क्षेत्र में दैवीय आपदा बनी होती है और मान्यवर, यहां पर ताल्लुका को छोड़ दीजिए पूरे बुन्देलखण्ड में यह लागू होता है। दूसरा मान्यवर, इसमें यह है कि प्रदेश सरकार को जो किश्त देनी है वह दे दें, आप देंगे 10 प्रतिशत मिलेगा किसान को 100 प्रतिशत। तो सौ रुपए देकर यदि किसान को 1000 रुपए मिल सकता है तो उस पर क्या आप विचार करेंगे ? अगर नहीं है तो इस प्रश्न को स्थागित कर दें, 15 दिन बाद उत्तर आ जायेगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि इस बार के बजट में मौसम बीमा योजना शुरू करने की व्यवस्था की है और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उसको किया जायेगा। इस साल के बजट में होगा तो उसके अनुसार स्थिति आयेगी तो फिर उसके अनुसार होगा। जब तक बीमा नहीं हुआ होगा तब तक कैसे दिया जायेगा ? कैसे उसका आकलन या मांग की जायेगी ? हमने इस वर्ष मौसम बीमा योजना शुरू करने का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लेने की कार्रवाई की है, उसके अनुसार जो व्यवस्था होगी, उसके अनुसार कार्यवाही होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो बुन्देलखण्ड में सूखा आया है और जिसके कारण वहां के किसानों और आम जनता को असुविधा हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2008-2009 का बजट जो ले आये हैं, उसमें मौसम बीमा योजना की शुरूआत की है उसके आधार पर जो कार्यवाही होगी उसके अनुसार दिलवाया जायेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, बुन्देलखण्ड के सूखे और वहां की असाधारण स्थिति के सवाल पर इस सदन में कोई दो राय नहीं है। माननीय मंत्री जी नसीमुद्दीन साहब बैठे हैं इन्होंने स्वयं बहुत गंभीर चिंता व्यक्त की है। सरकार की ओर से जब भी इस पर वक्तव्य आया है माननीय राजस्व मंत्री और अन्य मंत्रिगण ने हमेशा बहुत संजीदगी से बुन्देलखण्ड के सूखे पर गंभीरता से अपनी चिंता भी जाहिर की है और अपने द्वारा किये गये प्रबन्धों की जानकारी भी दी है। सदन में विपक्ष के सदस्यों ने जब-जब यह सवाल उठाया है तो उनकी बात उठायी गयी है, सरकार ने बार-बार इस सदन में व्यक्त किया है कि हम केन्द्र सरकार से 80 हजार करोड़ का पैकेज मांग रहे हैं और बुन्देलखण्ड के लिए भी हमने 7 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की पैकेज मांगी है, इसकी जानकारी आ गयी। मेरा सीधा-सीधा

प्रश्न है कि अपने बजट से क्या सरकार बुन्देलखण्ड की इस असाधारण स्थिति के लिए 10 रुपये का एक पैकेज देगी या नहीं देगी, इसका उत्तर हां या ना में मिल जाए। श्रीमन्, सीधे-सीधे बता दें कि अपने बजट में केन्द्र सरकार ले आयेगी तो 7 हजार या 15 हजार करोड़ दे देंगें। सामने बैठे वरिष्ठ मंत्री जी डांट देते हैं तो लोग बैठ जाते हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

हमने देखा है कि सामने बैठे मंत्री जी बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

प्रमोद भाई, उत्तेजना के और कई कारण हैं और वह कारण आज यहां है नहीं। मेरा प्रश्न है कि अपने संसाधनों के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार कितनी धनराशि का पैकेज बुन्देलखण्ड के लिए दे रही है ? अगर राशि तय हो गयी हो तो राशि बता दें, विचार कर रहे हों तो वह बता दें और तय कर लिया है कि नहीं बतायेंगे तो वह भी बता दें ?

श्री अध्यक्ष-

चौधरी जी, आप उत्तर में देखिये, जी नहीं, शब्द आ गया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

एक रिवाज और है उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। एक मा0 मंत्री जी उत्तर देने के लिए खड़े होते हैं तो दो मंत्री एक दुबले और एक नॉन-दुबले दोनों मा0 मंत्री मिल करके उनको डांटने का काम करते हैं कि बैठ जाओ, कम बोलो, लेकिन मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, यह गड़बड़ हो जाता है। आप उस पर नजर रखेंगे, यह मेरा काम नहीं है। कोई मंत्री सरकार की तरफ से बोले, लेकिन यह बात मुनासिब नहीं है। हर मंत्री को अपने विभाग का उत्तर देने दिया जाए। मैं स्वयं राजस्व मंत्री था और इसलिए राजस्व मंत्री जी के बारे में हमारे मन में दर्द है, राजस्व मंत्री बहुत समर्थ हैं और समर्थ मंत्री को उत्तर न देने दें, इस तरह का प्रयास करना मुनासिब नहीं है। बाकी आपका संरक्षण है मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, लगता है कि चौधरी साहब ने इसको पढ़ा नहीं है और न पढ़ने दिया। अगर पढ़ने दिया होता तो इसमें जितनी सुविधायें दी गयी हैं और जो कार्यवाही सूखा प्रभावित जिलों के लिए की जा रही है।

श्री अम्बिका चौधरी-

सुविधाओं को नहीं बता रहे हैं कोई पैकेज है उसको नहीं बता रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

सूखाग्रस्त घोषित जनपदों में प्रभावित कृषकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से शासन द्वारा विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 5 नवम्बर, 2007 में यह निर्णय लिया गया कि अवशेष राजस्व

मुख्य देयों की वसूली स्थगित कर दी जाय साथ ही कृपकों से उक्त विविध देयों की वसूली हेतु कोई उत्पाड़नात्मक कार्यवाही न की जाय।

(संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट होकर श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, डा0 पी0 के0 राय, श्री राम विशुन आजाद तथा श्री अम्बिका चौधरी आदि के साथ सपा के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर में आ गये और किसान विरोधी सरकार के नारे लगाने लगे।)

श्री लालजी वर्मा-

इन लोगों ने साढ़े तीन साल में अपने कार्यकाल में 20 करोड़ रुपए से ज्यादा बुन्देलखण्ड के लिए खर्च नहीं किया और अब जब बुन्देलखण्ड के लोगों के काम हो रहे हैं तो यह हल्ला मचाने का काम कर रहे हैं। अब इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब, आप सदस्यों को धक्का मत मारें। जो आना भी नहीं चाहते हैं उनको भी धक्का मार रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मंत्री जी साफ-साफ बताएं कि बुन्देलखण्ड के किसानों को कोई पैकेज देंगे ?

श्री अध्यक्ष-

आप पहले अपने सदस्यों को वेल से वापस ले जाएं उसके बाद में मंत्री जी से उत्तर देने के लिए कहूं।

(वेल में उपस्थित समाजवादी पार्टी के सदस्य श्री अध्यक्ष के अनुरोध पर अपने-अपने आसन पर चले गए)

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी, दो प्रश्न किए गए हैं पहला क्या सरकार ने बुन्देलखण्ड में राहत देने के लिए स्वयं कोई पैकेज देने पर विचार किया है ? दूसरा विभिन्न विभागों ने जितना धन आवंटित किया है, उसका उल्लेख चाहते हैं ? इसका मूल प्रश्न है क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बुन्देलखण्ड में भयंकर सूखे से त्रस्त जनता को निजात दिलाने हेतु सरकार कोई पैकेज जारी करने पर विचार कर रही है। इसका उत्तर तो पहले ही सरकार ने दे दिया कि जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री अम्बिका चौधरी-

मानर्नीय अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा प्रश्न पूछने पर मंत्री जी ने वह उत्तर पढ़ दिया जिसको पहले ही आपने लम्बा उत्तर जानकर पढ़ा हुआ मान लिया था। अब उसको पुनः पढ़ने से आधा घण्टे का समय चला जाय यह उचित नहीं था। यह सही है कि संसदीय कार्य मंत्री जी परम् विद्वान हैं और अब वह परम् नहीं चरम विद्वान हो गए हैं। वह श्रीमन्, इसको दोबारा पढ़े हुए को पढ़ना चाहते हैं। हम तो एक साधारण सदस्य हैं। विद्वान नहीं हैं।

श्री लालजी वर्मा-

विद्ववान तो चौधरी साहब हैं, दूसरा तो कोई विद्वान है ही नहीं।

श्री अम्बिका चौधरी-

नहीं, दूसरे बहुत हैं। गुस्सा मत कीजिये। क्रोध में आपका मुंह बहुत क्रोधित हो जाता है। मान्यवर, इनके पीछे स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं, कहिये इनके स्वास्थ्य का उपाय करें। श्रीमन्, उनको भी डांट देते हैं लोग। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरा प्रश्न सीधा सीधा है एक हां और एक ना से काम चल जायेगा। और उत्तर अगर लिखा हुआ नहीं है और यह प्रदेश की जनता को अगर यही संदेश आपको देना है कि केन्द्र सरकार से पैकेज की रोज-रोज मांग करने वाली यह सरकार बुन्देलखण्ड के लिये एक रुपये का भी पैकेज अपनी ओर से बनाने का प्रयास नहीं कर रही है।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब अनुपूरक करिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

उत्तर में लिखा है मान्यवर। अनुपूरक मैंने पूछ लिये हैं दूसरों से पूछवाइये।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय चौधरी साहब को दर्द इस बात का है कि जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने साढ़े तीन साल में कुछ नहीं किया। जब हमारी सरकार ने वहां की जनता की दुःख तकलीफ को देखते हुए यह योजनाएं लाने का काम किया है तो इस कारण इनका दर्द और बढ़ गया है और उस दर्द में मान्यवर इनकी यह छटपटाहट है और उसी छटपटाहट में अनर्गल बात किया करते हैं मान्यवर।

(श्री ओम प्रकाश सिंह का नाम पुकारे जाने पर कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

सुनिये चन्देल साहब, अभी चौधरी साहब कह रहे थे कि एक मंत्री जवाब दे रहे हैं तो और दूसरे मंत्री खड़े होकर न बोलें इसलिये मेरा कहना है कि जब एक मंत्री जवाब दे रहे हैं तो और माननीय सदस्य न बोलें। कुछ नियम से चलें। बैठ जायं। माननीय ओम प्रकाश सिंह जी।

(श्री अवधेश प्रसाद के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अवधेश जी, आप बैठ जायं। मैंने ओम प्रकाश जी को पहले बुला लिया है। बस अब बहुत अनुपूरक हो गया।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा इतना पोर्शन तो स्वीकार करते ही हैं कि अगर पिछले वर्षों में कुछ हुआ होता तो आप के ऊपर इतना भार और इतना दबाव न होता और

इसी कारण से आपने राजस्व देयों कीं वसूली स्थापित की है। खाद्यान्न की व्यवस्था थोड़ी बहुत 2-2 क्विंटल गांवों में दिया है ऐसा आप कह रहे हैं अब पता नहीं वह कितना उनको मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है। लेकिन 4 साल से सूखा है और वो लोग देने की स्थिति में नहीं है और यह आप जानते हैं कि भूख से नहीं मर रहे हैं। कोई सरकार इसको स्वीकार नहीं करती है चाहे कितना बड़ा यथार्थ क्यों न हो ? आप भी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन कर्ज से आत्महत्या कर रहे हैं यह सब जान रहे हैं क्योंकि साहूकारों का और बैंकों का कर्ज किसान अपने नित्य का खर्चा चलाने के लिये ले रहे हैं। जब राजस्व 4 साल से स्थगित है और वह देने की स्थिति में नहीं हैं तो क्या सरकार कर्ज की मुआफी और राजस्व देयों को माफ करेगी ? मेरा सीधा सीधा सवाल है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कर्ज की मुआफी नहीं। कर्ज में जो ब्याज है चाहे वह सहकारी बैंक से हो या राष्ट्रीकृत बैंक से लिये गये ऋण पर हो, उस ब्याज को माफ करने की कार्यवाही की जा रही है।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर सरकार विरोधी नारे लगाने लगे।)

श्री ओम प्रकाश सिंह-

चूंकि सरकार ने तो राजस्व देयों की माफी देने के लिये तैयार है। न कर्ज की मुआफी देने के लिये तैयार है। यह बिल्कुल लापरवाह सरकार है न तो सामूहिक बीमा का किश्त जमा करने के लिये है इसलिये भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करती है।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

(समाजवादी पार्टी के सदस्य भी सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन का त्याग करके चले गये।)

श्री लालजी वर्मा-

वहां की जनता ने इनको दुत्कार दिया। इनकी बात को सुना ही नहीं। वह देख रही है कि यह पहली सरकार है जो वहां की जनता की दुःख तकलीफ को देख रही है उसके लिये उपाय कर रही है।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न के उत्तर में, दो ही प्रश्न थे मेरे। हमारे साथी ने पूछा था कि भूख से कितनी मौत हुई ? उसमें उत्तर आया कि भूख से कोई मौत नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि इस शताब्दी का सबसे बड़ा मिथ्या भाषण अगर कोई हो सकता है तो वह सरकार की तरफ से दिया गया यह बयान है कि भूख से बुन्देलखण्ड में कोई मौत नहीं हुई। यह इस सेन्चुरी का सबसे बड़ा मिथ्या भाषण है। मान्यवर, कोई पैकेज यह नहीं दे रहे हैं कोई पैकेज यह नहीं देना चाहते हैं और बेकार में मान्यवर, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं। इसके विरोध में मैं और मेरा दल सबसे बड़े [xxx] सबसे बड़े संभाषण के विरोध में सदन का बहिष्कार करता है।

(कांग्रेस के सदस्यगण सदन त्याग कर चले गये।)

नोटः-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया गया।

श्री लालजी वर्मा-

इनको शर्म आनी चाहिए। हम मांग कर रहे हैं उसके बाद यह कुछ नहीं दे रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। सूखा ग्रस्त घोषित किया गया है।

तारांकित प्रश्न

लखनऊ की गोमती नगर आवास योजना के विकल्प खण्ड स्थित ताल कठौता झील के सौन्दर्यीकरण की मांग

*1-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित गोमती नगर आवास योजना के अन्तर्गत विकल्प खण्ड में स्थित तालकटौता झील के सौन्दर्यीकरण की कोई योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण/शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह क्या है और कब तक पूर्ण हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पर्यावरण तथा विकास को दृष्टिगत रखते हुये उक्त झील का सौन्दर्यीकरण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आवकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

जी नहीं। प्रश्नगत क्षेत्र में तीसरा वाटर वर्क्स स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तद्नुसार भूमि जल निगम को हस्तान्तरित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि लखनऊ स्थित गोमती नगर आवास योजना के अन्तर्गत विकल्प खण्ड में स्थित ताल कठौता झील के सौन्दर्यीकरण की कोई योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण शासन में विचाराधीन है ? मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि वहां पर कोई वाटर वर्क्स बनेगा। मान्यवर, झीलों और तालाबों के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय ने लाल तिवारी केस में, और माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इकबाल अहमद के केस में माननीय लखनऊ पीठ इलाहाबाद में उच्च न्यायालय ने अर्चना तोमर के केस में झील और तालाब के रूट को न बदलने के स्पष्ट निर्देश दिए। इस सम्बन्ध में राज्य स्तरीय और जनपदस्तरीय कमेटी बनाने के उच्च न्यायालय के निर्देश दिए हैं। मंत्री जी ने शायद राज्य स्तरीय और जनपद स्तरीय कमेटी भी बना दी है। इन परिस्थियों में जो झील है जिससे भू-गर्भ जल संरक्षण का भी सवाल है उसको वाटर वर्क्स के रूप में कंकरीट के रूप में बनाने की क्या आवश्यकता है ? दूसरा प्रश्न है भूमि जल निगम को हस्तान्तरित कर दी गई है तो मैं जानना चाहता हूं कि भूमि जल निगम को हस्तान्तरित कब की गई है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, यह जो माननीय सदस्य ने सवाल किया है माननीय न्यायालय का भी जिक्र किया है। तो माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए यह निर्णय लिया गया है। जहां तक झील का

सवाल है झीलों पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है। इसलिए साइड में जो जगह है वहां पर वाटर वर्क्स बनाया जाना है और झील में उसका तटबन्ध बना करके उसमें शारदा सहायक से पानी ले करके उस झील को गहरा कराके उसका सौन्दर्यीकरण होना है। जहां तक जल निगम को आपने कहा है कि जल निगम को जो लीज पर दिया गया है, तारीख मिट गई है लेकिन इसको मैं माननीय सदस्य को अवगत करा दूंगा मेरे पास जो शर्तें हैं जिन शर्तों के साथ दिया गया है उसका पूरा पत्र है। तारीख मिट गई है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि झील के चारों तरफ तटबंध बनायेंगे और सौन्दर्यीकरण करायेंगे, तो जो यह पहले जी नहीं था वह अब जी हां हो गया है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर यह मत्स्य विभाग की जमीन है वह करवा रहे हैं।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नशे के प्रचलन को रोकने हेतु शराब की दुकानों को शहरी क्षेत्रों तक सीमित करने की मांग

*डा0 अजय तोमर-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं में बढ़ते नशे के प्रचलन को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी एवं देशी शराब तथा बीयर की दुकानों को समाप्त कर उन्हें केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रखने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

जन सामान्य में नशे के प्रचलन को रोकने हेतु मद्य निषेध विभाग द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाता है।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, कितनी बड़ी विडम्बना है, हम 403 सदस्य इस प्रदेश के भविष्य के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए चिन्तित हैं, यहां बैठकर हम बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाते हैं और दूसरी तरफ हमारे प्रदेश का युवा, जिसे इस प्रदेश के आदर्श के रूप में आगे बढ़ाना है, जिसके लिए हम सब लोग चिन्तित हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप अनुपूरक करिए।

डा0 अजय तोमर-

अनुपूरक ही पूछ रहा हूं, मान्यवर, इस युवा पीढ़ी को अगर आप घर-घर तक शराब, देशी, अंग्रेजी हो या बियर या अन्य नशे की कोई चीज हो, इसको परोसने का काम करेंगे और वह भी केवल 10 प्रतिशत राजस्व बढ़ाने के लिए अगर करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न करें।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि वर्ष 2006-2007 में इससे कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ है और मद्य निषेध पर कुल कितना खर्च किया गया है और इसी तरह वर्ष 2007-08 के लिए बता दें ?

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब आप तो विद्वान हैं, आप प्रश्न की परिधि में आयें कि इसमें गवर्नमेन्ट क्या सोच रही है, वह इसको ग्रामीण अंचल से हटायेगी या नहीं हटायेगी, यह पूछें ?

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, मंत्री जी का जवाब है कि मद्य निषेध विभाग इसके लिए अलग से व्यापक प्रचार-प्रसार कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रचार-प्रसार पर वर्ष 2006-07 में कितना खर्च हुआ है और वर्ष 2007-08 में क्या योजना है ?

श्री नर्सीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो पूछा, मद्य निषेध के सम्बन्ध में यह मद्य निषेध का जो कार्य है, वह क्षेत्रवार, एरियावार होता है। मैं बताना चाहूंगा कि इस वर्ष जनवरी, 2008 तक जो एरियावार आवंटन और व्यय हुआ है वह लखनऊ एरिया के लिए, 1,71,428 यह आवंटित हुआ था और व्यय जो हुआ है वह है 1,40,154 आगरा के लिए जो आवंटित हुआ है, वह है 1,71,428 और व्यय हुआ है। 1,34,830 इलाहाबाद के लिए आवंटित हुआ है। 1,70,428 और व्यय हुआ है 1,08,514 इसी तरीके से मान्यवर, वाराणसी में उतना ही है, 1,70,428 और व्यय हुआ है। 1,20,183, गोरखपुर में भी उतना ही है। 1,70,428 और व्यय हुआ है 62,466, इसी तरीके से मेरठ क्षेत्र के लिए है, 1,70,428 और व्यय हुआ है। 1,30,914 और मुरादाबाद क्षेत्र के लिए 1,70,432 और व्यय हुआ है, 1,53,806।

श्री आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय-

मान्यवर, मेरा पूरक प्रश्न बहुत सीधा है, मा0 मंत्री जी ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक मद्य निषेध पर जो खर्च है, वह लाखों में है और राजस्व की प्राप्ति अरबों में है। मेरा सीधा प्रश्न है कि क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि आबकारी से प्राप्त राजस्व का कम से कम 10 फीसदी मद्य निषेध और शराब पीने से जो लीवर सिरोसिस वगैरह रोग हो जाते हैं, उससे पीड़ित लोगों के इलाज कराने में खर्च करने पर क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, जहां तक इलाज कराने की बात है, स्वास्थ्य विभाग पूरा तैयार है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसी सदन में अनेक बार और कई सरकारों के आबकारी मंत्रियों ने यहां उत्तर दिया है कि जहां-जहां पर शिक्षण संस्थाएं हैं,

जहां-जहां पर धार्मिक स्थान होंगे, उनके पास शराब की दुकानें होंगी तो हटा दी जायेंगी और वहां पर शराब की दुकान के लिए लाइसेन्स नहीं दिया जायेगा और अगर होगा तो निरस्त कर दिया जायेगा। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुण्डरी रकाबगंज में हनुमान जी के मंदिर के ठीक सामने, कोठारी बंधु के पार्क के सामने हनुमान जी के मंदिर के बगल में, बुलाकी अड्डे के पास मस्जिद के बगल में शराब की दुकान चल रही है। माननीय मंत्री जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पहले जो वायदा सदन को दिया गया है कि जितने धार्मिक स्थान हैं और जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनके पास शराब की दुकान नहीं होंगी तो मैं जानना चाहता हूं कि मैंने जो स्थान बताये हैं और इसके अतिरिक्त भी लखनऊ में जहां-जहां पर इस तरह की शराब की दुकानें होंगी उन्हें हटाने का काम करेंगे ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, उन्होंने लखनऊ की कुछ जगहों और अतिरिक्त जगहों के बारे में कहा है। तो माननीय सदस्य से यही अनुरोध करूंगा कि लखनऊ में जो अभी बताया है वह लिखकर दे दें और जो अतिरिक्त हैं उनकी सूचना प्राप्त कर लें और वह मेरे पास भिजवा दें तो हम उसमें दिखवा लेंगे।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, जिन स्थानों का नाम लिया है माननीय मंत्री जी क्या उसमें कार्रवाई करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

इसको माननीय मंत्री जी ने संज्ञान में ले लिया है उससे आगे बढ़कर सूचना मांग रहे हैं। अच्छा ठीक है।

श्री नरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मद्य निषेध विभाग के द्वारा जो प्रचार-प्रसार किया जाता है तो क्या इसके द्वारा विगत वर्ष में उत्तर प्रदेश में शराब पीने वालों का प्रतिशत गिरा है ? यदि नहीं गिरा है तो हमारा मद्य निषेध विभाग जो इसका प्रचार-प्रसार कर रहा है उसका औचित्य क्या है ? दूसरी बात यह कि पूरे प्रदेश में जहां राज्य सरकार अपने लाइसेंसीकृत शराब के ठेकों के माध्यम से अंग्रेजी शराब, देशी शराब और बियर बेचती है वहीं ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में नम्बर-2 की शराब बिकती है तो नम्बर-2 की जहां पर शराब बिकती है क्या उसको पकड़वाने के लिए उसकी सूचना देने वालों को सरकार कोई पुरस्कार राशि देने की योजना बनायेगी ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, उन्होंने कहा है कि अवैध शराब की दुकानों के बारे में तो इसमें मैं कहना चाहता हूं कि आप बतायें तो उसमें हम पूरी कार्रवाई करेंगे तो कार्रवाई ही नहीं बल्कि इसमें हम उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेजने का भी काम करेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैंने पूछा था कि मद्य निषेध विभाग जो प्रचार-प्रसार कर रहा है कि हमारे युवा और आमजन शराब न पियें तो इसमें इस विभाग की परफार्मेंस क्या है ? दूसरी बात हमने यह

जानना चाहा था कि जो नम्बर-2 की शराब बेची जा रही है तो उनका पता बताने वालों के लिए सरकार कोई पुरस्कार राशि घोषित करेगी ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, पुरस्कार राशि देने की हमारी कोई योजना नहीं है और दूसरी बात मान्यवर, जो पहले अवैध शराब बिक रही थी जिसके कारण वैध शराब की बिक्री में कमी आ रही थी तो मैं कहना चाहता हूं कि इधर अवैध मदिरा की बिक्री में कमी आयी है और वैध मदिरा की बिक्री में बढ़ोत्तरी हो रही है।

श्री नरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, हमारा जवाब नहीं आया कि मद्य निषेध विभाग जो शराब पीने से रोकने के लिए प्रचार-प्रसार कर रहा है इससे अब तक कितने लोगों ने शराब पीना छोड़ा है ? मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और माननीय मंत्री जी से जवाब चाहता हूं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

कितने लोगों ने छोड़ा है यह तो बहुत लम्बी सूची है। आप लिखकर दे दें, मैं पता कर दूंगा। हम प्रयास करेंगे कि जो आप लिखकर दें उसका सही जवाब दे दें।

श्री नरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। इन्होंने कहा है कि बहुत लम्बी सूची है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायं। प्रचार-प्रसार के बारे में इन्होंने बता दिया है। मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

प्रदेश में चावल और गेहूं काले बाजार में बेचे जाने की जांच

*3-श्री हुकुम सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि केन्द्र सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार उ0 प्र0 में वर्ष 2006-07 में रु0 3289.71 करोड़ मूल्य के चावल और गेहूं काले बाजार में बेचा गया ? यदि हां, तो क्या प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई है ? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या हैं ? कितने अधिकारियों के विरुद्ध इस सम्बन्ध में कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री राम प्रसाद चौधरी)-

जी नहीं। केन्द्र सरकार के पत्र दिनांक 29 अक्टूबर, 2007 के साथ "द टाइम्स आफ इण्डिया" समाचार-पत्र के दिनांक 17-9-07 के अंक में प्रकाशित समाचार की कटिंग की छायाप्रति प्राप्त हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश में वर्ष 2006-07 में रु0 3289.71 करोड़ मूल्य के गेहूं एवं चावल के काले बाजार में बेचने का समाचार प्रकाशित हुआ है, परन्तु इस अवधि में ऐसा ठोस तथ्य प्रकाश में नहीं आया है।

चूंकि उक्त अवधि में खाद्यान्न के कालाबाजारी में बेचे जाने का कोई ठोस तथ्य प्रकाश में नहीं आया, इसलिए इसकी जांच कराने तथा किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहते हुए यह ध्यान दिलाना चाहता हूं, मैंने यह कहा है कि केन्द्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार आपने कहा है कि "जी नहीं"। आशय यह है कि केन्द्र सरकार की रिपोर्ट की जानकारी नहीं है। इन्होंने एक राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित समाचार-पत्र का हवाला दिया, दिनांक 17-9-2007 के टाइम्स आफ इण्डिया का हवाला दिया। उस समाचार-पत्र की कटिंग केन्द्र सरकार ने लगाकर पत्र भेजा है। उन्होंने संज्ञान लिया इनके पास भेजा, अपेक्षा यह की गयी थी कि उसके आधार पर जानकारी करायेंगे। जब केन्द्र सरकार स्वयं भेज रही है तो अपेक्षा यह थी कि जांच करायेंगे। आपने कहा कि ठोस प्रमाण नहीं मिला तो आपने जांच करायी क्या ? जांच इसलिए नहीं करायी कि ठोस प्रमाण नहीं मिला तो जांच से पहले ठोस प्रमाण मिलेगा ? मान्यवर, केन्द्र में खाद्य मंत्रालय, उपभोक्ता मंत्रालय है। खाद्य मंत्रालय ने सर्वेक्षण कराया। केन्द्र सरकार के सांख्यकीय विभाग ने रिपोर्ट दी है कि विभिन्न राज्यों में इतना घोटाला हुआ। मैं सभी राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं केवल अपने उत्तर प्रदेश तक ही सीमित हूं। उत्तर प्रदेश में 3289.71 करोड़ का घोटाला हुआ है इससे ज्यादा और क्या मै सूचना दे सकता हूं ? मान्यवर, घोटाला हुआ और यह उत्तर जिस अधिकारी द्वारा दिया गया है उसकी गर्दन इस घोटाले में फंसने वाली है। यह पुराना घोटाला है। अगर जांच हो जाती तो उनकी गर्दन फंस जाती। उन्होंनें कह दिया कि ठोस प्रमाण नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से यह सूचना चाहता हूं कि क्या मेरे इस कथन को, जो सदन में कहा गया है, जो आधार दिये गये हैं उस आधार पर उच्च स्तरीय जांच करायेंगे और इस सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी यह जो टाइम्स आफ इण्डिया अखबार ने लिखा है कि विगत तीन वर्षों से, तीन वर्षों का आंकड़ा इसमें दिया है और उत्तर प्रदेश का कोई अकेले इसमें जिक्र नहीं है, इसमें असम है, मेघालय है, बंगाल है, मध्य प्रदेश है, तमाम राज्यों को जोड़कर 31500/-करोड़ रुपये के घोटाले का जिक्र किया है और वहां के भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने हमारे खाद्य रसद के प्रमुख सचिव को वही कटिंग लगाकर पत्र लिखने का काम किया है, जबकि पत्र में साफ इन्होंने लिखा है कि अखबार से सत्य प्रतीत नहीं होता है फिर भी वर्ष 2004-05, 2005-06 के जो घोटाले प्रकाश में आये थे पहले उसे जो अपनी जांच एजेन्सी है उत्तर प्रदेश की कर रही थी और यहां पर धन्यवाद प्रस्ताव पर इस सदन की नेता बहन कुमारी मायावती जी बोल रही थीं उन्होंने पूरे खाद्यान्न घोटाले के मामले को सी0बी0आई0 की जांच के लिये भेज दिया है अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है और कौन सी जांच इससे बड़ी हो सकती है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, प्रश्न क्या था, क्या उत्तर दिया, बजट भाषण में, या राज्यपाल के अभिभाषण में धन्यवाद के प्रस्ताव में माननीय मुख्य मंत्री जी ने क्या कहा यह अलग बात है ? मेरा बिल्कुल

स्पेसिफिक अलग सवाल है और मैंने कहा है कि केन्द्र सरकार के मंत्रालय द्वारा जो अखबार में भी लिखा हुआ है मान्यवर, आपने भी समाचार पत्र पढ़ा होगा न पढ़ा हो तो मैं इसकी एक कापी आपके पास भिजवा दूं और उन्होंने हवाला दिया है मान्यवर, केन्द्र सरकार की जांच का। इसका संज्ञान आपने लिया है, केन्द्र सरकार ने संज्ञान लिया है, कि उस जांच का हवाला दिया है और जो आपने दूसरे राज्यों की बात कही 3289 करोड़ रुपये की यह उत्तर प्रदेश का है बाकी राज्यों की फीगर अलग-अलग है। मैं केवल उत्तर प्रदेश के बारे में कहा रहा हूं मान्यवर, मेरा प्रश्न जो है इसको आधार मानकर के आपने कहा कि सी0बी0बाई0 को जांच भेजी, क्या इसकी जांच जिसका संदर्भ मैंने अपने प्रश्न में किया है इसकी जांच सी0बी0आई0 द्वारा करायेंगे ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

आपके द्वारा कोई ठोस प्रमाण हो तो उसकी बात अलग है। आप स्पष्ट पत्र पढ़ लें संयुक्त सचिव का जो पत्र है उसमें साफ उन्होंने लिखा है कि ऐसे तो अखबार सत्य नहीं है फिर भी इसको देख लें आप जांच करा लें, यदि कोई ठोस प्रमाण मिलता तो निश्चित रूप से सरकार उसकी जांच कराने के लिए तैयार थी।

श्री हुकुम सिंह-

बिना जांच के प्रमाण कहां से मिल जायेगा ? जब आप इसकी जांच करायेंगे तभी तो प्रमाण मिलेगा या मैं कोई प्रमाण ला करके दूं माननीय मंत्री को ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आप तो खाद्य रसद मंत्री भी रहे हैं बड़े अनुभवी भी है, यह जो अखबार ने लिखा है विगत तीन सालों के लगातार घोटाले की बात लिखी है तो मैंने कहा है कि वर्ष 2004-05, 2005-2006 की जांच तो आलरेडी सी0बी0आई0 को दे दी गई है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी उधर 2004, 2005, 2006 के खाद्य घोटाले की जांच सी0बी0आई0 को चली गई है, इधर यह स्पेसिफिक घटना बता रहे हैं कि वर्ष 2006-07 की यह घटना अखबार के माध्यम से आपके संज्ञान में आ गई। भारत सरकार ने भी कहा है कि इस अखबार को संज्ञान में ले लीजिए कि 2006-2007 का यह स्पेसिफिक घोटाला जिसका एक एमाउण्ट भी उन्होंने अखबारों में उल्लेख किया है, यह माननीय सदस्य हुकुम सिंह जानना चाहते हैं कि जो सी0बी0आई0 जांच वर्ष 2004, 2005, 2006 की कर रही है, उसी का आधार मान कर के इसकी भी सी0बी0आई0 जांच करा देंगे या हमारे जो तथ्य दिये हैं, हमने अखबारों के माध्यम से इसको ही आधार मानकर के आप कोई जांच कराकर के तथ्य उपलब्ध करा लेंगे, इतना माननीय सदस्य जानना चाहते हैं।

श्री राम प्रसाद चौधरी-

मैं उच्च स्तर से जांच करा के यदि कोई तथ्य आयेगा तो इसको भी सी0बी0आई0 को रिफर कर लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

जनपद मथुरा में गिरिराज मंदिर दान घाटी की सड़क पर जाम को देखते हुए बाईपास का निर्माण कराये जाने की मांग

*4-श्री पूरन प्रकाश-

क्या लोक निर्माण मंत्री जनपद मथुरा में गोवर्धन गिरिराज मंदिर दान घाटी की सड़क व अन्य स्थानों पर रोजाना लगने वाले जाम को देखते हुये बाईपास का निर्माण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा तथा मंदिर में दर्शन हेतु पर्वों पर उक्त मार्ग पर भीड़ व जाम की स्थिति उत्पन्न होने पर यातायात को निकालने के लिये 04 मार्ग क्रमशः गोवर्धन-सौंख-मथुरा मार्ग, छर्टीकरा-राधाकुण्ड मार्ग, कोसी-नन्दगांव, बरसाना-गोवर्धन मार्ग तथा छाता-गोवर्धन मार्ग उपलब्ध है।

श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा बिल्कुल सीधा-साधा प्रश्न है क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गिरिराज मंदिर दान घाटी की सड़क और अन्य स्थानों पर रोजाना जाम लगता है ? इसको देखते हुए बाईपास का निर्माण करायेंगे ?

मान्यवर, जो मेरे प्रश्न का प्रथम भाग बाईपास के निर्माण से सम्बन्धित है उसका उत्तर जी नहीं करके आया है। मान्यवर, गोवर्धन में सिर्फ पर्वों में नहीं बल्कि प्रतिमाह पूर्णिमा, अमावस्या एवं प्रत्येक शनिवार/रविवार को श्रद्धालुगण परिक्रमा व दर्शन के लिये आते हैं एवं गोवर्धन गिरिराज पर हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है। मान्यवर, मंत्री जी ने चारों रोडों का हवाला अपने जवाब में दिया तो है परन्तु यह नहीं देखा कि क्या यह रोड वास्तव में चालू हैं। वस्तुस्थिति यह है कि गोवर्धन गिरिराज जी पहुंचने के लिये गोवर्धन सौंख रोड बताया, सौंख तक पहुंचने के लिए भगोर्रा, फौडर, लरिया पट्टी से निकलकर सौंख पहुंचाना होता हैं पूरी सड़क टूटी पड़ी है। कोसी नन्दगांव बरसाना मार्ग क्षतिग्रस्त है यही हालत छाता गोवर्धन मार्ग की है।

मान्यवर, वहां लोग गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने के लिए गाड़ियां लेकर हरियाणा और दिल्ली से आते हैं बड़ा जाम लगा रहता हैं मान्यवर, उस जाम से निजात पाने के लिए फ्लाईओवर या बाई पास बनाने पर विचार करेंगे ? यहां पर छाता क्षेत्र के मंत्री, कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं इनके यहां के मार्ग क्षतिग्रस्त हैं, छाता से गोवर्धन आने वाला मार्ग और कोसी से गोवर्धन मार्ग टूटा पड़ा हुआ है इसलिए वहां पर जाम की स्थिति बनी रहती है। मान्यवर, यह बहुत जरूरी है कि वहां पर बाई पास का निर्माण कराया जाय। मान्यवर, गिरिराज महाराज सिर्फ पर्वतों में ही वहां निवास नहीं करते हैं अपितु श्रृद्धालुगण उनकी परिक्रमा के लिये हर वर्ष, हर माह, हर दिन, हर त्योहार पर आते हैं। उस लगने वाले जाम से निजात पाने कि लिये क्या कोई बाईपास निर्माण की योजना सरकार के विचाराधीन है यह बताने का कष्ट करें ?

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, गिरिराज महाराज, गोवर्द्धन एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है, करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था का केन्द्र है। 24 घंटे लोग वहां आते जाते रहते हैं। माननीय सदस्य पूरन प्रकाश जी का कहने का आशय यह है कि दान घाटी के ऊपर लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिये बाईपास का निर्माण करायेंगे ? मान्यवर, हम यह अपेक्षा करते हैं कि बाईपास को अविलम्ब बनवा दें। मान्यवर, यह मक्का मदीना की तरह हिन्दुओं का एक पवित्र धार्मिक स्थल है जहां लोग परिक्रमा करने पूरे हिन्दुस्तान से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी रोज आते हैं और 21 कि0मी0 की परिक्रमा लगाते हैं। वहां बाईपास बनाना अत्यन्त आवश्यक है। गिरिराज महाराज आपको भी आर्शीवाद देंगे। आप वहां पर बाईपास बनवा दें। उससे जुड़े हुए अन्य जितने भी मार्ग हैं उनका आप एक सर्वेक्षण करा लें वहां के मार्गों की हालत ठीक नहीं है जो उस को टच करने वाले मार्ग हैं। दिन भर यात्री वहां आते हैं और सड़कों की खराब हालत के कारण सरकार को कोसते हैं। आप वहां पर बाईपास बनवाने की घोषणा करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय पूरन प्रकाश जी आपको माथुर साहब ने बाईपास कर दिया है।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, मंत्री जी वहां पर बाईपास बनवा दें हमारा काम पूरा हो जायेगा। चारों मार्गों का जो आपने उत्तर में हवाला दिया है उसको ठीक करा दें।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, जिन 4 रोडों का हवाला दिया है माननीय सदस्यों ने यदि सचमुच जर्जर स्थिति में हैं तो उसको इनक्लूड करा देंगे।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, रोडों के बारे में तो कह दिया लेकिन मेरी मुख्य मांग जो है वह बाईपास की है लोग गिरिराज पर दर्शन के लिए आते हैं। मैं चाहूंगा कि उसकी व्यवस्था करा दें।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, यहां तो मुझे यह लग रहा है कि चाहे जो मजबूरी हो इनकी मांगें पूरी हों। मान्यवर, आप ज्ञाता हैं।

मान्यवर अब आप जानते हैं कि जो प्रश्न है यह सूचनाएं प्राप्त करने के लिए है। जो प्रश्न था उसका उत्तर दे दिया गया है। हमारे माननीय सदस्य आदर के साथ बैठ लें, हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। यहां पर हम कोई आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हैं जब तक हम पूरी स्थिति नहीं समझ लेंगे। मैं भी सम्मान करता हूं, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं क्या हम कर सकते हैं बगैर देखे हुए यहां पर मैं कोई आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हूं।

प्रदेश में ओखला से आगरा कैनाल को पानी का पूरा हिस्सा मिलने सम्बन्धी जानकारी

*5-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ओखला से आगरा कैनाल को मिलने वाले पानी में उत्तर प्रदेश को उसका पूरा हिस्सा मिल रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पानी का पूरा हिस्सा पाने के लिये कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, ओखला से आगरा कैनाल को अपर यमुना रिवर बोर्ड के निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश को पूरा हिस्सा मिल रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, सिंचाई मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सेक साई से ऊपर हरियाणा के अन्दर जो तकरीबन 49 माइल लम्बी एरिया है आगरा कैनाल की वहां पर हरियाणा के लोग जबरदस्ती कटान करके और चोरी करके पानी को खेतों में ले लेते हैं इस कारण ओखला की जो डाउन स्ट्रीम है उसमें 1/3 पानी भी डिस्चार्ज नहीं हो पाता है। कोसी, मथुरा, नन्दगांव,आगरा रजवाहा, सिकन्दरा रजवाहा व आगरा टर्मिनल तथा इरादत रजवाहा में टेल तक नहीं पानी पहुंच रहा हैं मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इस चोरी को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है, एक प्रश्न तो मेरा यह है ? एक प्रश्न और है कि क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय में हरियाणा व दिल्ली के बीच जो जल विवाद चल रहा है उस पर एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन लगी हुई है ? केन्द्रीय जल आयोग को दिल्ली और हरियाणा के बीच जल बटवारे के विवाद को सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 19 फरवरी का समय दिया था जब कि यूपी के लोग इस जल बटवारे के बारे में अपना कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किया। हम यूपी के लोग इस जल बटवारे के विवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं तो क्या मंत्री महोदय सर्वोच्च न्यायालय में यूपी का पक्ष भी रखेंगे तथा आगरा कैनाल को पूरा पानी मिले इसका इंतजाम करेंगे। मेरा क्षेत्र आगरा कैनाल के सबसे नीचे के एरिया में आता है। जहां पर आगरा टर्मिनल और इरादमनगर रजवहा दो नहरें निकलती हैं लेकिन आज तक हम लोगों के क्षेत्र में टेल तक पानी नहीं पहुंचा है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में यह बात लाई है कि हरियाना के लोग काट लेते हैं, पानी ले जाते हैं मैं इसको दिखवा लेता हूं और जिस स्तर पर बात करने की आवश्यकता होगी बात करके जो भी हमारा हिस्सा है हम पूरा-पूरा प्रयास करेंगे कि वहां के किसानों को उनके हिस्से का पूरा पानी मिले।

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आगरा कैनाल के लिए पिछली सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए धन खर्च किया था अब यह नहर बनी थी तो इससे 1740 क्यूसिक पानी आगरा को मिलता था। आधुनिकीकरण के बाद 4200 क्यूसेक पानी आगरा कैनाल से मिलना था। मेरी निश्चित जानकारी है कि आज के समय में आगरा कैनाल केवल 1540 क्यूसेक पर चल रही है तो क्या माननीय मंत्री जी इसे पूरी क्षमता पर, जो आधुनिकीकरण की बाद 4200 क्यूसेक है, पर चलवायेंगे ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, जितना भी हमारा हिस्सा बनता है, मैंने पहले कहा है कि हमें पूरा का पूरा मिल रहा है और जहां तक माननीय सदस्य ने पूछा है मैं उसका जवाव दे चुका हूं और यदि कोई काट रहा है तो उसको दिखवा लेते हैं। मान्यवर, जो मेरे पास सूचना है उसके तहत हमें पूरा पानी मिल रहा है अर्थात् 1807 क्यूसेक पानी हमें चाहिये और हमें इससे कम नहीं मिल रहा है।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अपर आगरा कैनाल जिसे आगरा कैनाल यह लोग बोल रहे हैं, उससे सम्बन्धित शेरगढ़ और शाहर रजबहा की टेल एंडस में पानी कई वर्षों से नहीं आ पा रहा है तो क्या माननीय मंत्री जी शेरगढ़ और शाहर रजबहा की टेल एंड मथुरा वृन्दावन के ग्रामीण अचंल को समुचित पानी दिलवाने का कष्ट करेंगे ? जबकि एक तरफ यह कहा जा रहा है कि पूरी मात्रा में आगरा कैनाल चल रही है, तो क्या आप मथुरा-वृन्दावन के देहाती क्षेत्र को समुचित पानी दिलवायेंगे ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, जो मेरे पास सूचना है उसके अनुसार मथुरा जनपद में 87 टेलें हैं, जिसमें 85 टेलों तक पानी पहुंचाया गया और आगरा जनपद में 60 टेलें हैं, जिसमें आगरा जनपद में 57 टेलों तक पानी पहुंचाया गया और लक्षित भी इतनी ही हैं।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने यह जानने का प्रयास किया कि आधुनिकीकरण के बाद आगरा कैनाल की क्षमता 4200 क्यूसेक होनी थी जिसका कार्य पूरा हो गया है, उसके बाद भी 1800 क्यूसेक पानी ही क्यों मिल रहा है ? इसमें करोड़ों रुपया खर्च किया गया है तो क्या अभी भी 4200 क्यूसेक पानी की क्षमता नहीं हुयी है, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, कार्य प्रगति पर है, अभी कार्य चल रहा है।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, नहर की सफाई के लिये एक सा ही पैसा दिया जाता है। चाहे वह 10 फीट नीची हो, या 20 फीट नीची हो, सबके लिये बताया गया कि 40 हजार रुपये प्रति कि0मी0 के हिसाब से ही पैसा दिया जा रहा है। तो जहां पर ज्यादा जरूरत है, वहां पर ज्यादा पैसा आवंटित करें। हमारा जो क्षेत्र है, उसमें नहर की सफाई की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उस हिसाब से हमारे क्षेत्र के लिये पैसा आवंटित नहीं किया जा रहा है। हम माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में नहर की सफाई के लिये और टेल तक पानी पहुंचाने के लिये, पैसे के आवंटन के बारे में कुछ बदलाव लायेंगे, ताकि पूरा टेल तक पानी पहुंच जाय ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, जहां-जहां इनका क्षेत्र है, क्षेत्र के बाहर भी जहां इनकी जानकारी है वह लिख कर दे दें, हम दिखवा लेते हैं, जहां आवश्यकता होगी, किया जायेगा।

श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि सब जगह आगरा कैनाल से लोवर आगरा कैनाल मथुरा निकलता है। उसमें गोवर्धन रजबहा और आडिंग रजबहा की स्थिति यह है कि वहां की टेल तो दूर बीच तक भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है, उसके लिये कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

पूरन प्रकाश जी, उसके बारे में पहले ही माननीय मंत्री जी बता दिये हैं।

श्रीमती सीमा द्विवेदी-

माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि आगरा के अलावा और कहीं जानकारी हो जहां पानी नहीं पहुंच रहा हो तो मैं व्यवस्था करा दूंगा। जनपद जौनपुर में जो हमारी विधान सभा गड़वारा है, हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहां पानी शुरू होता है प्रतापगढ़ से और जब पानी प्रतापगढ़ से चलता है तो जौनपुर आते-आते खत्म हो जाता है। तो हमारे किसानों को पानी नहीं मिल पाता है। हम आपको लिखकर दे देंगे।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

कहीं का भी हो आप हमें लिखकर दे दें, मैं दिखवा लूंगा। माननीय सभी सदस्य लिख कर दे दें।

श्रीमती सीमा द्विवेदी-

हम एक सवाल आपसे और कहना चाहते थे अभी आपका एक बयान आया था अखबार में कि हमने इतने करोड़ रुपया मुआवजा के लिये स्वीकृत किया है।

हमारे जनपद में इरमैयुया में, दिवारी में, रामपुर में बहुत से ऐसे गांव है जहां पर किसानों की जमीनें गई हैं लेकिन उनको आज तक मुआवजा नहीं मिला है। हम लिख करके दे देंगे लेकिन अध्यक्ष जी मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर आप जरूर विचार करें की उनको मुआवजा मिल जाये।

प्रदेश के गन्ना कृषकों का चीनी मिलों पर बकाया मूल्य ब्याज सहित भुगतान कराये जाने की मांग

*6-श्री राम विशुन आजाद-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गन्ना कृषकों का चीनी मिलों पर कितना गन्ना मूल्य बकाया है ? क्या सरकार ब्याज सहित समस्त गन्ना मूल्य का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

दिनांक 14-02-2008 की स्थिति के अनुसार प्रदेश की चीनी मिलों पर पेराई सत्र 2006-07 व 2007-08 का क्रमशः रु0 633.39 करोड़ एवं 1123.95 करोड़ बकाया है।

ब्याज का भुगतान किये जाने का नियमों में प्राविधान है। अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह जो हमें सूचना मिली थी यह 14-02-2008 की है लेकिन कल शाम तक की जो स्थिति है वह 2006-2007 में और भी भुगतान हुआ है, कल शाम तक जो बचा है वह अवशेष 582.49 करोड़ रुपए हैं एवं 2007-2008 का 1201.34 करोड़ रुपए बचा है।

श्री राम बिशुन आजाद-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि मा0 मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है इसके सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि किन-किन मिलों में निगम मिल, शुगर मिल, सहकारी चीनी मिल और निजी चीनी मिलों पर कितना-कितना गन्ना किसानों का बकाया मूल्य है ? दूसरा, मैं यह जानना चाहूंगा कि कितने शुगर मिलों से गन्ना कृषकों को भुगतान कितना किया गया है, उसमें गन्ना मूल्य के अतिरिक्त ब्याज का भुगतान कितना किया गया है ? तीसरा, अवशेष गन्ना मूल्य का ब्याज सहित भुगतान करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, 70 चीनी मिलों के विरुद्ध आर0सी0 जारी की गई और आर0सी0 ब्याज के सहित जारी की गई। यही हमारा प्रयास है और हम दबाव भी डाल रहे हैं और उसका प्रतिबिम्ब भी सामने आ रहा है। जहां तक मा0 सदस्य ने प्रत्येक चीनी मिल का पूछा है, आप आदेश दे दें तो सारी की सारी पढ़ करके सुना दूं, क्योंकि पूरी सूचना मेरे हाथ में है। सहारनपुर चीनी मिल का जो अवशेष है, वह लाख में बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

लम्बी सूची है वरिष्ठ मा0 सदस्य को उपलब्ध करा दीजिएगा।

श्री राम बिशुन आजाद-

जैसा कि आपने कहा कि ब्याज सहित भुगतान किया गया है तो गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का जो भुगतान किया गया है उसमें कितनी धनराशि ब्याज की है। यह मा0 मंत्री जी बता दें ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, अलग-अलग इस समय बताना मुश्किल है। प्रतिदिन आ रहा है और आर0सी0 में जो 15 प्रतिशत ब्याज है उसको लगा करके ही वसूली के आदेश दिये गये हैं, इसलिए वह उसमें शामिल है। अब इस समय यह बताना कि कितना मूल्य है और कितना ब्याज है यह लम्बी सूचना है, इसके लिए या तो अलग से प्रश्न कर लें या हमें लिख करके दे दें, हम सूचना उपलब्ध करा देंगे।

नेता, विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने पूछा वह यह है कि क्या प्रयास कर रहे हैं, उसके स्थान पर हम यह जानना चाह रहे हैं कि मय ब्याज के जो गन्ना मूल्य शेष है, उसका कब तक भुगतान करा देंगे ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, दिन-प्रतिदिन भुगतान हो रहा है, यथाशीघ्र भुगतान करा देंगे।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक अगौता शुगर फैक्ट्री है। आज ही अतारांकित प्रश्न सं0-52 के रूप में मेरा प्रश्न लगा है और उसके उत्तर में जवाब आया है कि अगौता मिल पर 508 लाख रुपए शेष है। मान्यवर, मैं कई बार लिख करके दे चुका हूं, मा0 मंत्री जी से भी कह चुका हूं। इसका प्रयास भी है, लेकिन जो जिला स्तर के अधिकारी हैं, चाहे डी0सी0ओ0 या कोई भी हों, वह बार-बार गलत सूचना दे करके गुमराह करने का प्रयास करते हैं। मैं जानकारी के लिए बता रहा हूं कि पिछला साढ़े तीन करोड़ रुपया कई वर्ष का मूल्य का अन्तर और ब्याज का साढ़े पांच करोड़ रुपये की जिसकी कोई व्यवस्था किसी नियम में नहीं होती, अगौता मिल के मालिक और प्रबन्धक ने मिल करके एक सितम्बर, 2006 को साढ़े पांच करोड़ रुपये का एफ0डी0 बनवाई और उसका पीरियड रखा 1 सितम्बर, 2007 को और यह कहा कि इसको भुगतान कर देंगे। कोई ऐसा नियम गन्ना विभाग में नहीं है, किया क्या उन्होंने इलाहाबाद में केस चल रहा था, बकाया भुगतान की एफ0डी0 बनवाकर वहां कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, साढ़े पांच करोड़ रुपये है। उसके बाद करीब साढ़े पांच करोड़ रुपये अब और उसका ब्याज, पिछले बकाये का भुगतान करीब-करीब 13 करोड़ रुपये का और वर्तमान में करीब 15 करोड़ रुपये का, जब मिल चला था तो 11 करोड़ रुपये बकाया था अब 27 करोड़ रुपये बकाया है। गरीब किसान क्या करे, भूखा मरे, आत्महत्या करे या क्या करे ? माननीय मंत्री जी को सारे विभाग के अधिकारी गलत सूचना देते हैं। मेरा आपसे इतना अनुरोध है कि इस पूरे प्रकरण की शासन स्तर से जांच कराकर सदन को सूचित करने का काम करेंगे तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, सिरोही जी व्यक्तिगत कह रहे हैं इसको देख लें।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

अगौता चीनी मिल के बारे में जो आपने बताया है, डी0सी0ओ0 ने या मालिक ने जिसने भी गड़बड़ किया है उसको बख्शा नहीं जायेगा।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, इसी आदरणीय सदन में सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि 31 अगस्त तक जितनी चीनी मिलें हैं सब गन्ना किसानों का भुगतान कर देंगी लेकिन आज भी जो सवाल का जवाब आदरणीय नेता प्रतिपक्ष की तरफ से पूछा गया, सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट बात नहीं कही गयी है। जब निश्चित सवाल था तो निश्चित जवाब भी आना चाहिए। श्रीमन्, पूरी तरह से किसान बर्बाद हो चुका है, घटतौरी हो रही है और इस प्रदेश में पहली बार है कि लाखों एकड़ जमीन बोयी नहीं गयी है जिससे गेहूँ के उत्पादन पर भी असर पड़ रहा है तो श्रीमन् आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ और जितनी मेरी जानकारी है आज तक जो भी भुगतान किये गये है गन्ना मिल मालिकों की तरफ से, उसमें ब्याज का एक नया पैसा नही दिया गया है। मेरी निश्चित जानकारी है, मेरे भी क्षेत्र में

के0 एम0 शुगर मिल है और बगल में रौजा गाँव मिल है। अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरे प्रदेश में गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर धरना-प्रदर्शन हुआ था और हजारों-हजार की तादाद में किसान आये थे उसमें यह सब बातें उभर कर आयी हैं कि हमें भुगतान नहीं मिला है। इस साल तो गन्ना पर्चियों पर लिखा नही जा रहा है, कही पर लिख देते है कि कोर्ट का आदेश के अनुसार, कही पर 80 रुपया, कही पर 75 रुपया लिखा जा रहा है। पूरी तरह से मनमाना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। इसलिए नियम-49 के तहत इस गम्भीर मामले पर चर्चा करा लें। यह केवल समाजवादी पार्टी का दर्द नही है। प्रदेश के सभी किसानों का दर्द है। सरकार लीपापोती कर रही है। इसलिए मेरी माँग है कि नियम-49 में इस पर चर्चा करा लें।

श्रीमती कृष्णाराज-

माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण मुझे प्राप्त हुआ है। मैं आपके माध्यम से गन्ना मंत्री जी से एक प्रश्न करना चाहूँगी, आपने पिछले सत्र में यह आश्वासन इस सदन में दिया था कि 31 अगस्त तक गन्ने का बकाया भुगतान किसानों को कर दिया जायेगा।.....

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, आपके माध्यम से गन्ना मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष-

राम बिशुन आजाद जी, मैंने महिला सदस्य को बुला लिया है कृपया आप बैठें।

श्री राम बिशुन आजाद (अपने आसन से)-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी समय निश्चित कर दें कि कितने समय में भुगतान करा देंगे ? दूसरे जो भुगतान किया है उसमें कितना ब्याज है यह बता दें ?

श्री अध्यक्ष-

श्रीमती कृष्णाराज जी को बुला लिया है उसके बाद भी आप बोल रहे हैं।

श्रीमती कृष्णाराज-

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में 25 अगस्त को मंत्री जी ने कहा था कि प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाए का भुगतान कर दिया जायेगा।

(कुछ सदस्यों के एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने पर)

श्री अध्यक्ष-

एक सदस्य खड़ी हुई हैं उनको एक मिनट का आप लोग मौका नहीं दे रहे हैं।

अब प्रश्नों का समय समाप्त।

राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के लखनऊ स्थित राजकीय आवासों पर गीजर तथा ए0 सी0 लगाने की व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी

*7-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के लखनऊ स्थित शासकीय आवासों पर क्या सरकार वातानुकूलन (ए0सी0) तथा गीजर लगाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-6 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

मुख्य मंत्री (कु0 मायावती)-

राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के लखनऊ स्थित राजकीय आवासों में गीजर की व्यवस्था करने विषयक प्रस्ताव विचाराधीन है। वातानुकूलन संयंत्र (ए0 सी0) लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रदेश में विकास प्राधिकरणों द्वारा आवंटन निरस्त किये जाने पर जमा धनराशि पर ब्याज लौटाये जाने की निर्धारित नीति

*8-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विकास प्राधिकरणों द्वारा विभागीय अथवा प्रशासनिक कारणों से आवंटन निरस्त किये जाने पर आवंटियों द्वारा जमा किये गये धनराशि को ब्याज सहित लौटाने हेतु शासन स्तर पर क्या कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो उक्त नीति का अनुपालन गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

शासनादेश संख्या-4049/9-आ-1-99/16 समिति/1998 दिनांक 20-11-1999 के माध्यम से शासन द्वारा मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किये गये हैं। प्राधिकरण की अपनी आवंटन नियमावली में आवंटन निरस्त किये जाने पर आवंटियों द्वारा जमा किये गये धनराशि को ब्याज सहित लौटाने का प्राविधान नहीं है। शासन द्वारा अपने आदेश दिनांक 15-02-08 के माध्यम से गोरखपुर विकास प्राधिकरण को शासन की नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

प्रदेश में गन्ना किसानों को मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में निर्धारित गन्ना मूल्य का भुगतान

*9-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के तहत प्रदेश के गन्ना किसानों को 110 रु0 प्रति कुन्तल गन्ना मूल्य का भुगतान करना है ? प्रदेश की निजी क्षेत्र में कौन-कौन चीनी मिलें हैं जो शासन के निर्देश के बाद भी उक्त निर्धारित मूल्य का भुगतान नहीं कर रही हैं ? इनके विरुद्ध शासनादेश का उल्लंघन करने के कारण क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में वर्तमान में प्रदेश की समस्त चीनी मिलों द्वारा रु0 110/- प्रति कुन्टल की दर से अग्रिम के रूप में बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा रहा है।

प्रदेश में सहकारी/निगम की चीनी मिलों द्वारा ब्याज सहित सम्पूर्ण भुगतान कराये जाने की मांग

*10-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पेराई सत्र 2006-07 के काश्तकारों के गन्ने के मूल्य का अवशेष भुगतान सहकारी/निगम की चीनी मिलों द्वारा ब्याज सहित

अब तक कितना कर दिया गया है ? क्या मंत्री जी निजी क्षेत्र की चीनी मिलों से गन्ने का वर्ष 2006-07 का सम्पूर्ण भुगतान करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

पेराई सत्र 2006-2007 का दिनांक 13-02-2008 तक सहकारी/निगम क्षेत्र की चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान निम्नवत् है :-

(धनराशि करोड़ रुपये में)

संस्था का नाम	देय	भुगतान	अवशेष	भुगतान प्रतिशत
निगम क्षेत्र	612.89	598.77	14.12	97.70
सहकारी क्षेत्र	1305.58	1303.92	1.66	99.87
योग--	1918.47	1902.69	15.78	99.18

बकाया गन्ना मूल्य पर ब्याज का भुगतान किये जाने की नियमों में व्यवस्था है।

जह हां।

बकाये का भुगतान यथाशीघ्र कराने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रदेश में विधान सभा क्षेत्रवार मार्गों के निर्माण की योजना

*11-श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्रवार मार्गों का निर्माण करने की योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा के सभी सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में पांच करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली सड़कों के लिये धन आवंटन कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी के गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान कराये जाने की मांग

*12-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखीमपुर खीरी के गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार द्वारा बकाया गन्ने का भुगतान दिनांक 31-8-2007 तक करने की घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

पेराई सत्र 2006-07 में जनपद लखीमपुर खीरी में स्थापित/संचालित निजी क्षेत्र की 04 चीनी मिलों यथा गोला, पलिया, खम्भारखेड़ा एवं ऐरा पर दिनांक 14-02-2008 की स्थिति के

अनुसार गन्ना मूल्य कुल रु0 12974.87 लाख की धनराशि भुगतान हेतु अवशेष है। सहकारी क्षेत्र की दो चीनी मिलें बेलरायां एवं सम्पूर्णानगर तथा निजी क्षेत्र की एक चीनी मिल अजबापुर द्वारा शत प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है।

दिनांक 31-8-2007 तक बकाये का भुगतान न करने वाली चीनी मिलों के विरुद्ध वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किये गये। कुल देय के सापेक्ष गन्ना मूल्य मद में रु0 12974.87 लाख धनराशि अवशेष है, जिसका भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के प्रयास से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सापेक्ष भारत सरकार से ब्याज रहित ऋण की व्यवस्था की गयी है। उक्त धनराशि बैकों से ऋण के रूप में प्राप्त कर चीनी मिलें भुगतान कर रही हैं।

तेल कम्पनियों के डिपो से पेट्रोल पम्पों को आपूर्ति किये जाने वाले उत्पादकों की घटतौली रोकने के उपाय

*13-श्री अनूप सण्डा-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तेल कम्पनियों के डिपो से पेट्रोल पम्पों को आपूर्ति किये जाने वाले उत्पादों की घटतौली रोकने के लिये सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

तेल कम्पनियों के डिपो से पेट्रोल पम्पों को आपूर्ति किये जाने वाले उत्पादों की घटतौली रोकने के लिये भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित मानक बांट तथा माप (प्रवर्तन) अधिनियम-1985 की धारा-39 (2) के अन्तर्गत व्यवस्था है। विधिक माप विज्ञान (बांट तथा माप) विभाग के प्रर्वतन अधिकारियों द्वारा समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है तथा किसी प्रकार की अनियमितता अथवा घटतौली पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के हजरतगंज चौराहे से विधान सभा भवन के सामने एक फ्लाई ओवर पुल/भूमिगत सड़क बनाने की योजना

*14-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी विधान सभा क्षेत्र लखनऊ में हजरतगंज चौराहे से विधान सभा भवन के सामने तक दो पहियों एवं चार पहिया वाहनों की लाइनें लग जाती हैं और यातायात बाधित हो जाता है ? क्या सरकार इसको दूर करने के लिये उक्त स्थल पर एक फ्लाई ओवर पुल अथवा भूमिगत सड़क बनवाने की योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

इस समस्या के समाधान हेतु विकल्पों का अध्ययन किया जा रहा है, जो अभी शैशविक अवस्था में है। इस हेतु कन्सल्टेन्ट का चयन किया जा चुका है। डेवलपर का चयन होने एवं डी0 पी0 आर0 बनाये जाने के पश्चात ही अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा।

जनपद बागपत में यमुना नदी से सटे गांवों को बाढ़ से बचाने हेतु कार्य योजना

*15-श्री मदन भैया-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में यमुना नदी से सटे गांवों को बाढ़ से बचाने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जनपद बागपत में यमुना नदी से सटे गांवों को बाढ़ से बचाने हेतु यमुना नदी के बायें किनारे पर 2 अदद परियोजनायें तैयार की गई हैं :-

1-जनपद बागपत के अन्तर्गत यमुना नदी के बायें किनारे पर स्थित अम्बेडकर ग्राम बदरखां, ककौर कलां एवं ककौर खुर्द के सामने बाढ़ सुरक्षा कार्यों की योजना लागत रु0 612.65 लाख।

2-जनपद बागपत के अन्तर्गत यमुना नदी के बायें किनारे पर स्थित अम्बेडकर ग्राम नैथला एवं गौरीपुर के सामने बाढ़ सुरक्षा कार्यों की योजना लागत रु0 366.33 लाख।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों की अधिग्रहित भूमि के बदले आर्थिक मुआवजे के स्थान पर विकास शुल्क लेकर विकसित भूखण्ड दिये जाने की नीति

*16-श्री सुनील शर्मा-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों की अधिग्रहीत जमीन के बदले में आर्थिक मुआवजे के स्थान पर विकास शुल्क लेकर विकसित भूखण्ड क्षेत्र दिये जाने की नीति बन्द कर दी गयी है ? क्या उक्त नीति को पुनः लागू करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। ऐसी कोई नीति लागू नहीं थी।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में ऐसी कोई नीति विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सूचना आयोग के क्रिया-कलापों की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की मांग

*17-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग ने अधिनियम की धारा-25 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष के अन्त में उस वर्ष के दौरान किये गये कार्यों की रिपोर्ट तैयार करके सरकार को प्रेषित की है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के गठन की अधिसूचना 14-9-2005 को जारी हुई थी और आयोग ने 20 जून, 2006 से कार्य प्रारम्भ किया था। आयोग से वर्ष 2006-07 के क्रिया-कलापों की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है।

जी हां।

अतारांकित प्रश्न

1-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

[2सरे गुरुवार के अता0 प्र0 सं0-54 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आगरा में दक्षिणी बाईपास का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव

2-डा0 धर्मपाल सिंह

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में दक्षिणी बाईपास का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कब तक कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में मिड-डे-मील योजना के कोटेदारों को खाद्यान्न ढुलाई के भुगतान की कार्यवाही

3-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में मिड-डे-मील योजना के संचालन में कोटेदारों से राशन की आपूर्ति कराने की योजना के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में वर्ष 2005 व 2006 के खाद्यान्न की कोटेदारों द्वारा ढुलाई की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त ढुलाई का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

माह अप्रैल, 07 से कोटेदारों को खाद्यान्न निर्गत करते समय ही परिवहन का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक से किया जा रहा है। उससे पूर्व के परिवहन के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी की अधिकांश नहरों में पानी टेल तक पहुंचाये जाने की मांग

4-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी की अधिकांश नहरें जो सिंचाई खण्ड प्रतापगढ़, सिंचाई खण्ड सुल्तानपुर, सिंचाई खण्ड-36 जौनपुर के

अन्तर्गत आती हैं, सूखी पड़ी हैं और गेहूं की फसल हेतु पानी नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार नहरें चलाने के लिये कोई व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र पट्टी की अधिकांश नहरें मुख्य अभियन्ता, पैक्ट संगठन के शारदा सहायक खण्ड-51, प्रतापगढ़, सिंचाई खण्ड, सुल्तानपुर एवं शारदा सहायक खण्ड-36, जौनपुर के अन्तर्गत आती हैं। रबी 1415 फसली में गेहूं की फसल हेतु इस क्षेत्र की समस्त नहरों के टेल पर पानी पहुंचा है।

नहरों को रोस्टर के अनुसार चलाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिये स्वीकृत मार्ग तथा लेपित सतह की वर्तमान स्थिति

5-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिये पूर्वान्चल निधि के राज्यांश एवं जिलांश से वर्ष 2002-03, 2003-04 एवं 2005-06 तथा 2006-07 तक कौन-कौन से मार्ग स्वीकृत किये गये हैं और उनके लेपित सतह की वर्तमान स्थिति क्या है ? क्या इन सभी मार्गों को रख-रखाव हेतु लोक निर्माण विभाग अपने कार्य क्षेत्र में लेने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

सूची संलग्न है।[†] लेपन सतह आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

सभी लेपित मार्ग जो अन्य विभागों द्वारा निर्मित है, रख-रखाव हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में लेने की कोई योजना नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में स्वीकृत मार्गों के लेपन की स्थिति एवं इनके रख-रखाव लोक निर्माण विभाग के कार्य क्षेत्र में लेने की मांग

6-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिये पूर्वांचल निधि के राज्यांश एवं जिलांश से वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 तथा 2001-02 तक कौन-कौन से मार्ग स्वीकृत किये गये हैं और उनके लेपित सतह की वर्तमान स्थिति क्या हैं ? क्या इन सभी मार्गों को रख-रखाव हेतु लोक निर्माण विभाग अपने कार्य क्षेत्र में लेने पर विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

सूची संलग्न है।[††] लेपन सतह आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

[†] देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ट 196 पर।

[††] देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ट 197-198 पर।

सभी लेपित मार्ग जो अन्य विभागों द्वारा निर्मित हैं, रख-रखाव हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में लेने की कोई योजना नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी के शारदा नगर से चकई, झमपुरवा तक नहर पटरी की टूटी सड़क की मरम्मत की मांग

7-डा0 आर0 ए0 उस्मानी

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के सिंचाई खण्ड शारदानगर से चकई, झमपुरवा तक नहर पटरी की सड़क काफी टूटी फूटी हुई है ? यदि हां, तो उक्त सड़क की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद लखीमपुर खीरी में शारदा सहायक पोषक नहर के शारदा नगर से चकई, झमपुरवा तक सेवा मार्ग (पक्की सड़क) का रख-रखाव सिंचाई विभाग द्वारा नहीं किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड फूलबेहड़ के ग्रामों की टूटी सड़कों की मरम्मत की मांग

8-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेलराया-पानवारी मार्ग पर जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड फूलबेहड़ के अन्तर्गत ग्राम मंगलीपुरवा से बक्सीपुरवा तक सड़क टूट कर जर्जर हो गई है जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त सड़क की मरम्मत/पुनर्निर्माण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, सड़क क्षतिग्रस्त है किन्तु आवागमन चालू है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नही उठता।

जनपद कानपुर की ऐतिहासिक नगरी बिठूर को कल्यानपुर व नवाबगंज से जोड़ने वाले मार्ग की मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराये जाने की मांग

9-श्रीमती प्रेमलता कटियार

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर की ऐतिहासिक नगरी बिठूर को कल्यानपुर और नवाबगंज से जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत एवं चौड़ीकरण की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत मार्गों की आवश्यकतानुसार मरम्मत करा दी गयी है।

चौड़ीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर में बनकटवा आवासीय योजना में लाभार्थियों को आवास आवंटित करने की नीति

10-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बाल्मीकि अम्बेडकर विकास योजना के अन्तर्गत गोरखपुर में बनकटवा आवासीय योजना में लाभार्थियों को आवास आवंटित करने की कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

बाल्मीकि अम्बेडकर विकास योजना जिला नगरीय विकास अभिकरण गोरखपुर की योजना थी। गोरखपुर विकास प्राधिकरण इसकी मात्र कार्यदायी संस्था थी।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र में शाहपुर बस्ती में बाल्मीकि अम्बेडकर आवस योजनान्तर्गत आवासों का आवंटन

11-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् द्वारा गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र में शाहपुर बस्ती में बाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत आश्रयहीनों को कम लागत में आवास उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से बनवाये गये 47 आवासों के आवंटन हेतु क्या नीति निर्धारित की गयी है ? लाभार्थी को मिलने वाले एक आवास का कुल क्षेत्रफल कितना है तथा किन कारणों से इन्हें अभी तक आवास आवंटित नहीं किया गया है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

बाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजनान्तर्गत निर्मित 47 आवासों का आवंटन लाटरी के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक भवन का क्षेत्रफल 25.01 वर्गमीटर से लेकर 59.67 वर्गमीटर तक होगा। जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा लाभार्थियों की अंतिम सूची दिनांक 17-10-06 को दी गयी है। उन 25.01 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भवनों के मूल्य निर्धारण में विलम्ब से होने के कारण आवास अब तक आवंटित नहीं हो सके।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत अखोप से कुण्डैल नियामत अली मार्ग की मरम्मत एवं नवीनीकरण की मांग

12-श्री लालजी यादव-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2005 के चौथे गुरुवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-60 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मार्गों के निर्माण हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो गये हैं ? यदि नहीं, तो विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। अखोप से कुण्डौल नियामत अली मार्ग के कि0मी0-1 तथा 2 का विशेष मरम्मत सहित नवीनीकरण वर्ष 2006-07 में करा दिया गया है। शेष 2.00 कि0 मी0 का पैच मरम्मत का

कार्य प्रगति पर है जो मार्च, 2008 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। सीयर सोनाडीह मार्ग की मरम्मत/नवीनीकरण वर्ष 2006-07 में पूर्ण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

शारदा नहर योजना के रतन खण्ड लखनऊ में गत वर्ष लगाये गये वृक्षारोपण का भौतिक सत्यापन कराने की मांग

13-श्री लालजी यादव-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा नहर योजना के रतन खण्ड लखनऊ में वृक्षारोपण वर्ष 2006 व 2007 में कराया गया था ? यदि हां, तो वर्षवार कितने-कितने पौधे लगाये गये और वर्तमान में कितने पौधे मौके पर लगे हुये हैं ? क्या यह सही है कि कागजों पर ही पौधे लगाये हैं ? यदि हां, तो सरकार इसका भौतिक सत्यापन कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये पौधारोपण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

वर्ष 2006 में दिनांक 01-09-06 से दिनांक 10-11-06 की अवधि में कुल 8212 पौधों के रोपण का कार्य हुआ था, जबकि वर्ष 2007 में कोई वृक्षारोपण नहीं हुआ है। वर्तमान में 931 पौधे स्थल पर लगे हुये हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता। मानक से कम पौधे जीवित रहने की जांच कराकर जिम्मेदारी निर्धारित करने के निर्देश लखनऊ विकास प्राधिकरण को दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक स्याना के अनेकों ब्लाक/गांवों में राज्य सड़क निधि योजना में मार्गों के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि

14-श्री सुन्दर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक स्याना के गांव जलालपुर के मार्ग (बुभरासी स्याना से जलालपुर) ब्लाक ऊंचागांव के ग्राम करयारी मार्ग (अमरगढ़ ऊंचागांव-करियारी) ब्लाक ऊंचागांव के खानपुर से गेसूपुर मार्ग व ब्लाक ऊंचागांव के ही नगला मदारीपुर से खंदोई मार्ग वर्ष 2006-07 में शासन द्वारा राज्य सड़क निधि योजना में स्वीकृत किये गये थे ? यदि हां, तो उक्त मार्गों का निर्माण धन आवंटन करके कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

15-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[3सरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0-103 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद प्रतापगढ़ में ढखवा से चिलबिला मार्ग के निर्माण की तकनीकी जांच कराये जाने की मांग

16-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0 आर0 पी0 2 के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ में निर्माणाधीन मार्ग ढखवा से चिलबिला मार्ग के निर्माण कार्य में मानकों, स्वीकृत आगणन, डी0 पी0 आर0 टी0 एस0 का अनुपालन नहीं हो रहा है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में उच्च तकनीकी समिति से मानकों के अनुपालन की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। ढकवा से चिलबिला मार्ग का निर्माण स्वीकृत आगणन के प्राविधानों के अनुसार प्रगति में है। इस कार्य में मानकों व स्वीकृत आगणन का अनुपालन किया जा रहा है।

यह कार्य राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेसर्स इण्टर कान्टिनेन्टल कन्सलटेन्ट एवं टेक्नोकेट्स प्रा0 लि0 नई दिल्ली (आई0 सी0 टी0) के सुपरविजन में मानकों के अनुरूप कराया जा रहा है। अतः अन्य समिति से जांच की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के ब्लाक बिछिया के ग्राम तार गांव के कोटेदार के विरुद्ध शिकायती-पत्र

17-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ब्लाक बिछिया के ग्राम तार गांव के कोटेदार के विरुद्ध शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद को दिनांक 20-6-07 को दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

शिकायती बिन्दुओं की जांच कराई गई और जांच में शिकायतें निराधार पाई गईं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की गन्ना समितियों में पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किये जाने की मांग

18-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें पूरे प्रदेश की गन्ना समितियों में लागू कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि चतुर्थ वेतन आयोग की संस्तुतियां पूरे प्रदेश के गन्ना समितियों में लागू हैं ? पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों को गन्ना समितियों में लागू करने में क्या विषमतायें हैं ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

जी हां।

गन्ना आयुक्त/निबन्धक, सहकारी गन्ना समितियां, उ0प्र0 के आदेश दिनांक 20-05-2003 द्वारा सहकारी गन्ना समितियों में कतिपय शर्तों के अधीन पंचम वेतनमान लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। घाटेवाली सहकारी गन्ना समितियों की शर्तों को पूरा न करने के कारण पंचम वेतनमान की सुविधा नहीं दी गयी है।

जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र घुघली के गांव मेदनीपुर में अतिरिक्त राशन की दुकानें आवंटित किये जाने की मांग

19-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के वि0 क्षेत्र घुघली के गांव मेदनीपुर की यूनिट संख्या करीब साठ हजार है और शासनादेश के अनुसार एक दूसरी दुकान होनी चाहिये ? जनप्रतिनिधियों के बार-बार अनुरोध के बाद भी अतिरिक्त दुकान न आवंटित किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी अतिरिक्त दुकान आवंटित करने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

महाराजगंज जिले में विकास क्षेत्र घुघली के गांव मेदनीपुर की यूनिट संख्या-5817 हैं। शासनादेशानुसार 4000 यूनिट से अधिक होने पर एक दूसरी दुकान हो सकती है।

जनपद-महाराजगंज के विकास क्षेत्र घुघली के ग्राम मेदनीपुर में एक दुकान कार्यरत है। संबंधित विक्रेता श्री मोहन लाल द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-55483/2007 दाखिल की गयी थी, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 22-11-2007 के कारण दूसरी दुकान नियुक्त नहीं की जा सकी थी।

अब मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने याचिका निरस्त करते हुए निर्देश दिये हैं कि दूसरी दुकान नियुक्त की जाय। तद्नुसार खण्ड विकास अधिकारी घुघली के माध्यम से ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्राप्त करके उप जिलाधिकारी, सदर महराजगंज द्वारा दूसरी दुकान नियुक्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड जसरा के अनेक ग्रामों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने विषयक पत्र पर कार्यवाही

20-श्री उदयभान करवरिया-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बारा जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड जसरा के अन्तर्गत तरहार क्षेत्र के ग्राम महेरा, गोझवार, पचवर, मानपुर, बेलामुण्डी, मझियारी आदि ग्रामों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, बाघला नहर प्रखण्ड, इलाहाबाद का पत्र संख्या 993/बाघला/दिनांक 19-12-07 जिलाधिकारी, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

प्रश्नगत ग्रामों में सिंचाई सुविधा प्रदान कराने हेतु विस्तृत परियोजना प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के मथुरा-सादाबाद मार्ग के झरौठा, गोठा एवं दघैटा जाने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत की मांग

21-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के मथुरा-सादाबाद मार्ग के ग्राम झरौठा से बाया गोठा होकर ग्राम दघैटा जाने वाला मार्ग पूर्णतः क्षतिग्रस्त है ? क्या उपरोक्त मार्ग का जीर्णोद्धार/मरम्मत की जाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

जी हां।

जून, 2008 तक ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुही राज में बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय योजना के पात्र कार्ड धारकों की संख्या एवं वंचितों को कार्ड वितरण कराये जाने की मांग

22-डा0 पी0 के0 राय-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील तमकुही राज जनपद कुशीनगर में बी0 पी0 एल0 एवं अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत पात्र कार्ड धारकों की संख्या कितनी है और कितने पात्र वंचित हैं ? क्या पात्र वंचितों को भी कार्ड वितरण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

तहसील तमकुहीराज जनपद-कुशीनगर में बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत पात्र कार्डधारकों की कुल संख्या-71382 है। बी0पी0एल0 परिवारों का पुनर्सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसके उपरान्त वास्तविक पात्र परिवारों की संख्या ज्ञात हो सकेगी।

बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय योजना का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा पूर्व से निर्धारित है, जिसके अन्तर्गत ही राशन कार्डों का निर्गमन सम्भव है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ विधान सभा क्षेत्र की जीर्ण-शीर्ण सड़कों हेतु धनराशि आवंटित करने की मांग

23-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर संख्या सी0एम0/वि0को0/एम0/ 171281/2007 दिनांक 16-10-2007 जो विधान सभा क्षेत्र मेरट कैंट की जीर्ण-शीर्ण सड़कों हेतु धनराशि आवंटित किये जाने के सन्दर्भ में है, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

पत्र में अंकित निर्माण कार्यों के आगणन परीक्षणाधीन हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ की चीनी मिल के श्री रोहताश कुमार, गोदाम क्लर्क को अन्य विभाग में समायोजित करने विषयक पत्र

24-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र कम्प्यूटर संख्या सी0एम0/वि0को0/ एम-172236/07 दिनांक 5-11-07 जो रोहताश कुमार गोदाम क्लर्क चीनी मिल मेरट को अन्य विभाग में समायोजित करने विषयक मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने के सम्बन्ध में था, प्रमुख सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में याची का प्रत्यावेदन निस्तारित कर याची तथा मा0 सदस्य को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है।

जनपद अलीगढ़ के खैर क्षेत्र के अन्तर्गत राजपुर के शादीपुर तक मांट ब्रान्च नहर की क्षतिग्रस्त पटरी पर सड़क निर्माण की मांग

25-चौ0 सत्यपाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के खैर क्षेत्र के अन्तर्गत राजपुर के शादीपुर तक मांट ब्रान्च नहर की क्षतिग्रस्त पटरी पर सड़क निर्माण हेतु पूर्व सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृत की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

ग्राम राजपुर से ग्राम बालनपुर तक मांट ब्रांच की पटरी को पक्का कराने का कार्य पूर्ण हो चुका है। ग्राम बालनपुर से ग्राम शादीपुर तक शेष पटरी के कार्य को चौधरी चरण सिंह सिंचाई विकास योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत पूर्ण कराने हेतु बजट की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार धनावंटन पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

26-चौ0 सत्यपाल सिंह-

[3सरे गुरुवार के अता0प्र0सं0-40 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोरखपुर विकास प्राधिकरण के जीप चालक स्व0 श्री राजदेव की पत्नी की नियुक्ति हेतु कार्यवाही

27-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर के जीप चालक स्व0 श्री राजदेव के स्थान पर मृतक आश्रित के रूप में इनकी पत्नी श्रीमती सन्तो देवी की नियुक्ति किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के दो पत्र क्रमशः पत्रांक ख-3 नं0 193675, दिनांक 27-11-2007 तथा पत्रांक ग-3 नं0 505165 दिनांक 28-12-2008 प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मा0 सदस्य, विधान सभा का प्रश्नगत पत्रांक ख-2 नं0 712131 दिनांक 04-10-2007 एवं पत्रांक ग-3 नं0 505165 दिनांक 28-12-2007 शासन को प्राप्त हुआ है। मा0 सदस्य का पत्र ख-3 नं0 193675 दिनांक 27-11-2007 प्राप्त नहीं हुआ है।

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 यथा संशोधित के अधीन दैनिक वेतन कर्मचारियों की मृत्यु के पश्चात् उनके आश्रितों को सेवायोजन का लाभ अनुमन्य नहीं है। तद्नुसार उक्त प्रकरण पर कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्व0 सागर प्रसाद की विधवा को मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त कराये जाने की मांग

28-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 सागर प्रसाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गोरखपुर विकास प्राधिकरण की विधवा श्रीमती सुभावती को मृतक आश्रित के रूप में नौकरी दिये जाने विषयक प्रश्नकर्ता द्वारा जुलाई, 2007 एवं अगस्त 2007 में लिखे तथा मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा प्रमुख सचिव आवास को भेजे गये पत्रों (क्रमशः सी0एम0/वि0को0एम0/163836/2007 तथा सी0एम0/वि0को0/एम/ 166829/2007) के सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 यथा संशोधित के अधीन दैनिक वेतन कर्मचारियों की मृत्यु के पश्चात् उनके आश्रितों को सेवायोजन का लाभ अनुमन्य नहीं है। तदनुसार उक्त प्रकरण पर कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

गोरखपुर की राप्ती नगर फेज-तृतीय के आराजी सं0-645 के श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव का मानचित्र स्वीकृत न करने सम्बन्धी जानकारी

29-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर राप्ती नगर फेज तृतीय के आराजी संख्या-645 में पूर्व में करीब 10 मानचित्रों को स्वीकृति दिये जाने के उपरान्त उसी आराजी में श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव के मानचित्र (मानचित्र संख्या 1904/05 दिनांक 20-12-2005) को गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अभी तक स्वीकृति क्यों नहीं दी गयी है ? उक्त स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

गोरखपुर राप्ती नगर फेज तृतीय के आराजी संख्या-645 में पूर्व में कुल 05 मानचित्र स्वीकृत किये गये हैं। उक्त आराजी में श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत मानचित्र संख्या : 1904/05, दिनांक 28-12-05 को प्रस्तुत किया गया था, जो कि तलपट मानचित्र स्वीकृत न होने के कारण दिनांक 27-12-06 को निरस्त किया गया।

अभ्यावेदक द्वारा पुनः दिनांक 11-04-07 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है।

जनपद जौनपुर की मेसर्स दुर्गा ट्रेडिंग कारपोरेशन कोदहूं मुंगरा बादशाहपुर के विरुद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्यापक अनियमितता के विरुद्ध कार्यवाही

30-श्री सुभाष पाण्डेय-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 171622/मेसर्स दुर्गा ट्रेडिंग कारपोरेशन कोदहूं मे बादशाहपुर 999999999-16371 में बादशाहपुर जौनपुर (उ0 प्र0) के विरुद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्यापक रूप से अनियमितता करने के सम्बन्ध में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत संगत धारा में उक्त ट्रेडिंग कार्पो0 के स्वामी व उनके 4 अन्य सहयोगी व्यक्तियों के विरुद्ध दि0 28-11-07 थाना मीरगंज एवं दिनांक 17-12-07 व 20-12-07 को थाना मु0 बादशाहपुर जनपद जौनपुर में जिला पूर्ति विभाग के अधिकारी द्वारा प्राथमिकी अंकित करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या जांच अधिकारी द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

जी हां।

दिनांक 29-11-07 को श्री राजेन्द्र प्रसाद पूर्ति निरीक्षक मछलीशहर द्वारा थाना-मीरगंज में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-3/07 के अन्तर्गत मु0अ0सं0-497/07 में मेसर्स दुर्गा ट्रेडिंग कारपोरेशन कोदहूं, मुंगराबादशाहपुर थो0मि0ते0 विक्रेता के विरुद्ध दर्ज नहीं कराया गया है किन्तु प्राथमिकी में उक्त तेल कम्पनी के व्यवस्थापक श्री गुलाब चन्द्र अग्रहरि को नामजद किया गया है। दिनांक 17-12-07 को एवं दिनांक 20-12-07 को मेसर्स दुर्गा ट्रेडिंग कारपोरेशन कोदहूं, मुंगरा बादशाहपुर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-3/7 के अन्तर्गत मु0अ0सं0-820/07 एवं 826/07 दर्ज कराया गया।

मेसर्स दुर्गा ट्रेडिंग कारपोरेशन का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। न्यायायिक कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर में नहर एवं माइनर में पानी टेल तक न पहुंचाने पर किसानों को सिंचाई शुल्क से मुक्त करने की मांग

31-श्री सुभाष पाण्डेय-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मछली शहर जनपद जौनपुर में संचालित नहर एवं माइनर में पानी टेल तक नहीं पहुंचने के कारण किसानों को फसलों की सिंचाई हेतु कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि नहर विभाग के कर्मचारीगण द्वारा असिंचित भूमि का बिना मौलिक सत्यापन किये ही किसानों से सिंचाई का शुल्क लिया जाता है ? यदि हां, तो क्या किसानों को सरकार द्वारा सिंचाई शुल्क से मुक्त किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार द्वारा नहरों का पानी टेल तक पहुंचाने के लिये क्या उपाय किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। जनपद जौनपुर के कार्यक्षेत्र में पड़ने वाले विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर से सम्बन्धित समस्त नहरों के टेल पर फसली 1415 खरीफ एवं रबी में पानी पहुंचा है, जिससे फसलों की सिंचाई हेतु किसानों को सामान्यतया कोई कठिनाई नहीं होती है। विभागीय निर्देशों के अनुसार सिंचाई के उपरान्त ही विभाग के राजस्व कर्मियों द्वारा उसी भूमि की सिंचाई दर्ज की जाती है जिसमें नहर के पानी से वास्तविक रूप से सिंचाई की जाती है एवं इसका भौतिक सत्यापन मौके पर विभाग के अन्य अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किया जाता है।

सामान्यतः नहरी पानी से सिंचित भूमि की ही सींच दर्ज की जाती है, अतः सिंचाई शुल्क से किसानों को मुक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

नहरों के टेल तक पानी पहुँचाने हेतु प्रति वर्ष आवश्यकतानुसार सिल्ट सफाई एवं सामान्य अनुरक्षण का कार्य उपलब्ध धनराशि के अनुसार कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा में नौबस्ता घाट गंगा नदी पर पीपे का पुल निर्माण कराये जाने की मांग

32-श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर की विधान सभा क्षेत्र खागा में वर्ष 2002-03 में नौबस्ता घाट गंगा नदी पर पीपे का पुल स्वीकृत किये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग फतेहपुर द्वारा प्रस्ताव एवं आगणन शासन को भेजा गया था, परन्तु पुल स्वीकृत न होने से लोगों का आवागमन बाधित हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त जनपद में पीपे के पुल का निर्माण कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

गंगा नदी पर पीपे के पुल के निर्माण हेतु वर्ष 2001-02 में प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ था परन्तु सीमित संसाधनों के कारण इसकी स्वीकृति सम्भव नहीं हो पाई थी।

सम्प्रति पीपे के पुल का प्रस्ताव किसी योजना में विचाराधीन नहीं है।

प्रस्तावित पुल के अपस्ट्रीम साइड में लगभग 35.00 कि0मी0 पर डलमऊ घाट रायबरेली में पक्के पुल का निर्माण कार्य प्रगति में है। उसके भी लगभग 8.00 कि0मी0 अपस्ट्रीम साइड में असनी घाट रायबरेली जनपद में पक्का सेतु निर्मित है तथा प्रस्तावित पुल के लगभग 18.00 कि0मी0 डाउन स्ट्रीम में कालाकांकर घाट पर पाण्टून पुल बना है।

जनपद मैनपुरी के राजकीय इण्टर कालेज, मानपुर हरी ब्लाक बेवर में निर्माण कार्य

33-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2006-07 में राजकीय इण्टर कालेज मानपुर हरी ब्लाक बेबर जनपद मैनपुरी में निर्माण कार्य हेतु दि0 29-11-06 को विशेष सचिव, उ0 प्र0 शासन लखनऊ के पत्र सं0 2673/35-4-2006 द्वारा रुपये 123.44 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये धनराशि अवमुक्त की गयी थी जिसमें उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है ? क्या उक्त सन्दर्भित कार्य हेतु दि0 13-7-06 को रु0 61.72 लाख विभाग को निर्गत किये जा चुके हैं ? क्या यह सही है कि उक्त कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुये उक्त कार्य प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

सन्दर्भित शासनादेश द्वारा पूर्व नामित कार्यदायी संस्था के स्थान पर राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था बनाया गया था।

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नियोजन विभाग के शासनादेश सं0-834/35-4-07, दिनांक 08 जून, 2007 में जारी निर्देशों के क्रम में सन्दर्भित कार्य की स्वीकृति निरस्त कर दी गयी है।

जनपद मथुरा के सादाबाद से ग्राम सिहोरा व कारब तक जाने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

34-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के मथुरा-सादाबाद मार्ग से ग्राम-सिहोरा होकर ग्राम कारब तक जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त है जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत, जीर्णोद्धार तत्काल करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

सम्प्रति प्रश्नगत मार्ग की मरम्मत/जीर्णोद्धार का कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मथुरा में बल्देव कैलाश मार्ग पर मडौरा व ततरौरा से कजौली घाट तक जाने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

35-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में बल्देव कैलाश मार्ग पर मडौरा व ततरौरा जाने वाला कजौली घाट तक का मार्ग क्षतिग्रस्त है ? जिससे आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत जीर्णोद्धार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

जी हां।

जून, 2008 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के नगौड़ा-पचावर मार्ग से ग्राम भंकडी तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

36-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के नगौड़ा-पचावर मार्ग से ग्राम भंकडी तक के मार्ग क्षतिग्रस्त है जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर में कुड़वार घाट पुल पर टोल टैक्स की वसूली

3.*-श्री अनूप सण्डा-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सुल्तानपुर जनपद में कुड़वार घाट पुल जो लगभग 25 वर्ष पूर्व बना था पर टोल टैक्स की वसूली अभी भी की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। वित्तीय वर्ष 1984-85 में पुल का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था।

नियमानुसार पथकर की वसूली, ब्याज एवं अनुरक्षण व्यय सहित पुल की लागत की वसूली पूर्ण होने अथवा 50 वर्ष की अवधि तक (जो भी पहले हो) किये जाने की व्यवस्था है।

जनपद रायबरेली के लो0 नि0 विभाग प्रान्तीय खण्ड द्वारा निर्माणाधीन महाराजगंज, शुक्ल बाजार वाया सेमरौता सड़क मानक के अनुसार न बनवाये जाने की जांच की मांग

38-श्री राजाराम त्यागी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जनपद के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड रायबरेली द्वारा केन्द्रीय सड़क नीति से निर्माणाधीन महराजगंज शुक्लबाजार वाया सेमरौता रोड मानक के अनुसार नहीं बन रही है ? क्या यह भी सही है कि इसी खण्ड द्वारा निर्माणाधीन महराजगंज इहौना मार्ग से सतगवां रोड भी काफी खराब बन रही है ? यदि हां, तो क्या दोनों सड़कों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच टी0ए0सी0 से कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। मार्ग का निर्माण मानक के अनुरूप ही किया जा रहा है।

जी नहीं। इस मार्ग पर खड़ंजा का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के कतिपय विकास खण्डों में नलकूप लगाने की व्यवस्था की जानकारी

39-श्री राधेश्याम गुप्ता-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जनपद के विकास खण्ड भिटौरा, तेलियानी, हसवा में, सिंचाई हेतु नलकूप लगाने की व्यवस्था करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद फतेहपुर में वर्ष 2007-08 में जनपदीय स्थल चयन समिति द्वारा विकास खण्ड हसवा में ग्राम एंथवा बसावनपुर को नलकूप लगाने हेतु चयनित किया गया था, जिसमें नलकूप का छिद्रण किया जा चुका है। विकास खण्ड तेलियानी एवं भिटौरा में किसी भी ग्राम का चयन समिति द्वारा नहीं किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत मोलनापुर नाले पर पुल निर्माण कार्य

40-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी जनपद प्रतापगढ़ में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 में मोलनापुर नाले पर पुल निर्माण कार्य हेतु कितना धन आवंटित हुआ था ? क्या आवंटित धन से कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत पुल के निर्माण हेतु रु0 19.26 लाख की धनराशि आवंटित की गयी थी।

जी नहीं।

शासनादेश सं0-832/35-4-2007, दिनांक 08-06-2007 द्वारा यह निर्देश दिये गये कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत जिन कार्यों को अभी तक प्रारम्भ न किया गया हो, उन्हें निरस्त मानते हुए धनराशि राजकोष में जमा कर दी जाय। उक्त निर्देश के अनुपालन में कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, प्रतापगढ़ के पत्र सं0-1940/1सी0-07, दिनांक 19-06-2007 द्वारा उक्त कार्य का चेक परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, प्रतापगढ़ को वापस कर दिया गया है।

प्रदेश की चीनी मिलों के गन्ना पर्यवेक्षक एवं अन्य कर्मियों के वेतन से भविष्य निधि कटौती को पी0 एफ0 खाते में जमा करने की नीति

41-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के चीनी मिलों में कार्यरत गन्ना पर्यवेक्षक एवं अन्य कर्मियों के वेतन से की गयी भविष्य निधि कटौती को पी0 एफ0 खाते में जमा करने की नीति क्या है ? क्या चीनी मिल पुवायां (शाहजहांपुर) में कार्यरत गन्ना

पर्यवेक्षकों के वेतन से की गयी भविष्य निधि के कटौती एवं चीनी मिल की योगदान धनराशि पी0एफ0 खाते में जमा की जा रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

भविष्य निधि कटौती की धनराशि नियमनुसार अगले माह की 15 तारीख तक जमा हो जानी चाहिए।

चीनी मिल पुवायां शाहजहांपुर में कार्यरत गन्ना पर्यवेक्षकों के वेतन से की गयी भविष्य निधि की कटौती एवं चीनी मिल की योगदान धनराशि मिल की वित्तीय स्थिति अत्यन्त खराब होने के कारण माह अगस्त, 1998 के बाद नहीं जमा की जा सकी है।

जनपद मथुरा में बल्देव से सनसन खेड़ा तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

42-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में बल्देव से सनसन खेड़ा जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

सम्प्रति प्रश्नगत मार्ग की मरम्मत का कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद महामायानगर के कस्बा, सादाबाद से कतिपय क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

43-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर के कस्बा, सादाबाद से जलेसर मार्ग पर बिनोवानगर चौराहे से नगला केसरी तक का मार्ग पूर्णतः क्षतिग्रस्त है ? क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग का कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है जो दिनांक 31-3-2008 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर के सादाबाद मथुरा मार्ग का प्राइवेट बस स्टैण्ड से तिराहा तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग •

44-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर के सादाबाद मथुरा मार्ग का प्राइवेट बस स्टैण्ड (चौ0 चरण सिंह मूर्तिस्थल) से तिराहा तक का भाग पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने के कारण मार्ग पर जलभराव भी बना रहता है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत/सुदृढ़ीकरण, जल निकासी की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग का कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है जो दिनांक 31-3-2008 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

गंगा नहर तथा पूर्वी यमुना नहर प्रणाली में टेल तक पानी उपलब्धता की मांग

45-डा0 अनिल चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गंगा नहर और यमुना नहर की ब्रांच, राजवाहे, अल्पिकांए रोस्टर के अनुसार चल रही है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि विगत रबी की फसल में सींच (हेक्टेयर में) व वर्तमान वर्ष की रबी फसल की सींच क्षेत्र में अन्तर है ? यदि हां, तो सींच क्षेत्र में कमी के क्या कारण है ? क्या शासन नहरी सिस्टम में सुधार व पानी की उपलब्धता टेल तक सुनिश्चित कराएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी हां। गंगा नहर प्रणाली में इस वर्ष रबी 1415 में अब तक (31-01-2008) तक 227.596 हजार हेक्टेयर सींच हुई है जबकि गत वर्ष 31-01-2007 तक रबी 1414 में मात्र 206.164 हजार हेक्टेयर की सींच हुई थी तथा पूर्वी यमुना नहर प्रणाली में इस वर्ष रबी 1415 में 22.160 हजार हेक्टेयर तथा पिछले वर्ष रबी 1414 में 21.520 हजार हेक्टेयर सींच हुई थी।

गंगा नहर प्रणाली तथा पूर्वी यमुना नहर प्रणाली में गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अधिक सींच हुई है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के हापुड़ व मोतीनगर की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

46-श्री मदन भैया-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के हापुड़, मोतीनगर की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत के नाम पर विगत दो वर्षों में वर्षवार कितना भुगतान किया गया ? क्या उक्त सड़क अभी भी जर्जर एवं गड्ढायुक्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण एवं चौड़ीकरण कराते हुये दोषी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मरम्मत मद में कोई भुगतान नहीं किया गया है।

जी नहीं।

जी नहीं।

उक्त मार्ग की लम्बाई 21.90 कि0मी0 में सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण के कार्य के लिये शासनादेश सं0-301 (1)/23-11-2006-1/2 (110)/2006, दिनांक 20-4-06 द्वारा रु0 1045.44 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वर्तमान में मार्ग के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

47-श्री मदन भैया-

[4थे सोमवार के अता0प्र0सं0-1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बांदा में पपरेन्दा से हमीरपुर तक सम्पर्क मार्ग निर्माण में की गई अनियमितता की जांच

48-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में पपरेन्दा से हमीरपुर तक सम्पर्क मार्गों के निर्माण में बरती गयी अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 11-6-2007 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

शिकायती-पत्र में उल्लिखित सम्पर्क मार्गों की जांच प्राविधिक परीक्षक, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ एवं अधीक्षण अभियन्ता, बांदा वृत्त, लोक निर्माण विभाग, बांदा द्वारा की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में राज्य सेक्टर एवं जिला योजना द्वारा गत वर्षों में सम्पर्क मार्ग निर्माण में अनियमितता की जांच

49-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में राज्य सेक्टर आर0आई0डी0एफ0 एवं जिला योजना द्वारा वर्ष 2005-06 व 2006-07 में सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्यों में बरती गयी अनियमितताओं की जांच कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-6-2007 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

शिकायती-पत्र में उल्लिखित सम्पर्क मार्गों की जांच प्राविधिक परीक्षक, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ एवं अधीक्षण अभियन्ता, बांदा वृत्त, लोक निर्माण विभाग, बांदा द्वारा की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अगौता के गांव औलीना से जोलीगढ़ तक सड़क डामरीकरण की मांग

50-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र अगौता जनपद बुलन्दशहर के गांव औलीना से जोलीगढ़ (लम्बाई करीब 1.5 कि0मी0) की सड़क डामरीकरण का 75% कार्य 2001-02, 2002-03 में ही पूर्ण हो गया था ? क्या यह सही है कि समस्त धनराशि विभाग को दे दी गयी थी, परन्तु वह धन किसी अन्य मद में लगा दिया ? यदि हां, तो उक्त सड़क को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

25 प्रतिशत लेपन कार्य पूर्ण है।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अगौता में त्वरित योजना के अन्तर्गत रैना से अगौता शुगर मिल तक सड़क निर्माण की मांग

51-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र अगौता जनपद बुलन्दशहर की त्वरित योजना के अन्तर्गत अकबरपुर रैना से अगौता शुगर मिल तक की सड़क का निर्माण कार्य शेष है ? यदि हां, तो उक्त सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

इस नाम से कोई मार्ग स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर की अगौता शुगर फैक्ट्री से किसानों को गन्ना मूल्य के बकाये का भुगतान

52-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर जनपद की अगौता शुगर फैक्ट्री से पिछले सत्र के किसानों को बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान मय ब्याज के करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मा0 मंत्री जी मिल प्रबन्धन व मालिक के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद बुलन्दशहर की अगौता चीनी मिल पर गत पेराई सत्र 2006-07 का कुल रु0 1102.95 लाख गन्ना मूल्य भुगतान हेतु शेष था। उक्त बकाया गन्ना मूल्य रु0 1102.95 लाख तथा उस पर देय ब्याज रु0 128.64 लाख की वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया। वसूली प्रमाण-पत्र के विरुद्ध चीनी मिल द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गयी है। उक्त रिट याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा बकाया धनराशि का 25 प्रतिशत भुगतान 06 सप्ताह में करने के आदेश देते हुए वसूली को स्थगित कर दिया। अब गत वर्ष का अगौता चीनी मिल पर रु0 508.60 लाख का गन्ना मूल्य अवशेष रह जायेगा जिसकी वसूली के लिए विभाग/जिला प्रशासन स्तर पर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील बांसी में किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिलाये जाने की मांग

53-श्री लालजी यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी तहसील में बांसी-धानी मार्ग पर किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा कितने किसानों को दिया जाना अभी शेष है ? यदि हां, क्या सरकार छूटे हुये किसानों के मुआवजे की धनराशि का भुगतान कराने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, जनपद-सिद्धार्थनगर के बांसी तहसील में बांसी-धानी मार्ग पर अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा 88 किसानों को दिया जाना शेष है।

अवशेष किसानों के मुआवजे के शीघ्र भुगतान हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

जनपद सुल्तानपुर के रजवहा चांदा से लम्भुआ माइनर की खुदाई हेतु अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान कराये जाने की मांग

54-श्री अनूप सण्डा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर में रजवहा चांदा से लम्भुआ माइनर की खुदाई कब हुयी थी ? उक्त लम्भुआ माइनर हेतु किन-किन किसानों की कितनी भूमि सिंचाई विभाग द्वारा अधिग्रहीत की गयी थी ? क्या अधिग्रहीत की गयी भूमि का मुआवजा सम्बन्धित भू-स्वामियों को दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद सुल्तानपुर में रजवहा चांदा से लम्भुआ माइनर की खुदाई शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1984 में हुई थी।

उपर्युक्त माइनर के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण का प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सुल्तानपुर के पत्र दिनांक 31-12-90 द्वारा भूमि अध्याप्ति अधिकारी, सुल्तानपुर को भेजा गया था, परन्तु भूमि का अधिग्रहण नहीं हुआ, जिसके कारण कृषकों को भू-प्रतिकर का भुगतान नहीं किय' गया। उक्त माइनर के निर्माण में कृषकों की 3.1858 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई थी।

जी नहीं

अवशेष भू-प्रतिकर का भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उटता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में तरंग एवं सूर्य कुण्ड चौराहे स्थित रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतुओं के निर्माण का विचाराधीन प्रकरण

55-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर स्थित तरंग एवं सूर्यकुण्ड चौराहे स्थित रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतुओं के निर्माण कार्य को रेलवे के पिंक बुक में शामिल किये जाने के उपरान्त, प्रदेश सरकार द्वारा सेतुओं के निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु क्या-क्या कार्यवाहियां की जा चुकी हैं ? उक्त निर्माण कार्य कब तक पूरा करा लिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद गोरखपुर महानगर में विधायकों को स्वीकृत सड़कों को छोड़कर विगत कई वर्षों के निर्मित सड़कों के विवरण की जानकारी

56-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में विधायकों को विशेष रूप से स्वीकृत 5 एवं 7 कि0मी0 की सड़कों को छोड़कर, वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 में कौन-कौन से सड़कें कितने लागत में लेपित अथवा पुनर्निर्मित की गयीं ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

वित्तीय वर्ष 2002-03 में स्वीकृत राष्ट्रीय मार्ग सं0-28 से लालडिग्गी पार्क तक डबल लेन पक्के मार्ग (लम्बाई 1.4 कि0मी0) का निर्माण रु0 62.21 लाख की लागत से किया गया। वित्तीय वर्ष 2003-04 में जिला जेल बाईपास मार्ग (लम्बाई 1.9 कि0मी0) में शून्य से लेपन का कार्य रु0 70.45 लाख की लागत से किया गया। वित्तीय वर्ष 2005-06 में गोरखपुर महाराजगंज मार्ग पर शहरी भाग में रु0 150.00 लाख की लागत से पुनः निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2004-05, 2006-07 एवं 2007-08 में कोई निर्माण कार्य महानगर के अन्दर स्वीकृत नहीं हुआ एवं न ही कराया गया।

प्रदेश विधायकों की संस्तुति पर उनके विधान सभा क्षेत्र से लो0नि0 विभाग द्वारा सड़कें बनाये जाने की नीति की जानकारी

57-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व घोषित परम्परा (वर्ष 2005-06 में 5 कि0मी0 तथा वर्ष 2006-07 में 7 कि0मी0) के अनुरूप विधायकों की संस्तुति पर उनके विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कें बनवाये जाने के संदर्भ में क्या कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हां, उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

सम्प्रति ऐसी कोई योजना नहीं है। परन्तु वर्तमान में डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5 ग्राम सभाओं को संतृप्त किये जाने की योजना लागू की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी में ढखेरवा चौराहे से धौरहरा तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

58-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में ढखेरवा चौराहे से धौरहरा तक सड़क क्षतिग्रस्त होने से जनता को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

ढखेरवा चौराहे से धौरहरा तक सड़क आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है परन्तु आवागमन सुचारु रूप से चल रहा है।

मरम्मत का कार्य एक सतत् प्रक्रिया है। प्रश्नगत सड़क के सामान्य मरम्मत का कार्य अनुरक्षण मद में उपलब्ध धनराशि से कराया जा रहा है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम कफारा से जटपुरवा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

59-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम कफारा से जटपुरवा सम्पर्क मार्ग करीब एक कि0मी0 कच्चा होने से जनता को आवागमन में काफी कठिनाई होती है ? क्या सरकार उक्त कच्चे मार्ग पर पक्की सड़क बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

ग्राम कफारा से जटपुरवा के बीच 2 कि0मी0 कच्चा मार्ग है। प्रश्नगत दोनों ग्राम लोनिप मार्गों से जुड़े हैं जिन पर आवागमन सुचारु रूप से हो रहा है।

सम्प्रति प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम दुलही से मल्लबेहड़ तक मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

60-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम दुलही से मल्लबेहड़ तक सड़क क्षतिग्रस्त होने से जनता को आवागमन में काफी कठिनाई होती है ? यदि हां तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, सड़क क्षतिग्रस्त है किन्तु आवागमन चालू है।

दुलही से मल्लबेहड़ तक की सड़क लखीमपुर शारदानगर ढकेरवा मार्ग के कि0मी0 28 से बांयी ओर 02 कि0मी0 लम्बाई में दुलही सम्पर्क मार्ग जाता है, जो लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व का है तथा इसकी मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है एवं लखीमपुर

शारदानगर ढकेरवा मार्ग के कि0मी0 28 से दांयी ओर 01 कि0मी0 लम्बाई में मल्लबेहड़ सम्पर्क मार्ग है, जिसका स्वामित्व गन्ना विकास विभाग का है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली की सरने माइनर की खुदाई हेतु भूमि उपलब्ध कराने व खुदाई आरम्भ कराये जाने की मांग .

61-श्री राम किशुन-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद चन्दौली की सरने माइनर की खुदाई हेतु जमीन उपलब्ध होने के बाद भी टेल तक खुदाई नहीं कराई गयी है ? यदि हां, तो क्यों तथा पूरी खुदाई कब तक करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

कि0मी0 3.2 से 3.7 के बीच माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण शेष भाग में खुदाई बन्द है।

मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश हटाने के पश्चात खुदाई का कार्य किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के गौरी माइनर के लाइनिंग का कार्य प्रारम्भ कराये जाने की मांग

62-श्री राम किशुन-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के गौरी माइनर के सुदृढ़ीकरण हेतु लाइनिंग का प्रस्ताव शासन के पास लम्बित है ? यदि हां तो शासन द्वारा उक्त प्रस्ताव को मंजूरी एवं धन का आवंटन कब तक कर दिया जायेगा ? उक्त माइनर की लाइनिंग का कार्य कब से प्रारम्भ करा दिया जायगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

नरायनपुर पम्प नहर प्रणाली से सम्बन्धित गौरी माइनर एवं अन्य नहरों के लाइनिंग हेतु वित्तीय वर्ष 2008-09 में वित्त पोषण करके कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

जनपद चन्दौली के सिन्धीताली बखटा माइनर के सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने की मांग

63-श्री राम किशुन-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के सिन्धीताली बखटा माइनर की जर्जर स्थिति को देखते हुये इस माइनर को सुदृढ़ीकरण करने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो सुदृढ़ीकरण का कार्य कब तक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

सिन्धी ताली माइनर के सुदृढ़ीकरण का कार्य नरायनपुर पम्प नहर के पुनरोद्धार परियोजना के अन्तर्गत है जिसे बजट आवंटित हो जाने पर कराया जाना प्रस्तावित है।

लखनऊ के पुराना बहुखण्डीय मंत्री आवास संख्या-1002 में पार्टीशन आदि कार्य हेतु आगणन की स्वीकृति

64-श्री लालजी यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास संख्या-1002 पुराना बहुखण्डीय मंत्री आवास लखनऊ में पार्टीशन आदि का कार्य कराये जाने हेतु व्यवस्थाधिकारी द्वारा आगणन प्रस्ताव जो दिनांक 27-9-07 को राज्य सम्पत्ति निदेशक, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त आगणन स्वीकृत किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

जी हां, आगणन स्वीकृत कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

65-श्री मदन भैया-

[3रे सोमवार के अता0प्र0सं0-105 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में सहकारी एवं निजी क्षेत्र की पेराई कर रही गन्ना मिलों की संख्या एवं उन पर बकाया धनराशि एवं उसके भुगतान की जानकारी

66-श्री डी0 पी0 यादव-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2007-2008 में प्रदेश में कुल कितनी निजी व सरकारी मिलें गन्ने की पेराई का कार्य कर रही हैं क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि किसानों का चीनी मिलों व विशेषकर निजी चीनी मिलों पर कितनी धनराशि भुगतान हेतु बकाया है ? सरकार द्वारा किसानों को कब तक उनके बकाये का भुगतान करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

पेराई सत्र 2007-08 में निजी क्षेत्र की 87 एवं सहकारी क्षेत्र की 25 तथा निगम क्षेत्र की 17 चीनी मिलों द्वारा पेराई की जा रही है। उक्त पेराई सत्र का प्रदेश की चीनी मिलों पर दिनांक 14-02-2008 की स्थिति के अनुसार कुल रु0 1123.95 करोड़ बकाया है। इस बकाया धनराशि में से रु0 758.72 करोड़ निजी क्षेत्र की चीनी मिलों पर बकाया है।

प्रदेश में गन्ने के खेतों में फैली बीमारी एवं उसकी रोकथाम के उपाय

67-श्री डी0 पी0 यादव-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गन्ने के खेतों में रेडराट व दूसरी भयानक बीमारियां फैल रही हैं जो गन्ने की फसल को बरबाद कर रही हैं ? यदि हां तो क्या सरकार इसकी रोकथाम के लिये कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में गन्ने की फसल में रेडराट व दूसरी अन्य भयंकर बीमारियों का कोई प्रकोप नहीं है।

रेडराट तथा अन्य भयानक बीमारियों की रोकथाम के लिए पूर्व से निम्नलिखित योजनायें संचालित हैं :-

(1) बीमारी एवं कीटों के रोकथाम हेतु जिला योजनान्तर्गत गन्ना बीज एवं भूमि उपचार हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रयुक्त होने वाली दवाओं पर 2500 टी0सी0डी0 से कम क्षमता वाली चीनी मिलों के क्षेत्र में 25 प्रतिशत तथा 2500 टी0सी0डी0 क्षमता से अधिक क्षमता वाली चीनी मिलों के क्षेत्र में 12.50 प्रतिशत दर से अनुदान समितियों के माध्यम से कृषकों को दिया जाता है।

(2) गन्ना विकास परिषदों द्वारा 10 प्रतिशत तथा सम्बन्धित चीनी मिलों द्वारा जिनकी पेराई क्षमता 2500 टी0सी0डी0 से कम है 15 प्रतिशत जिनकी पेराई क्षमता 2500 टी0सी0डी0 से अधिक है 27.50 प्रतिशत की दर से बीमारियां/कीट प्रकोपों की रोकथाम के लिए दवाओं की खरीद पर कृषकों को अनुदान दिया जाता है। इस प्रकार कुल व्यय पर 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है।

(3) बीमारियों की रोकथाम के लिए रोगरोधी बीज गन्ना उत्पादन हेतु केन्द्र पोषित-मैक्रोमोड योजनान्तर्गत गर्मजल वायु शोधन यंत्र से कराया जाता है। इस यंत्र को लगाने के लिए सम्बन्धित चीनी मिलों को 2.00 लाख रुपया अनुदान दिया जाता है, जिसमें 90 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 10 प्रतिशत राज्यांश के रूप में अनुदान दिया जाता है।

जनपद मऊ के विकास खण्ड फतेहपुर के गजियापुर मर्यादपुर हाहा नाले पर सेतु निर्माण की मांग

68-श्री लालजी यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के विकास खण्ड फतेहपुर मण्डा के अन्तर्गत गजियापुर-मर्यादपुर हाहा नाला पर उ0 प्र0 सेतु निगम द्वारा निर्माणाधीन पुल के अवशेष कार्य हेतु रिवाइज फण्ड से एक करोड़ तीस लाख पच्चीस हजार रुपये की धनराशि वर्ष 2004 व 2005 में स्वीकृत की गयी थी ? यदि हां, क्या उक्त धनराशि का उपयोग पुल निर्माण में

न करते हुये कर्मचारियों के वेतन आदि में उपभोग किया गया ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है ? क्या सरकार उसके विरुद्ध कार्यवाही कराते हुये अधूरे कार्य को पूर्ण कराने का निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। प्रश्नगत सेतु के लिए कुल रु0 97.06 लाख की धनराशि वर्ष 1998-99 में स्वीकृत की गयी थी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता। अधूरे कार्य का पूर्ण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने की मांग

69-श्री जोखू लाल यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत कोड़ापुर बाजार से दीवानगंज होते हुये बलिकरनपुर जाने वाले सम्पर्क मार्ग की मरम्मत सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में रजवहा अल्पिका वाटर रिस्ट्रक्चरिंग योजनान्तर्गत पुलों के निर्माण की स्वीकृति सम्बन्धी जानकारी

70-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में कौन-कौन सी रजवहा अल्पिका वाटर रिस्ट्रक्चरिंग योजना के अन्तर्गत शामिल है ? प्रत्येक रजवहा एवं अल्पिका पर किन-किन ग्रामों की सीमा में पुलों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है ? क्या स्वीकृत सभी कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी की निम्न नहरें वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना के अन्तर्गत शामिल हैं :-

शारदा सहायक खण्ड-51, प्रतापगढ़

अ-1-नागापुर राजवाहा

2-मदाफरपुर राजवाहा

3-चिलबिला राजवाहा

ब-रुदौली साफ्टीपुर, कंजास, सरायज, मुगरी, सरसीठी, असुकी, जैसिंहगढ़, गोवाही, चौपाही, गंगापुर एवं सुजानगढ़, अल्पिका।

शारदा सहायक खण्ड-36, जौनपुर

अ-1-जौनपुर, राजवाहा (कि0मी0 1600 से 44,400 तक)

2-धरौली राजवाहा (कि0मी0 9.00 से 29.000 तक)

ब-1-लजेदा भीखमपुर, मानपुर, अमेरगर, चिलावा, भानेपुर, भरोखर, गोपालिपुर, निवादा, गोपापुर एवं उतरौली अल्पिका।

सिंचाई खण्ड सुल्तानपुर

अ-1-रामगंज राजवाहा (34.600 से 50.50033 तक)

2-सिंगरामऊ राजवाहा (00 से 1.400) एवं कादीपुर अल्पिका (0.00 से 0.600 तक)

सम्बन्धित खण्डों के राजवाहों एवं अल्पिकाओं पर स्वीकृत पुलों के निर्माण के ग्रामवार सूची संलग्न है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 199-201 पर।)

जनपद प्रतापगढ़ के अनेकों विकास खण्डों में राजकीय नलकूप लगाये जाने की मांग

71-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा, पट्टी, मंगरौरा, बेल्खरनाथ धाम में राजकीय नलकूप लगाये जाने हेतु किन-किन ग्रामों को चयनित किया गया है ? क्या उन ग्रामों में नलकूप लगा दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा के ग्राम बाहूपुर एवं विकास खण्ड बेल्खरनाथ धाम के ग्राम रामनगर को नलकूप लगाये जाने हेतु चयनित किया गया है।

जी नहीं।

भू-गर्भ जल का परीक्षण रेजिस्टिविटी टेस्ट कराने के उपरान्त नलकूपों को तकनीकी रूप से साध्य पाये जाने की स्थिति में इन दोनों चयनित ग्रामों में नलकूप निर्माण के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड बांसी के ग्राम बरांव में अन्त्योदय योजना के कोटेदार को खाद्यान्न योजना में मिलने वाली सामग्री न मिलने की जांच की मांग

72-श्री लालजी यादव-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड बांसी के ग्राम बरावं में अन्त्योदय और मध्याह्न योजना के तहत कोटेदार द्वारा नवम्बर, 2007 में धनराशि जमा की गयी, परन्तु उसे खाद्यान्न के रूप में मिलने वाली सामग्री नहीं दी गयी ? उक्त कोटेदार को दिसम्बर, 07 व जनवरी, 08 का खाद्यान्न एस0एम0आई0 सिद्धार्थनगर द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी जिससे खाद्यान्न योजना में मिलने वाली सामग्री आज तक कोटेदार को नहीं मिली ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

माह नवम्बर, 2007, दिसम्बर, 2007 तथा माह जनवरी, 2008 का एम0डी0एम0, बी0पी0एल0 तथा अन्त्योदय योजना का खाद्यान्न शत-प्रतिशत उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत बरांव विकास खण्ड-बांसी को नियमानुसार उपलब्ध कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के खैर के जडाल नगरिया-मर्थना गांव के पतवाया नाला पर पुल निर्माण का कथित प्रकरण

73-चौ0 सत्यपाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खैर (अलीगढ़) के जडाल नगलिया-मर्थना गांव के पतवाया नाला पर चौ0 चरण सिंह सिंचाई योजना के अन्तर्गत पुल स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बदायूं में खराब राजकीय नलकूप एवं उन्हें ठीक कराये जाने की मांग

74-श्री धर्मपाल यादव डी0 पी0 यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं में कितने राजकीय नलकूप खराब हैं ? तथा खराब नलकूप कब तक ठीक कर दिये जायेंगे ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद बदायूं में सप्ताहान्त 24-01-08 की बन्दी के अनुसार 71 नलकूप अस्थाई रूप से खराब थे जिसमें से 25 नलकूप यांत्रिक दोष से तथा 46 नलकूप विद्युत दोष से खराब थे।

यांत्रिक दोष से बन्द सभी 25 नलकूपों को दिनांक 06-02-08 तक ठीक करा लिया गया है। विद्युत दोष से बन्द 46 नलकूपों में से 24 नलकूप दिनांक 08-02-08 तक ठीक करा दिये गये हैं तथा शेष 22 नलकूपों के सम्बन्ध में विद्युत विभाग द्वारा 29-02-08 तक ठीक कराने का कार्यक्रम दिया गया है।

75-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद मैनपुरी के ब्लाक बेवर के तहसील भोगांव के ग्राम जिनौरा में पूर्ति लिपिक अजय बाबू की अपनी गृह तहसील में तैनाती सम्बन्धी जानकारी

76-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के ब्लाक बेबर में पूर्ति लिपिक अजय बाबू तहसील भोगांव ग्राम जिनौरा पर तैनात हैं, जो उसी तहसील का निवासी है क्या उक्त कर्मचारी की तैनाती उसी तहसील में की जा सकती है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पूर्ति लिपिक अजय बाबू का स्थानान्तरण अन्यत्र करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को उनके गृह तहसील में तैनात किये जाने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

कार्यहित को दृष्टिगत रखते हुए लिपिकीय कर्मचारियों की तैनाती स्थल में समय-समय पर परिवर्तन जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा किया जाता है।

गाजियाबाद से दिल्ली मार्ग को चौड़ा करने की विचाराधीन योजना

77-श्री सुनील शर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद से दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग एन0एच0 24 व एन0एच0 58 को चौड़ा करने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। प्रश्नगत मार्गों को चौड़ा करने की योजना भारत सरकार के परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली में विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में बढ़ती हुई मंहगाई को नियंत्रित करने के उपाय

78-श्री जोखू लाल यादव-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई/वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि पर रोकथाम के लिए सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

बढ़ती हुई मंहगाई को नियंत्रित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा समय-समय पर आवश्यक कदम उठाये जाते हैं। इसके लिए अलग से नीति बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है।

लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी वाया रायबरेली में उपरिगामी सेतु निर्माण की मांग

79-श्री राजाराम त्यागी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी वाया रायबरेली एन0एच0 24 बी मार्ग पर बछरावां में केन्द्र सरकार तथा बांदा-बहराइच राजमार्ग 13 पर बछरावां में ही केन्द्र सरकार द्वारा उपरिगामी सेतु बनने की स्वीकृति प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति प्रश्नगत पुलों का निर्माण कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

राज्य अतिथि गृहों व विधायक निवासों में विद्युत अनुरक्षण सम्बन्धी शिकायतों का निस्तारण

80-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन विधायक निवासों व अतिथि गृहों में रहने वाले मा0 विधायक व मा0 अतिथि द्वारा किसी भी तरह की शिकायत सम्बन्धित व्यवस्थाधिकारी से की जाती है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि जो शिकायत सिविल व विद्युत अनुरक्षण सम्बन्धी है उसके निस्तारण के बारे में (इकाई में कार्यरत अभियन्ता व व्यवस्थाधिकारी में सामंजस्य न होने के कारण) कार्य का आगणन कितना व किस रूप में स्वीकृत है की जानकारी न होने के कारण मा0 विधायकों की नाराजगी भी व्यवस्थाधिकारी को झेलनी पड़ती है ? और शिकायत का उचित ढंग से निस्तारण न होने से इकाई का संचालन प्रभावित होता है ? यदि हां, तो क्या सभी प्रकार की शिकायतों के निस्तारण की दिशा में

अभियन्ताओं द्वारा कराये गये सभी कार्यों में व्यवस्थाधिकारी का सुझाव/भौतिक सत्यापन कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

इकाई में कार्यरत अभियन्ताओं तथा इकाई के व्यवस्थाधिकारी के मध्य सामंजस्य रहता है। सामान्य मरम्मत की शिकायतों की आपसी सामंजस्य स्थापित करते हुये निस्तारण तत्परता से कराया जाता है। विशेष मरम्मत/जीर्णोद्धार सम्बन्धी शिकायतों का निस्तारण सम्बन्धित व्यवस्थाधिकारी के सुझावों को भी दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है और कार्य पूर्ण होने पर स्थिति से उन्हें अवगत कराया जाता है।

आवश्यकता नहीं बनती।

मेसर्स कम्प्यूटर्स आन व कम्प्यूटर इन के बकाया बिलों के भुगतान की जांच

81-श्री प्रदीप माथुर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स कम्प्यूटर्स आन व कम्प्यूटर इन के बकाया बिलों के भुगतान सम्बन्धी प्रतिवेदनों की जांच विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29-11-07 उन्हें प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में मा0 मंत्री जी ने दिनांक 29-11-07 को प्रमुख सचिव, लो0 नि0 वि0 को उल्लिखित विषयों पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर शीघ्र अवगत कराने के निर्देश दिये हैं ? यदि हां, तो उसके बिन्दु 1 से 10 तक पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी हां।

बिन्दु 1 से 10 तक जांच कराई गई है। प्रमुख अभियन्ता के स्तर से उनकी सहमति सहित जांच आख्या पत्र दि0 08-02-08 द्वारा शासन को प्राप्त हो गई है, जो परीक्षणार्धीन है।

जनपद लखनऊ स्थित टिकैत राय सचिवालय कालोनी के आवासों में मरम्मत/पुताई कार्य कराये जाने की मांग

82-श्री राम विशुन आजाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ स्थित टिकैत राय सचिवालय कालोनी के श्रेणी-1 व 2 के आवासों की बाहरी दीवारों की मरम्मत/पुताई लगभग 10 वर्षों से नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आवासों की मरम्मत/पुताई का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जनपद लखनऊ स्थित टिकैतराय सचिवालय कालोनी के श्रेणी 1 व 2 के आवासों की बाहरी दीवारों की मरम्मत/पुताई का कार्य वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है।

83-श्री डी0 पी0 यादव-

[3सरे गुरुवार के अता0प्र0सं0-41 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सिद्धार्थनगर के श्री बृजेश कुमार जायसवाल द्वारा उद्योग स्थापित करने हेतु बैंक से लिये गये ऋण की जांच

84-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के बृजेश कुमार जायसवाल निवासी रेहरा बाजार पो0 उस्का बाजार जि0 सिद्धार्थनगर द्वारा "मालती फार्मास्युटिकल्स" (केश तेल निर्माण) उद्योग स्थापित करने हेतु जिला खादी ग्रामोद्योग सिद्धार्थनगर की अनुशंसा पर रु0 9.5 लाख ऋण (तीन लाख अनुदान) भारतीय स्टेट बैंक उस्का बाजार से प्राप्त किया है जबकि कोई उद्योग स्थापित नहीं किया है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच उप जिला अधिकारी, नौगढ़ ने अपनी जांच आख्या संख्या-734/आशुलि0/07-08, दिनांक 12-11-2007 को जिलाधिकारी को दिया है ? यदि हां तो उस पर अब तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती ओमवती देवी)-

जी हां किन्तु खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से किसी प्रकार की मार्जिन मनी/अनुदान का भुगतान नहीं किया गया।

जी हां।

श्री बृजेश कुमार जायसवाल पो0 उस्का बाजार जिला सिद्धार्थनगर को किसी प्रकार की शासकीय मार्जिन मनी/अनुदान प्राप्त ही नहीं हुई थी इसलिए इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर द्वारा किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पायी गयी।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर में कतिपय माइनरों की सिल्ट सफाई/खुदाई कराये जाने व पानी टेल तक पहुंचाये जाने की मांग

85-श्री जोखू लाल यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-39 इलाहाबाद से सम्बन्धित पट्टी राम माइनर, कैथवल माइनर तथा प्रतापपुर माइनर की सिल्ट सफाई/खुदाई न होने के कारण टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है ? क्या सरकार की इन माइनरों की सफाई/खुदाई करने की कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। कैथवल माइनर, प्रतापपुर माइनर में टेल तक पानी पहुंच रहा है। पट्टी रामपुर माइनर के कि0मी0 4.500 कि0मी0 तक पानी पहुंच रहा है।

कैथवल माइनर (3.700 कि0मी0 लम्बी) में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत सिल्ट सफाई करा दिया गया है। शेष दो माइनरों पट्टों रामपुर (14.500 कि0मी0 लम्बी) एवं

प्रतापपुर माइनर (3.00 कि0मी0 लम्बी) के सिल्ट सफाई की योजना सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत बनायी गयी है, जिसकी कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर की शारदा नहर खण्ड की सफाई हेतु विभिन्न एजेन्सी/व्यक्तियों की शेष देनदारियों का भुगतान कराये जाने की मांग

86-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा नहर खण्ड, शाहजहांपुर की सफाई हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितना धन आवंटित किया गया है ? क्या मा0 मंत्री जी को जानकारी है कि वर्ष 2003-2004 से 2006-2007 के मध्य कुल रु0 2318302/- का भुगतान शारदा नहर खण्ड शाहजहांपुर द्वारा विभिन्न एजेन्सी/व्यक्तियों को दिया जाना शेष है ? यदि हां, तो सरकार उक्त देनदारियों के भुगतान के लिए कब तक धन आवंटित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नर्सामुद्दीन सिद्दीकी-

शारदा नहर खण्ड, शाहजहांपुर की नहरों की सफाई हेतु अब तक रु0 63.33 लाख की धनराशि विभागीय मद में आवंटित है। इसके अतिरिक्त इस खण्ड को जिला स्तर से शाहजहांपुर जनपद में रु0 24.86 लाख, बरेली जनपद में रु0 3.10 लाख तथा हरदोई जनपद में रु0 32.12 लाख कुल धनराशि 60.17 लाख सफाई/पुनर्स्थापना कार्यों हेतु आवंटित की गयी है।

वर्ष 2003-04 से 2006-07 के मध्य शारदा नहर खण्ड, शाहजहांपुर की कुल देनदारियां रु0 52.85 लाख है।

बजट की उपलब्धता को देखते हुए नियमानुसार धनावंटन करने पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मैनपुरी में नये नलकूपों को चलाने हेतु रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने की मांग

87-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी में वर्तमान में नये नलकूपों को चलाने हेतु नलकूप चालकों के कितने पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति करने पर विचार करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नर्सामुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद मैनपुरी में वर्तमान में नये नलकूपों को चलाने हेतु नलकूप चालक के 7 पद रिक्त हैं।

सम्प्रति नलकूप चालकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

नलकूप चालकों के पदों पर अंशकालिक नलकूप चालकों का विनियमितीकरण नियमानुसार 1996 में संशोधन की कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ग्राम गहबरा-आहोपुर एवं असुढ़ी पुल के पहुंच मार्ग पर पिचिंग का कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

88-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी प्रतापगढ़ में ग्राम-गहबरा आहोपुर असुढ़ी पुल के दोनों ओर के पहुंच मार्ग एवं बोल्डर पिचिंग का कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

ग्राम गहबरा-आहोपुर नाला पुल के दोनों ओर पहुंच मार्ग का कार्य कराया गया है बोल्डर पिचिंग का कार्य नहीं कराया गया है तथा असुढ़ी पुल के दोनों ओर के पहुंच मार्ग एवं बोल्डर पिचिंग का कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

गहबरा आहोपुर पुल का सुरक्षात्मक कार्य नहीं कराया जाना है। असुढ़ी पुल का सुरक्षात्मक कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग के परिपत्र सं0-39पी0डब्ल्यू/4309एम0टी0/52 एम-39/89-201-01 सेतु/31/87, दिनांक 17-08-1989 के अनुसार 30 मीटर से कम के स्थान के पुल में पिचिंग इत्यादि सुरक्षात्मक कार्य कराये जाने का प्राविधान नहीं है।

89-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

90-श्री यशपाल सिंह चौहान-

[3सरे सोमवार के अता0प्र0सं0-104 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सिंचाई विभाग के जनरेटर आपरेटर की भांति लो0 नि0 विभाग के जनरेटर आपरेटर को वेतनमान दिलाये जाने की मांग

91-श्री मदन भैया-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनरेटर आपरेटर पद धारक को वेतनमान 2550-3200 दिया जा रहा है ? क्या सिंचाई विभाग में उक्त पद धारक को दिये जा रहे वेतनमान 4000-6000 को देखते हुए समानता के आधार पर लोक निर्माण विभाग में भी उक्त उच्च वेतनमान दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी नहीं।

समता समिति द्वारा लो0नि0वि0 में कार्यरत जनरेटर आपरेटर का वेतनमान 750-940 संस्तुत किया गया जो पंचम वेतन आयोग में 2550-3200 में पुनरीक्षित किया गया है। उसी के आधार पर जनरेटर आपरेटर को 2500-3200 दिया जा रहा है। सिंचाई विभाग में जनरेटर

आपरेटर का कोई पद स्वीकृत नहीं था और सिंचाई विभाग में नलकूप चालक के समकक्ष मानते हुए जनरेटर आपरेटर को 950-20-1150-25-1500 दिया गया जो कि पंचम वेतन आयोग द्वारा समकक्ष वेतनमान 4000-6000 पुनरीक्षित हो गया। अतः समकक्ष वेतनमान नहीं दिया जा सकता है।

जनपद मैनपुरी के ग्राम गंगर बाला से चन्दीपुर ब्लाक बेबर तक क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण की मांग

92-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के ग्राम गंगर बाला से चन्दीपुर ब्लाक बेबर तक मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर पेन्टिंग स्तर तक कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। सम्प्रति मार्ग निर्माणाधीन है।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर के कतिपय अम्बेडकर ग्रामों की सड़कों का निर्माण मानक के अनुरूप कराये जाने की मांग

93-श्री कुबेर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर के अन्तर्गत आने वाले अम्बेडकर ग्राम-रोहिना मिर्जापुर, औनेरा, वीर (लोहचा नाहरपुर) नगर नारऊ, मीसा कला व सरानी की सड़कों का निर्माण मानक के अनुरूप नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। सड़कों का निर्माण लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के सादुल्लाह नगर में नई गन्ना समिति बनाने की मांग

94-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में मनकापुर सहकारी गन्ना समिति लगभग 50 साल पुरानी है जिसमें सादुल्लाह नगर परगना जनपद

बलरामपुर भी आता है ? क्या मनकापुर में नई चीनी मिल भी स्थापित हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार सादुल्लाह नगर के कृषकों के हित में सादुल्लानगर के नाम से नई गन्ना समिति बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी हां।

सहकारी गन्ना समितियों के गठन के सम्बन्ध में गन्ना आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारी गन्ना समितियां, उ0प्र0 के परिपत्र दिनांक 02-11-1992 में विहित मानक पूर्ण न करने के कारण नई समिति के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जनपद गोण्डा के क्षेत्र पंचायत छपिया में ग्राम पंचायत बीरपुर में उचित दर विक्रेता की निरस्त दुकान के उपभोक्ताओं को राशन वितरण कराये जाने की मांग

95-श्री राम विशुन आजाद-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद गोण्डा के क्षेत्र पंचायत छपिया में ग्राम पंचायत बीरपुर में उचित दर विक्रेता की दुकान को अनियमितता के आरोप में जिलापूर्ति अधिकारी, गोण्डा द्वारा दिनांक 26-12-2007 को निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या ग्राम पंचायत बीरपुर के प्रधान द्वारा दिनांक 31-12-2007 को उप जिलाधिकारी, मनकापुर को माह नवम्बर/दिसम्बर का खाद्यान्न/मिट्टी का तेल, मिड-डे मील के वितरण के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो क्या उप जिलाधिकारी, मनकापुर द्वारा उपभोक्ताओं को सूचना देकर दो माह का राशन एवं अन्य सामग्रियों को उपलब्ध कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

जी हां।

क्षेत्रीय लेखपाल के द्वारा माह नवम्बर एवं दिसम्बर में वितरण कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद में सेहल ग्राम से स्केल फुलडहरा ड्रेन पटरी पर सड़क निर्माण की मांग

96-श्री मदन चौहान-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद गाजियाबाद में सेहल ग्राम से स्केल फुलडहरा ड्रेन पटरी पर पूठ तक सड़क निर्माण प्रस्तावित है ? यदि हां, तो ड्रेन पटरी पर सड़क निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के ब्लाक फतेहपुर चौरासी के ग्राम ओनवां में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने की मांग

97-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के फतेहपुर चौरासी ब्लाक के ग्राम ओनवां में (उन्नाव) में सिंचाई हेतु सरकारी बोरिंग करायी गयी ? यदि हां, तो इस सरकारी ट्यूबवेल से अब तक सिंचाई का पानी न मिलने के क्या कारण हैं ? क्या यह भी सही है कि अभी तक इस ट्यूबवेल पर विद्युत कनेक्शन नहीं लिया गया है ? यदि हां, तो कब तक विद्युत कनेक्शन लेकर सिंचाई करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

चौधरी चरण सिंह नलकूप परियोजना के अन्तर्गत उक्त नलकूप का निर्माण कराया जा रहा है। नलकूप का छिद्रण हो चुका है, विकसन कार्य प्रगति पर है।

जी हां।

विकसन के उपरान्त मानक के अनुसार नलकूप सफल पाये जाने पर पम्प हाउस के निर्माण के पश्चात् यथास्थिति अनुसार नलकूप के उर्जीकरण हेतु विद्युत विभाग को बी0 एण्ड एल0 फार्म प्रेषित कर दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र सहसवान में सिंचाई हेतु सरकारी नलकूप लगवाये जाने की मांग

98-श्री धर्म पाल यादव डी0 पी0 यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के सहसवान विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सरकारी नलकूपों की भारी कमी होने के कारण किसानों को सिंचाई के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में सरकारी नलकूप लगवाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद बदायूं के सहसवान विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक सहसवान, जूनावई अम्बियापुर एवं दहगवां विकास खण्ड सम्मिलित है। सहसवान विधान सभा क्षेत्र में 102 राजकीय नलकूप कार्यशील हैं। जिसमें से विकास खण्ड सहसवान में 50 नलकूप, विकास खण्ड दहगवां में 48 नलकूप, विकास खण्ड जूनावई में 3 नलकूप तथा विकास खण्ड अम्बियापुर में 1 नलकूप स्थापित है। सहसवान विधान सभा क्षेत्र के सहसवान, जूनावई एवं अम्बियापुर विकास खण्ड

क्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत हैं। अतः वर्तमान में उक्त विधान सभा क्षेत्र में अतिरिक्त नये नलकूप लगाया जाना तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु धनराशि स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ कराये जाने की मांग

99-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ में मार्ग अकबरपुर-कादीपुर-चान्दा-पट्टी एम0डी0आर0 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्ताव सरकार को जनपद प्रतापगढ़ से प्राप्त हुआ है ? क्या उक्त रोड को जनहित में 12वें वित्त आयोग की धनराशि अथवा राज्य योजना से उसकी स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो उक्त कार्य को कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर में बरना नदी के जल भराव के रोकथाम हेतु जल निकासी की कार्य योजना

100-श्री जोखू लाल यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद-इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत बरना नदी के जल भराव के कारण हजारों एकड़ जमीन कृषि योग्य नहीं रह गयी है तथा जल भराव के कारण उक्त जमीनें ऊसर होती जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पानी के निकासी हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। काफी क्षेत्रफल जलमग्न हो जाता है।

परियोजना बन चुकी है तथा उसकी तकनीकी स्वीकृति भी हो चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री समई के निधन पर शोकोद्गार

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष-

पहले निधन के निर्देश ले लें।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री समई का 17 फरवरी, 2008 को निधन हो गया। वे लगभग 62 वर्ष के थे।

श्री समई का जन्म 9 जुलाई, 1946 को ग्राम मोहिउद्दीनपुर, जिला आजमगढ़ में हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडियेट की शिक्षा एस0 के0 पी0 इण्टर कालेज, आजमगढ़ से प्राप्त की थी। श्री समई वर्ष 1993 में निर्वाचन क्षेत्र सरायमीर (अ0जा0), जिला आजमगढ़ से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री समई बहुजन समाज पार्टी के एक योग्य एवं कर्मठ कार्यकर्ता थे। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिये सदैव प्रयत्नशील रहते थे।

श्री समई के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं सामजसेवी खो दिया है।

सभी सदस्य कृपया खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण करें।

(सदन में दो मिनट का मौन रखा गया)

मेरठ के हाजी इश्तियाक पर रासुका तामील किये जाने के प्रकरण पर दि0 13 फरवरी, 08 को मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उचित कार्यवाही का आश्वासन दिये जाने पर अभी तक कोई कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

मान्यवर, मेरा भी व्यवस्था का सवाल है कानपुर महानगर में समाजवादी पार्टी के एक प्रदेश स्तर के एक नेता श्री एस0 के0 सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

श्री अध्यक्ष-

पहले कौकब साहब की बात हो जाय।

*श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, 13 तारीख को नियम 311 के अन्तर्गत जो हमने हाजी इश्तियाक जिसे गैर कानूनी तौर पर बन्द किया गया है उस पर एन0एस0ए0 भी लगा रखा है उसके बारे में मैंने सदन में रखा था उसमें सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम जल्दी गौर कर रहे हैं। उसके बाद 6-7 दिन हो गये हैं इसमें कितना समय लगेगा गौर करने में। वह गलत तरीके से बन्द है। 27 तारीख से आज 20 तारीख हो गयी इसमें अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। सरकार की तरफ से यह आश्वासन चाहिये जो वह दे भी चुके हैं उसे कब छोड़ेंगें और जो आश्वासन दिया है उसका क्रियान्वयन कब तक करवा देंगे ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी कौकब साहब ने नियम 311 के अन्तर्गत सूचना दी थी एक हाजी साहब बन्द हैं उसमें निर्देश हो गया था आपने कहा था कि इसको दिखवा लेंगे व परीक्षण करवा लेंगे। इसमें कोई परीक्षण या जांच पड़ताल हुई है।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जांच में थोड़ा बहुत तो समय लगता ही है।

इसको दिखवा लेंगे और जो कहा था उसके अनुसार कार्यवाही होगी।

श्री प्रमोद तिवारी-

एक अनुरोध है, "जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाईड" एक अनुरोध है कि इसे शीघ्र करा लें आप भी महसूस कर रहे थे और पूरा सदन महसूस कर रहा था कि उनके साथ ज्यादती हो रही है।

श्री कौकब हमीद-

एक महीना होने जा रहा है।

* श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, अगर असाधारण घटना न हुई होती तो 311 में यह प्रश्न न उठाया गया होता और नियम-56 में कृपापूर्वक आपने स्वीकार न किया होता। तो निश्चित रूप से आपने भी उस प्रश्न को महत्वपूर्ण समझा इसलिये नियम-56 में अवसर दिया और उसकी चर्चा के दौरान सरकार की तरफ से आश्वासन कहिये या उनका अपना एक वर्जन आया कि हम तुरन्त इस पर कार्यवाही करेंगे, इसको दिखवा लेंगे। अब यह मान्यवर, कोई परिभाषा इस बात की होती। अगर आप इस तरह से कहेंगे कि हां एक दिन में नहीं होता तो क्या एक साल में होता है। आपने पांच मिनट के अन्दर एक व्यक्ति के एक पंक्ति कहने मात्र से उसको जेल भेज दिया उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया केवल उसने कुछ कहा ही तो था मान्यवर, और कहा था तो कुछ कहने पर उसके खिलाफ अदालती कार्यवाही हो सकती थी। आपने एकदम से उसके ऊपर एन0 एस0 ए0 लगा दिया और सारे कानून लगा दिये और आज बहुत ही सरल स्वभाव से बैठकर कह रहे हैं कि दिखवा लेंगे। अरे क्या दिखवा लेंगे, आप भूल गये क्या इतनी जल्दी। किसी की व्यक्तिगत आजादी का कोई महत्व नहीं है क्या ? आपने एक साधारण व्यक्ति को केवल कुछ बात कहने के दोष पर जेल में डाल रखा है। आग्रह कर रहे हैं सभी लोग और मान्यवर, आप ऐसे कह रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। एक महीने से आदमी जेल में पड़ा है। मान्यवर, सदन में बैठे हैं हम।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, कुछ स्पष्ट तो आ जायं।

श्री अध्यक्ष-

स्पष्ट अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम इसको दिखवा लेंगे। प्रक्रिया पूरी होगी।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री लालजी वर्मा-

व्यवस्था का प्रश्न कहां बनता है ?

श्री अध्यक्ष-

नहीं नहीं कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं। प्रश्नों के सन्दर्भ में क्या व्यवस्था है ?

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, इसको इतने हल्केपन से न लें।

श्री अध्यक्ष-

अब बात आ गई है हुकुम सिंह जी। मंत्री जी ने कह दिया है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा अनुरोध है। मान्यवर, आपके सामने एक आचरण को रखना चाहता हूं। कौकब साहब बोल रहे थे आप बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे उसकी विषय गम्भीरता को। मान्यवर, बहुत दुःख हुआ कि उससे सम्बन्धित मंत्री किसी कागज पर अपना ध्यान रखें। तीन बार आपको पुकारना पड़े तब जाकर के कहीं आपके तीन बार पुकारने पर वो खड़े हों तो लगता है कि उनका सारा रुख सारी समस्या को लेकर के क्या है। मान्यवर, पूरा सदन चिंतित है। नेता प्रतिपक्ष ने भी इस बात को रखा है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, ऐसा नहीं है। माननीय सदस्यों ने जो सूचनायें दी हैं उन्हीं के सन्दर्भ में मैं देख रहा था उसकी जानकारी प्राप्त कर रहा था। इसलिये मैं स्वयं सदन में जो आज विषय आये हैं उसी के आरे में देख रहा था। ऐसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं। आपको व्यवस्था का क्या प्रश्न उठाना है और कोई नहीं बोल रहा है। बोलिये।

कानपुर में श्री एस0 के0 सिंह ब्लाक प्रमुख की 16 फरवरी, 08 की रात्रि गोली मार कर हत्या किये जाने विषयक प्रकरण

*श्री विशम्भर सिंह यादव-

ब्लाक प्रमुख को 16 तारीख की रात गोली मार दी गई। बिठूर थाने के पास में।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

आप इसकी सूचना लगा लीजिये अलग से।

श्री विशम्भर सिंह यादव-

गोली मारने वाले बसपा के जो अभी नामित हुये हैं नगर पंचायतों में सदस्य दीपू तिवारी उसने गोली मारी। इस तरह से उन्होंने सुरक्षा मांगी लेकिन आज तक उनको सुरक्षा नहीं दी गयी एस0 के0 सिंह को। इस तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों का जो बी0 एस0 पी0 ने नामित किये हैं पंचायत सदस्य, वे कत्ल कर रहे हैं।

(माननीय सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

चंदेल जी एक व्यवस्था पर पूछा उन्होंने। आपसे तो मैंने बात किया था अभी चेम्बर में प्रमुख जी के बारे में। नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं तब तो आपको बैठ जाना चाहिये।

नेता, विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

हत्या हुई और सत्तारूढ़ के सदस्य ने हत्या की जो कि अभी इस सरकार की तरफ से नगर पंचायत के लिये नामित हुये। वहां पर जिनकी हत्या हुई है उनकी भाभी 6 महीने और सवाल यह है कि सत्ता पक्ष का कार्यकर्ता है और इसकी सबको जानकारी है। उसकी वजह से इतना बड़ा नेता एस0 के0 सिंह जो पहले पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ चुके हैं। हार जीत तो होती है थोड़े से हार भी गये। अभी ब्लाक प्रमुख रहे। वो एस0 के0 सिंह की हत्या सत्ता पक्ष के नेता ने की है तो इस पर आपको सुनना चाहिए और कार्यवाही करनी चाहिये। यह इसलिये कहना पड़ रहा है व्यवस्था के नाम पर इनको क्योंकि यह सूचना अभी थोड़ी देर पहले मिली है कि उनका निधन हो गया है। यह सदन में कहा आपसे जानकारी करने को। यह एक जगह नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी या पुलिस के जिन्होंने हत्या की है एक के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई है, यहां तक कि रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई है अभी तक। इसमें आवश्यक है आप सुन लें भले एम0 एल0 ए0 दोनों अन्य जनपदों से हैं लेकिन रहते हैं कानपुर में।

श्री अध्यक्ष-

इसी सन्दर्भ में एक सूचना चन्देल जी ने दिया है इसके सम्बन्ध में मैंने वक्तव्य के लिये कहा है।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

यह कर्वी से सम्बन्धित सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है उसको ले लिया गया है उसकी चर्चा मत करिये। इसके बारे में आपके संज्ञान में ला दिया है, जो व्यवस्था के प्रश्न पर नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा भी है उसको मैंने सुना और

गम्भीरता से सुन भी रहा हूं कि एक व्यक्ति की हत्या हुई मुकदमें दर्ज हुये हैं इसको भी माननीय मंत्री जी दिखवा लें जो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा है।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 20 फरवरी, 2008 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 23 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं :-

पहली श्री राम बिशुन आजाद की गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2007-08 में ध्वस्त कराये गये प्राथमिक विद्यालयों का पुनः भवन निर्माण कराने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

दूसरी श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भैया की फतेहपुर के खागा क्षेत्रान्तर्गत हथगांव फीडर में रोस्टर के हिसाब से 14 घण्टे बिजली आपूर्ति करने के सम्बन्ध में।

तीसरी श्री दुर्गा प्रसाद यादव की आजमगढ़ के चयनित अम्बेडकर ग्राम कटहन में जूनियर हाई स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में।

चौथी श्री पूरन प्रकाश की मथुरा के गोवर्धन क्षेत्रान्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में।

पांचवीं डा0 अनिल चौधरी की महामायानगर की सादाबाद तहसील में अबाध विद्युत आपूर्ति कराने एवं कतिपय अन्य क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के सुधार किये जाने के सम्बन्ध में।

छठी डा0 अजय तोमर की जनपद बागपत के बड़ौर-छपरौली-टाण्डा क्षतिग्रस्त मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण के साथ हाटमिक्स से निर्माण कराने के सम्बन्ध में।

सातवीं श्री लल्लू सिंह की फैजाबाद के अयोध्या में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कराने के सम्बन्ध में।

आठवीं श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की राज्य संसाधन केन्द्र, उ0 प्र0 साक्षरता निकेतन लखनऊ में विभागाध्यक्षों एवं लिपिक का गत वर्ष से लम्बित वेतन भुगतान कराने के सम्बन्ध में।

नवीं श्री अनिल कुमार सिंह यादव की एटा के निधौली कला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मेहनी के 12 दलित लोगों की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के फलस्वरूप परिजनों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में।

दसवीं श्री सनातन पाण्डेय की राजकीय औद्योगिक प्रक्षेत्र बलिया को ग्राम समाज की जमीन दिये जाने के बावजूद सही उपयोग न किये जाने के सम्बन्ध में।

ग्यारहवीं श्री राधेश्याम जायसवाल की सीतापुर के ग्राम बन्नीपुरवा मजरे निजामाबाद में तालाब की खुदाई के नाम पर स्थानीय लोगों को परेशान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

बारहवीं श्री जगन प्रसाद गर्ग की जनपद आगरा में प्रदूषित जलापूर्ति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

तेरहवीं श्री अनुग्रह नारायण सिंह की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पी0सी0एस0-2004 के चयनित अभ्यर्थियों को न्यायालय के आदेशानुपालन में सशर्त नियुक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

चौदहवीं श्री मदन चौहान की जनपद गाजियाबाद की ग्राम सभा रामपुर न्यामतपुर से नया ग्राम इनायतपुर तक के कच्चे मार्ग पर खड़न्जा/सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में।

पन्द्रहवीं श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल की हमीरपुर परगना सुमेरपुर के ग्राम टिकरौली के किसानों का उत्पीड़न रोकने एवं कृषि ऋणों को माफ करने के सम्बन्ध में है।

उन माननीय सदस्यों के नाम जिनकी सूचना अस्वीकार की गयी।

श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री हरपाल सिंह, श्री चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी, श्री काशी राम, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री आरिफ अनवर हाशमी, श्री राम किशुन, श्री संजय कपूर।

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने अपनी सूचना पढ़ी तथा शेष सदस्यों की सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं।)

गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2007-2008 में ध्वस्त कराये गये प्राथमिक विद्यालयों का पुनः भवन निर्माण कराने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम विशुन आजाद-

[मान्यवर, प्रदेश सरकार जहां पर शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिये हर कदम प्रयास कर रही है वहीं पर दूसरी तरफ जनपद गोण्डा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोण्डा द्वारा प्राइमरी पाठशाला जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं उन्हें औने-पौने दामों में शिक्षा विभाग द्वारा ध्वस्त कराया जा रहा है। बहुत से ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जिन्हें ध्वस्त कराया गया है उनकी स्थिति अच्छी थी। मेरे विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वर्ष 2007-08 में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की सांठ-गांठ से अपने निहित स्वार्थ में खास व्यक्तियों द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के भवनों को नियम कानून को ताख में रखकर ध्वस्त करवा दिया गया है और उन मलवों को अच्छे दामों में बेच दिया गया है। शिक्षा विभाग को चाहिये था जो भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थे उनका कम दामों में मरम्मत कराया जा सकता था और वह अच्छे हालत में बन सकते थे। परन्तु अधिकारियों की लापरवाही से ऐसा नहीं हो सका और शासकीय धन का दुरुपयोग किया गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुये जांच करवा कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं ध्वस्त कराये गये प्राथमिक विद्यालयों का पुनः भवन निर्माण कराने की मांग करता हूं।]

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

फतेहपुर के खागा क्षेत्रान्तर्गत हथगांव फीडर में रोस्टर के हिसाब में 14 घन्टे बिजली आपूर्ति करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भैया-

[मान्यवर, जनपद फतेहपुर की विधान सभा क्षेत्र खागा हथगांव फीडर में रोस्टर के हिसाब से 14 घन्टे बिजली आनी चाहिए परन्तु केवल 2 से 3 घन्टे ही विद्युत आपूर्ति की जा रही है जिससे क्षेत्र में बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है। विद्युत आपूर्ति न होने के कारण किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है जिससे खेतों में खड़ी फसल सूख रही है। कुछ ही दिनों में छात्रों की बोर्ड की परीक्षायें भी आ गई हैं परन्तु बिजली की आपूर्ति न होने के कारण छात्रों के समक्ष भी गम्भीर समस्या आ गई है। पढ़ाई बाधित होने से उनका भविष्य अन्धकारमय होता जा रहा है। इन सब कारणों से क्षेत्र में घोर असंतोष व्याप्त होता जा रहा है जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति को भी खतरा है।

अतः लोकमहत्व से जुड़े इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

आजमगढ़ के चयनित अम्बेडकर ग्राम कटहन में जूनियर हाई स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

[महोदय, मैं प्रक्रिया नियमावली के नियम-301 के अन्तर्गत सदन का ध्यान जनपद आजमगढ़ में ग्राम सभा रामपुर कटहन, ब्लाक मेहनगर में अम्बेडकर ग्राम में चयनित ग्राम कटहन में आज तक कोई भी जूनियर हाईस्कूल न खोले जाने की ओर दिलाना चाहता हूं। सरकार की नीति के अनुसार अम्बेडकर ग्रामों में विशेष रूप से प्राथमिकता देते हुए विकास कार्य कराया जाना आपेक्षित है परन्तु जनपद आजमगढ़ में ग्राम कटहन जो कि अम्बेडकर ग्राम घोषित है उसमें शिक्षा का स्तर बहुत ही पिछड़ा हुआ है क्योंकि वहां पर शिक्षा विभाग के एस0डी0आई0 द्वारा गलत रिपोर्ट लगायी गयी है और वास्तविकता यह है कि गांव के बाहर लगभग 2 कि0मी0 की दूरी तक कोई भी जूनियर हाईस्कूल विद्यालय नहीं है जिससे वहां पर रहने वाले लोगों को अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अम्बेडकर ग्राम कटहन के विकास हेतु एक जूनियर हाई स्कूल जनहित में यथाशीघ्र खोला जाना अतिआवश्यक है।

अतः मैं अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए चर्चा की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मथुरा के गोवर्धन क्षेत्रान्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पूरन प्रकाश-

[मान्यवर, जनपद-मथुरा के गोर्वधन (संरक्षित क्षेत्र) के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड मथुरा द्वारा निर्मित सड़के अति क्षति ग्रस्त हो गयी हैं जिनमें फरह से गोवर्धन-बाया परखम, झुडावही, सरूरपुर, जाजन पट्टी, मगोर्रा, लोरिया, पट्टी, सौख, पैठा, तथा रिफाइन्डरी गेट नं0-09 से-छडगांव,सेरसा, पालुआ, नगलाअउवा, ओल एवं सौख से कौथरा-बाया बछगांव की हालत बहुत ही मरम्मत के अभाव में बहुत ही जर्जर एवं चलने लायक नहीं रही है जिसके कारण आये दिन राहगीरों को एवं वाहनों के फसने से दुर्घटनायें हो रही है। एवं काफी वाहन पलट गये हैं। जबकि ये मार्ग मुख्य मार्ग है जो कि मथुरा में गोवर्धन गिरीराज महाराज की परिक्रमा आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की भावना को ठेस पहुंचाती है।

अतः इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

महामायानगर की सदाबाद तहसील में अवाध, विद्युत आपूर्ति कराने एवं कतिपय अन्य क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में सुधार किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 अनिल चौधरी-

[मान्यवर, जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद पूर्णरूपेण ताज ट्रिपेजियम जोन में आती है। प्रा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार ताज ट्रिपेजियम जोन में 24 घण्टे अबाध विद्युत आपूर्ति के आदेश हैं।

सादाबाद तहसील को अबाध आपूर्ति कराने हेतु निम्नलिखित कार्य अविलम्ब कराया जाना आवश्यक है।

1-विद्युतीकरण से वंचित सभी शेष ग्राम व मजरों का विद्युतीकरण।

2-अति भारित 33/11 के0 वी0 ए0 सब स्टेशन सादाबाद, मई, बिसावर, सहपऊ, गीगला की क्षमता वृद्धि।

3-अति पिछड़े क्षेत्र में नान अभयपुरा अथवा मिढावली ग्राम में नए 33/11 के0 वी0 ए0 सब-स्टेशन का निर्माण।

4-लम्बे पोषको, फूलपुर, लालगढ़ी, जुगसना, बरौली, मढाका का विभाजन कर अतिरिक्त नये पोषको का निर्माण।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः उपरोक्त लोकमहत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बागपत के बड़ौत-छपरौली-टाण्डा क्षतिग्रस्त मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण के साथ हाटमिक्स से निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 अजय तोमर-

[मान्यवर, जनपद बागपत के मुख्य मार्ग बड़ौत छपरौली टाण्डा की स्थित बहुत ही जर्जर है मार्ग में बड़े-बड़े गढ्ढे हैं मार्ग के दोनों ओर खंड़न्जा व मिट्टी पूर्णतयः टूट चुकी है। मार्ग की खराब स्थिति के कारण दुर्घटनायें होती रहती हैं इस मार्ग का यातायात का घनत्व बहुत अधिक है इस मार्ग पर एक चीनी मिल, तीन महाविद्यालयों, दस इण्टर कालेज, नौ सी0 बी0 एस0 सी0/आई0 सी0 एस0 सी0 के विद्यालय हैं लगभग 8 महीने चीनी मिल चलता है इस कारण गन्ने के भरे हुये ट्रक, ट्रैक्टर टाली, भैसा बुग्गी के साथ दैनिक के वाहनों के रूप में सैकड़ों स्कूल की बसें/कार, निजी वाहन यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों के कारण इस मार्ग पर जाम की स्थित बनी रहती है। इस मार्ग को प्राथमिकता के आधार पर सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कराते हुये हाटमिक्स प्लांट से निर्माण कराना अति आवश्यक है। यह मार्ग यमुना नदी के खादर क्षेत्र के लगभग तीस गांव व कस्बा छपरौली को बड़ौत होते हुये जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला एक मात्र मार्ग है।

अतएव इस अविलम्बर्नाय लोकमहत्व के प्रश्न को आपके माध्यम से सदन में प्रस्तुत कर जनपद बागपत के बडौत छपरौली टाण्डा मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण के साथ हाटमिक्स से निर्माण कराने की सरकार से मांग करता हूं।]

फैजाबाद के अयोध्या में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लल्लू सिंह-

[मान्यवर, अयोध्या जनपद फैजाबाद में हरिद्वार, वाराणसी की भांति संस्कृत विश्वविद्यालय खोले जाने की योजना प्रस्तावित है। सन् 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जी द्वारा अयोध्या में संस्कृत विश्वविद्यालय खोले जाने हेतु घोषणा भी की गयी थी परन्तु अभी तक उक्त घोषणा का अनुपालन न किये जाने से फैजाबाद मण्डल के निवासियों को निराशा ही हाथ लगी है।

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अयोध्या में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राज्य संसाधन केन्द्र उ0 प्र0 साक्षरता निकेतन, लखनऊ में विभागाध्यक्षों एवं लिपिक का गत वर्ष से लम्बित वेतन का भुगतान कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

राज्य संसाधन केन्द्र, उ0 प्र0, साक्षरता निकेतन, लखनऊ में कार्यरत तीन विभागाध्यक्षों- डा0 एस0 सी0 उपाध्याय, श्री वी0 के0 मिश्र, व डा0 एन0 के0 श्रीवास्तव का माह जनवरी, 07 तथा श्रीमती रमन सूद, लिपिक का माह अगस्त, 07 से अकारण वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। इतने लम्बे समय से वेतन से वंचित यह अधिकारी/कर्मचारी गम्भीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। कई बार आवेदन-पत्रों/रिसीवर, इण्डिया लिटरेसी बोर्ड, लखनऊ से उक्त अधिकारी/कर्मचारी कर चुके हैं। मुख्य सचिव स्तर से कोई भी कार्यवाही अभी तक नहीं की जा सकी है। वेतन भुगतान न होने के कारण आर्थिक संकट के कारण पीड़ित अधिकारी एवं कर्मचारियों का परिवार भुखमरी के कगार पर है। कोई अप्रिय घटना न घटित हो जाय इससे पहले ही वेतन भुगतान किया जाना आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही कराने की मांग करता हूं।]

एटा के निधौली कला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मेहनी के 12 दलित लोगों की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के फलस्वरूप परिजनों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अनिल कुमार सिंह यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बहुत की गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र निधौली कला जनपद एटा के विकास खण्ड मारहरा अन्तर्गत ग्राम मेहनी के कुछ लोगों द्वारा किसी कार्यक्रम से मारुति वैन में सवार होकर के अपने गृह जनपद आ रहे थे कि जनपद हाथरस थाना सिकन्दराराऊ अन्तर्गत अगसौली चौराहे पर दि0 19-2-2008 की सुबह 4.00 बजे डीजल के टैंकर से टक्कर में मारुति सवार 12 दलित लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। यह दलित परिवार के लोग बेसहारा एवं बहुत ही निर्धन परिवार के लोग हैं, परिवार की देखरेख करने वाला कोई नहीं बचा है। इनका मजदूरी करना ही एक सहारा था, यह बहुत ही दर्दनाक घटना है, मृतक परिवार के लोगों को सहायता धनराशि सरकार की तरफ से तत्काल दिया जाना आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः इस सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल प्रत्येक मृतक परिवार को सरकार की तरफ से सहायता धनराशि दिये जाने की मांग करता हूं।]

राजकीय औद्योगिक प्रक्षेत्र बलिया को ग्राम समाज की जमीन दिये जाने के बावजूद सही उपयोग न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सनातन पाण्डेय-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। राजकीय औद्योगिक प्रक्षेत्र बछईपुर जनपद बलिया जो सन् 1982 से खुला है। उक्त प्रक्षेत्र का ग्राम समाज की 22 एकड़ जमीन गांव के लोगों द्वारा दिया गया था, कि फसल सम्बन्धी तकनीकी की जानकारी गांव के लोगों की होगी। उक्त जमीन का उपयोग सही रूप से नहीं किया जा रहा है और चारागाह बना हुआ है। जिला उद्यान अधिकारी बलिया का बार-बार ध्यान दिलाये जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। यह बहुत ही गम्भीर एवं लोक महत्व का अविलम्बनीय विषय है।

अतः इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं। चूंकि यह प्रकरण गांव समाज की जमीन से जुड़ा हुआ है अगर उद्वान विभाग उक्त जमीन का सही उपयोग नहीं कर पा रहा है तो वह जमीन किसानों को व गांव सभा को वापस कर देना चाहिए जिससे उस पर खेती हो सके और उसका सही उपयोग हो सके।]

सीतापुर के ग्राम बन्नीपुरवा मजरे निजामाबाद में तालाब की खुदाई के नाम पर स्थानीय लोगों को परेशान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राधेश्याम जायवाल-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद सीतापुर के ब्लाक खैराबाद अन्तर्गत ग्राम बन्नीपुरवा मजरे निजामाबाद में एक मात्र तालाब है जिसमें गांव के गरीब लोग अपने पशुओं को पानी पिलाते हैं मिट्टी निकाल कर अपने मकान आदि बनाते हैं। यह गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव है उक्त गांव के प्रधान द्वारा उक्त तालाब को और गहरा खुदवाने के लिये षडयंत्र किया जा रहा है जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग हो और गांव के गरीब लोगों के जानवर उक्त गहरे तालाब में गिर कर मर जायें। चूंकि यह तालाब गांव से लगा हुआ है इसलिये गांव के बच्चे भी अगर तालाब गहरा हो जायेगा तो बच्चे डूब सकते हैं। अगर तालाब खुदवाना आवश्यक ही है तो गांव सभा की तमाम जगह रिक्त पड़ी है जिस पर तालाब खुदवाया जा सकता है। गांव प्रधान द्वारा सरकारी धन का खुलेआम दुरुपयोग

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया जा रहा है। मानक के विपरीत सारे कार्य कराये जा रहे हैं उसी की कड़ी में यह तालाब गहरा कराने का षडयंत्र रचा जा रहा है इससे स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है।

अतः सरकार से तत्काल कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा में प्रदूषित जलापूर्ति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जगन प्रसाद गर्ग-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जनपद आगरा में प्रदूषित जलापूर्ति की समस्या से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद आगरा में विगत एक माह से प्रदूषित एवं कीड़ा युक्त बदबूदार पानी की सप्लाई की जा रही है। यमुना नदी का जल भी प्रदूषित हो गया है, हजारों की संख्या में मछलियां प्रदूषित जल के कारण मर गयी हैं परन्तु सरकार एवं प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। प्रदूषित जलापूर्ति के कारण विगत पांच वर्ष पूर्व आगरा में खटीक पाड़ा क्षेत्र में मौतें भी हो चुकी हैं। यदि शासन एवं प्रशासन द्वारा इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो प्रदूषित जलापूर्ति के कारण जनपद आगरा में भयंकर बीमारी फैल कर मौतें भी हो सकती है। इस समस्या के तत्काल निदान हेतु शुद्ध पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु बल्देव रजवाह के माध्यम से यमुना नदी में गंगा जल छोड़े जाने की व्यवस्था शासन द्वारा कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये जनपद आगरा में प्रदूषित जलापूर्ति को रोकने एवं यमुना नदी के जल को प्रदूषण मुक्त कराने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पी0सी0एस0-2004 के चयनित अभ्यर्थियों को न्यायालय के आदेशानुपालन में सशर्त नियुक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

महोदय, उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा मनमानी चयन प्रक्रिया अपनाने के कारण लगभग सभी पदों का चयन काफी विलम्ब से हो रहा है और मामले न्यायालयों में चले जाते हैं।

पी0 सी0 एस0 2004 की परीक्षा का अंतिम परिणाम 9 जनवरी, 2007 में घोषित हुआ। आरक्षण सम्बन्धी नीतिगत विवाद के कारण माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या-13167/2007 में 3 अप्रैल, 2007 को नियुक्ति पर रोक लगा दी किन्तु मामले की सुनवाई के बाद 12 नवम्बर, 2007 को उक्त याचिका में ही रोक हटाकर सशर्त नियुक्ति करने का आदेश जारी कर दिया। कार्मिक विभाग तीन महीना बीत जाने के बाद भी कान में तेल डालकर सो रहा है। चयनित लोगों में अपने निश्चित भविष्य की आशंका से गहरा क्षोभ एवं आक्रोश व्याप्त हो रहा

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। कार्मिक विभाग इसके पूर्व पी0 सी0 एस0 जुडीशियल-2003 के चयनित लोगों की इसी तरह के आदेश पर नियुक्ति दिला चुका है किन्तु इस परिणाम की फाइल धूल चाट रही है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल पी0 सी0 एस0-2004 के चयनित अभ्यर्थियों को न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सशर्त नियुक्ति प्रदान कराने की मांग करता हूं।

जनपद गाजियाबाद की ग्राम सभा रामपुर-इनायतपुर से नया ग्राम इनायतपुर तक के कच्चे मार्ग पर खड़ंजा/सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मदन चौहान-

[मान्यवर, गढ़ मुक्तेश्वर विधान सभा के अन्तर्गत उपर्युक्त मार्ग रामपुर न्यामतपुर ग्राम से नया गांव इनायतपुर का लगभग 3 कि0 मी0 मार्ग अत्यन्त खराब व कच्चा है दो ग्राम सभाओं को जोड़ता है तथा अत्यन्त व्यस्त आवागमन रहता है। आम जनता को भारी समस्या है। अतः जनहित की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है अत्यन्त लोक महत्व व अविलम्बनीय है। अतः मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये अनुरोध करता हूं कि सरकार प्राथमिकता देकर उकत मार्ग की काली सड़क निर्माण या खड़न्जा निर्माण हेतु निर्देश देने की कृपा करें। धन्यवाद।]

हमीरपुर परगना सुमेरपुर के ग्राम-टिकरौली के किसानों का उत्पीड़न रोकने एवं कृषि ऋणों को माफ करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में जनहित की अविलम्बनीय सूचना को लाना चाहता हूं।

प्रदेश का बुन्देलखण्ड क्षेत्र सूखे से त्राहि-त्राहि कर रहा है किसान और पशु भूख पानी और चारे के अभाव से मर रहे हैं सरकारी सहायता के नाम पर केवल खानापूर्ति हो रही है।

किसानों से बैंक ऋण की वसूली में उत्पीड़न की कार्यवाही ऐसे सूखे से पीड़ित समय पर किया जाना सर्वथा प्राकृतिक न्याय के प्रतिकूल है। जीविकोपार्जन हेतु लिये गये ऋण की अदायगी जीवन मृत्यु का संघर्ष बन गयी है। मौतों का क्रम जारी है जिससे पीड़ित परिवार दया के पात्र बन गये हैं ऐसी दशा में ऋणों की वसूली कोढ़ में खाज का काम कर रही है इस विषय में जनपद हमीरपुर का परगना सुमेरपुर के ग्राम टिकरोली के किसानों बैंक द्वारा उत्पीड़न की हद तक परेशान किया जा रहा है। पूरे क्षेत्र में किसानों में भयंकर आक्रोष व्याप्त है।

अस्तु आपसे आग्रह है कि कृपया सूखे से जूझ रहे बुन्देलखण्ड के हमीरपुर जनपद के किसानों के कृषि ऋणों को माफ करने तथा पीड़ित परिवारों को तत्काल सरकारी सहायता प्रदान

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करने के साथ ही सम्पूर्ण प्रकरण पर सरकार को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।]

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-4 में कुछ नहीं है।

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 20 फरवरी, 2008 को नियम-300 के अन्तर्गत निमनलिखित 05 सूचनायें प्राप्त हुई :-

पहली सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की-पन्द्रहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र, 2007 में नियम 301 के अन्तर्गत ग्राह्य सूचनाओं पर वर्तमान सत्र में पटल पर रखे गये कृत कार्यवाही के विवरण में अधिकांश सूचनाओं के उत्तर में 'अपरिहार्य कारणों से विलमब' का उल्लेख होने के सम्बन्ध में।

दूसरी सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की-श्री श्रीराम यादव, निवासी ग्राम आराजी मलहपुरवा महाजी देवारा, जनपद आजमगढ़ के साथ किये गये दुष्कर्म [illegible] थाना महराजगंज के थानेदार व दीवान की गिरफ्तारी न हो पाने के सम्बन्ध में।

तीसरी सूचना डा0 अनिल चौधरी की-छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय के चिकित्सकों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

चौथी सूचना चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, चौधरी सतपाल सिंह तथा श्री अब्दुल वारिस खां की-जनपद बागपत के बड़ौत में अवैध वसूली के लिये विद्युत विभाग द्वारा भेजे गये लाखों रुपये के फर्जी बिलों के कारण किसानों की हार्ट अटैक से हो रही मौतों के सम्बन्ध में और

पांचवीं सूचना डा0 आर0 ए0 उस्मानी की-माध्यमिक शिक्षा परिषद् का क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में बनाये जाने के सम्बन्ध में।

इसमें से डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की सूचना सुनी जायेगी।

(श्री दुर्गा प्रसाद यादव के खड़े होने पर)

जनपद आजमगढ़ के ग्राम आराजी महल पुरवा हाजी देवारा निवासी श्री श्रीराम यादव के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी थाना महराजगंज के थानेदार व दीवान की गिरफ्तारी न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

दुर्गा प्रसाद जी, आपने जिस विषय के सन्दर्भ में कहा है, आजमगढ़ में जो गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। इस सन्दर्भ में आप व्यक्तिगत बात कर लें। मेरे चैम्बर में आ जायें, बैठकर बात कर लेंगे।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मान्यवर, 2 मिनट में मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी जी, आप बैठें।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, एक निवेदन कर दूं। माननीय दुर्गा प्रसाद जी की जो चिन्ता है, इसमें जो चिन्हित पुलिस अधिकारी थे, उनको 05-02-08 को निलम्बित कर दिया गया है।

पन्द्रहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र 2007 में नियम-301 की ग्राह्य सूचनाओं पर वर्तमान सत्र में पटल पर रखे गये कृत कार्यों के विवरण में अधिकांश सूचनाओं का उत्तर अपरिहार्य कारणों से विलम्ब का उल्लेख होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने संसदीय कार्य-प्रणाली के सन्दर्भ में यह विषय उठाने का मुझे अवसर दिया। 14 फरवरी को इसी सदन में मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा 15वीं विधान सभा के द्वितीय सत्र 30-10-2007 से 6-12-2007 तक नियम-301 के सन्दर्भ में जो सूचनाएं दी गयीं, उनके कृत कार्यवाही का विवरण हम लोगों के सम्मुख रखा। मान्यवर, मैं तो इसको वैसे ही पलट रहा था लेकिन मुझे इसमें अजीब सा तारतम्य समझ में आया। कुल मिलाकर इस दौरान 110 सूचनाएं सदन में उठायी गयीं, इन 110 सूचनाओं में 35 सूचनाओं के जवाब स्वयं संसदीय कार्य मंत्री के लिखित वक्तव्य के अनुरूप अभी तक अप्राप्त हैं। 69 सूचनाओं में मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने यह उल्लेख किया है कि अपरिहार्य कारणों से विलम्ब हुआ है। अर्थात् कुल मिलाकर 6 सूचनाएं ऐसी बची हैं, 110 में जिसमें समय के अन्तर्गत सूचनाओं का जवाब इस सदन को दिया गया है। यह कुल मिलाकर 5 परसेण्ट जवाब है, 5 परसेण्ट नम्बर इन अधिकारियों को दिया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, जब हम लोग इस सदन में आते हैं तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारे प्रश्नों की तैयारी करके आते हैं, जो प्रश्नकाल में आ जाते हैं, उसमें मा0 मंत्री जी से सीधे बात हो जाती है, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन्हें हम लोग अन्य नियमों के तहत उठाते हैं, इसलिए कि हम जानते हैं कि जब यह पत्रावलियां विभाग में जायेंगी, चूंकि विधान सभा में उठायी गयी हैं, इसलिए अधिकारी उनको गम्भीरता से लेंगे और उसकी जांच करके जो एक समय निश्चित किया गया है, जैसे नियम-51 के सन्दर्भ में आप एक डेट निश्चित कर देते हैं, अगर वह वक्तव्य या केवल वक्तव्य का मामला हो, तो वह तो हो जाता है, ध्यानाकर्षण वाला वैसे ही छूटता है।

मान्यवर, उसी तरह से नियम-301 की नियमावली के अन्तर्गत एक महीने के अंदर हमें जवाब मिलना चाहिए। इस बात को माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी बार-बार कहा है और इस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पीठ से कई बार निर्देश दिये हैं कि अधिकारी इस सदन की गतिविधियों को बहुत गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। अगर 110 सूचनाओं में से 69 अपरिहार्य कारणों से विलम्बित हो गयीं और 35 अप्राप्त हो गयीं तो इस बार-बार अपरिहार्य कारण के पीछे जरूर कोई बड़ा कारण रहा होगा, कोई मजबूरी रही होगी, कोई इतनी बड़ी सूचना देनी होगी जिसके नाते अधिकारी इन सूचनाओं का जवाब न दे पाते हों। अगर अधिकारी इन सूचनाओं का जवाब नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि अधिकारी इसको गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। इसलिए कहीं न कहीं यह होना चाहिए कि अगर निश्चित समय में अधिकारी जवाब नहीं दे रहे हैं तो उनसे लिखित रूप से पूछा जाये कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण वह इन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाये। क्योंकि यह हमारा अधिकार है और हम सदन में कोई भी बात नियमावली के अन्तर्गत उठाते हैं, अगर हम उन नियमों के तहत काम कर रहे हैं तो उसके अन्तर्गत हमें हमारे प्रश्नों का जवाब दिया जाये। यहां तो आप स्वयं चिन्ता व्यक्त करते हैं और आपने माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से भी कहा है, तो संसदीय कार्यमंत्री जी कहते हैं कि हम दिखवा लेंगे। तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि सूचना देने का जो एक महीने का समय होता है तो उस समय सीमा के अंदर हमें जवाब नहीं मिलता है तो अधिकारियों को इतनी छूट नहीं मिलनी चाहिए कि वह अपने आपको नियमों से ऊपर मान लें और आप उन पर कोई कार्यवाही न करके उन्हें प्रेरित करें।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, नियम-301 में जो सूचना दी जाती है उसमें नियमावली के अनुसार माननीय मंत्री जी से अपेक्षित है कि वह एक माह के अंदर माननीय सदस्य को उस पर कार्यवाही की सूचना दें। कभी-कभी ऐसी स्थिति होती है कि सूचना तो विभागाध्यक्ष के पास भेजी जाती है तो उसमें जिले से सूचना प्राप्त करनी होती है तो जिले से सूचना प्राप्त करने में एक महीने से ज्यादा समय लग जाता है। इसलिए अप्राप्त व विलम्बित लिखा जाता है। मान्यवर, हमारा और शासन का यही प्रयास होता है कि सूचना नियमों के अनुसार समय से माननीय सदस्य को प्राप्त हो जाये लेकिन कहीं कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कि जहां जांचें भी हो रही हों तो इस कारण से विलम्ब भी होता है। तो इस कारण से उसका उल्लेख किया जाता है। मैं इस बात का पुनः प्रयास करूंगा और फिर से यह निर्देश भेजा जाएगा कि सभी सूचनाओं के बारे में समय से अपेक्षानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, एक मिनट का समय दे दें। यह बहुत दुःखद स्थिति हो गयी है। मान्यवर, जब वहां माननीय आजम खां साहब हुआ करते थे तो आपने, और सदन ने भी उन्हें यह कहते हुए

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुना था कि मान्यवर, हम तो निर्देश देते-देते थक गये, जो आप आवश्यक समझें निर्देश दे दें। अधिकारी नहीं सुनते। जब माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने जवाब दिया है तो निश्चित है कि वह भी अधिकारियों की लापरवाही और उपेक्षा को महसूस करते होंगे। माननीय अध्यक्ष जी बार-बार निर्देश दें और अधिकारी यह महसूस कर लें कि ऐसे निर्देश तो आते रहते हैं, बहुत नोटिसेस देखें हैं। मैं समझता हूं कि प्रशासन की पिछली सरकार की मानसिकता और वर्तमान 8-9 महीने की वर्तमान सरकार की मानसिकता में अब की स्थिति को देखते हुए और जैसाकि उन्होंने कहा कि 110 सूचनाओं में 6 सूचनाओं का ही समय से जवाब आया है। मैं तो कहूंगा कि इस सदन की प्रतिष्ठा और सबसे ज्यादा उस पद की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है। चूंकि आपको पूरा 5 साल रहना है। यहां कुछ निर्देश दिया जाये तो उसका कुछ महत्व है। तो मैं चाहूंगा कि जैसे विशेषाधिकार समिति है वैसे ही एक समिति बना दें। जिसमें यह चीजें रेफर कर दी जायें कि यह औचित्यपूर्ण है कि नहीं, विलम्ब हुआ है औचित्यपूर्ण है, यह देख ले। पूर्व संसदीय कार्य मंत्री ही की लाचारी की स्थिति को हमने देखा है। तो इस सम्बन्ध में विचार कर लें और एक समिति बना दें ऐसी नोटिसेस पर, जिसमें अनावश्यक रूप से विलम्ब हुआ हो उसको रिफर कर दिया जाय और वह देख लें।

मुजफ्फरनगर के थाना भोराकला के ग्राम आदमपुर में मृतक ग्राम प्रधान के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने सम्बन्धी दिनांक 19 फरवरी, 2008 को उठाए गये औचित्य के प्रश्न पर पीठ के निर्देश के बावजूद भी सुरक्षा व्यवस्था प्रदान न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न इस प्रश्न से अलग हटकर है। कल औचित्य के प्रश्न के रूप में मैंने एक प्रश्न रखा था और आपने निर्देश दिया था। निर्देश यह था कि आपके कक्ष में बैठकर जिसमें संसदीय कार्य मंत्री और मुझे आप बुलायेंगे जिससे समस्या का समाधान हो जायेगा। मैं अपेक्षा यह करता था कि विषय की गम्भीरता को देखते हुए निर्देश दे दिया जायेगा, लेकिन मेरी जानकारी है कि अभी तक निर्देश नहीं भेजे हैं। तो आप निर्देश दे दें समस्या का समाधान हो जायेगा।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, कल ही हरेन्द्र सिंह जी को सशस्त्र सुरक्षा कर्मी उपलब्ध करा दिया गया है।

(लोकदल के सदस्यों द्वारा बोलने पर)

पन्द्रहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र 2007 में नियम-301 की ग्राह्य सूचनाओं पर वर्तमान सत्र में पटल पर रखे गये कृत कार्यों के विवरण में अधिकांश सूचनाओं का उत्तर अपरिहार्य कारणों से विलम्ब का उल्लेख होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

पहले मैं पहले वाले प्रश्न पर व्यवस्था दे दूं। डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल जी ने जो नियम-300 का प्रश्न उठाया था कि समय से इसके उत्तर नहीं आते हैं तो यह नियम-300 के

अन्तर्गत तो नहीं आती है लेकिन इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि कल ही नियम समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें मैं संशोधन कर रहा हूं और यह व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा हूं कि निर्धारित एक माह के अन्दर यदि वह नियमों के अन्तर्गत जवाब नहीं देंगे तो यह नियमों का उल्लंघन होगा और इसके लिए दोषी के विरुद्ध कार्यवाही होगी, यह परिवर्तन मैं कर रहा हूं।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम आराजी महल पूरवा महाजी देवारा निवासी श्री श्रीराम यादव के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी थाना महाराजगंज के थानेदार व दीवान की गिरफ्तारी न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

नेता, विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मान्यवर, दुर्गा प्रसाद जी का मामला भी काफी गम्भीर है। यह डाक्टर की रिपोर्ट है, वह चौदह साल का बच्चा है और उसका बाप चौकीदार है, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। तो उस व्यक्ति को जिसने दुष्कर्म किया है जेल भेजना चाहिए था। उसे जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा है। रिपोर्ट है उसके बावजूद भी जेल नहीं भेज रहे हैं। अभी हमारे भाजपा के नेता श्री ओम प्रकाश सिंह जी ने ठीक ही कहा है कि संसदीय कार्य मंत्री किस तरह से दोषी अफसरों को बचाकर अपने ऊपर टिप्पणी करा देते हैं। उस व्यक्ति को तत्काल जेल भेजा जाय। जब सही पाया गया तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, क्यों आप भाग रहे हैं ?

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में सदस्य की सूचना पर हमने दोनों पुलिस कर्मी को दिनांक 5-2-2008 को निलम्बित कर दिया है और मुकदमा संख्या 43/2008, धारा-377 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत पंजीकृत कर दिया है। दोनों पुलिस कर्मी भाग गये हैं, उन्हें शीघ्र गिरफ्तार करने के आदेश दे दिये गये हैं। हम कहां भाग रहे हैं, हमने दोनों को निलम्बित कर दिया है। प्रकरण की जांच श्री सर्वेश कुमार राना अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, आजमगढ़ द्वारा की जा रही है और जांच आख्या प्राप्त होने पर इन दोनों पुलिस कर्मियों को सेवा से विरक्त करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, इतनी गम्भीरता से हमने इसको लिया है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो बात कही थी, तो हम बचा नहीं रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव-

पहले ही यह जवाब आ जाता तो क्या हो जाता। आपने पहले यह जवाब क्यों नहीं दिया ?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, तब विषय नहीं आया था। जब विषय आता है तभी जवाब आता है।

(माननीय सदस्य श्री दुर्गा प्रसाद यादव के अपने स्थान पर खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय दुर्गा जी, अब नहीं, अब उसमें व्यवस्था हो गई है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जहां तक नियम-300 के अन्तर्गत आने का प्रश्न है, तो यह नियम-300 में नहीं आता है, इसलिये इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय नेता, प्रतिपक्ष को सुना, मा0 श्री दुर्गा प्रसाद यादव को सुना, माननीय संसदीय कार्यमंत्री को सुना, यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसीलिये मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

(श्री कौकब हमीद और चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

कौकब साहब अब कुछ नहीं। मैं उसको सुन चुका हूं और अग्राह्य कर चुका हूं। शेष सभी सूचनायें अग्राह्य कर चुका हूं, अब कुछ नहीं।

बागपत के बड़ौत में अवैध वसूली के लिये विद्युत विभाग द्वारा भेजे गये लाखों रुपये के फर्जी बिलों के कारण किसानों की हार्ट अटैक से हो रही मौतों के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, आप सिर्फ एक मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

चलिये एक मिनट में अपनी बात कह लें।

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद बागपत में विद्युत अधिकारियों के द्वारा तमाम उनके यहां पर जितने भी पंजीकृत विद्युत उपभोक्ता हैं, किसान सबके खिलाफ बिजली के बिल, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख के भेज दिये गये हैं अगर यह बात सही है कि हर किसान को बकाया बिल भेजने का काम विभाग ने कर दिया है अब उसको ठीक कराने के लिये किसान जाते हैं तो वहां पर उनसे सुविधा शुल्क मांगा जाता है,

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य नियम-300 से इसका क्या मतलब है। हम आप लोगों के लिये शिथिलता बरते हैं और आप लोग फर्जी बिल, फर्जी भुगतान इसमें ला देंगे तो इसकी गम्भीरता क्या रहेगी। आप इसको दूसरे नियमों में दे देते।

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, इसमें कितने ही लोगों का हार्ट अटैक हो गया है और मेरे ऊपर भी सात लाख रुपये का बिल बकाया आया है, जबकि जनवरी, माह तक का हमारा विद्युत बिल जमा है। तो माननीय अध्यक्ष जी, क्या वहां विद्युत अधिकारी स्वयं इसको ठीक करने का काम करेंगे, जिनके गलत बिल भेज दिये हैं।

श्री अध्यक्ष-

नियम-300 के बारे में आप लोग थोड़ा सा और अध्ययन करें। उसकी ग्रेविटी को देखें, ऐसी भी कुछ सूचनायें आ जायें ताकि बहस हो सदन में।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, आप तो उदार हैं इसमें कोई शंका नहीं और इसकी सराहना सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन मान्यवर, इतनी उदारता कर देते हैं कि अब ऐस-ऐसे विषय नियम-300 में आने लगेंगे तो नियम-300 को निकालना पड़ेगा नियमावली से।

श्री अध्यक्ष-

हमारे वरिष्ठ सदस्य सहयोग करें इसमें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जहां तक इसमें कार्यवाही करने का सवाल है तो हम माननीय सदस्य को विश्वास दिलाते हैं कि अगर कोई भी अधिकारी/कर्मचारी की गलती पाई जायेगी तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

नियम-300 में और भी सूचनायें हमारे वरिष्ठ सदस्यों से भी कुछ पूंछ लें, दो-चार सूचनायें इस तरह की आनी चाहिये जो इसकी ग्रेविटी के अन्तर्गत हों। ठीक है आपकी समस्यायें भी सदन में आयें हम लोग सुन लेते हैं, उसमें कहीं इस तरह की बात नहीं।

मद संख्या-4, 5, 6. 7 में कुछ नहीं है, अब हम मद संख्या-8 लेते हैं।

नियम 311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 20 फरवरी, 2008 को नियम-311 में प्राप्त 5 सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 24 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयीं। प्रथम 2 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है :-

पहली सूचना श्री राम किशुन, श्री उदयराज यादव की प्रदेश में रसोई गैस की आपूर्ति में काला बाजारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रदीप माथुर, श्री राम सेवक, श्रीमती अमीता सिंह, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री अजय पाल सिंह, श्री संजीव दरियाबादी, श्रो प्रदीप जैन आदित्य, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला, श्री शिव गणेश लोधी, श्री अशोक सिंह, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री संजय कपूर एवं श्री माधो पासवान की प्रदेश में हो रही आतंकवादी

घटनाओं, आर0 डी0 एक्स0 की बरामदगी और आतंकवादियों के पकड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री विद्या सागर गुप्ता, श्री सुरेश चन्द्र तिवारी की लखनऊ स्थित गोमती तट पर लक्ष्मण मेला स्थल के पुराने स्वरूप को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री अम्बिका चौधरी की जनपद बलिया के थाना फेफना के ग्राम खलीलपुर में एक अवोध बालिका के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री राम बिशुन आजाद की जनपद बलरामपुर स्थित शुक्लागंज तिराहे पर अमर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा को तोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। छठवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद आजमगढ़ के कप्तानगंज बाजार में फर्जी ढंग से खाल बरामदगी के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं हुई, अतः अस्वीकृत हुई हैं।

1-श्री लल्लू सिंह 2-श्री इमरान मसूद 3-श्री आर0 के0 चौधरी 4-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल 5-डा0 पी0 के0 राय 6-श्री संजीव दरियाबादी 7-श्री अब्दुल वारिश अली खां, चौ0 सत्यपाल सिंह, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी 8-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल 9-श्री प्रदीप जैन आदित्य 10-श्री हरपाल सिंह 11-डा0 आर0 ए0 उस्मानी 12-श्री सुरेश कुमार खन्ना 13-श्रीमती कृष्णा राज 14-डा0 धर्मपाल सिंह 15-श्री शम्भू चौधरी 16-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी 17-डा0 आर0 ए0 उस्मानी 18-श्री जगन प्रसाद गर्ग।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, कल आपने व्यवस्था दी थी कि आज मेरी सूचना ले ली जायेगी परन्तु अस्वीकृत हुई है।

श्री अध्यक्ष-

सूचनायें शलाका के आधार पर चयनित होती हैं। जब शलाका निकलती है उस समय आप सभी आमंत्रित हैं आकर देख लिया करें। ठीक है अभी आप बैठ जायें समय मिलेगा तो देख लेंगे।

श्री इमरान मसूद-

मान्यवर, मेरी महत्वपूर्ण सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

अभी आप बैठ जायें। देख लेंगे।

*श्री राम किशुन-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने एक अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, रसोई गैस की किल्लत के कारण पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। मान्यवर, इस किल्लत के चलते कालाबाजारी के कारण रसोई में काम करने वाली गृहणियां हैं उनके सामने गम्भीर संकट पैदा हो गया है। मान्यवर, जो सिलेण्डर 300 रु0 में मिलता है वह आज कालाबाजारी में 400 रुपये और 500 रुपये में मिल रहा है। मान्यवर, इस गैस की किल्लत के कारण जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं उनको सुबह का नाश्ता मुहैया नहीं हो पा रहा है। परिवार के लोग उन्हें वह नाश्ता उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। मान्यवर, आज प्रदेश में रसोई गैस के वितरण की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाने के कारण एक गम्भीर संकट पैदा हो गया है। इस वितरण व्यवस्था में पुलिस और प्रशासन की भूमिका संदिग्ध हो गयी है क्योंकि कालाबाजारी आज जोरों पर है। मान्यवर, हमारे यहां चन्दौली में मुगलसराय में पिछली जनवरी माह में स्थिति यह थी कि इतना अधिक संकट पैदा हो गया कि गैस वितरण के कार्य में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। शहरों की महिलायें और बच्चे इस संकट से निजात दिलाने के लिये रोड पर आ गये थे। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की घटना की गयी। मान्यवर, आप देखें कि पुलिस की कस्टडी में रखकर गैस का वितरण हो पाया। मान्यवर, इस स्थिति के चलते जो गैस सिलेन्डर 300 रु0 में मिल रहा था उसका रेट आज चार सौ पांच सौ रुपये हो गया है। आज पूरे प्रदेश में इसको लेकर एक गम्भीर संकट है।

मान्यवर, पूरे प्रदेश में जो खास तौर से रसोई गैस की कमी है उसके चलते कई परिवार के चूल्हे तक नहीं जल पा रहे हैं क्योंकि समय से रसोई गैस नहीं मिल पा रही है और दूसरा संसाधन भी नहीं है। पूरी तरह से प्रदेश की आधे से ज्यादा जनता इस गैस पर आधारित चूल्हे पर निर्भर है। जब गैस उपलब्ध नहीं होगी तो उनके घरों में भोजन बनना नामुमकिन हो रहा है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर मैं बल देते हुये कहना चाहता हूं कि जो जनता से जुड़ी गम्भीर समस्या है और इस समस्या के चलते पूरे प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है खास तौर से महिलाओं और बच्चों का। जिनके घर में सर्विस करने वाले लोग हैं उनको भी काफी दिक्कतें होती हैं गैस अब इतनी उपयोगी हो गयी है कि गांवों में भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन वहां भी गैस की उपलब्धता न होने से वहां भी काफी दिक्कतें पैदा हो रही है। ऐसे लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री से, सरकार से चाहता हूं कि तत्काल इस पर कार्यवाही करें और गैस की मांग के अनुरूप आपूर्ति करने का काम कराया जाय चाहे इसके लिये भारत सरकार से या चाहे जहां से भी इनका सम्पर्क करना पड़े वह करने का काम करें, नहीं तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में विस्फोटक स्थिति पेदा हो ज.येगी। और इसका सारी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की सारी कानून व्यवस्था पर सीधे असर पड़ेगा। मैं इस पर बल देते हुये कहना चाहता हूं लाठी चार्ज महिलाओं पर हुआ और इस मौजूदा सरकार की मुखिया एक महिला और महिलाओं को गैस मांगने के लिये अपने बच्चों को सुबह का नाश्ता देने के लिये अगर गैस की आवश्यकता है उस पर लाठी चार्ज हो तो यह बड़ा ही गम्भीर मामला है। इस पर सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं। यह अति महत्वपूर्ण मामला है। प्रदेश की आम जनता से जुड़ा हुआ मामला है। इसको गम्भीरता से लेने का काम करें और सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायें।

*श्री उदय राज-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक ऐसे विषय पर दिलाना चाहता हूं जो आज पूरे प्रदेश के अन्दर शहरों में रहने वाले लोगों के लिये एक बहुत बड़ी समस्या बन गयी है।

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब, आपका इसी के साथ कल था क्योंकि गैस के वितरण से सम्बन्धित था गोरखपुर का, वह सूचना नहीं बता पाये थे जो अस्वीकृत हो गयी थी।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, कल मैंने गैस वितरण के सम्बन्ध में नियम 300 की एक सूचना दिया था और आपने उसे स्वीकार कर लिया था। नियमता तो फिर उसी प्रश्न पर सूचना नहीं स्वीकार होना चाहिये था। लेकिन आपने उसको स्वीकार कर लिया है उसकी गम्भीरता को देखते हुये तो एक आधा मिनट मुझे भी अवसर दे दीजियेगा।

श्री उदय राज-

मान्यवर, आज प्रदेश के शहरों में रहने वाला हर घर हर परिवार इस समस्या से जूझ रहा है। आज स्थिति यह हो गयी है कि जहां एक तरफ शहरो में आदमी निकल करके गैस एजेंसियों पर लाइन लगा रहे हैं एक-एक सप्ताह तक लोगों को गैस उपलब्ध नहीं हो पा रही है। वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से बड़े पैमाने पर चाहे वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो या दूसरे शहर हों, यह स्थिति हो गयी है कि जो गैस का सिलेण्डर जिसका मूल्य 295 रुपये है वह मार्केट में 500-600-700 रुपये में बेचने का काम बिचौलियों द्वारा किया जा रहा है। मान्यवर, केवल इतना ही नहीं तमाम स्थितियां ऐसी भी उत्पन्न हो रही है कि गैस सिलेण्डर में गैस के साथ-साथ पानी मिलाकर उसको बेचने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, यहां तक इतनी बड़ी पूरे प्रदेश के अन्दर शहरों में यह स्थिति पैदा हो गयी है, तमाम ऐसे परिवार हैं जहां एक-एक दो-दो दिन भोजन बनना भी मुश्किल हो गया है। मैं आपके माध्यम से इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अगर यही हाल उत्तर प्रदेश के अन्दर गैस की किल्लत का रहा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो मान्यवर, आदमी जाकर गैस एजेन्सियों का घेराव करेगें, धरना देगें, आन्दोलन करेगें, कानून व्यवस्था पर गलत असर पड़ेगा और इससे प्रदेश की कानून व्यवस्था नष्ट होगी। मैं केवल आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जो बड़े पैमाने पर रसोई गैस की कालाबाजारी करने का काम किया जा रहा है, रसोई गैस में पानी मिलाने का काम किया जा रहा है, उससे आज बहुत बड़ी दिक्कत उत्पन्न हो गयी है, लोगों को गैस नहीं मिल पा रही है, उसको किसी तरीके से सख्ती करके सरकार को चाहिये कि उस पर रोक लगाने का काम करें। इतने अविलम्बनीय, इतने महत्वपूर्ण विषय, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्र में रहने वाले हर व्यक्ति से जुड़ा मामला है, इसलिये मान्यवर, मैं चाहता हूं कि आज इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की आप कृपा करें, धन्यवाद।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने जनजीवन से प्रत्यक्ष सम्बन्धित इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे कार्य-स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, दुष्यन्त कुमार की एक नज़्म है- यहां तक आते-आते सूख जाती हैं कई नदियां,

मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा।

अध्यक्ष जी, दिल्ली के गैस के सिलेन्डर पूरी मात्रा में चलते हैं, और इसके वितरण को सुनिश्चित करने का दायित्व प्रत्यक्ष राज्य सरकार का होता है। यह राज्य सरकार का दायित्व होता है कि वह अपने जिलाधिकारियों के माध्यम से, और अपने खाद्य आपूर्ति अधिकारी के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगी कि जो नियम गैस आपूर्ति के बनाये गये हैं, उन नियमों के तहत उपभोक्ताओं को गैस मिले। नियम यह है कि 21 दिन के अन्दर हमें दुबारा गैस सिलेन्डर लेने का अधिकार है। नियम यह है कि अगर आज हमने गैस लिया है तो हम दूसरे-तीसरे दिन भी पुनः गैस की बुकिंग करा सकते हैं। लेकिन हमको मिलेगा 21 दिन के अन्तराल पर ही। आज गैस की स्थिति यह है मैं गोरखपुर के आधार पर कह रहा हूं, वैसे जैसा मैं यहां देख रहा हूं कि पूरे प्रदेश का यही आधार है। आज स्थिति यह है कि 21 दिन तो बहुत दूर है, 40-45 दिन पर भी नागरिकों को गैस नहीं मिल रही है। अगर आज हम गैस लेते हैं और बुकिंग कराने जाते हैं तो गैस एजेन्सियां बुकिंग करने से साफ-साफ इंकार कर रही हैं। सुबह परिवार के लोग 5 बजे से लाइन पर लगते हैं, 3-4 घन्टे खड़े रहते हैं, वहां से वापस किये जाते हैं और वापस होने पर जब चौराहे पर पहुंचते हैं तो उसी चौराहे पर उन्हें कोई आदमी 294 के स्थान पर 100 रुपया, 50 रुपया अतिक्ति लेकर उन्हें गैस दे देता है। अर्थात् यह बहुत साफ है कि गैस की कमी नहीं है। समस्या गैस की हैन्डलिंग और उसके वितरण की है और प्रशासन की इस असफलता में है कि गैस अगर आई है तो ईमानदारी के साथ बंटवाई जा सके। क्योंकि अगर 50 और 100 रुपये के अतिरिक्त सुविधा शुल्क पर गैस उपलब्ध हो रही है तो इसका मतलब यह है कि गैस तो है। दूसरी चीज, उपभोक्ताओं को गैस नहीं मिल रही है, लेकिन अगर होटल वाले गैस चाहते हैं तो जितनी अधिक गैस चाहें उतनी अधिक गैस उन्हें उपलब्ध है। मैं पूरे प्रदेश की बात कह रहा हूं कि अधिकांश होटलों में इन्हीं रसोई वाले गैस सिलेन्डरों का उपयोग हो रहा है। आखिर उन्हें यह गैस कहां से मिल रही है, खाद्य रसद विभाग इन लोगों से यह पूछता क्यों नहीं है

कि अगर आपने इतने बड़े-बड़े होटल खोल रखे हैं तो आपको यह गैस मिलती कहां से है। आप अपने गैस का कूपन अपने गैस की रसीद दिखाइये और बताइये कि आपका प्रतिदिन का खपत कितना है और किन श्रोतों से आप गैस प्राप्त कर रहे हैं। अगर इन होटलों में हम लोगों ने इतनी ही कड़ाई कर कार्यवाही की होती, तो यह जो व्यवसायिक इस्तेमाल घरेलू गैस का हो रहा है, शायद वह नहीं हुआ होता। दूसरी चीज जो हो रही है वह छोटी मोटर गाड़ियों में अब इस समय गैस का उपयोग शुरू हुआ है और सरकार ने यह भी कहा है कि परिवार में जब शादी होगी तो हर परिवाार को शादी का कार्ड प्रस्तुत/आवेदन करने पर 5 गैस सिलेन्डर उपलब्ध कराया जायेगा। कहीं भी सरकार के इस आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है बल्कि इस आदेश का दुरूपयोग हो रहा है। आजकल नकली कार्ड कम्प्यूटर पर 5-10 रुपये में छप जाते हैं, तथा कथित उन्हीं को दिया जा रहा है, जिनके यहां शादी नहीं है। जिनके यहां शादी है, उन्हें यह 5 सिलेन्डर नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने लगातार गोरखपुर में इन अव्यवस्थाओं के खिलाफ आन्दोलन किया, जनता सड़कों पर आई है। जिलाधिकारी गोरखपुर ने इसका संज्ञान लेकर आदेश जारी किये हैं कि यह सुनिश्चित किया जाय कि जहां गैस की कालाबाजारी हो रही है उनके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय। लेकिन सप्लाई विभाग ने न तो किसी गैस एजेन्सी पर छापा मारा, न किसी की 3/7 में बुकिंग हुयी न चौराहों पर अनाधिकृत रूप से बेचने वाले गैस के हाकर ही पकड़े गये न व्यावसायिक इस्तेमाल करने वाले होटल व्यवसाइयों को नियन्त्रित करने का प्रयास किया गया। मैं इस सदन में यह विषय इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि यह प्रत्यक्ष वितरण राज्य सरकार का विषय है और कहीं न कहीं वह व्यवस्था के भ्रष्टाचार से जुड़ा है।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने इस जनता से जुड़े सवाल पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया है। मान्यवर, यह विषय बहुत गम्भीर है और जनता से सीधे जुड़ा हुआ है। मान्यवर, कल ही मैंने नियम-301 के अन्तर्गत इस विषय पर चिन्ता व्यक्त करते हुए एक नोटिस दी थी, आपने उसे स्वीकार कर लिया था लेकिन चूंकि आज यह कार्य-स्थगन के माध्यम से आया है, इसलिए मैंने भी आपसे बोलने का निवेदन किया है। मान्यवर, स्थिति बहुत गम्भीर है और आज यह एक आवश्यक आवश्यकता में है। शहर ही नहीं गांवों में भी लोग खाना पकाने के लिए गैस का उपयोग कर रहे हैं। जो बातें इन्होंने कही हैं, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। मान्यवर, गैस ब्लैक हो रहा है यह भी सही है और यह भी सही है कि कुछ लोग इस धन्धे में लगे हुए हैं। जो एजेंसियों के ट्रालीमैन है। उनसे मिलीभगत के कारण वहां एक यन्त्र रखे हुए हैं और वहां पर ट्रालीमैन पूरी ट्राली ले जा करके वहां रख देता है और उन भरे हुए सिलेण्डरों से गैस निकाल करके दूसरे सिलेण्डरों में भर करके उसको ब्लैक किया जा रहा है। और दूसरी ओर यह भी करते हैं कि उसमें से 3-3, 4-4, 5-5 किलोग्राम गैस निकाल करके छोटे सिलेण्डरों में भी भर करके बेच रहे हैं। अभी पिछले दिनों बनारस में नागरिकों ने इस क्राइसिस को देखते हुए, गैस न मिलने की परिस्थिति को देखते हुए इस तरह के लोगों को पकडा, अब जो आपूर्ति विभाग राज्य सरकार का विभाग है, उसका यह दायित्व है कि वह गैस की उपलब्धता जनता को सुनिश्चित कराये, लेकिन वह कुछ करता नहीं है। जब लोगों ने पकड़ा तो थाने में

रिपोर्ट लिखा करके आपूर्ति विभाग ने अपनी पीठ थपथपा ली। ए0डी0एम0, आपूर्ति ने पत्रकार वार्ता किया, उन्होंने कहा कि 21 दिन में गैस दिये जाने की कोई बाध्यता नहीं है, दूसरा यह कि मैं 48 घण्टे के अन्दर गैस उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन मा0 अध्यक्ष महोदय, आज उनके बयान का भी कोई भरोसा नहीं रह गया और आज बनारस के अन्दर भी गम्भीर स्थिति है और घर-घर में गैस की आवश्यकता को देखते हुए स्थिति काफी गम्भीर हैं। कुछ गैस एजेंसियां जो इस धन्धे में लिप्त हैं, मैं आपके माध्यम से शासन से यह मांग करता हूं कि इस पर कठोरता से नियन्त्रण करने की कोई विधि अपनायें, इसी के साथ मैं पुनः आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 यादव जी ने रसोई गैस की समस्या को उठाया और इसमें इस बात का उल्लेख किया कि जगह-जगह धरना-प्रदर्शन और पुलिस की लाठियां उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक बरसायी जा रही हैं। कहां बरसायी जा रही हैं, इसका कोई उल्लेख नहीं है। प्रदेश सरकार आम उपभोक्ता के प्रति चिन्तित है और इसलिए सभी जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिये जा चुके हैं और इसके साथ ही साथ आयुक्त, खाद्य एवं रसद तथा राष्ट्रीय समन्वयक भारतीय तेल निगम को भी प्रकरण की जांच कराकर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिये जा चुके हैं। यह नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आता है, इसलिए इस कार्य-स्थगन को अस्वीकृत करने की कृपा करें।

श्री राम किशुन-

मान्यवर, अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि कहां लाठी चार्ज हुआ तो मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि मुगलसरायं में थाने के अन्दर जो बगल में खाली जगह थी उसके अन्दर यह काम हो रहा था। मैं आपको बता दूं कि थाने के अन्दर लाठी चार्ज हुई है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है आपने बता दिया। मैंने श्री उदयराज यादव जी, मा0 राम किशुन जी, मा0 डा0 राधा मोहन अग्रवाल जी तथा मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, नियम-56 के अन्तर्गत यह सूचना नहीं आती इसलिए मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

(मा0 सदस्य श्री श्याम देव राय चौधरी के खड़े होने पर)

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आपने सुना हो या न सुना हो मैंने चौधरी साहब को जरूर सुना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं। एक अत्यन्त गम्भीर विषय पर जो सीधे सुरक्षा से जुड़ा हुआ है पूरे प्रदेश के, उस पर कार्य-स्थगन के माध्यम से सैरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने इस प्रश्न को उठाया है। मेरा कोई इरादा दोषारोपण का या मेरा कोई इरादा एक दूसरे के प्रति दोष देने का नहीं है। आज आतंकवाद की समस्या किसी एक जिले की या प्रदेश की नहीं रह गयी है यह सर्व-व्यापी हो गयी है, सारे प्रदेशों को कभी न कभी इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, हमारे देश को चुकानी पड़ रही है और आज देश की सीमा पार करके दुनिया के तमाम शक्तिशाली देशों के दरवाजों पर भी दस्तक दे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहा है। मान्यवर, जो सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र कहलाते हैं, वहां पर भी आतंकवादी गतिविधियों से बचा नहीं जा सका है। मेरी चिंता यह है कि अभी कुछ दिन पहले बरामदगी हुई है उसमें डेटोनेटर पाये गये हैं, डाइनामाइट पाये गये हैं और तमाम तरह के विस्फोटक पाये गये हैं। कुछ खतरनाक संदेश भी मिले हैं जो इंटरसेप्ट किये गये हैं जिनके आधार संभवतः आई0बी0 ने भी सूचित किया है कि दिल्ली, लखनऊ और आगरा खासतौर से आतंकवादियों के निशाने पर है। मान्यवर, जैसे ही ऐसी कोई सूचना आती है, चौकसी बढ़ जाती है रेलवे स्टेशनों पर, वाहनों की चेकिंग होने लगती है और एक एक्सरसाइज होती है, कभी-कभी वह सफल भी हो जाती हैं और कभी-कभी वह सफल भी नहीं होती है। मेरी आज जो चिंता है वह इस बात की है कि मान्यवर, यह कोई ऐसी घटना नहीं है जो साल-दो साल तक घट जाया करती है बल्कि अनवरत रूप से हर प्रदेश और देश को इसका सामना करना पड़ रहा है। आज इस विषय को उठाते हुए मैं सिर्फ यही आग्रह करना चाहता हूं कि इसमें निरन्तर जन्-जागरण की आवश्यकता है, निरन्तर सरकार को सतत् प्रयत्नशील रहने की आवश्यकता है। जितने भी आतंकवादी पकड़े गये हैं, जितने भी घटनाओं को अंजाम देने वाले चेहरे सामने आये हैं, पता लगाने पर यही पता लगता है, पुलिस की कहानी पर विश्वास करें कि ये अजनबी बनकरके आये थे महीनों से किसी होटल या धर्मशालाओं में शरण लिये हुए थे, कहीं नौकरी कर रहे थे या रह रहे थे। क्या यह समय नहीं है कि हम प्रदेश में जन समान्य को प्रशिक्षित करें कि कोई अजनबी आये तो आप तत्काल प्रशासन को सूचना दे सकें व बहुत सी वस्तुयें जो संदिग्ध होती है उन संदिग्ध वस्तुओं पर नजर रखें। इन सब चीजों पर शिक्षाप्रद जन-जागरण का अभियान चलाने की जरूरत है। मान्यवर, सबसे बड़ा खतरा आगरा में है, मुझे लगता है कि एक सोची-समझी साजिश के तहत ताजमहल को निशाने पर लिया गया है, उसके पीछे भारत की अर्थ-व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करने का प्रयास है। आज हम जो विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा हिस्सा पर्यटन के माध्यम से है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के पर्यटन की जान, भारत के पर्यटन की न्यूक्लियस या केन्द्र बिन्दु बनता है तो वह ताजमहल है जिसके सहारे विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। इस तरह से लखनऊ और आगरा दो शहर ऐसे हैं जहां खतरा है। न्याय के मंदिरों पर, लखनऊ, फैजाबाद और बनारस में विस्फोट हुआ, एक अलग ढंग से आतंक फैलाने का प्रयास था कि न्यायपालिका से जुड़े लोग सहमें, डरे। कुल मिलाकर देखें तो हमारे लोकतंत्र पर, हमारी व्यवस्था पर और हमारी अर्थ-व्यवस्था पर प्रहार है। मेरी इस सूचना के माध्यम से ग्राह्यता के विषय पर बोलते हुए यह कहना चाहता हूं कि अविलम्बनीय प्रश्न है, लोक महत्व का है, उत्तर प्रदेश और भारत का प्रश्न है। मेरा एक आग्रह है आपके माध्यम से और सरकार से जानकारी हासिल करूं कि सरकार क्या प्रयास कर रही है ? क्या सरकार मेरे इस सुझाव पर प्रयास करेगी ? इसके लिए विभिन्न स्वयं सेवी संगठनों को जोड़कर विधान सभा के माध्यम से एक जन-जागरण अभियान चलाया जाए जिससे अनुवरत रूप से इस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष कर सकें। हमें चिन्ता इसलिए हो रही है क्योंकि पड़ोसी देशों में जब कभी घटनाएं होती हैं तो भारत उसकी कीमत चुकाता है। इसलिए सरकार से आग्रह है कि दोनों पड़ोसी राष्ट्रों में जो कुछ हो रहा है उसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जाय और उत्तर प्रदेश को इस आतंकवाद से निपटने के लिए शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाय, जागृत किया जाय।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, प्रदेश में आतंकवादी घटना या अपराध नियंत्रण के लिए सरकार कृतसंकल्प है। उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी, फैजाबाद एवं लखनऊ में दिनांक 23-11-2007 को आतंकवादी घटना के बारे में रामपुर में दिनांक 31-12-2007/1-1-2008 की मध्य रात्रि में सी0आर0पी0एफ0 ग्रुप सेन्टर पर आतंकवादियों द्वारा हमला किए जाने के बाद प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ कर दी गई है। इस बीच प्रदेश में आतंकवादियों की धरपकड़ जारी रही अनेक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। जनपद लखनऊ में दिनांक 10-2-2008 को सबाउद्दीन उर्फ अबू कासिम अमर सिंह उर्फ अबूजाद अबू सामा उर्फ अवधेश गिरफ्तार किये गये दिनांक 10-2-2008 को जनपद रामपुर ही में मुहम्मद शरीफ एवं फहीम अहमद अंसारी गिरफ्तार किए गए। आतंकवादियों की गतिविधियों को नियंत्रित किए जाने हेतु दिनांक 16-11-2007 को शासनादेश जारी करके एक आतंकवाद निरोधक दस्ता का गठन किया गया है। साथ ही प्रदेश के 38 जनपदों में पूर्व से स्थापित 39 विशेष कोष्ठक इकाइयों को पुनर्संगठित कर उनके स्थान पर 17 विशेष इकाइयां स्थापित की गई हैं। अभिसूचना विभाग की इकाइयों द्वारा आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी दृष्टि रखी जा रही है। आतंकवादियों की विध्वंसात्मक/राष्ट्रविरोधी गतिविधियों की सूचना प्राप्त होने पर सभी सम्बन्धित को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

व्यवस्था बताने की जरूरत नहीं है। आतंकवादियों के खिलाफ जो व्यवस्थाएं हो रही हैं उसको न बताइए।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है सरकार कृतसंकल्प है और साथ ही साथ 2008-2009 के बजट में भी पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए जिससे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं न होने पाएं इसके लिए और अधिक सकारात्मक कदम उठाने का काम किया जा रहा है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मेरा सिर्फ यह कहना है कि इसमें सरकार जनजागरण अभियान चलाए। इसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाय। मेरा एक सहयोग भरा परामर्श है।

श्री लाल जी वर्मा-

इसमें जो भी सार्थक कदम उठाने होंगे उनको उठाने के लिए सरकार कृतसंकल्प है। श्री तिवारी जी का सहयोग हमेशा आवश्यक है। जहां तक नियम-56 का प्रश्न है यह नियम-56 में नहीं आता है इसलिए इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रस्तुत सूचना पर प्रमोद तिवारी को सुना, संसदीय कार्यमंत्री को सुना यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

अध्यक्ष जी मैंने नियम-56 के अन्तर्गत जो विषय सदन के सामने रखा है यह अविलम्बनीय लोक महत्व का है और संवेदनशील है। इसकी चर्चा लगभग 10 दिनों से लखनऊ की जनता के एक-एक आदमी की जुबान पर है। लखनऊ की जनता एक ही बाते की मांग कर रही है कि हमें गोमती तट पर स्थित लक्ष्मण मेला स्थल हमें वापस मिलना चाहिए। हम इसके बदले स्वरूप को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से आपके समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। 1999 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब इस लक्षमण मेला स्थल को डेवलेप किया गया था। इसकी आवश्यकता क्यों हुई ? इसकी आवश्यकता इसलिये हुई कि लखनऊ शहर के अन्दर धार्मिक कार्य करने के लिये, आयोजन करने के लिये, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिये, रंगमंच के कर्मियों के कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिय, मेला लगाने के लिये, छठ पूजा को आयोजित करने के लिये कोई स्थान नहीं था इसलिये इस स्थल को पहले तो नगर निगम ने इसको डेवलेप कराया और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तो उसने भी काफी पैसा इस पर खर्च करके इस लक्षमण मेला स्थल का सौन्दर्यीकरण करने का काम किया। मान्यवर, मैं यह जानने में असमर्थ हूं कि आखिर लक्षमण मेला स्थल को समाप्त करने की योजना किन अधिकारियों ने बनाई ? लखनऊ के अंदर बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां पर फलदार वृक्ष लगा सकते हैं। गोमतीनगर से लेकर पूरे लखनऊ के अंदर इतनी जगह है कहीं लगायें। गोमती के किनारे तमाम जगह खाली है। यह हिन्दुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पूर्व मुख्य मंत्री ने उस दिन कहा था कि इस सरकार को पत्थरों से प्यार है और यह बात इससे सिद्ध होती है यहां पर लक्षमण मेला स्थल को समाप्त करके वहां पर लक्षमण उपवन बन जाय और हमारे नाम का पत्थर वहां लग जाय। इनको पत्थरों से प्यार है इससे बात साबित हो रही है। मान्यवर, लखनऊ में आज हजारों की संख्या में लोग आन्दोलित हैं। सारा लखनऊ आन्दोलित है। मैं आपके सामने कुछ नाम लेना चाहता हूं। हमारे मुस्लिम समुदाय के जो यहां पर नेता है मौलाना अब्दुल हसन साहब, मौलाना यासिम साहब, मौलाना अकीम साहब यह जो मुस्लिम समुदाय के नेता हैं, हिन्दू संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं इतिहासकार योगेश प्रवीण जी है और यहां तक कि केन्द्र में बैठे इस्पात मंत्री अखिलेश दास जी भी इससे चिंतित हैं। उनकी मांग है कि लखनऊ मेला स्थल को किसी वन और उपवन में बदलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह मेला स्थल लखनऊ वासियों के लिये आवश्यक है। मान्यवर, मेरा यह आरोप है कि कभी राम पर प्रहार, अयोध्या में अभी समाचार पत्र में पढ़ने को मिला कि राम पथ गमन की योजना को यह सरकार रोकने जा रही है। लक्ष्मण के नाम को मिटाने के लिये, क्योंकि यह लखनपुरी जो लक्ष्मण के नाम से बना हुआ है। यह लक्ष्मण के नाम से बने हुए लक्ष्मण मेला स्थल को मिटा दिया जाय इसलिये यह सरकार जानबुझकर हिन्दुओं की भावनाओं के साथ कुठाराघात कर रही है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि लखनऊ से प्रकाशित समाचार पत्र हिन्दुस्तान ने आज सर्वे छापा है। वैसे तो मान्यवर, सदन में समाचार पत्रों का संज्ञान नहीं लिया जाता है लेकिन मान्यवर, यह समाचार पत्र, यह मीडिया लोकतंत्र के प्रहरी हैं, यह हम सबको शिक्षा देते हैं, और हम सबको सही दिशा देने का काम करते हैं। इन्होंने सर्वे किया।

श्री अध्यक्ष-

श्रीवास्तव जी अब समाप्त करें।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, हिन्दुस्तान समाचार पत्र वालों ने एक सर्वे किया है और उसके अनुसार उनका कहना है कि 56 में से 54 लोगों ने यह बताया है कि नहीं हमें लक्ष्मण मेला स्थल चाहिए, हमको इसका बदला हुआ स्वरूप नहीं चाहिए। आज जो कुछ अधिकारियों की जिद, लखनऊ के जिलाधिकारियों की जिद और यह बात सिद्ध होने के बाद भी। मान्यवर, मेरे पास प्रमाण है, इस लक्ष्मण मेला स्थल की भूमि को विवादास्पद बना करके और जिलाधिकारी इस सरकार की जिद को पूरी करने के लिये रातों-रात फलदार वृक्ष लगाना चाहते हैं। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लक्ष्मण मेला स्थल को कौन से वैज्ञानिकों ने बताया है कि वहीं की जमीन में फलदार वृक्ष उगेंगें। पूरे शहर के अंदर जमीन खाली पड़ी हुई है। अरे शुरू करिये गोमतीनगर से तमाम बाग खाली पड़े हैं आप वहां पर फलदार वृक्ष लगा सकते हैं। क्या वही जमीन उपयोगी है ?

श्री अध्यक्ष-

बस हो गया श्रीवास्तव जी, मैंने बस दो-दो मिनट कहा था। और भी सूचनाएं हैं। सुरेश चन्द्र तिवारी जी आप कहिये।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

लक्ष्मण मेला स्थल को ही बर्बाद किया जा रहा है। मान्यवर, मेरी मांग है कि लक्ष्मण मेला स्थल को पुनर्जीवित किया जाय और लखनऊ के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ न किया जाय। मान्यवर, मैं आपसे मांग करता हूं कि सदन की सारी कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय।

श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

मान्यवर, वीरवर लक्ष्मण की नगरी लखनऊ में सम्पूर्ण नगर, सभी जन प्रतिनिधि, नगर प्रमुख, नगर निगम के सम्पूर्ण सदन के सभासद आज आन्दोलित हैं। मान्यवर, जब लखनऊ में रैलियों में उच्च न्यायालय ने प्रतिबन्ध लगाया था उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और लखनऊ नगर निगम ने लक्ष्मण मेला स्थल का निर्माण किया था। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि उस स्थल के निर्माण में वहां गोमती नदी के तट की हम लोगों ने अपने हाथों से जलकुंभी खींची है। उस स्थल के बनाने में हमारा खून पसीना लगा है मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और सरकार के कान में डालना चाहता हूं कि सम्पूर्ण लखनऊ के साहित्यकार, शिक्षक, सामाजिक संगठन सभी आन्दोलित हैं। आज स्थगन के माध्यम से मैं यह प्रस्ताव लाया हूं और आपको बताना चाहता हूं इस स्थल को बहाल न किया जाये इसके लिये सम्पूर्ण नगर निगम ने सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में डालना चाहता हूं कि सामाजिक आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन इस स्थल पर सभी कार्यक्रम होते हैं। सम्पूर्ण लखनऊ का मीडिया सारे लखनऊ के जन-जन के बयान दर्ज कर रहा है। लक्ष्मण मेले को बहाल किया जाय उसी स्थिति में रखा जाय सम्पूर्ण लखनऊ की यही चाह है। हिन्दू संगठन, मुस्लिम संगठन सभी संगठनों ने एक स्वर में आवाज उठाई है इसको बहाल किया जाय। यहां छठ पूजा होती है। यहां छठ

घाट बनाया गया है उसे तोड़ दिया गया है लेकिन फिर बना दिया जायगा यह दबाव में कह दिया गया है। छठ घाट का निर्माण किया जायगा। इस स्थल पर छठ पूजा होती रहेगी लेकिन लक्ष्मण महोत्सव नहीं होगा। मान्यवर, उस स्थल पर देश विदेश के साधू सन्तों के प्रवचन होते हैं क्या वह नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

मान्यवर, यह सरकार सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात करती है लेकिन मान्यवर, आज अगर यह नहीं बहाल किया गया तो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय पर प्रश्न चिन्ह लगेगा इसलिये इस स्थल को बहाल किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है बस हो गया।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जनपद लखनऊ में पहले सभी सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम बेगम हजरत महल पार्क में होते थे। बेगम हजरत महल पार्क के अगल बगल विशेष रूप से कई पुरातत्व विभाग के भवन थे और साथ ही साथ जब बेगम हजरत महल पार्क में रैलियां होती थीं उससे आवागमन बाधित होता था। उसके उपरान्त माननीय न्यायालय ने उसमें रोक लगाया था। यातायात प्रभावित न हो इसलिये लक्ष्मण मेला मैदान गोमती तटबंध हजरतगंज लखनऊ में यह आयोजन होने लगे। मान्यवर, लक्ष्मण मेला मैदान गोमती नदी के किनारे पर है उसके एक किनारे पर गोमती नदी है। इस तरह से सुरक्षा की दृष्टि से यह उचित प्रतीत हुआ, वहां पर बड़े आयोजन से सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि यहां एक तरफ ही निकासी थी और एक तरफ नदी थी इसलिये स्थाई तौर पर डा0 अम्बेडकर मैदान जेल रोड लखनऊ का विकास, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया। जहां पर सभी राजनीतिक रैलियां, लखनऊ महोत्सव, दशहरा मेला आदि विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होने लगा है। जहां तक लक्ष्मण मेला स्थल के स्वरूप को चेन्ज करने का सवाल है, उसके स्वरूप को या लक्ष्मण जी के नाम को उसमें से हटाने का कोई कार्य नहीं हो रहा है। पर्यावरण और परिस्थिति की संतुलन तथा गोमती नदी के उक्त स्थल को पर्यावरण की दृष्टि से, वहां बढ़ते प्रदूषण के कारण फलदार वृक्षों के रोपण की कार्यवाही की गयी है। उसमें जहां तक लक्ष्मण जी के नाम का सवाल है, वह आज भी यथावत है, लक्ष्मण उपवन स्थल करके उसका नाम घोषित किया गया है। मान्यवर, किसी की भी भावना को टेस पहुंचाने की कार्यवाही नहीं की गयी है और 15-02-2008 को इसी सन्दर्भ में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई थी कि जिला प्रशासन आवश्यकतानुसार पारम्परिक एवं धार्मिक त्योहारों के लिए यदि उस स्थल को उचित समझता है तो अनुमति प्रदान कर सकता है। छठ पूजा वहां पर हो सके, इसके लिए घाट निर्मित कराकर, छठ पूजा के लिए और उपयोगी बनाने का काम किया गया है। किसी की भी भावना को टेस नहीं पहुंचाई गयी है। जहां तक रैलियां, धरना या अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन का सवाल है, उसके लिए रमाबाई अम्बेडकर मैदान का लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा रिंग रोड अमर शहीद पथ पर विकास किया गया है, जहां पर इस वर्ष

लखनऊ महोत्सव का आयोजन भी किया गया था। तो किसी भी तरह से उसके मूल नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, किसी की भी आस्था के साथ ठेस पहुंचाने का काम नहीं हुआ है, उसको प्रभावित करने का काम नहीं किया गया है। लक्ष्मण जी का नाम आज भी उससे जुड़ा है। मान्यवर, नियम-56 के अन्तर्गत यह नहीं आता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। क्या लक्ष्मण मेला स्थल पर ही कुछ फलदार वृक्ष लगाये जा सकते हैं, अन्य किसी जगह पर नहीं लगाये जा सकते हैं ? मेरी मांग है कि लक्ष्मण मेला स्थल को पुनर्जीवित किया जाए, यह केवल हमारी ही मांग नहीं है, यह पूरे लखनऊ की जनता की मांग है।

श्री अध्यक्ष-

कोई चर्चा नहीं हो रही है, आपको ग्राह्यता पर सुन लिया है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, अम्बेडकर मैदान को कई साल बने हो गया, लेकिन लक्ष्मण मेला स्थल भी छोटे कार्यक्रमों के लिए जनता के लिए उपयोगी था। जब उससे और भी दूर रमाबाई मैदान बन गया, तब आप इसको बन्द कर दे रहे हैं, अब छोटे कार्यक्रम के लिए पांच सौ, हजार, दो हजार के कार्यक्रम के लिए रमाबाई पार्क जायें ? और दूसरा अभी तक तो इतने दिनों से कोई दुर्घटना नहीं हुई, आप दुर्घटना रोकने के लिए कोई उपाय कर सकते हैं, लेकिन जनहित को तो ध्यान में रखें कि जनहित के लिए 12 कि0मी0 दूर पांच सौ लोग जायें, इस बार लखनऊ महोत्सव हुआ, क्या स्थिति रही ? दूरी का भी प्रभाव पर पड़ता है, कार्यक्रम छोटा हो या बड़ा, जो कार्यक्रम उसमें कराने लायक नहीं होगा वह तो रमाबाई पार्क जायेंगे ही लेकिन मेरा आग्रह है कि सरकार इस पर विचार करे और अनावश्यक जिद न करे कि सब लोग रमाबाई पार्क जायें। रमाबाई मैदान 12 कि0मी0 दूर बन गया, इसलिए सभी लोग वहां जायें यह निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक तानाशाही मानसिकता है कि सबको मजबूर करो कि सब लोग वहां जाओ। अगर सुरक्षा का प्रश्न है तो आप सुरक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन आज तक कोई असुरक्षा नहीं हुई इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि अनावश्यक इसके लिए आप जन-आन्दोलन को खड़ा मत होने दीजिए, यह पूरे लखनऊ की जनभावना के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। यह जनभावना के अनुरूप नहीं है और सर्वजन हिताय तो नहीं ही है, इसलिए इस पर पुनः सरकार विचार करे। क्या आप इस पर पुनर्विचार करेंगे, मेरा इतना ही कहना है ?

(श्री गौरी शंकर एडवोकेट के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। जिनकी नोटिस थी, उनको सुन लिया है।

श्री अध्यक्ष-

मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करा रहा हूं। मैंने इस पर माननीय श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी, श्री विद्या सागर गुप्ता जी, श्री सुरेश चन्द्र तिवारी जी और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है अतः अग्राह्य की जाती है।

(श्री सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल तथा श्री सलिल विश्नोई सहित भारतीय जनता पार्टी के कई संदस्य सदन के वेल में आ गये और नारे लगाने लगे तथा लक्ष्मण मेला स्थल को पुनः बहाल किये जाने की मांग करने लगे, जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने उल्लेख किया कि धार्मिक त्योहारों से सम्बन्धित जो कार्यक्रम है उसके लिए डी0एम0 से अनुमति ले सकते हैं और मैंने यह भी कहा कि जहां तक छठ पूजा का सवाल है उसके लिए उसको और अच्छा बनाया जा रहा है। इसके लिए घाट बनाकर उसको छठ पूजा के उपयोग के लिए अच्छा बनाया जा रहा है, और लक्ष्मण जी के नाम को भी नहीं हटाया गया है। इसका सौन्दर्यीकरण किया जा रहा है, धार्मिक कार्यक्रम पर कोई प्रतिबंध भी नहीं लगाया जा रहा है, उसके बाद भी इन लोगों को किस बात की आपत्ति है ? मान्यवर, सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी रैलियों के लिए वह उपयुक्त स्थान नहीं है। क्योंकि उसके एक तरफ नदी है और सिर्फ एक तरफ ही रास्ता है। इसलिए उनको तो हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि हमारी सरकार उसको और सुन्दर बनाने का काम कर रही है और लक्ष्मण मेला के नाम को और अच्छा बनाने का काम कर रही है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, रोज अखबार भरे पड़े हैं, वह किसी दल से नहीं हैं, आम जनता की प्रतिक्रिया समाचार पत्र व्यक्त कर रहे हैं। जब उन्होंने कह दिया कि जहां इतने कार्यक्रम हो सकते हैं, छठ पूजा हो सकती है, उसमें 500, 1000 या 2000 की संख्या तक के लोगों के लिए कार्यक्रम हो सकते हैं तो वहां पर कोई मेला क्यों नहीं लग सकता ? किसी छोटे कलाकर की प्रदर्शनी लगनी है तो वह कहां जाएगा ? मान लीजिए कि छोटा राजनीतिक कार्यक्रम करना हो तो कहां होगा ? जब आप छठ पूजा कराने की अनुमति दे रहे हैं, उसमें भी घटना हो सकती है तो निश्चित रूप से यह कहना कि धार्मिक कार्यक्रम होंगे तो कोई घटना नहीं होगी और अगर राजनीतिक कार्यक्रम करेंगे तो घटना हो जाएगी, यह सही नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार को सबकी भावना को देखते हुए इस पर विचार करना चाहिए। उसमें निश्चित रूप से यह सिद्ध हो जाएगा कि इसके पीछे केवल यह राजनीतिक कारण है कि छोटे दल अपने कार्यक्रम करना चाहें तो न करने पायें। इसलिए यह द्वेषपूर्ण काम होने जा रहा है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस पर पुनर्विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य अपने स्थान पर जाकर बैठ जायें।

(वेल में आये हुए सदस्य नारेबाजी करने लगे)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इन्हें तो खुश होना चाहिए कि हम उस स्थान को पर्यावरण की दृष्टि से, धार्मिक तौर पर और अच्छा कर रहे हैं। वहां पर प्रदूषण न हो, क्योंकि जब वहां पर रैली होती है तो उससे उस जगह पर गंदगी हो जाती है जिससे प्रदूषण होता है। इसलिए हम उसे और अच्छा बना रहे हैं। इसका और सौन्दर्यीकरण करके और अच्छा बना रहे हैं। तो इसका तो स्वागत करना चाहिए।

श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

मान्यवर, सर्वसमाज के लिए, धार्मिक कार्यक्रम के लिए वह स्थान आरक्षित रहना चाहिए। यह लखनऊ नगर निगम की मांग है।

(भाजपा के सदस्य सदन के वेल पर बैठे रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी, अभी माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने बताया है कि जितने भी धार्मिक कार्यक्रम हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम है वह तो होंगे ही। छठ मेला पर प्रतिबंध नहीं लगा है। जो पारम्परिक कार्यक्रम हैं वह होंगे। शेष राजनैतिक कार्यक्रमों के लिए उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से रोक दिया है। सौन्दर्यीकरण के लिए उन्होंने कहा है कि वह होगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इनको तो खुश होना चाहिए था। हमने लक्ष्मण मेला स्थान पर छठ पूजा का कार्यक्रम नहीं रोका है।

(भाजपा के सदस्य सदन पर नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपने स्थानों पर जायें माननीय खन्ना जी आप क्या कह रहें हैं ?

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, एक अनुरोध करना चाहता हूं कि बेगम हजरत महल पार्क, जहाँ पर पहले छोटे-मोटे राजनैतिक कार्यक्रम हो जाते थे उसे समाप्त कर दिया गया है। यदि लक्ष्मण मेला मैदान में छोटे-मोटे राजनैतिक कार्यक्रम होंगे तो कौन सा आसमान फट जायेगा। यह पूरा सदन जन भावनाओं का प्रतीक है। मीडिया को ही ले लें, चाहे प्रिन्ट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रानिक मीडिया हो लक्ष्मण मेला पार्क लोगों की सेन्टीमेंट्स से जुड़ा हुआ है, इस पर विचार कर लिया जाय। इस पर पुनर्विचार का आश्वासन दिला दें।

श्री लालजी वर्मा-

मैंने तो पहले ही उल्लेख किया था कि माननीय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 15-2-2008 को एक बैठक में निर्णय लिया गया था कि जिला प्रशासन यदि पारम्परिक और धार्मिक त्योहारों के लिए स्थल को उचित समझता है तो उसकी अनुमति प्रदान कर सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि पारम्परिक और धार्मिक पूजा, विशेषतया छठ पूजा के लिए घाट का निर्माण कराया जा रहा है, इससे तो इन्हें खुश होना चाहिए था। विशेष रूप से जहां पूजा पाठ होता है वहां राजनैतिक कार्यक्रम होना उचित नहीं प्रतीत होता है। लक्ष्मण का नाम भी नहीं हटा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

धार्मिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम और छठ मेले के लिए तो अनुमति दी गयी है। तिवारी जी आप क्या कह रहे हैं ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेश चन्द्र तिवारी (वेल से)-

मान्यवर, राजनैतिक कार्यक्रम के लिए प्रतिबंध लगा, हम कोई राजनैतिक प्रदर्शन की मांग नहीं कर रहे हैं। हमारा कहना यह है कि लखनऊ नगर निगम ने जब वह स्थान विकसित किया था उसके बाद से लगातार हर वर्ष मेला लगता है। लखनऊ की धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक प्रदर्शनी वहां पर होती रही है।

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी, एक मिनट मेरी बात सुन लें। धार्मिक कार्यों के लिए उन्होंने कहा कि वह होते रहे हैं और होते रहेंगे, छठ मेला का कार्यक्रम होता रहेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

आपके परम्परागत जो कार्यक्रम होते थे, उसको जिलाधिकारी से आप अनुमति लेंगे उन परम्परागत कार्यक्रमों में जो आते हैं वह सब होंगे। धार्मिक कार्यों के आयोजन में एक भी रुकावट नहीं और सांस्कृतिक कार्यक्रम में कहीं कोई रुकावट हो तो आप बतायें। आप लोग बैठ करके अपनी बात कहते तो हम सुन लेते। आप बैठ करके यही बात कहें अगर नहीं पसन्द आये तो आप यहां रहियेगा।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष जी, लक्ष्मण मेला स्थल की पूरी जमीन के ऊपर खुदाई करके वृक्षारोपण के तहत पेड़ लगाये जा रहे हैं तो जब वहां पर पेड़ लग जायेंगे तो कैसे कोई कार्यक्रम वहां पर आयोजित हो सकेगा।

श्रीमती सीमा द्विवेदी-

आप ललई छठ पूजा की बात करते हैं, जब वहां पर वृक्षारोपण हो जायेगा, पेड़ लग जायेंगे तो वहां पर कोई कैसे आराम से छठ पूजा कर सकता है ?

श्री अध्यक्ष-

अरे सीमा जी आप क्यों परेशान हैं, छठ पूजा वहां आराम से हो जायेगी।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यहां से तो सदन चलेगा नहीं और अगर यह संतुष्ट नहीं हैं, सहमत नहीं हैं तो मान्यवर, यह सदन से बहिर्गमन कर लें। फिर आगे वाला मद ले लें मान्यवर।

*श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो स्थिति बताई है श्रीमन, अगर मैदान में वृक्षारोपण हो जायेगा और वह मैदान वाटिका के रूप में परिवर्तित हो जायेगा तो वहां पर कोई कार्यक्रम कैसे होगा। छठ की पूजा के लिये मान्यवर, पता नहीं छठ उनके घर में होता है या नहीं, मालूम नहीं, देखा होगा उन्होंने जरूर, लेकिन श्रीमन् आजमगढ़ में तो बहुत छट होती है, आपने जरूर देखा होगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

यह बलिया का असर है।

श्री अम्बिका चौधरी-

जी मान्यवर, बलिया का असर है और बलिया उसी मण्डल में है मान्यवर, जहां आप रहते हैं। छठ तो बिल्कुल घाट के किनारे होता है, मैदान में उसके आच्छादित होने का कोई प्रश्न नहीं इसलिये मान्यवर, अगर उस पूरे मैदान का स्वरूप परिवर्तित करके वाटिका में परिवर्तित कर देंगे तो मान्यवर, यह क्या प्रश्न उठेगा कि कौन सा कार्यक्रम आयोजित होगा, कौन सा नहीं होगा ? इसलिये उसको वाटिका में परिवर्तित करने का निर्णय गलत है और वहां पर जो पहले मेला स्थल था, मेला स्थल रहना चाहिये। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि वहां पर कोई ऐसी राजनैतिक रैली होगी, जिसकी वजह से सरकार किसी दिन गिर जायेगी तो उस पर प्रतिबन्ध लगाना हो तो अलग से लगायें, कोई आपत्ति नहीं। ऐसा कोई खतरनाक आयोजन होना हो, जिस पर सरकार को लगे कि वहां रैली या किसी जयोतिषी ने बता दिया हो मान्यवर, आज कल ज्योतिषियों पर बड़ा विश्वास है माननीय मंत्री जी का और बड़े-बड़े लोगों का अगर किसी ज्योतिषी ने बताया हो कि वहां पर जैसे ही कोई राजनैतिक आयोजन हुआ वैसे ही सरकार गई तो राजनैतिक आयोजन न होने दीजिये, लेकिन मेला स्थल के स्वरूप को परिवर्तित न कीजिये। लखनऊ नगर के मध्य में इतना उपयुक्त स्थान है और लखनऊ का प्रत्येक नगरवासी चाहता है कि लक्ष्मण मेला स्थल के स्वरूप में परिवर्तन न हो मान्यवर, यही सम्पूर्ण जनता चाहती है और यह जिद किस बात की है, बात कुछ समझ में नहीं आ रही है।

श्री अध्यक्ष-

एक चीज के लिये माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया है कि जो भी परम्परागत कार्यक्रम हो रहे थे, जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति के आधार पर वह उसको करायेंगे।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, आप विधायकों की एक कमेटी बना दीजिये, वह जाकर वहां का स्थल निरीक्षण कर ले। वहां पर सारे मैदान को खोद कर पेड़ लगाने की तैयारी की जा रही है और वहां पर फलदार पेड़ लगेंगे। तो जब वहां पर सारे स्थल में पेड़ ही लग जायेंगे, जगह ही नहीं बचेगी तो ऐसी स्थिति में कैसे कोई आयोजन वहां पर हो सकेगा।

श्री गौरी शंकर 'एडवोकेट'-

मान्यवर, जब वहां पर सारे स्थल में पेड़ ही लग जायेंगे तो जो पारम्परिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनको क्या पेड़ों की डालों पर बैठकर किया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

झाड़ी-जंगलों में ही आध्यात्मिक कार्य हुये हैं।

श्री गौरी शंकर 'एडवोकेट'-

मान्यवर, परम्परायें क्या फलदार पेड़ों की डालों पर निभायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

आपके पास पारम्परिक कार्यक्रम की सूची है कि नहीं है ? जब आपके पास उसकी सूची ही नहीं है तब आप कैसे समझ गये कि पारम्परिक कार्यक्रम वहां पर होता था।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, पारम्परिक कार्यक्रमों में भोजपुरी महोत्सव, हम भोजपुरी इलाके के रहने वाले लोग और इस प्रदेश में भोजपुरी बोलने वाले गरीब जनता का महोत्सव, भोजपुरी महोत्सव इनके इस तानाशाही रवैये के कारण स्थगित हो गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपना आसन ग्रहण करें।

(भारतीय जनता पार्टी के वेल में आये सदस्य वेल में ही खड़े रहे)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, वहां पारम्परिक कार्यक्रम होते हैं, तमाम मेले, कुटीर और हथकरघा की प्रदर्शनियां लगती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। राम लीला कार्यक्रम का प्रारम्भ वहीं से होता था। आप संभवतः बिल्कुल परशुराम जी की तरह बोल रहे थे। मान्यवर, वहां पर आल इंडिया मुशायरा होता था। वह सब अब कैसे होंगे ?

श्री अध्यक्ष-

यह कहा गया कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे वह होंगे। पारम्परिक कार्यक्रम, छठ कार्यक्रम, जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति के आधार पर सम्पन्न होंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, वह कार्यक्रम उस वाटिका में नहीं हो सकते हैं। जब वहां सब पेड़ लगा देंगे तो सब मैदान खत्म हो जायेगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, उस मैदान में जब पेड़ लगा देंगे तो यह उन्हें मालूम है कि वह अगले चार साल में कट जायेंगे कोई भी दूसरी सरकार आयेगी वह कटवा देगी। मान्यवर, एक जो सत्ता का दंभ होता है अहंकार होता है वह आज सरकार के रवैये से झलक रहा है। मान्यवर, आखिरकार इसमें लखनऊ की जनता को आन्दोलन करना पड़ सकता है। फिर एक नया केस होगा। जब वहां पर पेड़ लग जायेंगे तो मैदान तो ढक जायेगा तो कहां से कार्यक्रम होंगे ? कहां प्रदर्शनी लगेगी ? किसी छोटी जगह पर तो प्रदर्शनी लग नहीं सकती है कार्यक्रम हो नहीं सकते हैं। मान्यवर, पहले आप मैदान को ढक दें फिर अनुमति देंगे तो वह काम होगा कैसे ? वह कैसे संभव है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, फलदार वृक्ष नजदीक नजदीक नहीं होता है। छाया की दृष्टि से वह बहुत अच्छा बन जायेगा। उस दृष्टि से आपको इसका स्वागत करना चाहिये। घाट बनाकर, जो पारम्परिक पूजा के कार्यक्रम होते हैं, उनको उपयोगी बनाया जायेगा। मान्यवर, लेकिन अगर कुछ लोग इसे हौव्वा बनाकर

हर अच्छे कार्यक्रम का विरोध करेंगे तो क्या कहा जाये ? अब अगर यही मानसिकता भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की है तो फिर उसको क्या कहा जा सकता है ?

(श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव वेल से होकर खड़े होकर कहने लगे कि यह फलदार वृक्ष तो रमाबाई स्थल पर लोहिया पथ पर या अन्य स्थानों पर लग सकते हैं।)

(घोर व्यवधान के मध्य सदन के वेल में खड़े डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल तथा अन्य सदस्य नारे लगाने लगे।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया अपने स्थानों पर जाकर बैठ जायें।

मैंने इस सूचना पर श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री सुरेश चन्द्र तिवारी तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना, मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, आप रोज अखबार पढ़ते होंगे आप देखते होंगे कि उस स्थल से लखनऊ की जनता की भावनायें जुड़ी हैं। आप यह निर्देश तो दे सकते हैं कि सरकार इस मामले में पुनर्विचार कर लें। सरकार जिद पर अड़ी है। कोई प्रदर्शनी आम के बगीचे में तो नहीं लगती है। यह तो नहीं हो सकता कि आप आम का बगीचा भी लगा दें और कार्यक्रम भी यथावत् तरीके से होते रहें। मान्यवर, लखनऊ की जनता आन्दोलन के जरिये फिर अपना हक वापस प्राप्त करेगी। मान्यवर, इस मामले में सरकार के अहंकारी स्वभाव के विरोध में हम सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(श्री ओम प्रकाश सिंह ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मेला तो बाग में ही लगता है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम 56 के अन्तर्गत हमने एक सूचना दी है और इस घटना का उल्लेख करते हुये स्वयं मुझे इस बात की पीड़ा है कि सरकार रोज दावें यहां करती है बड़ी बड़ी और कानून व्यवस्था की ऊंची ऊंची बात कही जाती है। मैं पहले घटना का उल्लेख कर दूं।

बलिया जनपद में खेतना थानान्तर्गत एक गांव है खलीलपुर। खलीलपुर गांव में श्रीमनु, 14 तारीख को एक आठ वर्षीया लड़की तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली लड़की सीता पाल, मान्यवर, पति राम पाल मजदूरी करने वाला एक व्यक्ति जिसकी आजीविका का साधन दिन भर अगर वह फावड़ा चलाये, दूसरों के यहां बालू ढोये, गिट्टी ढोये तो उसका पेट भरने वाला हैं पूरी तरह से भूमिहीन, गरीब पतिराम पाल, अपनी पत्नी के साथ चूंकि गांव का रास्ता सकरा है इसलिये बालू बोरी से ढो रहा था। वहीं उसके पास वह बेटी चली गयी, मां और पिता दोनों वहां पर थे। वहां उन्होंने कहा एक छोटी गाय उनके दरवाजे पर है, अपनी गाय के लिये उस लड़की से कहा कि थोड़ी घास ले आओ उस गाय को डालना है और मां बाप के सामने वह लड़की पांच साढ़े पांच बजे खेतों में घास को लेने गयी। श्रीमन, घास लाने के लिये लड़की गयी और दो घंटे तक घास लेकर नहीं आई तो उसकी मां रोने लगी तो जो गांव के लोग थे उन लोगों ने बहुत आगे पीछे ढूंढ़ा। गांव के पूरब तरफ के खेत में वह गयी

हुई थी। वहां आस पास के लोगों ने टार्च से ढूंढा वह नहीं मिली। रात भर पूरा गांव परेशान रहा और अगली सुबह वह अबोध आठ साल की बच्ची, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाली, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब पतिराम की बेटी सीता श्रीमनु, उसकी लाश मिली। उसका एक हाथ तोड़ दिया गया था, एक पैर तोड़ दिया गया था और बहशियाना हरकत उसके साथ एक ने या एकाधिक्य कितने लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया था, इसका कोई पक्का अंदाजा नहीं है। अनुमान था कि कई लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या की। उसकी हत्या जिस तरफ वह गांव से गयी थी घास लाने पूरब तरफ और गांव को जोड़ने वाला जो एप्रोच रोड है जहां गाड़ियां चली आती हैं, उस एप्रोच रोड के पश्चिम तरफ गन्ने के खेत में उसकी लाश बरामद हुई। लाश बरामद होने के बाद बहुत आक्रोश पैदा हुआ और एफ0आई0आर0 दर्ज हुई। हम लोग परसों वहां गये थे। श्री सनातन पाण्डेय जी विधायक हैं उस क्षेत्र के उनके इलाके की घटना है और बहुजन समाज पार्टी के बहुत सम्मानित हमारे जनपद के नेता हैं उनके घर से एक डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर वह गांव स्थित है। अपराधियों के हौसले इतने बढ़े हुये हैं कि ऐसी जघन्य वारदात लोगों ने किया और पुलिस बहुत दबाव देने के बाद ...

(मुख्य मंत्री सुश्री मायावती के आगमन पर सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि मैं इस घटना का उल्लेख क. रहा था और माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में आ गयी हैं।

एक आठ वर्ष की बेटी गरीब की बेटी के साथ बलात्कार और हत्या और उसमें जो तेजी होनी चाहिये थी पुलिस की कार्यवाही में वह तेजी कहीं नहीं थी। अगर तकनीकी तौर पर उसका जवाब माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी या कोई मंत्री उठकर दे दें कि पुलिस ने यह कर दिया और रिपोर्ट दर्ज हो गयी तो इससे बात बनने वाली नहीं। मैं प्रदेश में चल रही बलात्कार की घटनाओं से जोड़कर यद्यपि मैंने अपनी घटना में इसका उल्लेख किया है लेकिन मैं इस घटना तक अपने को रोकने का काम करूंगा। मैं पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था का जिक्र नहीं करना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। अभी कानपुर में बलात्कार हुआ और बलात्कार के बाद हत्या हुई तमाम घटनाओं का उल्लेख है लेकिन श्रीमनु, जितनी तेजी होनी चाहिये थी उतनी तेजी कतई नहीं हुई। एक गरीब की छोटी नाबालिग बेटी उसके साथ बलात्कार और उसकी हत्या उसके साथ-साथ रेप हुआ और उसकी हत्या हो गयी। मैं बिना आक्षेप के यह बात कह रहा हूं उसमें श्रीमनु जो सबसे बड़ी आशंका थी कि राजनैतिक संरक्षण के नाते पुलिस उन लोगों पर मजबूती से कार्यवाही नहीं कर पा रही है अभी सूचना हम लोगों को मिली है कि उसमें दो लोगों की गिरफ्तारी हो गयी है। लेकिन मात्र दो लोगों की गिरफ्तारी कर दिये जाने से इसकी औपचारिकता पूरी नहीं होगी। श्रीमनु यहां नेता सदन हैं जो पूरे सदन की नेता हैं। श्रीमनु ऐसी घटनाओं की किसी भी हालत में प्रदेश में पुनरावृत्ति न हो, फिर किसी गरीब की अबोध बेटी के साथ यह घटना दोहराई न जाय, इसके लिये जो संवेदनशीलता होनी चाहिये, सरकार के स्तर पर, उसकी दरकार है, इसके अभाव में वहां स्थिति अत्यन्त तनावपूर्ण बनी हुयी है, पूरे प्रदेश में ऐसी घटनाओं की बाढ़ आई हुयी है श्रीमनु मैं अपने इस कार्यस्थगन प्रस्ताव पर बल देते हुये अनुरोध करना चाहूंगा कि तत्काल ऐसी प्रभावी कार्यवाही की जाय, जिससे ऐसा संदेश जाय कि

प्रदेश में इस तरह की कोई दूसरी घटना न दोहराई जाय और उस गरीब परिवार को एक रुपये की भी आर्थिक मदद नहीं दी गयी है, कम से कम 5 लाख रुपया उस गरीब पतिराम पाल के परिवार को सरकार देने का काम करे और दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही हो। इसी के साथ श्रीमन् मैं अपने कार्यस्थगन प्रस्ताव पर बल देते हुये, सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं, धन्यवाद।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, घटना निन्दनीय है, दर्दनाक है लेकिन मान्यवर, मैं यह अवगत कराना चाहता हूं कि यह सरकार, जिसकी मुखिया बहन कु0 मायावती जी हैं, अपराधियों को किसी भी तरह का संरक्षण देने का काम नहीं करती। अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग कहां हैं, यह स्वयं आपको विदित है ? इलाहाबाद में जिस तरह से मदरसे की बेटियों के साथ, जो पढ़ने गयी थीं और उनके साथ जिस तरह से घटना हुयी थी और उस घटना के बाद भी मान्यवर, एफ0आई0आर0 भी समय से नहीं लिखी गयी, और माननीय मुख्यमंत्री ने वहां होते हुये भी बड़े साधारण ढंग से यह कह दिया कि कितनी लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, यह इस बात को साबित करता है कि यह इस तरह की घटनाओं के प्रति सचेत नहीं थे। निठारी में जब घटना होती है तो इनके एक माननीय मंत्री वहां जाते हैं और कहते हैं कि यह तो छोटी-मोटी घटनायें होती रहती हैं। मान्यवर, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार का यह सुनिश्चित मत है कि अपराधी कैसा भी हो, किसी भी वर्ग का हो, उसके साथ किसी भी तरह की हमदर्दी नहीं दिखाई जायेगी बल्कि उसको दंड दिलाने का काम किया जायेगा। माननीय चौधरी साहब ने स्वयं स्वीकार किया कि इस घटना में जिन लोगों का नाम प्रकाश में आया है उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी, मुकदमा पंजीकृत किया गया, जांच की गयी, जांच में जिन लोगों का नाम आया, उसमें से दो लोग जेल भी भेजे जा चुके हैं। यह इस बात को सार्थक बताता है कि यह सरकार अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करने में पूरी तरह सजग है और कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, इस तरह से आरोप लगा देना, जो लोग हमेशा आरोपियों को बचाने का काम किया करते थे, वह हमारे ऊपर आरोप लगायेंगे। यह सरकार आरोपियों की किसी तरह से पक्षधर नहीं है। जो लोग अपराधी हैं, उनको दंड देने का काम किया जायेगा। अब दो लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है एक व्यक्ति ओम प्रकाश सिंह, जिनका नाम आया है, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। पूरी कार्यवाही की जायेगी किसी तरह के राजनैतिक संरक्षण देने की कार्यवाही नहीं की जायेगी और जो व्यक्ति भी संरक्षण देने का काम करेगा, उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैंने कोई आक्षेप नहीं लगाया, न कोई आरोप लगाया। हर सवाल पर चीख-चीख कर और उत्तेजित होकर बोलने से इसकी गम्भीरता प्रकट नहीं होती। यह जितना गम्भीर और जितना पीड़ादायक प्रकरण है, उसमें मैंने सिर्फ अनुनय किया है और हर सवाल पर चीख कर बात करने से आपकी गम्भीरता और संवेदनशीलता प्रकट नहीं होती। आपकी संवेदनशीलता ऐसे भी पता चल जायेगी, आप जब इसको गम्भीरता से कहेंगे तो पता चल जायेगी। मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, मैंने सिर्फ यह कहा कि ऐसी एक भी घटना की पुनरावृत्ति न हो, ऐसा संदेश जाय, इसके लिये आक्षेप से यह

ठीक होने वाली नहीं है और जो लोग प्रश्रय देते हैं, उनको आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं किसी पर आक्षेप कर भी नहीं रहा हूं, मैंने यह भी नहीं कहा कि उन्होंने यह काम किया, मैंने नहीं कहा। अगर आपने ऐसा समझा तो आप अपनी जानकारी दुरुस्त करें। किसी भी नेता पर किसी भी राजनीतिक दल पर संरक्षण देने का आरोप मैंने नहीं लगाया। केवल मैंने इतनी बात कही कि लोगों के बीच चर्चाएं हैं। लेकिन यह बजाय संवेदनशील होने के तुरन्त आक्षेप लगा देते हैं और चीख-चीख कर बोलते हैं। मान्यवर, एक गरीब की बेटी है और मात्र उसमें इतनी ही कमी है कि वह अनुसूचित जाति की नहीं है। उस गरीब परिवार के लिए किसी मदद की घोषणा के बजाय हमें धमकी दे रहे हैं। ऐसे नहीं बात पूरी होगी अगर आप उदारतापूर्वक और नेता सदन की उपस्थिति का लाभ लेकर सरकार की छवि को ठीक करने के लिए उस गरीब परिवार की मदद की कोई घोषणा करते तो हम भी आपकी सराहना करते। अपनी दृष्टि बदलिये, एक गरीब की बेटी की हत्या हुई है इसमें सरकार उस परिवार की क्या मदद करना चाहती है, इसे बता दें ?

लाल जी वर्मा-

मान्यवर, सरकार संवेदनशील है, संवेदनशीलता का परिचय यही है कि एफ0आई0आर0 लिखी गई, 15 तारीख की घटना है और 18 तारीख को अभियुक्त पंकज कुमार सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं और जो अभियुक्त है ओम प्रकाश सिंह, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। मान्यवर, इससे ज्यादा संवेदनशीलता और क्या हो सकती है।

श्री अम्बिका चौधरी-

क्या मदद करेंगे उस गरीब परिवार की यह बता दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, संवेदनशीलता है चौधरी साहब। मैंने श्री अम्बिका चौधरी जी को तथा मा0 संसदीय जी कार्यमंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 में नही आती, मै इसे अग्राह्य करता हूँ।

मा0 आजाद जी आगे बजट पर साधारण चर्चा भी होनी है, इसलिए थोड़े समय में अपनी बात रख लें। जितना कम शब्दों में रखेंगे तो उसका महत्व उतना ही बढ़ जायेगा।

श्री राम विशुन आजाद--

मानीनय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से नियम-56 के अन्तर्गत जो प्रश्न उठाना चाहता हूँ, वह बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अविलम्बनीय तथा लोकमहत्व का है। मान्यवर, देश की आजादी के लिए जिन क्रान्तिकारियों ने देश को आजाद कराने में अपनी अहम् भूमिका निभायी और अपनी अहम् भूमिका निभाते हुए वह शहीद हो गये। आज उनकी शहादत को हम लोग शायद भूल चुके हैं। उन क्रान्तिकारियों के स्वरूप को आने वाली पीढ़ी को याद रखने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिन महान सपूतों ने देश की आजादी के लिए अपने को कुर्बान कर दिया उन्ही मे से एक अमर शहीद भगत सिंह थे। जिन्होंने भारत माता के चरणों में अपने को न्यौछावर कर दिया और अपनी कुर्बानी दे दी और फांसी के फन्दे को चूम करके वह देश के लिए बलिदान हो गये। जनपद बलरामपुर में उतरौला कस्बा है जहाँ शुक्ला तिराहा है वहां पर मान्यवर, क्षेत्रवासियों ने अमर सेनानी सरदार भगत सिंह की पांच फीट की प्रतिमा को लगा करके वहां

के लोगों ने एक समारोह के माध्यम से उस मूर्ति का अनावरण किया। लेकिन मान्यवर, शायद वहां के प्रशासन को यह अच्छा नहीं लगा कि अमर सेनानी सरदार भगत सिंह की प्रतिमा कैसे लग गई ? मान्यवर, जनवरी के आखिरी सप्ताह 28-29 जनवरी की बात है, वहां के प्रशासन ने आ करके तुरन्त उस प्रतिमा को तोड़ दिया, इस तरीके से महापुरुष को अपमानित किया गया और उस प्रतिमा को विखण्डित करके पुलिस ने उसे मालखाने में जमा कर लिया। और यही नहीं, कुछ क्षेत्रवासियों के खिलाफ जानबूझकर एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गई। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर इसी तरीके से महापुरुषों का अपमान होगा, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी शहादत दी है तो मैं समझूंगा कि यह सरकारी कल्याणकारी सरकार नहीं है, लोकप्रिय सरकार नहीं है। जो सरकार हमेशा वायदा करती है कि हम महापुरुषों के सम्मान के लिये काम करेंगे इससे बात स्पष्ट होती है कि सरकार में बैठे हुये लोग, प्रशासन में बैठे हुये लोग यह नहीं चाहते हैं कि महापुरुषों का सम्मान किया जाए, भारत के महान सुपूतों की प्रतिमा लगायी जाय, जो प्रतिमा लगायी जाए उसको तोड़ दिया जाए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बलरामपुर जनपद के उतरौला कस्बे में शुक्ला तिराहे पर स्थापित प्रतिमा तोड़ी गयी है उससे उस क्षेत्र के तमाम क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों की भावनायें आहत हुई हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से भी आहत हूं। जब माननीय मंत्री जी जवाब दें तो उन लोगों, उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कहें जो इसमें दोषी हैं तो उन लोगों, उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कहें जो इसमें दोषी हैं और जिन्होंने प्रतिमा तोड़ी है। मैं इस कार्यस्थगन सूचना के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि शुक्ला तिराहा, उतरौला में अमर शहीद सरदार भगत सिंह की प्रतिमा लगवायी जाय। इसी के साथ मैं पुनः अपनी सूचना पर बल देता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आप भी अवगत होंगे, महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित करने के लिये एक नियमावली है। बिना परमीशन के कोई भी प्रतिमा स्थापित नहीं किया जा सकता। आप अवगत होंगे कि अभी बक्शी का तालाब, लखनऊ में बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा बिना परमीशन के लगायी गयी थी उसको भी प्रशासन ने हटाने का काम किया था। हमारे लिये सभी महापुरुष समान हैं। शहीद भगत सिंह हमारे लिये महापुरुष हैं और हम शहीद भगत सिंह का सम्मान करते हैं लेकिन क्या यह इजाजत दी जा सकती है जहां चाहें प्रतिमा लगा दें। इससे कानून-व्यवस्था भी खराब हो सकती है। उतरौला में बिना परमीशन के प्रतिमा लगायी गयी थी, जिला प्रशासन ने कार्रवाई की और उसे हटवाया। जैसा कि आजाद जी ने कहा है इसको ले करके रखा गया है तो कानून-व्यवस्था को बनाये रखने के लिये प्रशासन ने कार्रवाई करने का काम किया है। मान्यवर, यह नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिये इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

* श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, वहां पर कोई भी कानून-व्यवस्था गड़बड़ नहीं थी। अगर हम इतना नहीं कर सकते। अमर सेनानियों शहीद चन्द्र शेखर आजाद, राम प्रसाद विस्मिल, राजेन्द्र लाहिड़ी, सरदार भगत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सिंह, जिन्होंने अपनी जान देश पर न्यौछावर कर दी अगर यह सरकार उनका सम्मान नही कर सकती तो फिर क्या करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

आजाद जी, जब एक शासनादेश हो गया कि किसी महापुरुष की कोई मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं तो जिला प्रशासन से अनुमति ले लें ताकि महापुरुषों का कोई अपमान न हो। जब बिना परमीशन के मूर्ति लगाते हैं तो आप स्वयं उनका अपमान करते हैं। इसमें आप प्रक्रिया पूरी करा लें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस सूचना पर श्री राम विशुन आजाद व मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है अतः अग्राह्य किया जाता है। आजाद जी, इसमें पहले अनुमति ले लें।

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, जैसा कि मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा, इसमें कानून-व्यवस्था गड़बड़ होने की कोई बात नहीं थी। आपसी सौहार्द था, इसकी वजह से उन्होंने शहीद भगत सिंह की मूर्ति क्षेत्रवासियों ने चंदा एकत्र कर लगायी थी। अगर क्षेत्रवासियों में एकता नहीं होती थी चंदा लगाकर प्रतिमा नहीं बनवाते। कानून व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठता था। उतरौला कस्बे के शुक्ला तिराहे से जो मूर्ति हटायी गयी है उससे क्षेत्रवासियों की भावनायें आहत हुई हैं अतः मेरी मांग है कि पुनः वहां प्रतिमा लगवायी जाय और जो दोषी अधिकारी हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष-

आप पहले अनुमति ले लें।

श्री लालजी वर्मा-

आप अनुमति ले लेते हैं तो उसके अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मान्यवर, आपने मुझे लोक महत्व के विषय पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आपके जिले आजमगढ़ की तरफ ले जाना चाहता हूं। यह 4 फरवरी, 2008 के करीब 6 बजे की घटना है। मैं कहना यह चाहूंगा कि कप्तानगंज बाजार के अन्दर जो व्यापारी थे, पुलिस के एस0ओ0जी0 और थाना कप्तानगंज के श्रवण कुमार, अशोक कुमार, वीरेन्द्र कुमार और श्री कपूर चन्द्र गुप्ता ये थाना-कप्तानगंज बाजार के हैं। साजिश के तौर पर 2 बाघ के खाल को अखबार में लपेट करके रखने का काम किया। रखकर एक ही मिनट में एस0ओ0जी0, थाना कप्तानगंज की पुलिस मौके पर पहुंच गई और आकर इन लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया। मैं मौके पर गया था और मैंने मौके पर पहुंचकर जनता से पूछताछ किया। पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार करके ले जाने का काम किया। इसके बाद वहां के निवासियों ने वहां के व्यापारियों ने यह समझा कि पुलिस आ गई है तो उन लोगों ने वहां पर चौराहे पर धरना देने का काम किया जिससे कप्तानगंज के दरोगा ने व पुलिसकर्मियों ने लाठी चार्ज करके उन व्यापारियों को मारने का काम किया। मेरा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पुलिस जो इस तरह से ज्यादती कर रही है वह इसलिये कर रही है कि

यह व्यापारी पैसे वाले हैं यह व्यापार करते हैं, मेडिकल हाल हैं, कपड़े की दुकानें हैं। एस0 ओ0 जी0 की पुलिस ने टाटा सूमों में सादी वर्दी में आकर व्यापारियों को पकड़कर ले जाने का काम किया और लोगों को लाठी से मारकर घायल करने का काम किया और भी सैकड़ों लोगों को खोज रही है। इस गम्भीर विषय पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं इस पर सही कार्यवाही होनी चाहिये। पुलिस ने पूरी तरह से धन उगाही करने का काम किया है कि हम व्यापारियों को पकड़कर ले जायेंगे तो हमें पैसा मिलेगा इसलिये पकड़कर ले गये और जब और लोग वहां पहुंच गये तो पुलिस ने घबराकर थाने में उनको बन्द करने का काम किया मैं चाहता हूं कि इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 5-2-08 को अवगत कराया गया है कि दिनांक 4-2-08 को प्रभारी एस0 ओ0 जी0 श्री शिवशंकर सिंह को सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति जीवों की खाल एवं हड्डी के व्यापार में लिप्त हैं तथा कप्तानगंज बाजार में अशोक कुमार, वीरेन्द्र कुमार मेडिकल हाल पर बाघ की खाल का लेन देन होने वाला है। इस सम्बन्ध में घटना स्थल पर पहुंचने के बाद खाल के बारे में लेन देन की बात सुनी गई अखबार में लिपटे सामान को खोलकर देखने पर पता चला कि वह बाघ की खाल थी दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर थाना कप्तानगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 64/08 धारा वन जन्तु संरक्षण अधिनियम, 1972 तथा संशोधित 2002 की धारा 39/40, 50, 51 व मुकदमा अपराध संख्या 65/8 व धारा 413/414 भारतीय दण्ड विधान बनाम श्रवण कुमार गुप्ता पुत्र नरोत्तम प्रसाद गुप्ता कपूर पुत्र स्व0 जानकी प्रसाद गुप्ता ग्राम कस्बा कप्तानगंज थाना कप्तानगंज के विरुद्ध पंजीकृत होकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। उक्त खाल का प्रारम्भिक परीक्षण प्रभारी वनाधिकारी, आजमगढ़ द्वारा कराया गया जिससे ज्ञात हुआ कि यह 102 वर्ष की मादा की असली खाल है। तो मान्यवर, इस तरह से कार्यवाही हुई है और यह जो नियमानुसार वन्य जीव संरक्षण का जो अधिनियम है उसके अनुसार कार्यवाही हुई है। यह नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आता है। यह व्यक्तिगत घटना है इसलिये मैं चाहूंगा कि इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

इसको देख लें कि इसकी आड़ में निर्दोष व्यापारियों का शोषण न होने पाये।

श्री लालजी वर्मा-

निश्चित तौर पर इसमें किसी दशा में निर्दोष व्यापारियों का शोषण नहीं होने दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

मैंने प्रस्तुत सूचना पर श्री दुर्गा प्रसाद यादव को सुना, संसदीय कार्य मंत्री को सुना यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है इसलिये इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मान्यवर, श्रवण कुमार और कपूर चन्द का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है न ही इनके खिलाफ कोई मुकदमा पंजीकृत हुआ है। इसमें एस0 ओ0 जी0 व पुलिस के लोगों ने धन उगाही के चक्कर में इनको पकड़ा है और पकड़कर इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का काम किया है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर सही जवाब देने का काम करे।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

लल्लू सिंह जी, इमरान जी आप सूचना दे दीजियेगा जैसे और सदस्यों को मैंने कहा था इनकी जो घटना घटी है उसके सन्दर्भ में भी निर्देश दे दिये जायेंगे और कुछ मिल जायेगा। लल्लू सिंह जी आपकी सूचना है उसको भी यह सूचना अग्राह्य हो गयी है श्लाका के आधार पर केवल पांच में से 2 चयनित थीं। इमरान साहब आपकी सूचना पर भी मैं निर्देशित कर दूंगा।

*श्री इमरान मसूद-

मान्यवर, आपने कहा था कि बोलने का समय देंगे। एक मिनट सुन तो लीजिये। मेरे यहां 90 साल की बूढ़ी औरत को जेल भेजा गया है।

(सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय दुर्गा प्रसाद जी, आपकी सूचना अग्राह्य हो गई। माननीय लल्लू सिंह जी आपकी सूचना अग्राह्य हो गई है। खन्ना साहब आप फिर दे दीजियेगा। आपका मसला मैं दिखवा लूंगा।

श्री इमरान मसूद-

मान्यवर, मेरे जनपद सहारनपुर के मवीकलां ग्राम में ....

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि आज सामान्य बजट पर चर्चा भी है, उसमें कह लेंगे। आगे चार विधेयक भी हैं, उसमें भी समय लगेगा।

श्री इमरान मसूद-

माननीय मंत्री जी, केवल एक मिनट में। माननीय अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष-

आप सूचना दे दीजिये।

श्री इमरान मसूद-

माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट। मेरे यहां 90 साल की बूढ़ी औरत को संगीन धाराओं में केवल इसलिये जेल में डाला गया है क्योंकि उसकी जमीन का अधिग्रहण किया गया था। उसको मात्र 34 रुपये के हिसाब से दिया गया और उसी जमीन को 6800 रुपये के हिसाब से उसको मार्केट में बेचा जा रहा है। उनके कोई स्थान नहीं छोड़े। मंदिर नहीं छोड़े, शौचालय नहीं छोड़े जब इसके विरोध में वहां के लोगों ने प्रदर्शन किया तो 90 साल की औरत को जेल में भेज दिया तो मान्यवर, इतना अत्याचार हो। इसके अन्दर सरकार से कुछ कराने का काम करें।

श्री अध्यक्ष-

चलिये आपकी सूचना अग्राह्य हो गई लेकिन अगर निर्दोष ढंग से 90 साल की बूढ़ी औरत को इस तरह से कहीं मुल्जिम बनाये हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि इसको दिखवा लेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चलिये अब हो गया। अब इतनी नहीं। जब इतने लोगों की सूचनायें अग्राह्य हो गईं। खन्ना साहब आपकी सूचना हम लेंगे। आप दे दीजिये जैसा सुरेश जी को कहा था। जब अग्राह्य हो गई तो कोई जबाव भी नहीं आया होगा माननीय मंत्री जी के पास। इसलिये उसका महत्व भी नहीं रहेगा। माननीय लल्लू सिंह जी आप दे दीजियेगा। माननीय सुरेश खन्ना जी आपकी सूचना को मैंने देखा वह अग्राह्य हो गई है लेकिन आप दे दीजियेगा 25 बहुत जरूरी तारीख नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, 51 में परिवर्तित कर दीजियेगा। मान्यवर, वक्तव्य भी आ जाय।

श्री अध्यक्ष-

चलिये ठीक है 51 में परिवर्तित और वक्तव्य भी आ जायेगा। चलिये अब मद संख्या-9 लेते हैं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2008

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2008

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1993 की धारा 3 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 की धारा 3 में, उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"(5) जहां उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरी रह जाती है, तो उसे आगामी दो चयन वर्षों के लिये अग्रनीत किया जायेगा, उसके पश्चात् वह रिक्ति व्यपगत समझी जायेगी।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2008

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(डा0 राधामोहन दास अग्रवाल के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री लाल जी वर्मा-

क्या है आप पढ़ तो लें पहले ? इसमें क्या है बोलने के लिये।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मैं बोल रहा हूं, आप सुन लीजिये। अच्छा पहले प्रस्ताव रखना है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2008 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, खादी वस्त्र ही नहीं एक विचारधारा का प्रतीक है। देश की आजादी के दौरान जब अंग्रेजों ने इस भारत के सम्पूर्ण वस्त्र उद्योग को तबाह करने की कोशिश की, सूती रेशमी ऊनी वस्त्रों पर 25 से 30 प्रतिशत कर लगाये और विदेशी वस्त्रों को करमुक्त किया उस समय उसके विरुद्ध महात्मा गांधी जी ने आन्दोलन के रूप में खादी उद्योग को जन्म दिया था। यहां तक व्यवस्था की थी कि कांगेस का हर सक्रिय सदस्य प्रतिदिन चार आने का सूत कातेगा। माननीय प्रमोद तिवारी जी इससे सहमत होंगे। उनका मूल आधार था समाज को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाना और एक ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करना कि समाज का प्रत्येक नागरिक अपनी आय और अपने व्यय को स्वयं अपने आधार पर संचालित करने का प्रयास करे। वह ऐसी कल्पना लेकर चलते थे जिसमें समाज सत्ता से नियंत्रित नहीं होता था बल्कि सत्ता को समाज नियंत्रित करता था। इस सोच के अन्तर्गत अगर पूरे प्रदेश में इस विचारधारा को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न विभागों और आयोगों की स्थापना की गई है तो उसका मूल आधार उसकी स्वायत्तता होती है स्वायत्तता जो राजनैतिक स्वायत्तता हो, स्वायत्तता जो आर्थिक स्वावलम्बन के आधार पर बनी हो। यह पूरा अधिनियम जो मैंने पढ़ा इस पूरे अधिनियम का प्रयास पूरे खादी और ग्राम उद्योग की स्वायत्तता को प्रभावित करना है। इस आयोग का जो मूल विधेयक है इसमें यह प्राविधान है कि इसमें पूर्णकालिक सभापति होगा। शब्द है 'पूर्णकालिक सभापति' सरकार ने विधेयक में यह परिवर्तन कर दिया है जो सभापति होगा, अर्थात् पूर्णकालिक शब्द हटा दिया है। इसका मतलब है कि यह सरकार एक ऐसे व्यक्ति को सभापति बनाना चाहती है जो अस्थायी हो, कार्यवाहक हो और सरकार के इशारे पर काम करने के लिए मजबूर हो। सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि उसके कार्यकाल को दो साल से घटाकर एक साल कर दिया जाएगा। हम सब विधायक चुनकर आते हैं पांच साल के लिए, विधान परिषद् सदस्य आते हैं पांच साल के लिये, सांसद चुने जाते हैं पांच साल के लिए, ढेर सारे नियमों और आयोगों के बारे में इसी विधान सभा में हम लोगों ने बहुत सारी बहसें की हैं जिसमें उनके सदस्यों के कार्यकाल तीन साल के या पांच साल के बनाये हैं। यह कार्यकाल तीन साल, पांच साल इसलिये रखा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर सदस्य बनेगा उसका उप सभापति बनेगा तो एक आध साल उसे काम समझने में लग जाता है। जिस आयोग का वह सदस्य बना है उसकी बेहतरी के लिये प्रयास करेगा। लेकिन सरकार को यह भी बर्दाश्त नहीं है उन्होंने एक अल्पकालिक सभापति की भी व्यवस्था की है और साथ में यह भी चाहते हैं यह अल्पकालिक सभापति उस आयोग में दो साल भी न रहने पाये। उसे एक साल में हटा दिया जाय। इस प्रकार यह सरकार खादी ग्रामोद्योग आयोग को जो राजनैतिक स्वायत्तता, आर्थिक स्वावलम्बन के आधार पर यह संस्थान रहा होगा जिसमें सरकार का दायित्व यह था कि वह इस पर पूरा ध्यान देगी और उसे पूरी स्वायत्तता देकर पूरे प्रदेश में जो विभिन्न प्रकार के कर्मी होते हैं उनको प्रोत्साहन करने का पूरा अवसर देती। उनको अपनी नीतियां बनाने का अधिकार देती उसके स्थान पर यह सरकार उन्हें नियंत्रित करने का और सत्ता में लाने का प्रयास कर रही है। बड़ा आश्चर्य लगता है सरकार ने भाषा जो प्रयोग की है कि सरकार को और सशक्त बनाने के लिये मतलब एक उप सभापति के ऊपर यह सरकार अपनी सारी ताकत और सशक्तीकरण का प्रभाव दिखला देना चाहती है। मैं इसे लोकतंत्र का

हनन मानता हूं हमारी पार्टी इसे लोकतंत्र का हनन मानती है। मेरा सरकार से आग्रह है इस विधेयक को वापस ले और आयोग की स्वायत्तता को बरकरार रखे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मा0 अग्रवाल जी ने पूरा विधेयक पढ़ा नहीं, यह आयोग नहीं है, बोर्ड है और इसमें संशोधन केवल दो किये जा रहे हैं, एक तो खादी एवं ग्राम उद्योग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत गठित खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष की सहमति से राज्य सरकार गैर सरकारी सदस्यों में से एक पूर्णकालिक उप सभापति की नियुक्ति करेगी, गैर सरकारी सदस्यों में से। खादी ग्राम उद्योग आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा है कि राज्य सरकार को आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है, वह स्वतः ही उप सभापति की नियुक्ति कर सकती है। उनके उस पत्र को आधार मानकर हम उसकी जगह पर यह संशोधन कर रहे हैं कि राज्य सरकार गैर सरकारी सदस्यों में से एक उप सभापति नियुक्त करेगी। मान्यवर, दूसरा शब्द जो संशोधन है, वह केवल इतना है कि मूल अधिनियम की धारा 6ए में उपधारा-1 में शब्द 'दो वर्ष के स्थान पर एक वर्ष रख दिया जाए।' तो इसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है और न इसमें किसी तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट है, पहले भी उसमें था, गैर सरकारी अब भी है गैर सरकारी सदस्यों में से ही और उन सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी, इसमें भी हम कोई परिवर्तन करने नहीं जा रहे हैं इसलिये मान्यवर, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है, उसके कार्य को और अधिक सार्थक बनाने के लिये यह परिवर्तन किया जा रहा है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसके कारण इसका विरोध करने की आवश्यकता हो। मैं चाहूंगा कि इस पर मा0 अग्रवाल जी अपना संशोधन वापस लेकर सर्वसम्मति से इसको पास कराने का काम करें, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अग्रवाल साहब, आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, सभापति महोदय ने चूंकि कह दिया कि राज्य सरकार के हस्तक्षेप का विषय नहीं है, वह स्वयं उप सभापति की नियुक्ति कर सकते हैं, इसीलिये यह विधेयक, सरकार इस सदन में ला रही है। मान्यवर, मैं अपने संशोधन पर बल देता हूं और आग्रह करता हूं कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2008 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन)

विधेयक, 2008

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जायेगा।	संक्षिप्त नाम
2-उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 5 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-	उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-10 सन्
"(2) राज्य सरकार गैर सरकारी सदस्यों में से एक उप सभापति नियुक्त करेगी।"	1960 की धारा-5 का संशोधन
3-मूल अधिनियम की धारा 6-क में, उपधारा (1) में शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष" रख दिये जायेंगे।	धारा 6-क का संशोधन

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हुकुम सिंह जी नहीं हैं, मद संख्या-14 ले लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2008

नगर विकास, पर्यावरण, संस्कृति, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-10, तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2008

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जायेगा।

(2) यह 1 जनवरी, 2008 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन् 2007 की धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 की उपधारा (2) में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007" रख दिये जायेंगे।

धारा 3 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 3 में,-

(क) उपधारा (1) में-

(एक) खण्ड (क) में शब्द "व्यापार कर" विभाग के कमिश्नर, विशेष कमिश्नर व्यापार कर, एडीशनल कमिश्नर व्यापार कर, ज्वाइन्ट कमिश्नर व्यापार कर के स्थान पर शब्द "वाणिज्य कर विभाग के कमिश्नर, विशेष कमिश्नर, एडीशनल कमिश्नर और ज्वाइन्ट कमिश्नर" रख दिये जायेंगे ;

(दो) खण्ड (ख) में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007" रख दिये जायेंगे ;

(तीन) खण्ड (ग) में शब्द "व्यापार कर विभाग में" के स्थान पर शब्द "वाणिज्य कर विभाग में" और शब्द "व्यापार कर विभाग में तैनात सभी व्यापार कर अधिकारी" के स्थान पर शब्द "वाणिज्य कर विभाग में तैनात सभी वाणिज्य कर अधिकारी" रख दिये जायेंगे ;

(चार) खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा :-

"(घ) राज्य सरकार या कमिश्नर द्वारा वाणिज्य कर सर्किल में तैनात वाणिज्य कर अधिकारी से अनिम्न स्तर का कोई अधिकारी, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 की धारा 45, 46 एवं 48 के अधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिये राज्य सरकार अथवा कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी और उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 की धारा 49 के अधीन स्थापित किसी जांच चौकी पर तैनात वाणिज्य कर अधिकारी से अनिम्न स्तर के अधिकारी इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारक अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।"

(ख) उपधारा (2) में शब्द "कमिश्नर व्यापार कर" के स्थान पर "कमिश्नर वाणिज्य कर" और शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948" के स्थान पर शब्द और अंक " उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007" रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 4 में उपधारा (5) में शब्द "ऐसे माल का कुल मूल्य निर्माता की दशा में दो लाख रुपये व अन्य व्यापारी की दशा में तीन लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "ऐसे माल का कुल मूल्य पांच लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 6 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 6 में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948" के स्थान पर शब्द और अंक " उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007" रख दिये जायेंगे।

धारा 8 का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 8 में,-

(क) उपधारा (1) में प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948" के स्थान पर शब्द और अंक " उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (3) में शब्द, अंक और अक्षर "उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की धारा 8-क की उपधारा (1-क), (1-ख), (1-ग), (1-घ), 2, 3 एवं 4 के प्रावधान" के स्थान पर शब्द और अंक " उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 की धारा 17 के प्रावधान" रख दिये जायेंगे।

धारा 11 का संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा 11 में उपधारा (1) में शब्द, अंक और अक्षर "उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948" की धारा 2 के खण्ड (ग) के अन्तर्गत" के स्थान पर शब्द और अंक और अक्षर "उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 की धारा 2 के खण्ड (ज) के अन्तर्गत रख दिये जायेंगे।

धारा 12 का संशोधन

8-मूल अधिनियम की धारा 12 में उपधारा (5) में शब्द, अंक और अक्षर "उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की धारा 8-घ" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 की धारा 34" और शब्द और अंक "धारा 8 की उपधारा (1)" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 33 की उपधारा (2)" रख दिये जायेंगे।

धारा 13 का संशोधन

9-मूल अधिनियम की धारा 13 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"13-उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 के निम्नलिखित उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित इस अधिनियम के अधीन सभी व्यापारियों और कार्यवाहियों पर लागू होंगे :-

(एक) धारा 9-फर्म, व्यक्तियों के संघ और हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का दायित्व;

(दो) धारा 10-मृत व्यक्ति द्वारा देयकर का भुगतान उसके प्रतिनिधियों द्वारा किया जायेगा;

(तीन) धारा 11-नाबालिग या असमर्थ व्यक्ति के मामले में कर का दायित्व;

(चार) धारा 12-प्रतिपाल्य अधिकरण के मामले में दायित्व;

(पांच) धारा 16-साबित करने का भार;

(छः) धारा 19-राजस्व के हित में प्रतिभूति;

(सात) धारा 21-व्यवहारी द्वारा रखे जाने वाले लेखे और दस्तावेज;

(आठ) धारा 29-कर निर्धारण से वंचित रह गये आवर्त का कर निर्धारण;

(नौ) धारा 30-आवर्त, कर आदि को पूर्णांक करना;

(दस) धारा 31-त्रुटियों का संशोधन;

(ग्यारह) धारा 32-कर निर्धारण या शास्ति के एक पक्षीय आदेश को रद्द करने की शक्ति;

(बारह) धारा 33-कर का संदाय और वसूली;

(तेरह) धारा 36-नगण्य धनराशियों की वसूली या उनकी वापसी की उपेक्षा किया जाना;

(चौदह) धारा 39-किश्त की सुविधा प्रदान करने की शक्ति;

(पन्द्रह) धारा 40-वापसी और सामायोजन;

(सोलह) धारा 43-व्यवहारियों द्वारा कर के रूप में त्रुटिपूर्ण ढंग से वसूल की गयी धनराशि के वितरण की प्रक्रिया;

(सत्रह) धारा 45-लेखों, दस्तावेजों को दिखाने की आज्ञा देने की शक्ति और प्रवेश, निरीक्षण, तलाशी और जब्त करने की शक्ति;

(अट्ठारह) धारा 48-माल अभिग्रहीत करने की शक्ति;

(उन्नीस) धारा 49-जांच चौकियों और नाकों की स्थापना;

(बीस) धारा 50-घोषणा पत्र द्वारा सड़क मार्ग से राज्य में माल का आयात;

(इक्कीस) धारा 51-राज्य में रेल, वायुमार्ग, डाक, नदी या रज्जुमार्ग द्वारा माल का आयात;

(बाइस) धारा 52-राज्य से होकर सड़क मार्ग से माल जाने के लिये प्राधिकार पत्र (बहती) जारी करना;

(तेइस) धारा 53-पुलिस से सहायता लेने की शक्ति;

(चौबीस) धारा 54-कतिपय मामलों में शक्तियां;

(पच्चीस) धारा 55-अपील;

(छब्बीस) धारा 56-कमिश्नर द्वारा पुनरीक्षण;

(सत्ताइस) धारा 57-अधिकरण,

(अट्ठाइस) धारा 58-विशेष मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण;

(उन्तीस) धारा 59-कमिश्नर द्वारा विवादग्रस्त प्रश्नों का अवधारण;

(तीस) धारा 60-आदेश जिसके विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा;

(इक्तीस) धारा 61-अपील में अतिरिक्त साक्ष्य;

(बत्तीस) धारा 66-अधिकारिता के सम्बन्ध में आपत्ति;

(तैंतीस) धारा 67-हानि रक्षा,

(चौंतीस) धारा 68-कतिपय कार्यवाहियों पर रोक;

(पैंतीस) धारा 69-कुछ ऐसी सूचना जो गोपनीय होगी;

(छत्तीस) धारा 71-रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के लिये सुविधा;

(सैंतीस) धारा 72-कतिपय मामलों में शुल्क;

(अड़तीस) धारा 73-राजस्व को कपटवंचित करने के लिये अन्तरण का शून्य होना;

(उन्तालीस) धारा 74-अधिसूचना जारी करने की शक्ति;

(चालीस) धारा 75-व्यापार के परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना;

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 के प्रावधानों के अन्तर्गत ख रीद या बिक्री का व्यापारावर्त, या दोनों, जैसी भी स्थिति हो, के संदर्भ इस अधिनियम के अधीन अनुसूचित माल के मूल्य के संदर्भ समझे जायेंगे।''

निरसन और अपवाद

10-(1) उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2008 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं0-1 सन् 2008

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही/समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-10 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(श्री हुकुम सिंह के पुकारे जाने पर और उनके द्वारा अननुमोदन का संकल्प प्रस्तुत न किये जाने पर)

मद संख्या-15 के पश्चात् मद संख्या-17 लिये जाने का अनुरोध

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि अब सीधे मद संख्या-17 ले लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2008

नगर विकास, पर्यावरण, संस्कृति, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2008 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।) अध्यक्ष महोदय, इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, इसके पूर्व हमने एक और विधेयक पारित किया उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2008। मान्यवर, यह विधेयक उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2008 से जुड़ा हुआ है। हमें जो आंकड़े दिये गये हैं उनके हिसाब से 87-88 में सरकार जितना कर राजस्व इकट्ठा करती थी वह कर राजस्व में व्यापार कर का हिस्सा करीब 44 प्रतिशत होता था और वर्ष 2008-09 का जो बजट इस सरकार ने प्रस्तुत किया है उसमें जो कुछ मूल्यांकन सरकार का रखा गया है उसके हिसाब से जितना कर राजस्व इकट्ठा करती है उसका 52 प्रतिशत कर राजस्व यह सरकार प्रत्यक्ष व्यापार कर से लेने जा रही है। यह मैं इसलिये बता रहा हूं कि माननीय सदस्यों को भी यह समझ में आना चाहिए कि जब वैट नहीं लगा था तब भी कर संग्रह की प्रणाली कितनी प्रभावी थी। वर्ष 2006-07 में व्यापार कर राजस्व 13 हजार 278 करोड़ रुपये था। सरकार ने अपने पिछले वर्ष के कार्यकाल का अपना अनुमानित व्यापार कर का कलेक्शन बताया है। वह 16 हजार 286 करोड़ रुपये है। अर्थात् एक साल के कार्यकाल में जब इस प्रदेश में वैट नहीं लगा था तब यह सरकार मानकर चल रही थी कि बिना वैट के ही सरकार के व्यापार कर में 3 हजार 8 करोड़ की

वृद्धि होने जा रही है। यह सरकार का अपना अनुमान है जो सरकार ने इस सदन के सामने रखा है। मान्यवर, बिना वैट के यह सरकार 3 हजार 8 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन व्यापार कर के माध्यम से जुटाने जा रही है। व्यापार कर लगने के बाद यह 16 हजार 286 से बढ़कर 19 हजार 705 करोड़ हो जायेगा जो सरकार का अनुमान है और उसके हिसाब से यह 34 सौ 18 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। अर्थात् जब वैट नहीं था तब भी 3 हजार करोड़ के संसाधन इकट्ठे किये और वैट लगने के बाद भी 34 सौ 18 करोड़ रुपये इकट्ठा होने का अनुमान है।

वास्तव में कितना एकत्र होगा यह दूसरे साल में आंकलन करेंगे, 2010-11 में तब ही पता चल पायेगा। इस परिवर्तन को लेकर व्यापारियों में डर का माहौल है। अधिकांश व्यापारी आतंकित हैं कि जो वैट लगा है, इस परिवर्तन के माध्यम से पुनः इंस्पेक्टर राज की ओर हम वापस चले आ रहे हैं। सरकार की इस घोषणा के बाद 1 अप्रैल, 2008 को जब वैट लगेगा तो प्रदेश में कितनी मंहगाई बढ़ जायेगी। आप सभी सदस्य परिचित होंगे कि सब चीजों में दामों में बढ़ोत्तरी हुई है। दवा, खाद राशन तथा अन्य वस्तुओं में बढ़ोत्तरी हुई है। जनता यह मानकर चल रही है कि वैट लगने से पहले वैट टैक्स जैसी चीज लगा दी है जिसके कारण दाम बढ़ गये हैं। मान्यवर, यह कहा गया कि विश्व में सभी जगह वैट है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह 140 देशों में है। जहां लागू है, वहां सरकार ने जो स्वरूप दिया है, जिन देशों में यह लागू है उस स्वरूप में अन्तर है। वहां पर अगर लागू है तो कर की दर एक ही है। वहां पर एक निश्चित फ्लोर रेट पर कर लिया जाता है, विभिन्न करों दरों पर राजस्व की वसूली नहीं होती है। सबसे पहले यह 1918 में नार्वे में लगा था। तो यह टर्न ओवर टैक्स का स्थान लिया था और 1964 में अगर पहली बार यह फ्रांस में लागू की गयी तो वस्तुतः इसने टर्न ओवर टैक्स का स्थान लिया था। यह लगने के बाद न तो एन्ट्री टैक्स, न मंडी शुल्क, न अलग से सेन्ट्रल एक्साइज टैक्स रहा। आज की स्थिति यह है कि हम प्रदेश में वैट तो लगा रहे हैं लेकिन इसके साथ-साथ हमारे पास एन्ट्री टैक्स भी है, मण्डी शुल्क भी हैं, एक्साइज यह दोनों सेन्ट्रल और स्टेट दोनों का होता है और सेन्ट्रल एक्साइज भी है। सेन्ट्रल एक्साइज कम नहीं होता। यह सम्पूर्ण राज्य के कर का 13 प्रतिशत केन्द्रीय व्यापार कर होता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपने अपने करों की दरों को अन्य प्रदेशों की दर की तरह कर दिया लेकिन सेन्ट्रल सेल्स टैक्स जो पूरे प्रदेश में लगता है, हम सभी आंकड़ों के आधार पर इस बात को जानते हैं कि सेन्ट्रल सेल्स टैक्स अधिकतम उन राज्यों को लाभ देता है जो उत्पादन प्रतिशत इण्डस्ट्री का हिस्सा उस प्रदेश के विकास में सर्वाधिक होता है जो इण्डस्ट्रियल बहुत विकसित राज्य होते हैं, स्वाभाविक रूप से सेन्ट्रल एक्साइज का आर्थिक लाभ होता है, उन राज्यों को ही अधिक मिलता है। इसलिए सरकार ने अगर इसे यहां लागू किया तो सरकार को कम से कम यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि अगर केन्द्र सरकार ने 2003-04 में सेन्ट्रल सेल्स टैक्स को वापस लेने की घोषणा की थी, नहीं वापस लिया, अभी तक लगा हुआ है, तो इस सेन्ट्रल सेल्स टैक्स के नाते उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को जो आर्थिक समतुल्य नुकसान होने वाला है, यह सरकार अपने टैक्स की घोषणा करते समय जो दरें इन्होंने घोषित की हैं अधिकांश वस्तुओं को 12.5 प्रतिशत की दर में रखने का, मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस बात को बतायेंगे भी कि जो दर इन्होंने लगायी है उसका कितना हिस्सा कर में होगा, जो चार प्रतिशत की दर लगायी है उसका

कितना हिस्सा होगा और जिन वस्तुओं पर बीस प्रतिशत होगा, उसका कितना होगा तो समझ में आयेगा कि मूलतः जो सबसे अधिक कर देते हैं यह सरकार उन्ही को दुहने का प्रयास कर रही है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहूँगा कि यह सरकार व्यापारियों के राजस्व से चलती है, तो हमारा काम उनको प्रोत्साहित करने का होना चाहिये और ऐसी परिस्थिति पैदा करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के व्यापारियों का हित हो। सरकार ने लागू किया तो 31 दिसम्बर डेट तय की और यह कह दिया कि जिनके पास पुराने स्टाक हैं उसका एक महीने के अन्दर लेखा जोखा तैयार करके आफिस में जमा कर दें। किसी भी व्यापारी के लिए यह संभव नही होगा कि वह एक महीने के अन्दर सारे स्टाक का लेखा जोखा तैयार करके जमा कर सके। उसमें यह है कि सरकार ने यह माना था कि इस पर टैक्स लेंगे और 6 महीने के बाद वापस कर देंगे। जिन चीजों पर दो प्रतिशत, चार प्रतिशत, आठ प्रतिशत टैक्स लगता था। इस सरकार ने अध्यक्ष महोदय, उसे बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया। जो सामान्य खाद्य चीजें जिनमें देश के अन्य प्रदेशों में कोई शुल्क नहीं है अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में महाराष्ट्र में, गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में, बंगाल में कहीं पर चावल पर, दाल पर, गेहूं पर, तिलहन पर, दलहन पर अगर कोई शुल्क नहीं है तो इस सरकार ने 4 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की। यहां तक कि इन अनाजों पर शुल्क लगेगा, इन अनाजों से ढाबे पर जो भोजन बनेगा, उसके ऊपर भी 12 परसेन्ट शुल्क लगेगा और यह अनाज जब मण्डी में जायेंगे तो उनके ऊपर भी अढ़ाई परसेन्ट शुल्क लगेगा। अब एक गरीब का भोजन जो ढाबे पर बैठकर वह लेता होगा सीधे 17 परसेन्ट टैक्स के माध्यम से अध्यक्ष महोदय मंहगा हो जायेगा। इस प्रदेश में टैक्स रिफार्म कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने सेल टैक्स की बारीकी को और जो प्रदेश में अन्य टैक्स हैं उनकी बारीकी का पूरा अध्ययन किया और यह बताया, अध्यक्ष महोदय यह बहुत महत्वपूर्ण वैट है क्योंकि यह सरकार जिस प्रकार के कर को जिस तरीके से लाद रही है जनता को मालूम होना चाहिए कि वास्तविक सच्चाई क्या है। इस सरकार की अपनी कमेटी ने कहा कि व्यापार कर पर जिसकी मानीटरिंग यूनिट एक से ज्यादा है उस पर जोर देने की जगह पर स्टैम्प पर, रजिस्ट्रेशन पर, वाहन पर, एक्साइज पर अन्य चीजों पर दबाव देकर के जिनमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है उन माध्यमों को कर इकट्ठे करने का प्रयास करना चाहिए। कमेटी ने यह भी कहा था कि जिस सर्विस टैक्स को लेकर के अभी हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं उस सर्विस टैक्स का हम उत्तर प्रदेश के हित में कैसे लायें या कृषि के क्षेत्र में हम किस प्रकार से हम उन करों को करें जो प्रोग्रेसिव हों उग्रेसिव न हों किस प्रकार से परिवर्तन कर सकें इस पर विचार करें। लेकिन सरकार ने चूंकि इसे काम नहीं करना, व्यापारी एकदम सामने खड़ी हुई दुहने वाली गाय है जो इनके वोट बैंक और मतदाता नहीं हैं स्वाभाविक रूप से राजनैतिक पूर्वाग्रह के आधार पर व्यापारियों का शोषण और प्रताड़ना करने के लिये प्रत्यक्ष रूप से इस वैट को लगाने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी समस्या जो इनपुट क्रेडिट की व्यवस्था माननीय मंत्री जी ने की है, माननीय मंत्री जी स्वयं तो व्यापारी हैं नहीं, लीगल हैं, अधिवक्ता हैं, वकील हैं, बहुत बड़े अधिवक्ता हैं, आज व्यापारियों पर कर लगा कर बहुत खुश हो रहे हैं, कल प्रोफेशनल टैक्स और सर्विस टैक्स, अधिवक्ताओं पर भी लगेगा, मुझे विश्वास है कि उस बजट को ऐसे ही वह यहां पर प्रस्तुत करेंगे और उन्हें लगाना होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनपुट क्रेडिट के नाम पर जितना पैसा जमा किया जायेगा,

व्यापारी जब उसका रिफण्ड चाहेगा तो रिफण्ड पाने के लिए उसको एक-एक साल इन्तजार करना पड़ेगा क्योंकि जो माल वह बाहर से लेकर आया होगा उसके लिए उसको वांछित दर जमा करना पड़ेगा जिसे मिलने में कम से कम छः महीने लगता है और सबसे बड़ी चीज क्या हुई अध्यक्ष महोदय सामान्यतः यह विधान सभा बनी इसलिए है कि यहां विधेयकों पर चर्चा होगी। हम विधेयकों के विभिन्न पक्षों पर बहस करते हैं, हम संशोधन लाते हैं जो पक्ष होते हैं, गलत होते हैं उनमें परिवर्तन की मांग करते हैं इसके बाद सरकार उन विधेयकों के आधार पर नियमावलियां बनाती हैं। इस सरकार ने 01 अप्रैल, 2008 से विधेयक लागू कर दिया, विधान सभा को संज्ञान में ही नहीं लिया और प्रत्यक्षरूप से नियमावली बना करके सारे व्यापारियों का शोषण प्रारम्भ हो गया। इस प्रकार से इस सरकार ने एक अलोकतांत्रिक आचरण किया है, इस विधान सभा की मर्यादा को भी घटाने का एक कुत्सित प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आग्रह करूंगा यह जो इन्होंने कहा है,

श्री अध्यक्ष-

कृपया समाप्त करें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

बस मांगें रख करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा माननीय अध्यक्ष जी, एक तो जो इन्होंने यह कहा है कि पांच लाख से ऊपर के व्यापारियों पर यह कर लगाया जायेगा, पांच लाख का टर्नओवर 1390 रुपये प्रतिदिन का टर्न ओवर होता है। 1390 रुपये के टर्न ओवर पर अगर 10 प्रतिशत आय जोड़ ली जाये तो 140 रुपये होती है, महीने तकरीबन पांच हजार रुपया, 4800/-रुपया, एक परिवार में अगर पांच आदमी हों तो प्रति व्यक्ति आय हुई 800/-रुपया, 900/-रुपये, दस सौ रुपये के नीचे बिलों पावर्टी लाइन मानी जाती है, इसी प्रदेश में अर्थात् यह सरकार बिलों पावर्टी लाइन में जीवन जीने वाले, गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले नागरिकों को भी कर के दायरे में लाने का खेल कर रही है। हम रोज व रोज इस बात को देखते हैं कि कुशीनगर से लेकर के बुन्देलखण्ड तक किस प्रकार से नागरिक गरीबी, आर्थिक अभाव, बेरोजगारी, भुखमरी के नाते मर रहे हैं और इस सरकार ने अत्यन्त क्रूरता के साथ उन गरीब नागरिकों पर भी कर लगाने की व्यवस्था कर दी, जिनकी प्रति व्यक्ति आय मुश्किल से आठ सौ रुपये प्रतिदिन निकलेगी अधिकतम आय, इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि अगर यह कर लगता है, हम लोग तो इसका विरोध करने जा रहे हैं लेकिन सरकार के चूंकि सारे रवैये एक पक्षीय हैं बहुमत के आधार पर सारी अधिनायकवादी ताकतों का प्रयोग करके यह सरकार जो चाहती है करती है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि यह जो न्यूनतम पांच लाख की सीमा तय की गई है मूल्यांकन की, इसे बढ़ाकर के कम से कम 20 लाख रुपये किया जाये।

मान्यवर, जिससे बहुत बड़ी संख्या में जो छोटे व्यापारी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले व्यापारी हैं, मान्यवर, आज 130 रुपया कमा लेना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आपकी मिनिमम वेजेज 100 रुपये है तो जो आप इस वैट के माध्यम से इन छोटे व्यापारियों का उत्पीड़न करना चाह रहे हैं वह उचित नहीं कहा जा सकता है। मेरा अनुरोध है कि वैट लागू करने की सीमा 5 लाख रु0 से बढ़ाकर कम से कम 20 लाख रु0 की जानी चाहिए। दूसरी चीज अगर आप वैट लागू करना चाहते हैं तो आपको इन्ट्री टैक्स और मण्डी शुल्क को समाप्त करने की घोषणा करनी चाहिए। इसी के

साथ-साथ केन्द्र सरकार से आग्रह करके यह बाध्यकारी प्रावधान कराया जाना चाहिए क्योंकि उनकी ओर से यह कहा गया था कि सारे देश में वैट लागू होने के बाद सेन्ट्रल सेल्स टैक्स को समाप्त कर देंगे। मगर वह किया नहीं गया है तो आप यह कह सकते हैं कि जब तक आप सी0एस0टी0 समाप्त नहीं करेंगे तब तक वैट लागू नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि इस सी0एस0टी0 के माध्यम से महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों ने काफी लाभ उठाया। आप कह सकते हैं कि तब तक हम स्टेट में वैट को लागू करने से विरत रहेंगे। मान्यवर, आपको पता होगा कि हरियाणा में तीन स्तर पर कर लगाया गया था। इसमें राज्यों को स्वायत्ता दी गयी है। आप करों की दरों को स्वयं तय कर सकते हैं। वैट लगने की जो बात थी उसमें उनकी ओर से यह कहा गया था कि पहले साल में शत-प्रतिशत नुकसान की प्रतिपूर्ति करेंगे दूसरे साल में 75 प्रतिशत की करेंगे और तीसरे साल में 50 प्रतिशत की करेंगे। जबकि आप उन्हें यह बता रहे हैं कि वैट के माध्यम से हम इतनी वसूली करने जा रहे हैं।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, वैट से सम्बन्धित विधेयक तो पास कर दिया गया है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, यह सदन तो विधेयकों पर विचार करने के लिये ही बना है।

इस विधेयक में व्यापारी के शोषण का नियम बनाया गया है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह वैट पर चर्चा तो हो नहीं रही है। दूसरे अगर वैट विधेयक इतना महत्वपूर्ण नहीं था और इस ढंग से व्यापारियों के हित में नहीं था तो आपको केन्द्रीय नेतृत्व पर दबाव डालना चाहिए था उस समय।

श्री हुकुम सिंह-

आप मान्यवर, बता दें कि फिर यह चर्चा काहे की है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2008 पर बात हो रही है।

मान्यवर, अभी इस पर मंत्री जी विस्तार से बतायेंगे। अगर वैट विधेयक इतना अनुपयोगी था तो आपको उसी समय केन्द्रीय नेतृत्व पर दबाव डालना चाहिए था।

मान्यवर, आपने इसके लिए कुछ समय निर्धारित किया हुआ है। जब संशोधन रखना था तो आप खड़े नहीं हुए थे। आपने विचार का प्रस्ताव पास करा दिया था। उसके बाद संशोधन का प्रस्ताव आ ही नहीं सकता है। इसमें मंत्री जी को अभी जवाब भी देना होगा। दूसरी मदें भी हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपको इस विधेयक पर सुनना ठीक था, जरूरी है। संशोधन प्रस्ताव आगे पीछे हो गया। सूक्ष्म समय में अपनी बात कहें आगे बजट की साधारण चर्चा होनी है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं दो मांगे और रखकर अपनी बात समाप्त करता हूं। एक यह जो 31 दिसम्बर की डेट दी गयी है इसको बढ़ाया जाय। दूसरी चीज यह खाद्यान्नों पर जो अन्य प्रदेशों में कर नहीं

लगता है अगर आपने लगाया है तो इसे समाप्त किया जाय और अन्त में जो इनपुट क्रेडिट आप जमा करवाते हैं और बाद में रिफण्ड करते हैं। व्यापारियों को यह अधिकार दीजिये कि इनपुट क्रेडिट माइनस करके वह टैक्स अदायगी करे अगर उसके पेपर में कमी हो तो आप पेनाल्टी का प्राविधान करिये। लेकिन आप कर जमा करा लीजिये और साल भर बाद उसको वापस करिये इस बीच में जब वह वापसी लें तो हम सब आयकर की वापसी को देखते हैं कि 15 प्रतिशत नजराना शुकराना देना पड़ता है। इसलिए अगर यह संभव हो तो व्यापारियों को वह छूट दें।

श्री नकुल दुबे-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से माननीय श्री अग्रवाल साहब को अवगत कराना चाहता हूं कि मद संख्या-17 पर जो विधेयक है वह उपरिलिखित अध्यादेश का प्रतिस्थानी विधेयक है और इस विधेयक में सिर्फ तीन बिन्दु हैं। इसमें तीनों बिन्दुओं के बारे में मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं।

बिन्दु संख्या-

1-सरकारी अर्ध सरकारी विभागों, निगमों, उद्यमों और सरकारी कम्पनियों द्वारा राज्य के भीतर से माल की खरीद किये जाने के मामले में विक्रेता को भुगतान करते समय कर की धनराशि की कटौती करके राजकीय कोषागार में जमा किया जाय जिससे सरकार को कर की प्राप्ति समय से सुनिश्चित हो इस हेतु एक्ट की धारा 8 डी में प्राविधान किया गया है।

2-व्यापार कर ऐक्ट के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष 2005-2006 के लिए कर निर्धारण पुनः कर निर्धारण की अवधि 31 मार्च, 2008 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2009 तक करने के लिए ऐक्ट की धारा 21 में प्राविधान किया गया है।

3-प्रदेश के मान्यता प्राप्त प्रमाण-पत्र धारक निर्माता व्यापारियों को प्रथम खरीद के बिन्दु पर कर योग्य घोषित माल की खरीद पर रियायती कर की दर की छूट अनुमन्य है इनको बिक्री करने वाले व्यापारियों व आढ़तियों को दिनांक 16 दिसम्बर, 2003 से 10 अक्टूबर, सन् 2007 तक की अवधि में माल की प्रथम खरीद पर वही छूट दिलाने के लिए विज्ञप्ति को भूतलक्षी प्रभाव देने का प्राविधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने इस अधिनियम के तहत जिन लोगों को लाभ नहीं देने का काम किया है उन लोगों को हम लोग 2003 से 2007 के बीच जो खरीद किया है उसका भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। जहां तक आपकी यह शंका इनपुट क्रेडिट टैक्स के बारे में है, उसके बारे में मैं अवगत कराना चाता हूं कि हम लोगों ने नियम में यह प्राविधानित किया है कि 30 दिन के अन्दर वह उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि का भुगतान हम लोग 30 दिन के अन्दर सुनिश्चित करायेंगे। अगर आपके संज्ञान में ऐसा कोई भी वाक्या आता है जहां पर 30 दिन के अन्दर भुगतान नहीं किया गया है तो आप हम लोगों को अवगत कराइयेगा। सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कड़ाई से कार्यवाही की जायेगी।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि यह अधिनियम पूर्व में ही दोनों सदनों से पारित हो चुका है। आज एक प्रतिस्थानी विधेयक आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। मैं अनुरोध करता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेजने के बजाय इसको पारित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

हुकुम रिंह जी से अनुरोध कर लें कि इसको वापस ले लें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इसमें आपने कहा कि वैट पास हो गया। क्योंकि संभवतः चर्चा इस पर नहीं हो सकी पास करा दिया था आपने।

श्री लालजी वर्मा-

आपने वाकआउट किया था, चर्चा करने के बाद वाकआउट किया था आप नहीं रहे हों, हो सकता है।

श्री हुकुम सिंह-

हम नहीं थे।

मान्यवर, यह जो आज विधेयक आया है कि मूल अधिनियम में संशोधन का विधेयक है। मूल अधिनियम में संशोधन है लेकिन मुझे यह जानकारी नहीं हो सकी कि यह मूल अधिनियम कौन सा है, मूल अधिनियम का कोई नाम तो होगा जिसमें आप संशोधन चाह रहे हैं। किस वर्ष का है वह मूल अधिनियम जिसमें आप संशोधन चाह रहे हैं। क्या नाम है उस मूल अधिनियम का, वह तो बता दें जरा खड़े होकर के।

श्री लालजी वर्मा-

विधेयक की कापी आपको तो मिली है।

श्री हुकुम सिंह-

मेरे पास विधेयक है, लेकिन विधेयक है संशोधन का। परन्तु मूल अधिनियम कौन सा है। आप बता दीजिये आप पढ़ दीजिये। वह तो सीनियर लायर हैं और आप बिना लायर हुये ही सब कुछ हैं। मैं यह पूछ रहा हूं, माननीय मंत्री जी कि आज का मूल अधिनियम में संशोधन का विधेयक है। पढ़ दीजिये कि यह मूल विधेयक कौन सा है और कौन से साल का है।

श्री लालजी वर्मा-

उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948।

श्री हुकुम सिंह-

1948 है न।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह दीर्घायें इसलिये बनी है कि अधिकारी बैठकर के यहां की गतिविधियों को नोट करेंगे, यह दीर्घायें इसलिये नहीं बनी है कि इन दीर्घाओं की खिड़कियों

से अधिकारियों द्वारा पत्रों का लेनदेन किया जाय। मैं बस इसी बात को आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह आपने बताया मूल अधिनियम 1948 जब यहां पर नया ऐक्ट पास हो चुका और लागू भी हो गया होगा और उससे पहले अध्यादेश हो गया तो उस अध्यादेश के पास होने के बाद में 1948 का ऐक्ट तो समाप्त हो गया। आप मंगा लें उसको जिसमें यह उल्लेख है कि यह अध्यादेश या अधिनियम पुराने ऐक्ट को रिप्लेस करेगा, जब वह रिप्लेस हो गया तो उसका वजूद ही नहीं रहा तो उसमें संशोधन क्या ला रहे हैं। मैं बहुत विद्वता का अधिकारी नहीं हूं। लेकिन एक कामन सेंस की बात है कि जो मूल अधिनियम में संशोधन का विधेयक आया है कि वह मूल अधिनियम 1948 का है। वैट लागू होने के बाद में और नया ऐक्ट पारित होने के बाद में वह समाप्त हो गया। उसको समाप्त करके ही यह वैट कानून लाये। तो यह वैट वाले कानून में संशोधन कर रहे हैं या 1948 वाले कानून में, जिसका वजूद ही नहीं है और जिस ऐक्ट का वजूद ही नहीं है तो उसमें संशोधन कहां से आ रहा ?

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष महोदय, वस्तुतः यह संवैधानिक संकट आ गया है। सरकार ने जो विधेयक है ही नहीं, उसमें संशोधन करने की बात कर दी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसे वापस ले लीजिये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मै मजबूरी में खड़ा हूं। जब तक इस सदन में हूं, मेरा भी यह दायित्व बनता है। थोड़ी बहुत समझ है उसके अनुसार काम कर रहा हूं यहां तो बहुत समझदार लोग बैठे हैं। मैंने कहा यही, इसलिये मैं बार-बार पूछ रहा था कि मूल अधिनियम बताइये। मैं अपेक्षा कर रहा था कि मूल अधिनियम वही है जो आपने वैट लागू कर दिया। आज का संशोधन का आशय भी वही है कि जो उसमें नहीं था, वह इसमें लाये हैं। जिस ऐक्ट के संशोधन का प्रस्ताव आप आज लेकर आये हैं, वह ऐक्ट है कहां वह कानून कहां है ? वह तो आप पहले ही समाप्त कर चुके। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपकी व्यवस्था चाहिये। मैं यह जानकारी चाहता हूं कहें तो मैं पढ़कर सुना दूं आपको। उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट 1948 क्या आज उत्तर प्रदेश में यह ऐक्ट लागू हैं और अगर लागू नहीं है तो संशोधन किसका लाये हैं ?

श्री नकुल दुबे-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मा0 सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि यह संशोधन उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की धारा 8डी, धारा-21 और 16 दिसम्बर, 2003 से 10 अक्टूबर, 2007 तक की अवधि में माल की प्रथम खरीद पर वही छूट दिलाने के लिए विज्ञप्ति को भूतलक्षी प्रभाव देने के लिए ....

(विपक्ष के सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

विपक्ष की ओर से-

ताकि उनको लाभ मिल सके।

श्री नकुल दुबे-

उन लोगों को लाभ देने के लिये संशोधन किया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस अधिनियम के इन प्राविधानों को आप उसमें लागू करने देंगे तो इससे काफी लोगों को लाभ मिल जायेगा।

श्री हुकुम सिंह-

मैं बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं, जिस समय आप एक नया अधिनियम यहां पर ले आये, पास हो गया, कानून बन गया और जो कानून आपने बनाया एक प्राविधान यह भी किया कि 1948 के ऐक्ट को समाप्त किया जाता है। जब आपने विधान मण्डल का एप्रूवल ले लिया, महामहिम राज्यपाल महोदय के उस पर हस्ताक्षर हो गये तो वह कानून बन गया। उस कानून के अन्तर्गत 1948 का ऐक्ट समाप्त हो गया और उस ऐक्ट में चाहे पूर्वगामी प्रभाव से संशोधन कर रहे हों लेकिन जब उस ऐक्ट का वजूद ही नहीं रहा तो संशोधन कहां कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, कभी-कभी स्थितियां ऐसी आती हैं, पहले भी आई है लेकिन मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि आप कम से कम इस सदन को इस बात से बचायें कि हमने अनजाने में कोई ऐसा बिल पास किया है जो संविधान के अनुरूप नहीं हैं। मान्यवर, आपको अधिकार है आप एडवोकेट जनरल को बुला लें, उनसे परामर्श ले लें। मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मैं उतनी विद्वता का हकदार नहीं हूं, जितना कि आप हैं लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि संशोधन आप तभी करेंगे जब उसका वजूद होगा। आपने अपने द्वारा कानून बनाया इसलिए मैं इसकी प्रतीक्षा कर रहा था, इसीलिये मैं हाजिर भी हुआ आपके सामने ताकि इन बिन्दुओं को रख सकूं और मान्यवर, जबरदस्ती हां, ना करा करके पास कराना इस सदन के साथ अन्याय होगा।

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, मैं पहले ही आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में ला चुका हूं कि यह तीनों प्राविधान व्यापारियों, उद्यमियों को सुविधायें देने के लिए बनाये गये हैं अतः इस विधेयक का पास होना अति आवश्यक है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, सवाल नफे नुकसान का नहीं है। प्रश्न यह है कि जो हम काम करने जा रहे हैं क्या वह वैधानिक है ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी कह रहे हैं। दोनों सदनों से विधेयक पारित हुआ। 15 दिसम्बर, 2007 को महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी प्रख्यापित कर दिया, इस विधेयक को संशोधन कर रहे हैं। इसमें मा0 हुकुम सिंह जी की आपत्ति है कि क्या जिस विधेयक में आप संशोधन कर रहे हैं वह इक्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं इक्जिस्ट कर रहा है तो उसमें क्या संशोधन लाने का कोई नियम है। महामहिम राज्यपाल ने 15 दिसम्बर, 2007 को व्यापार कर संशोधन विधेयक को जो अध्यादेश संख्या-26 में प्रख्यापित किया गया है। इसी पर आप संशोधन लाये हैं, व्यापारियों को पहले का लाभ देने के लिए। इसमें यही मा0 हुकुम सिंह जी की आपत्ति है कि जिस विधेयक में आज यह

संशोधन लाया गया है वह विधेयक मौजूदा परिस्थिति में इक्जिस्ट कर रहा है या नहीं, केवल इतना ही जानना चाहते हैं और आप जो संशोधन लाये हैं वह तो ठीक है व्यापारियों को लाभ देने के लिए है इसी में मा0 सदस्य को स्पष्ट कीजिये कि जिस विधेयक में संशोधन ला रहे हैं आज की स्थिति में वह विधेयक मौजूद हैं ?

श्री नकुल दुबे-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की धारा 4 (ख) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके वर्ष 2003 में विज्ञप्ति संख्या ..... दिनांक 11 दिसम्बर, 2003 जारी की गयी थी। वर्ष 2004 में यह विज्ञप्ति दिनांक 15 जनवरी, 2004 को जारी की गयी थी। उक्त विज्ञप्तियों में इस आशय का प्राविधान था कि उपर्युक्त ऐक्ट की धारा 3 घ की उपधारा-1 के अधीन कर करयोग्य घोषित वस्तुओं की किसी व्यापारी जो कि उसके सम्बन्ध में प्रथम क्रेता है द्वारा धारा-4 ख की उपधारा-2 के अधीन जारी विधिमान्य मान्यता प्रमाण-पत्र धारक व्यापारी को या आपूर्ति करने की स्थिति में वह व्यापारी जो ऐसी स्थिति की आपूर्ति कर रहा है, ऐसे व्यापारी जिसे माल की बिक्री या आपूर्ति की गयी है, से पृथक 3-(ख) के प्रारूप में घोषणा प्राप्त करके विहित समय के अन्दर कर निर्धारक अधिकारी को प्रस्तुत करने पर इस वस्तु की प्रथम खरीद की विक्रय धन पर 2 प्रतिशत की दर से कर दायी होगा, छूट गया था, यद्यपि वह पहले से विद्यमान था। उक्त प्राविधान को विज्ञप्ति संख्या-11 अक्टूबर, 2007 से प्रभावी किया गया है। उक्त प्राविधान वर्ष 2003 के विज्ञप्ति के पहले विद्यमान था। अतः यह भी निश्चय किया गया कि उक्त प्राविधान को दिनांक 16 दिसम्बर, 2003 से प्रभावी किया जाए। चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उक्त विषयों पर तुरन्त कार्यवाही करने के लिए विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था अतः राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 2007 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर संशोधन अध्यादेश, 2007 प्रख्यापित किया गया।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर आपका ध्यान चाहता हूं जो मूल विधेयक है उसको कृपया अपने सामने रख लें। इसका जो शीर्षक है, उसको आप पढ़ लें। उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2008, उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट 1948 का अग्रतर संशोधन करने के लिए। यह अग्रतर संशोधन उस ऐक्ट का है जो अस्तित्वहीन है। आपने जो पढ़ा उसकी पिछली धाराओं के अन्तर्गत कुछ विज्ञप्ति जारी की। मेरा प्रश्न ही दूसरा है कि 1948 के जिस ऐक्ट में संशोधन करने का प्रस्ताव लाये हैं वह आप स्वयं ही पहले अध्यादेश के माध्यम से और उसके बाद विधान मण्डल द्वारा पारित कराकर एक कानून के माध्यम से उस ऐक्ट को समाप्त कर चुके हैं। जिस ऐक्ट को खुद ही समाप्त कर चुके हैं, उसमें संशोधन का प्रश्न ही नहीं है, संशोधन होगा उसमें जो जीवित होगा, संशोधन होगा उसमें जो लागू रहेगा, जब अधिनियम लागू है नहीं, उसमें संशोधन कहां से हो जायेगा ? मैं आपकी भावनाओं के खिलाफ नहीं हूं। आप बहुत अच्छा करने आ रहे हैं, आपकी इच्छा है अच्छा काम करने की। लेकिन जो काम करने आप आ रहे हैं, आप काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सवाल इस बात का है। जिस ऐक्ट का हवाला दिया, यह संशोधन तब लाना चाहिए था जब उस ऐक्ट को समाप्त करने के लिए यहां विधेयक लाये थे, उसी में यह प्राविधान करना चाहिए था। नहीं ला पाये तो आप संशोधन प्रस्ताव न लाइये। आप एक इण्डिपेण्डेन्ट ऐक्ट ले आइये। आप स्वतंत्र रूप से एक बिल ला सकते हैं

उनको सुविधा देने के लिए। उसको आप संशोधन के माध्यम से नहीं ला सकते। आपको लाने में क्या दिक्कत है और इसको प्रतिष्ठा का सवाल न बनायें, मैं अपनी भी प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बना रहा हूं। यहां सवाल जीत और हार का नहीं है, यहां अच्छे तर्क का मामला नहीं है। यहां मामला यह है कि हम विधान मण्डल में बैठे हुये हैं, हम सबका दायित्व हो जाता है कि हमारी तरफ से कोई कार्य ऐसा न हो जो हमारे गले का फांस बन जाए। मान लीजिये मामला न्यायालय में जाए और जा करके उसके ऊपर बहस हो तो हमारे ऊपर न्यायालय क्या टिप्पणी करेगा कि यहां पर 403 लोग बैठे हुए थे क्या उनको इस पर विचार नहीं करना चाहिए था कि जब इस ऐक्ट का वजूद नहीं था तो आप संशोधन कैसे ले आये ? आप बिल्कुल स्वतंत्र रूप से लायें, आप कल ही ला सकते हैं, ले आइये। यह विज्ञप्ति आयी थी, उसको निष्प्रभावी रखना है उसके लिए आप ऐक्ट ला सकते हैं लेकिन उसका यह नाम नहीं रखेंगे कि 1948 के ऐक्ट में संशोधन का प्रस्ताव क्योंकि 1948 का ऐक्ट समाप्त हो चुका है।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी, यह सरकार का प्रपोजल है, वह सदन के अन्दर ला सकती है तब भी मैं इसका पारण एक घण्टे के लिए रोकता हूं, आप इस पर विचार करके उत्तर दे दें।

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा † (क्रमागत)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, विधेयक भी एक घण्टे के लिए रोक दिया गया है इस बीच अब इसमें मुझे बोलने का अवसर दे दें।

श्री अध्यक्ष-

उसके पहले दो-चार नये सदस्यों को बुलवा लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मुझे चार बजे बुलवा लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

(इस समय 3 बजकर 21 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 पी0 के0 राय पीठासीन हुए।)

(ठाकुर सूरजपाल सिंह बिना अनुमति के खड़े होकर बोलने लगे)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अध्यक्ष के निर्देश पर हर सदस्य को पांच मिनट में अपनी बात कहने का मौका मिलेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, कल जहां से चर्चा समाप्त हुई है वहीं से शुरू करनी चाहिए।

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री ददूू प्रसाद)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कदाचित सदस्य समझ नहीं पाये हैं आप पुनः नाम पुकार दें।

नोट :-†दिनांक 19 फरवरी, 2008 की कार्यवाही से।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अधिष्ठाता महोदय, अभी आपने नाम लिया ही नहीं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)-

जब माननीय अध्यक्ष जी बैठे हुए थे तब ही इस बजट पर चर्चा शुरू हो गई थी उन्होंने कहा था तब ही ठाकुर सूरज पाल जी खड़े हुए थे।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

नहीं। नाम किसी का नहीं बुलाया गया था। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी माननीय सदस्य को चर्चा के लिये नाम नहीं इंगित किया था इस वजह से जो लिस्ट मुझे माननीय अध्यक्ष जी द्वारा दी गई है। इसमें कुछ दल के नेता लोग भी हैं जो वंचित रह गये थे अपनी बात रखने से। भारतीय जनता पार्टी के माननीय ओम प्रकाश सिंह जी।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में कुछ बातें रखूंगा क्योंकि बहुत से माननीय सदस्यों को बोलना है और आज ही शायद सामान्य चर्चा का समापन भी है। मान्यवर, बजट उत्तर प्रदेश के विकास के लिये लाया गया है। हर सरकारें लाती हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में अर्थशास्त्रियों ने जो इस विकास की चुनौती के रूप में बिन्दु बताये हैं जिसके कारण से इस प्रदेश का आवश्यक अपेक्षित विकास नहीं हो पा रहा है उसमें निवेश का अभाव, शिक्षा की बहदाली, लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, अल्प कृषि उत्पादन, भ्रष्टाचार का बोलबाला, नौकरशाही का बोल बाला, अवस्थापना सुविधाओं की कमी, नौकरशाही जवाबदेह नहीं है और खराब कानून व्यवस्था यह किसी एक सरकार के लिये नहीं बल्कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में विकास क्यों नहीं हो रहा है इसलिये सामान्य कुछ वर्षों का निष्कर्ष उन्होंने निकाला है लेकिन मान्यवर, पिछले साल के बजट को जब मैं देख रहा था और अखबारों ने भी लिखा है और अन्य सदस्यों ने भी कहा है कि किसी विभाग में 30 प्रतिशत, किसी में 40 प्रतिशत और किसी में 50 प्रतिशत यानि जो बजट में प्राविधान था पिछले वर्ष वही पूरा खर्च नहीं हो पाया। उसका धन अवमुक्त नहीं हो पाया तो यह सबसे बड़ा फैक्टर है इस प्रदेश का। जो पिछले वर्ष के बजट में विकास का लक्ष्य था वह पूरा नहीं हो पाया इसलिये मैं चाहूंगा कि इस आरोप से मुक्ति के लिये अगर यह सरकार यह स्वीकार करती है कि नहीं यह आरोप गलत है पूरा पैसा जो फरवरी तक या जनवरी तक अवमुक्त होना चाहिए था, वह अवमुक्त हो गया है तो यह 2007-2008 के बजट का कार्यान्वयन रिपोर्ट विनियोग विधेयक पास करने से पहले सदन के समक्ष रख दें और इस आरोप से मुक्त हो जायें। अगर यह नहीं रखते तो मैं यह मानूंगा कि जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, जनता के बीच जो चर्चा है कि पूरा बजट ही नहीं पास हुआ इसलिये विकास के लिये जो वायदा किया गया था धन अवमुक्त ही नहीं किया गया। इसलिये मेरा आरोप है कि यह बजट भी केवल दिखावे के लिये है। इसमें जो आंकड़े हैं वह वास्तविक नहीं हैं और यह निश्चित रूप से विकास करने का लक्ष्य इस बजट में नहीं है क्योंकि धन घोषित होता है किसी काम के लिये और पास कराया जाता है किसी और काम

के लिये। धन का डाईवर्जन हो रहा है। उस मद में उतना पैसा खर्च नहीं हो पाता है। मान्यवर, जो इस सरकार में आने के बाद एक शब्द प्रचलित हुआ है और मान्यवर, जो हर लेविल पर है। पहले तो कहीं कहीं सुनने में आता था लेकिन अब ग्राम प्रधान से लेकर लेखपाल और शासन तक यह चर्चा में है देना पड़ता है। ग्राम प्रधान से पूछिये कि भई यह फर्जी जाति कार्ड क्यों बनाते हो, फर्जी काम क्यों दर्शाते हो तो कहता है देना पड़ता है। लेखपाल से पूछिये कि यह जिसमें मुफ्त में मिलता था उसमें पैसा लेकर क्यों काम करते हो तो कहता है कि देना पड़ता है। थानेदार साहब से पूछिये तो देना पड़ता है। तहसील में पूछिये तो देना पड़ता है। जिला में पूछिये तो देना पड़ता है। शासन स्तर पर भी देना पड़ता है अब इसके ऊपर का नाम नहीं लूंगा नहीं तो हंगामा हो जायेगा। अब यह किसको देना पड़ता है, कितना देना पड़ता है तो इस बजट का कितना भाग देना पड़ेगा यह भी एक चिन्ता का विषय है मान्यवर। इतना ही नहीं मान्यवर, केन्द्र में सरकार है उस पार्टी के एक सबसे बड़े नेता बुन्देलखण्ड में यहां तक कह गये कि 5 परसेन्ट जनता तक पहुंचता है। मान्यवर, 95 परसेन्ट किसके बीच बंटता है किसको देना पड़ता है।

उनके पिता जी कहते थे 15 परसेन्ट पहुंचता है तो इसका मतलब कि दस परसेन्ट और देना पड़ जा रहा है। मान्यवर, स्थिति यह है कि पिछले महीने का बी0पी0एल0 का खाद्यान्न पूरा का पूरा बेच दिया गया, कोई बोला नहीं क्योंकि देना पड़ता है यह नया प्रचलन ऊपर से नीचे तक पहुंच गया है और जो शीर्ष कहे जाते हैं वह भी जब यह कहते हैं तो बड़ा मुश्किल है और बजट के विकास का सबसे बड़ा दुश्मन, गरीब का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वह भ्रष्टाचार है और बजट का पास होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इस बजट का कितना धन भ्रष्टाचार में चला जाएगा और यह पीछे देना पड़ता है कि चर्चाओं और अन्य चर्चाओं से लगता है कि यह बजट विकास का नहीं है बल्कि देने और बंदर बांट के लिये किया गया है। एक गरीब के उत्थान की बात होती है गरीब के लिए गरीब की बस्तियों में सड़क बनाई जाएं, बिजली के खम्भे पहुंचाये जाएं स्वागत है लेकिन वह सड़कें कैसे बन रही हैं, उनकी गुणवत्ता कितनी है क्योंकि देना पड़ता है। यह देना पड़ते के कारण से वह सड़क तो बन रही है लेकिन कितनी चलेगी एक साल चलेगी या दो साल चलेगी या उखड़ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है वह यह है कि गरीब का शोषण हो रहा है। आपसे उम्मीद थी क्योंकि पिछला जो पूरा बजट था वह अम्बेदकर ग्राम, दलित गरीब के लिये समर्पित था। स्वागत योग्य है मैं उसकी आलोचना नहीं करता हूं लेकिन जो गरीब को सीधे लाभ पहुंचाने वाला है रोजगार गारन्टी योजना कौन विधायक है जो यह न कहे कि ब्लाक स्तर पर पूरे प्रदेश के प्रधानों से 30 परसेन्ट नहीं लिया जाता है, क्योंकि देना पड़ता है। दो परसेन्ट जो प्रधानों का आडिट करने आता है वह लेता है यह मैंने पूछा तो बताया लोगों ने। इसके अलावा मैं जहां-जहां घूमने गया प्रदेश में जहां भ्रमण में गया विधायकों से पूछा यह खुला रेट है। इतना ही नहीं कौन स्वीकार करेगा कि राशन की दुकान का गल्ला गरीब के लिए है और ईमानदारी से बंटता है यह गरीब के लिए जो है यह सीधे भ्रष्टाचार में जा रहा है। अगर यह नहीं रुकता है तो गरीब को जो सीधे लाभ पहुंचाने वाली जो योजनायें हैं वह नहीं हैं। यह रोज सदन में उठता है कि जो गरीब को मुफ्त में दवा जाती है वह ब्लैक में बिक रही है। इसलिये गरीब को केवल बिजली पहुंचाके, सड़क पहुंचाके साधन तो मिल जाएगा। लेकिन गरीब का उत्थान तब

तक नहीं होगा जब तक उसके पॉकेट में अस्थायी व्यवस्था नहीं होगी। पेंशन देने से कुछ वृद्धों का भला हो जाएगा। लेकिन मैं उम्मीद करता था कि इस बजट में गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिये स्थायी व्यवस्था होगी। लेकिन केन्द्र सरकार की जो व्यवस्था है वह भी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई। मान्यवर, मैं थोड़े शब्द कृषि और उद्योग के बारे में कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जितने किसान हैं 65 परसेन्ट से ऊपर आबादी कृषि पर आधारित है। बिना कृषि के उत्थान के इस प्रदेश का उत्थान नहीं हो सकता है चाहे जो सरकार आए। किसानों के लिये कोई बहुत बड़ा पैकेज किसानों के लिये नहीं है पिछले बजट में भी नहीं था। पिछले बजट में 2007 में कुछ बातें भी मृदा परीक्षण की। किसी को इको फ्रेंडली बनाये जाने का लक्ष्य रासायनिक खाद का पर्याप्त भण्डारण होगा इसके लिये 15 करोड़ रुपये का प्राविधान। जैव रसायनों के प्रयोग इसके लिये 86 करोड़ का प्राविधान, कितनी जगह मृदा परीक्षण की प्रयोगशालायें स्थापित हुई बिना प्रयोगशाला के स्थापित हुए किसान यह नहीं जानेगा कि उसकी मिट्टी में किस तत्व की कमी है तो हम उसके उत्पादन को कैसे बढ़ायेंगे। आज पूर्व में स्थिति है एक जीवाणु जो .8 परसेन्ट होना चाहिए। आपने सुना होगा बहुत से किसान कहते हैं हमारे क्षेत्र में पइया मार गयी यह पइया है क्या, यह जीवांश जब .4 प्रतिशत से नीचे जाएगा तो अन्न नहीं पड़ेगा। फसल लहलहाती रहेगी लेकिन उसमें अन्न नहीं पड़ेगा और यही उस खेत में जीवांश की कमी है और यही मृदा परीक्षण को व्यापक हम समझते थे मृदा स्वास्थ्य और मृदा परीक्षण किसी को इको फ्रेंडली बनाने का लक्ष्य और रासायनिक खाद के भण्डारण के लिए 15 करोड़ रुपया, 15 करोड़ की व्यवस्था भी हुई और खाद का शार्टेज भी था स्टोरेज कहीं नहीं। जब शार्टेज हुई तो केन्द्र के ऊपर डाल दिया गया तो यह 15 करोड़ रुपये किसके लिए विशेष व्यवस्था की गयी थी ? इसी तरह से जैव रसायनों के लिए 86 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी, वह कहां गया ? कहीं वैसे ही तो नहीं गया जैसे बुन्देलखण्ड में 118 करोड़ रुपया कृषि निवेश के लिये दिया गया था और वह कृषि निवेश, वहां 1 हजार रुपये के चेक बांटे जा रहे हैं और उसे दिखाया जा रहा है कि कृषि निवेश हो रहा है। अगर 1 हजार रुपये के चेक बांट करके कृषि निवेश का लक्ष्य पूरा किया जा रहा है। तो मान्यवर, कहीं न कहीं भ्रमित किया जा रहा है, जो राहत का कार्य है, उसमें कृषि निवेश का पैसा दिय जा रहा है। मान्यवर, इसमें लक्ष्य रखा गया, 496 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का, मृदा परीक्षण के लिए लैब है नहीं, जैविक खाद के प्रचार के लिए है नहीं और सबसे बड़ी बात जो पहले से है, मैं आपको आरोपित नहीं कर रहा हूं, आप सब विधायक हैं, विधायकों से गांव में सड़क मांगी जाती है, बिजली मांगी जाती है, पानी मांगा जाता है, खाद की बात की जाती है, लेकिन कृषि विभाग की कोई शिकायत नहीं करता क्योंकि कृषि विभाग की दूरी हो गयी है किसानों से। किसान कृषि विभाग के बारे में नहीं बात करता कि कृषि विभाग से कोई सुविधा मिलती है। इसलिये मान्यवर, यह 498 लाख मीट्रिक टन का 'लक्ष्य आप कैसे प्राप्त करेंगे। पिछले साल का जो आंकड़ा आपने दिया है उसमें पिछले साल खाद्यान्न उत्पादन हुआ था, 399 लाख मीट्रिक टन। जब बरसात अच्छी हो जाती है तो उत्पादन बढ़ जाता है। पिछले 10 साल से यह स्थिर है और उत्तर प्रदेश में यह खाद्यान्न उत्पादन में स्थिरता भी बहुत बड़ा कारण है क्योंकि किसान का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। मान्यवर, केवल लक्ष्य निर्धारित कर देने से कुछ नहीं होगा, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये जरूरी है, मृदा परीक्षण की

व्यापक व्यवस्था तहसील स्तर पर हो और उन्नत बीज उन्हें मिल सके। मान्यवर, इसमें व्यवस्था है कि विश्वविद्यालयों को उन्नत बीज देने के लिये दे दिया जायेगा, पैसा लेकिन क्या विश्वविद्यालय उन्नत बीज दे रहे हैं ? उन्नत बीज सुनिश्चित हो, अगर इसकी गारन्टी नहीं होगी तो केवल बजट में पैसे की व्यवस्था कर देने से उन्नत बीज नहीं मिल जायेगा। मान्यवर, मैं एक और चीज चाहूंगा कि यह सरकार अपनी तरफ से प्रस्तावित करे और कुछ अपना भी योगदान करे, एक कुन्तल गेहूं पैदा करने में 750 रुपया खर्च पड़ता है यह सभी सरकारी और गैर सरकारी वैज्ञानिकों का कहना है। सरकार ने एक हजार रुपया प्रति कुन्तल समर्थन मूल्य रख दिया, उसके आधार पर सीमान्त कृषक जो है, लघु सीमान्त कृषक, उसकी आमदनी प्रति माह 3 हजार रुपये पड़ती है, यह मैं अर्थशास्त्रियों के आंकड़े बता रहा हूं, अपनी बात नहीं कर रहा हूं, अब 3 हजार में कोई ढाई एकड़, तीन एकड़ का किसान 3 हजार में अपना परिवार कैसे चलायेगा ? जो सरकारी नौकरी करता है जो फोर्थ क्लास का भी कर्मचारी है, वह भी 3 हजार से ज्यादा पाता है, इसीलिये कृषि से लोगों का पलायन हो रहा है और कृषि के पलायन से यदि कोई सरकार नहीं रोकेगी तो चूंकि आपको 5 साल रहना है, इसलिये मैं आपसे यह बात कह रहा हूं, आपको दीर्घकालिक योजना बनानी चाहिए, 4 वर्ष की योजना बनानी चाहिए, लेकिन इस बजट में ऐसा नहीं दिखता। किसी में तो आपने 10 साल की बात कर दी है, किसी में 1 साल की बात की है अगर इस प्रदेश को यह सरकार वाकई आगे ले जाना चाहती है तो हर विकासशील विभागों का चार साल का प्रोजेक्ट बनायें। अभी 4 साल शेष हैं, आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसमें कहीं अनिश्चितता नहीं है चार वर्षीय प्लान बनाइये और चार वर्ष में फिर प्रतिवर्ष का बांट करके चलिए।

मान्यवर, मैं इस बात की मांग करता हूं और सरकार भी इसमें सहयोग करे जो योगदान कर सकती है करे, क्योंकि सारी सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है लेकिन जितनी लागत है उसका डेढ़ा समर्थन मूल्य होना चाहिए और आज यह 1200-1300 रुपये प्रति कुन्तल से कम नहीं होना चाहिए। यह सदन प्रयास करें, एक आवाज उठे, 3 हजार रुपये यदि किसी काश्तकार की आमदनी है तो वह नहीं जिन्दा रह सकता।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसका निर्धारण कहां से होता है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

आप हमेशा ऐसी बात करते हैं, आप शायद देर में आए हैं, मैंने कहा कि यह केवल आप की ही जिम्मेदारी नहीं है और चूंकि आप सत्तादल हो इसलिए आप इस सवाल को उठाने का काम करो। यह ठीक है कि आप समर्थन मूल्य तय नहीं कर सकते लेकिन आपको कहीं मनाही नहीं है माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, अगर आप अपने प्रदेश के किसानों को 13 सौ रुपये प्रति कुन्तल मूल्य दे दें तो केन्द्र सरकार आपको कहीं मना नहीं करती लेकिन आपकी आदत है कि हर चीज के लिए केन्द्र सरकार और देने-लेने की जो बात है वह अपनी है। इसलिए हर चीज पर टिप्पणी करना उचित नहीं है क्योंकि प्रदेश की यह स्थिति 8 महीने की नहीं हैं खाद्यान्न उत्पादन अगर 10 साल से स्थिर है तो उसके लिए केवल आप जिम्मेदार नहीं हैं और बजट का भाषण का मतलब है कि नीतिगत बातें की जायें, केवल आलोचना के लिए भाषण नहीं होना चाहिए। मान्यवर, वाणिजियक कृषि उत्पादन का लक्ष्य

पूरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि कृषि विभाग के अधिकारी और उन्हीं के नीचे के फील्ड के अधिकारी कम हैं। इस कमी को पूरा करिये तभी कृषि उन्नति होगी। क्योंकि बीच के अधिकारी और लेबोरेटरी के बीच कोई अधिकारी नहीं है जो कि उसको किसानों का स्थानान्तरित कर सके। मान्यवर, प्राकृतिक विपदा से सुरक्षा के बारे में कहना है कि फसल बीमा योजना है लेकिन लागू नहीं हो रही हैं नीचे की मशीनरी खराब है। इच्छाशक्ति की कमी है। मशीनरी को ठीक करने की इच्छाशक्ति आप में होनी चाहिए। यह धीरे-धीरे ठीक होगा। क्योंकि आपकी सरकार 5 साल के लिए बनी है और आपका एक साल पूरा हो रहा है तो बाकी के 4 साल के लिए आप प्लान बना दें।

मान्यवर, में कहना चाहता हूं कि अनियोजित नियोजन ही इस प्रदेश के पिछड़ेपन का कारण है मान्यवर, औद्योगिक विकास के बारे में कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में कामगारों के लिए रोजगार देने वाले रोजगार थे चाहे आगरा का जूता उद्योग हो, फिरोजाबाद का ग्लास, अलीगढ़ का ताला, फर्रुखाबाद का साड़ी प्रिंटिंग, कनौज का इत्र, मिर्जापुर का कलीन, बनारस का बनारसी साड़ी, लखनऊ का चिकन या मुरादाबाद का पीतल आदि उद्योग, यह सब कामगारों को रोजगार देते थे। आप इनको सम्भालो। अगर आप बड़े उद्योग के चक्कर में पड़ेंगे तो वह आयेंगे नहीं। क्योंकि एक सरकार ने 3 साल तक ढिंढोरा पीटा लेकिन आया कोई नहीं। यह उद्योग तब आयेंगे जब यहां लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति सुधरेगी। यहां का भ्रष्टाचार, गुण्डा, माफिया, बदमाशों की वसूली रुकेगी, तब बड़े उद्योग आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में चाहे जो सरकार आ जाये व्यवस्था को सुधारे बिना कोई उद्योग आने वाला नहीं है। मान्यवर, वर्ष 2007-08 में घोषणाएं की थीं। 30 हजार बुनकरों को रोजगार देंगे 6 हजार नई ग्रामोद्योग इकाइयां लगेंगी। 46 हजार को रोजगार मिलेगा, 2 हजार इकाईयों की स्थापना होगी, 36 हजार को रोजगार मिलेगा, आदि। मान्यवर, यह कार्यान्वित नहीं हुआ है इसलिए यह बजट पिछले साल के बजट की तरह ही देने-लेने वाला बजट हो गया है। इससे उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा। मान्यवर, मैंने आप सबका ध्यान आकर्षित किया है, जनता ने आपको बहुमत दिया है तो आपको चाहिए कि प्रदेश का कुछ नियोजित विकास किया जाये। अगर वह नहीं होगा तो स्थाई सरकार होते हुए भी आप प्रदेश का विकास नहीं कर सकेंगे और यह बजट केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सैय्यदा शादाब फातिमा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी,

श्री अधिष्ठाता-

आपको मात्र 5 मिनट का समय है।

सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, इस गरिमामयी सदन में हमारे बहुत ही काबिल माननीय वित्त मंत्री जी ने सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के सिद्धान्त पर चलकर एक समतामूलक समाज की स्थापना की दिशा में अग्रसर होते हुए वर्ष 2008-2009 का बजट पेश किया है। एक समतामूलक समाज की दिशा में अग्रसर होते हुए जो 2008-09 का बजट पेश किया है वह सचमुच में बेमिसाल है, उसकी तारीफ किन लफ्जों में की जाय यह समझ में नहीं आता है। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि समतामूलक

समाज की स्थापना न तो पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था से हो सकती है, न साम्यवादी अर्थ व्यवस्था में हो सकती है, न समाजवादी अर्थ व्यवस्था से हो सकती है क्योंकि यह एकांगी है। पूंजीवादी और साम्यवादी तो समझ में आता है लेकिन समाजवादी अर्थ व्यवस्था की जहां तक बात हुई तो यह वह अर्थ व्यवस्था है जिसकी अवधारण ही यह थी कि समाज के अन्तिम व्यक्ति का उद्धार अगर किसी से होगा तो इसी समाजवादी विचारधारा से होगा और इस विचारधारा को लेकर ही महात्मा गांधी जी से लेकर के चाहे डा0 अम्बेडकर जी हों, चाहे लोहिया जी हों, इन्होंने संघर्ष किया था। यदि उस विचारधारा को ही समाप्त कर दिया जाय, उस एकांगी को मानकर उन्होंने एक नयी अर्थनीति की घोषणा की थी कि हम एक नयी आर्थिक नीति को लेकर के चलेंगे, अब वह आर्थिक नीति क्या होगी उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन यह जरूर कहा गया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित होगी इसका महत्वपूर्ण अंग होगा, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माडल पर ही प्रदेश का विकास होगा। यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसे दूसरे लफ्जों में प्लंडरिंग ऑफ पब्लिक प्रोपरटी कहा जा सकता है, इसलिए कि लूट है वह जनता के धन की। बात की जा रही थी कि यह बजट आम आदमी के लिए, लेकिन इसको देखने में, अभी माननीय ओम प्रकाश सिंह जी पढ़ रहे थे, किसी को यह नहीं लगा कि यह बजट जमीन के हकीकतों के नजदीक है। यह बजट जमीन के हकीकतों से दूर लगता है। मैं आपसे यह कहना चाहूंगी कि लोगों ने बड़ी कुर्बानियां इसलिए नहीं दी कि पैसा और पूंजी चंद हाथों में केन्द्रित हो जाय। अगर यह चन्द हाथों में ही केन्द्रित होता तो जो लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, चाहे वह चन्द्रशेखर आजाद रहे हों, अशफाक उल्ला खां रहे हों, राम प्रसाद बिसमिल रहे हों, वह कुर्बानियां बेकार हो जायेंगी और जिन महात्मा गांधी जी की तस्वीर के नीचे बैठे हुए हैं उनकी रूहें शायद आपसे सवाल करेंगी कि 'कुर्बानियां थी हमारी इसलिए कि आजादी का बढ़ता हुआ सफीना रुके ना पल भर को' लेकिन यह सफीना ठहर जाता है क्योंकि आम आदमी खुद को निराश पाता है, उपेक्षित पाता है और सोचता है कि यह बजट क्या जमीन वालों का है या आसमां वालों का है। सोचने की बात है इंसान, गरीब को रोटी नहीं मिल पा रही है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि 'तुम आसमां की बुलन्दी से जल्दी लौट आना, हमें जमीं के मसायल पर बात करनी है'। तो हमारे मसले जमीन के मसले हैं। बेशक आपने एक लाख 12 हजार चार सौ बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख रुपये का बजट पेश किया है लेकिन सिर्फ बजट का बड़ा आकार ही बड़ी चीज नहीं होता। बड़ी चीज होती है कि उससे कितने लोग लाभान्वित होते हैं। आज आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश का अर्थ व्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर आधारित है। सत्तर प्रतिशत किसान और यहां की जनता कृषि पर आधारित है और इसके लिए सोलह सौ पैतीस करोड़ का प्राविधान बजट में किया गया है जो पिछले साल से कम है। पिछले साल सोलह सौ सैतालीस करोड़ का बजट था जो बारह करोड़ कम कर दिया गया है। किसान क्या करेगा। आपने अनुसंधान शालाएं खोलीं लेकिन किसान को अगर उसकी फसल की कीमत नहीं मिलेगी तो किसान कहां जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, समाप्त करें।

सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, दो मिनट और चाहूंगी। गन्ने पर चर्चा हुई। जब मिल मालिकों ने गन्ने के बकाये का भुगतान नहीं किया तो आपने कोई कार्यवाही नहीं की। चाहे बुंदेलखण्ड का किसान रहा हो, आज किसान परेशान है। गंगा एक्सप्रेस वे की बात आती है तो जीवन दायिनी गंगा की, सतत वाहिनी गंगा की, जब उसे अवरुद्ध किया जाता है जबरदस्ती अधिग्रहण किया जाता है तो किसान को उसका हक नहीं मिलने पाता है। अगर आप फोरेस्टेशन कर देते, गंगा के किनारे पौधे लगा देते तो आज गंगा बच जाती खराब होने से लेकिन उसके लिए आपने मात्र 143 करोड़ रुपया रखा। भूमि क्षरण हो रहा है, भू-जल का दोहन नहीं होने पा रहा है उसकी रक्षा के लिए आप मात्र 20 करोड़ रुपया अपने बजट में देते हैं। क्या हो पायेगा ? हैण्ड पम्प आपने जो विधायकों को दिये उसमें भी हम पर यह ज्यादती है कि हम 50 प्रतिशत आरक्षित उसमें दें हम आपसे यह जानना चाहते हैं, यह निवेदन करना चाहते हैं कि जब उनकी जनसंख्या मात्र 23 प्रतिशत है तो 50 प्रतिशत हम केवल अनुसूचित उसमें क्यों दें, यह हमारा भी अधिकारी है। हम लोगों से यह कहा गया था। इस बजट से अपेक्षा हम करते थे कि ये उद्योग की नई नीति ले करके आयेगा, लेकिन पूर्वांचल को अलग से कुछ भी नहीं मिला, बुन्देलखण्ड राज्य के लिए जो 330 करोड़ रुपये दिये गये थे, उसी में पूर्वांचल का भी हिस्सा है, कोई उद्योग नीति नहीं, कोई नया उद्योग नहीं, महिला उद्यमियों को कोई छूट नहीं दी गयी और यह बजट मुझे कहते हुए दुःख होता है परन्तु यह महिला विरोधी बजट है। आज कानून के राज की बात की जा रही है किस कानून के राज की बात हो रही है आपने रिपोर्ट दी कि हत्या के मामले में कमी आई है, डकैती के मामलों में 22 प्रतिशत की गिरावट है इसका उल्लेख आपने अपने बजट में किया है, लेकिन एस0सी0आर0बी0 की रिपोर्ट क्या कह रही है, उस रिपोर्ट में है कि सन् 2006 में अगर डकैती के 128 मामले दर्ज किये थे तो 2007 में 127 मामले हुए, एक मामला कम हुआ और आपने लिखा है कि 22 प्रतिशत की भारी कमी। वक्त कम है परन्तु आप इसको पढ़ियेगा, लूट में कमी, अनुसूचित जातियों, जन जातियों के ऊपर अत्याचार में कमी, 10 प्रतिशत की कमी आप बता रहे हैं और जो रिपोर्ट आपकी बता रही है कि लगभग साढ़े दस प्रतिशत की वृद्धि हुई है क्या यह रिपोर्ट झूट है, उस पर आपने कहा मान्यवर, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, खासतौर से महिलाओं से सम्बन्धित जो अपराध थे, उनमें आप खामोश क्यों हैं, हत्या की घटनायें बढ़ी हैं, बलात्कार की घटनायें बढ़ी हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें, डा0 अनिल चौधरी, आप अपनी बात कहें।

डा0 अनिल चौधरी-

धन्यवाद मान्यवर, आपने सामान्य बजट पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया।

(डा0 अनिल चौधरी द्वारा अपना भाषण शुरू किये जाने तथा पूर्व वक्ता सदस्या सैय्यदा शादाब फातिमा का माईक आफ हो जाने एवं उनके द्वारा लगातार बोलते रहने पर)

श्री अधिष्ठाता-

फातिमा जी, आप अपने स्थान पर बैठ जायें दूसरे माननीय सदस्य का नाम बुला लिया गया है और उन्होंने बोलना भी शुरू कर दिया है।

डा0 अनिल चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं, बजट पर सामान्य चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे समय दिया। मान्यवर, इस बजट में दूसरे ही पन्ने पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की गई है। यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मेरी समझ से बिल्कुल बाहर की चीज है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से पब्लिक का भला होने वाला नहीं है, हमारे इलाके में ताज एक्सप्रेस-वे बन रहा है और उस ताज एक्सप्रेस-वे को भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बनाया जा रहा है, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इस ताज एक्सप्रेस-वे के बनने में और गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए बजट तो आपके पास है ही, किसानों की भूमि का अधिग्रहण करते वक्त, किसानों को बाजारू मूल्य मिले, बाजारू रेट पर किसान की भूमि का अधिग्रहण हो, लेकिन मैं एक चीज सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं, ताज एक्सप्रेस-वे के मामले में आगरा जनपद के अन्दर धारा-9 के नोटिस जारी कर दिये गये हैं किसान की भूमि का सर्किल रेट पर जबरिया अधिग्रहण करने का काम यह सरकार कर रही है। बजट में बोलने के लिए कुछ और धरातल पर कुछ, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कृषि क्षेत्र की विकास की दर का 5.7 प्रतिशत का जो आपने टारगेट इस बजट में रखा है लेकिन यह कहां से प्राप्त होगा। गन्ने का मूल्य किसान को देंगे नहीं, अभी माननीय ओम प्रकाश जी भी बोल रहे थे, मेरा भी यह मानना है कि गेहूं का और धान का समर्थन मूल्य जब तक 1400 रुपया, 1500 रुपया प्रति कुन्तल किसान को आप नहीं देंगे तब तक इस विकास दर को प्राप्त करना सम्भव नहीं है। मान्यवर, नहरी सिस्टम आपका पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। मान्यवर 100 साल पहले अंग्रेज जो नहरी सिस्टम डेवलप्ड करके रख गये थे आज क्या स्थिति है नहर की टेल तक पानी नहीं है। नहर की टेल तक, पांच कि0मी0 से दस कि0मी0 तक नहर का अस्तित्व भी आपको नहीं मिलेगा। क्या इसी तरह से आप इस प्रस्तावित विकास दर को प्राप्त करेंगे। मान्यवर, अभी एक महीने पहले की बात है, किसान को खेती के लिये उर्वरक की बहुत जरूरत होती है उस उर्वरक के लिये पूरे प्रदेश में हाय-हाय मच रही थी। क्या उस उर्वरक की पूर्ति करने का प्राविधान आपने बजट में कहीं किया है। अगर किया भी है तो वह सिर्फ लफ्फाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। आपने इसमें 500 की जनसंख्या वाले गांवों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की बात कही है मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो आपकी पुरानी सड़कें हैं, हम लोग सवाल उठाते हैं कि फलां सड़क जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है तो उसकी मरम्मत के लिये सरकार क्या करने जा रही है यह नहीं बताया गया है। जब इस बारे में प्रश्न लगाया जाता है तो उत्तर मिलता है कि यह लोक निर्माण विभाग का निर्माण नहीं है अतः इसकी मरम्मत नहीं करायी जायेगी। आपको नये कार्यों से मतलब है लेकिन जो अवस्थापना सम्बन्धी कार्य हो चुके हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। जो आपका इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है उसके मेटिनेंस के लिये कोई प्रावधान नहीं है। इस बारे में आपका बजट कुछ नहीं बोलता है शांत हैं पुरानी जो सड़क हैं पुरानी नहरें हैं उनके मेंटिनेंस के लिये जिक्र इसमें नहीं आता है। आपने अपने बजट भाषण में कहा है कि महिलाओं में रक्तअल्पता के वर्तमान स्तर 48.7 प्रतिशत को घटाकर 20 प्रतिशत पर लाया जायेगा। इसी तरह से आपने शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को घटाने का लक्ष्य रखने की बात कही है। मान्यवर, आज वास्तविकता क्या है अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं, दवायें नहीं हैं। बिल्डिंगें अवश्य आपने खड़ी करने का काम किया है। इस स्थिति में आप मातृ मृत्यु

दर और शिशु मृत्यु दर घटाकर अपना लक्ष्य कहां से प्राप्त कर लेंगे यह समझ से परे की बात है। आपने बजट भाषण में कहा है कि सिंचाई की कई नई योजनायें प्रारम्भ की जा रही हैं। कौन सी सिंचाई योजनायें नई आप इसमें प्रारम्भ कर देंगे। जो आपकी पुरानी सिंचाई परियोजनायें हैं उनका आप सही प्रकार से अनुरक्षण करते तो कुछ काम बन जाता। चौधरी चरण सिंह नहर सुधार योजना में बजट का प्रावधान आपने किया नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, पेयजल की उपलब्धता की बात कही गयी है। मान्यवर, मैंने 301 में भी सूचना लगायी थी कि मेरे क्षेत्र में लगभग 60 गांव ऐसे हैं जिनमें खारा पानी है। इस सरकार ने उनका सर्वेक्षण नहीं कराया है। आपने जवाब दिया कि केवल दो गांव ऐसे हैं जिनमें गुणवत्ता प्रभावित है। मैं चाहता हूं कि इसकी बाबत एक सर्वेक्षण का कार्य पूरे प्रदेश में करा लिया जाये कि कितने गांवों में पानी खराब है तो वह लाभप्रद होगा। मान्यवर, आपने इसमें निर्माणाधीन मेडिकल कालेजों हेतु 694 करोड़ रु0 की व्यवस्था की है। यहां लखनऊ में मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक आन्दोलन चल रहा है वह वेतन और सुविधायें बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मान्यवर, आप मेडिकल कालेज की बिल्डिंग तो खड़ी कर देंगे लेकिन उसके लिये स्टाफ कहां से लायेंगे। आज उत्तर प्रदेश के अन्दर अनुभव प्राप्त मेडिकल के प्रोफेसर की संख्या लगातार घटती जा रही है। उस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मान्यवर, इसमें शिक्षा के ऊपर बहुत जोर दिया गया है कि इतने स्कूल इतने राजकीय इण्टर कालेज खोले जायेंगे जबकि जो बने बनाये विद्यालय हैं उनमें शिक्षकों के लिये इसमें कोई प्रावधान नहीं है। दुग्ध विकास के मामले में आपने कहा है कि इतनी यूनिट बनायी जायेगी। मान्यवर, कृत्रिम गर्भाधान के लिये लिक्विड नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। आपका जो लखनऊ में चक गजरिया फार्म है उसमें विगत कई वर्षों से संयंत्र खराब पड़ा है जो कि कुछ हजार रु0 लगाकर ठीक हो सकता है उस तरफ आपका ध्यान नहीं है दूसरी तरफ आप नये कार्य के लिये लाखों रुपये लगाने जा रहे हैं।

मान्यवर, बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जल की कमी को देखते हुए सिंचाई की नयी तकनीक ड्रिप इरीगेशन प्रणाली तथा स्प्रिंकलर सिस्टम की व्यवस्था आपने इस बजट में की है। लेकिन मान्यवर, सूबे में जो अन्य जगहों पर डार्क ब्लाक हैं और जिसकी परिस्थिति बुन्देलखण्ड के क्षेत्र में किसी भी तरह से बहुत भिन्न नहीं है वहां के बारे में आपने कुछ नहीं सोचा है। आप उन डार्क ब्लाकों के बारे में भी सोचें। उनके अन्दर भी इसी अनुदान राशि पर ड्रिप इरीगेशन प्रणाली और स्प्रिंकलर का इंतजाम कराने की सोंचे। इसी के साथ मैं अपनी मांगों पर बल देते हुए यह अनुरोध करता हूं कि इन सुझावों पर सरकार विचार करे।

श्री राजेन्द्र कुमार-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने माननीय मुख्य मंत्री जी के दिशा निर्देश पर माननीय वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट पर बोलने का मौका दिया है इसके लिये आपका बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं।

महोदय, हमारी सरकार ने सत्ता संभालते ही गरीबों के प्रति अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया और संवेदनशीलता के क्रम में ग्रामीण मजदूरों की मजदूरी जो 58 रुपये थी उसको बढ़ा करके 100 रुपये करने का काम किया। इसके लिये मैं अपनी सरकार की मुखिया माननीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ गरीबों को विधवा, वृद्धा, विकलांग पेंशन जो डेढ़ सौ रुपया मिला करती थी उसको बढ़ाकर 300 रुपया करने का काम किया है। यह भी सरकार की संवेदनशीलता का परिचायक है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग व सर्वसमाज की गरीब लड़कियों की शादी हेतु अनुदान देने का फैसला किया हमारी सरकार ने जो अब तक केवल अनुसूचित जाति की लड़कियों तक ही सीमित था। इसके लिए भी हम सुश्री बहन कुमारी मायावती जी मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश को धन्यवाद देना चाहेंगे। जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है सब लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। चाहे हत्या हो, डकैती हो, अपहरण की घटनाएं हो बड़े पैमाने पर इसमें सुधार हुआ है, कंट्रोल हुआ है। मान्यवर, जहां तक सड़कों के निर्माण खराब पड़ी सड़कों की मरम्मत का सवाल है इन सारी बातों के लिए और विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिये, इन तमाम जो प्रदेश में जरूरतमंद चीजें थी, आवश्यकता की चीजें थीं, उनके सुधार के लिये ही हमारी सरकार ने केन्द्र सरकार से 80 हजार करोड़ रुपये की मांग की थी लेकिन केन्द्र की सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सी ऐसी चीजें जो पूर्व की सरकारों में घाटे में चल रही चीनी मिलों की बात चल रही थी जैसे ही यह सरकार सत्ता में आई चर्चा हुई हमारे सरकार के मंत्री, गन्ना मंत्री जी ने कहा कि सारी गन्ना मिलों को चलाया जायेगा इसी उम्मीद और आशा पर कि इसमें बेरोजगार परिवारों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। बन्द पड़ी मिलें चालू होंगी लेकिन जब केन्द्र की सरकार ने सहयोग देने से मना कर दिया तो मजबूर होकर हमें इन घाटे में चल रही मिलों को बन्द करना पड़ा। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने राहत आपदा निधि के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि को 250 रुपये से बढ़ाकर एक हजार रुपये करने का फैसला लिया है। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में गरीब, पिछड़े तथा समाज के कमजोर वर्ग के कल्याण हेतु हमारी सरकार संवेदनशील है। हमारी सरकार ने निराश्रित, विधवा, वृद्धा, विकलांग, समाज के कमजोर वर्ग में जो लोग आते हैं अब तक उनकी पेंशन का जो मानक था कि एक हजार रुपये मासिक आय या साढ़े तीन एकड़ जमीन से कम की जमीन का मानक था लेकिन हमारी सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे का मानक तय किया इससे हमारी सरकार के इस निर्णय से 28 लाख अतिरिक्त लोग लाभान्वित होंगे, 28 लाख लोग इससे लाभान्वित होंगे। जिसके लिये 961 करोड़ रुपये की सरकार ने स्वीकृति दी है। हमारी सरकार ने विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिये इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए 65 हजार करोड़ रुपये का इंतजाम किया और इसके साथ ही साथ विद्युत व्यवस्था के स्थाई हल के लिये 10500 मेगावाट विद्युत के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस बात को लेकर हमारी सरकार संवेदनशील है कि जब तक विद्युत व्यवस्था का स्थाई समाधान नहीं होगा, तब तक मांगने से काम नहीं चलेगा। मान्यवर, हमारे नेता माननीय कांशीराम जी कहा करते थे कि भई मांगने की आदत छोड़ो, देने की आदत डालो। इसलिये आज इस पर जो हो-हल्ला हो रहा है मैं इस बिन्दु पर कहना

चाहता हूं कि यह वह लोग कर रहे हैं, जिन्होंने इसको बिगाड़ने का काम किया है। मुझे आपके माध्यम से उन लोगों से भी कहना है कि-

'कह दो इस अदालत में उन गुजरे हुये गवाहों से,
झूठ तो बोले मगर झूठ का सौदा न करें'

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपका धन्यवाद देता हूं।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे)

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने इस चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। हम सब लोग यहां पर अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। यहां ग्रामीण अवस्थापना के बारे में बहुत सारी बातें बढ़ा-चढ़ाकर की गयी हैं। उत्तर प्रदेश में 52 हजार ग्राम सभा है और 5 गांव प्रत्येक विधान सभा में अम्बेदकर गांव के नाम से विकसित करने की बात कही गयी है। पिछले दिनों महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में और माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण में यह कहा गया था कि 2000-2003 से लेकर अब तक जितने अम्बेदकर गांव हैं सबको विकसित किया जायेगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बाकी जनपदों की आप जाने, सारे विधायक जानें, लेकिन मैं अपने क्षेत्र की बात कहता हूं कि 2000-2003 वाले जो अम्बेदकर गांव थे, उसके बाद से किसी भी अम्बेदकर गांव में एक भी पैसे का काम नहीं हुआ। बजट में कह देना और काम कर देना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। जब तक गांव का विकास नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। हमारे जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हैं, इनकी मजबूरी हैं, मुख्य मंत्री जी की तारीफ करना, वित्त मंत्री जी की तारीफ करना, वरना नौकरी चली जायेगी। लेकिन सबको जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की जो व्यवस्था की गयी उसमें केवल 50 प्रतिशत गांवों को पानी की व्यवस्था की बात कही गयी। हमारा कहना यह है कि 52 हजार गांव हैं उत्तर प्रदेश में और यह सरकार यदि 5 साल भी चलती है, हालांकि इसकी संभावना कम है। यदि 5 साल भी चली तो इस प्रकार कितने गांव विकसित होंगे, बाकी गांव का क्या होगा, यह आपके सामने समस्या है। मेरे जिले के मंत्री हैं श्री वेदराम भाटी, यहां पर बैठे हुये नहीं हैं इन्होंने नलों की सूची भेजेगी कि मेरे क्षेत्र में नल लगा दिये जायें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे 86 स्वीकृत हुये थे और उनके केवल 3 नल स्वीकृत हुये। लेकिन यह कह नहीं सकते और हम कम से कम कह तो सकते हैं। यह जो चाहते हैं वह नल लगा नहीं सकते। पानी गरीब आदमी कैसे पियेगा, यह चिन्ता इनको नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों की हालत बहुत खराब है। यह केवल एक बार में 5 गांव विकसित करेंगे। किसी भी पी0एच0सी0 पर पहुंच जाओ, स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुये हैं, डाक्टर नहीं है, नर्स नहीं हैं, स्टाफ नहीं हैं और सरकार का कोई मंत्री या कोई व्यक्ति यह कह दे कि हमारी बात गलत है तो जो चाहे मेरे साथ चले, पूरे जिले में किसी भी पी0एच0सी0 सेंटर पर यदि एक भी डाक्टर या स्टाफ समय पर मिल जाये, खुद जाकर देखे लें, पता लग जायेगा कि क्या स्थिति है। बजट में बड़ी-बड़ी बात कहना अलग बात है। हम गांव में सड़क दे नहीं सकते, गांव का विकास कर नहीं सकते, नल लगा नहीं सकते, अस्पतालों में डाक्टर भेज नहीं सकते और प्राइमरी स्कूलों की हालत यह है। जब हमारी सरकार थी तब यह व्यवस्था बनायी गयी थी कि प्रत्येक गांव में प्राइमरी स्कूल होगा,

एक किलोमीटर पर जूनियर हाई स्कूल होगा। इसमें प्रदेश का कुछ नहीं है, आपका कुछ नहीं है। आपके प्राइमरी स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं, माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक नहीं हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं हैं, आप कैसे शिक्षा देंगे। मान्यवर, केवल कह देने से कुछ नहीं होता। गांव के बारे में हालत यह है कि आज शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था वहां पर बिल्कुल चौपट हो गई है, पानी नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 अध्यक्ष महोदय ने सभी सम्मानित सदस्यों को पांच मिनट का समय निर्धारित किया था लेकिन बाद में उन्होंने सभी सदस्यों को दो-दो मिनट का समय देने का निर्देश दिया है। आज आखिरी दिन है और सरकार का जवाब भी आना है।

श्री सनातन पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, आपको इस बात के लिये धन्यवाद कि आपने वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक की साधारण चर्चा पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। समय भी बांधने का आपने काम किया है। विषय बहुत है हम सिर्फ एक बात की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहते हैं। आपने लिखा है कि ठेकेदारी प्रथा से माफियाराज को समाप्त करने के लिये इलेक्ट्रानिक टेण्डर प्रणाली लागू करने की व्यवस्था की गई है। मैं पूरे प्रदेश का खाका तो नहीं बता सकता लेकिन मैं जनपद बलिया की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आप स्वयं ठेकदार बनना चाह रहे हैं या इलेक्ट्रानिक प्रणाली लागू करके ठेकेदारी को समाप्त करना चाह रहे हैं। अम्बेडकर गांव का पैसा जनपद बलिया को दिया गया है, पी0डब्ल्यू0डी0 से वह पैसा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में स्थानान्तरित किया गया। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के द्वारा साढ़े तीन करोड़ रुपये की निविदा मांगी गई। बाकायदा अखबार में उसका प्रकाशन हुआ, वह निविदा पड़नी थी उससे पहले ही बिना कारण बताये टेण्डर निरस्त कर दिये गये और तो और सरकार द्वारा रखे गये अधिकारियों के द्वारा यह कहने का काम किया गया, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मा0 ओम प्रकाश जी ने कहा कि नीचे से ऊपर तक वसूली हो रही है। अधिकारियों ने यह कहने का काम किया कि यह काम पी0डब्ल्यू0डी0 से हटाकर जो ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से कराया गया है, यह ऊपर की बात है। मैं बल देता हूं मा0 ओम प्रकाश जी की बात पर और उसके बाद बिना निविदा कराये लोगों को काम दिया गया, कहां है आपकी पारदर्शिता। आज निश्चित तौर से यह साबित हो चुका है कि लेखपाल से ले कर ऊपर तक के सारे के सारे अधिकारी इसमें संलिप्त हैं। परसों की बात है मा0 अधिष्ठाता जी मैंनें स्वयं एक अधिकारी से मिलने का काम किया था और कहा था कि आप सरकार के अंग हैं, आप प्राथमिकता तय कर दीजिये। आज कागज पर काम हो रहा है, ठेकेदारी प्रथा से काम कराया जा रहा है और जो हमारे ओम प्रकाश जी ने कहा मैं उनकी बात पर फिर से बल देता हूं कि यह बात सही है, इस समय 30 से लेकर 35 परसेन्ट तक कमीशनखोरी हो रही है। जहां तक पारदर्शिता का सवाल है तो एक भी मामला बता दीजिये। किसानों की हालत बहुत खराब है, आज एक माचिस बनाने वाला व्यापारी अपनी लागत तय करता है और फायदा लेने के बाद उसका विक्रय मूल्य तय करता है। आज प्रदेश की आबादी में 70 प्रतिशत आबादी किसानों की है, जो मेहनत करके अन्न पैदा करता है। हमारे सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग यह कहकर टालने की बात कहते हैं कि रेट कौन तय करता है ? हम 5 एकड़, 10

एकड़, 20 एकड़ के काश्तकार जो पैदावार पैदा करने का काम करते हैं, उसकी कीमत दिल्ली की सरकार तय करती है। इसी प्रदेश का व्यापारी स्वयं अपनी लागत मूल्य तय करता है मान्यवर, यह न्याय संगत नहीं है। जब तक उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण खुशहाली की बात नहीं करेंगे, प्रदेश खुशहाल नहीं हो सकता इसलिये सबसे पहले प्राथमिकता किसान को देंगे तभी प्रदेश की तरक्की हो सकती है। प्रदेश के सड़क, पुल, पुलियाओं को छोड़ते हुए, कुछ चिन्हित लोगों को छोड़ते हुए, कुछ चिन्हित समाज को फायदा देने की बात छोड़ते हुए आप पूरे समाज में समानता का भाव भरना चाहते हैं तो सबसे पहले किसानों की पैदावार के लिए उनके लागत मूल्य का दोगुना दाम देने का काम करें।

श्री अधिष्टाता-

कृपया समाप्त करिये।

श्री सनातन पाण्डेय-

पूरे प्रदेश के किसानों की भलाई के लिए चाहे प्रतिपक्ष में बैठे हुए लोग हों या सत्ता पक्ष में बैठे हुए नेता हों सभी लोग मिलकर एक बार प्रदेश के किसानों की पूरी कर्ज माफी हो जाए उसके बाद उनको लागत का मूल्य दिया जाय ताकि आने वाले दिनों में किसान अपनी बेटी की शादी के लिए, बेटों की पढ़ाई के लिए और दो कौड़ी की चपरासी की नौकरी के लिए अपनी मां रूपी जमीन को न बेच सके। इस पर हम सभी को निर्णय लेना होगा। मान्यवर, आपने मुझे समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

* श्री विश्वनाथ-

माननीय अधिष्टाता जी आपका धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि बजट पर समान्य चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मान्यवर, इस सरकार को बने हुए साल भर हो गया। 'होनहार विरवान के, होत चीकने पात।' साल भर की आयु इस सरकार की हो गयी। जो नाम और बदनामी आपने पाया उसके लिए धन्यवाद। तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए आपने एक बजट पेश किया, उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलने के लिये। उत्तर प्रदेश कोई साधारण प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश की तरक्की का मतलब हिन्दुस्तान की तरक्की और उत्तर प्रदेश तनाजुली का मतलब है, हिन्दुस्तान की तनाजुली। इस गम्भीर बिन्दु की ओर आपका ध्यान नहीं है। माननीया मुख्य मंत्री जी हैं नहीं, न ही हमारे नये वित्त मंत्री जी हैं। चाहता था कि उनको बधाई दे देता। यह बजट वित्त मंत्री जी ने नहीं बनाया है। हमारा उनका ताल्लुक पुराना है, मैं उनको जानता हूं, चौधरी चरण सिंह जी की रहनुमाई में रहे हैं। चौधरी साहब कहा करते थे कि इस देश में खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों की ओर से होकर गुजरता है। पूंजीपतियों की थैली की ओर से गुजरने वाला बजट, उनको लाभान्वित करने वाला बजट निश्चित रूप से हमारे प्रिय मा0 वित्त मंत्री जी लालजी वर्मा जी का बनाया हुआ नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी है, बेबसी है, वह क्या करें ? बेचारे चौधरी साहब के साथ रहे, समाजवादियों के साथ रहे। अब पड़ गये हैं एकाधिकारवादियों के साथ। इस बजट की कोई नीति नहीं है, केवल धारा है और क्या कहूं ? मैं समझता था कि वह किसान के बेटे हैं, किसानों के लिए कुछ करेंगे। हमारे पूरब की मुख्य

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फसल गन्ना और गन्ना उद्योग दोनों को चौपट होने का मौका, जब यह हुकूमत होती है तो होती है (इसी बीच वित्त मंत्री जी सदन में पधारे) आईये वर्मा जी, मैं आपको तलाश रहा था। आपको बधाई देता हूं कि आप वित्त मंत्री हुये हैं। कहां चौधरी चरण सिंह जी की रहनुमाई में आपको और हमको साथ रहने का मौका मिला और आप चौधरी साहब की वह बात कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर जाता है। लेकिन यह सत्ता की गलियों से होकर जा रहा है। यह देखकर मुझे ताज्जुब है। अगर आप बजट बनाये होते तो बजट किसानों के लिए होता, गरीबों के लिए होता, विद्यार्थियों और शिक्षण संस्थाओं के लिये होता यह क्या आपने किया ? आपको मौजूदगी में आपकी हुकूमत में गन्ना किसान गन्ना जलाए ईंट भट्ठे पर 25/30 रुपये प्रति कुन्तल गन्ना गिराये यह किसान की खुशहाली हैं। कहां-कहां वरणों तोय। कहां-कहां झगड़ों तोय। केन्द्रीय सरकार के मिले हुए पैसे में रोजगार गारण्टी में 55 प्रतिशत तक कमीशन। कल नारा जुलूस का दास हो गया घूस की यह स्थिति है आपकी व्यवस्था की। आप भ्रष्टाचार मुक्त समाज बना रहे हैं, आप अपराध मुक्त समाज बना रहे हैं, अपराधों की जो रोज स्थिति सदन में बखानी जाती है वह सामने है। हम तो उन चीजों को कहने में हिचकते हैं क्या कहूं कोई उम्मीद हो तो कहूं कोई उम्मीद आपसे नहीं है। श्रीमन् बजट बनाते वक्त कुछ इन्ट्रेस्ट के बिन्दु तय किये जाते हैं प्राथमिकता के लिए पता नहीं आपने कैसे बिन्दु तय किये।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री विश्वनाथ-

अधिष्ठाता जी आप लाल बत्ती न जलाएं इस बार चुने जाने के बाद मैं पहली बार खड़ा हुआ हूं आप मेरे पड़ोसी हैं आपका ही दर्द बयान कर रहा हूं। अधिष्ठाता जी आपका क्षेत्र तो बाढ़ प्रभावित है हम तो बाढ़ से दूर है। आपने भोगा है। नहरों में हेड से टेल तक पानी नहीं है। जितने रजबहे हैं उनमें पानी नहीं है। यह तो इस साल वर्षा हो गयी कहीं बाढ़ आई कहीं धान की फसल अच्छी हुई लेकिन गन्ना जलाने और उसे बरबाद करने का काम आपकी हुकूमत में हुआ है। वित्त मंत्री जी आप किसान हैं किसान के बेटे तक ही नहीं है अगर किसानों के प्रति दर्द है तो गन्ने की कीमत निश्चित करें और इसे महीना पन्द्रह दिन के अन्दर करें और उनको मूल्य देना सुनिश्चित करें। बच्चों की पढ़ाई आपने सत्यानाश कर दी। प्राइमरी स्कूलों की स्थिति यह है। आप लोग जो यह कह रहे हैं कि इसीलिये सरकार चली गई तो मेरा शासन अच्छा होता तो क्या आपको यह वरदान मिलता। वरदान देने के बाद दूसरे की शिकायत करते हैं। यह अच्छा काम नहीं है। किसी की खामियों को बताकर अपने को खूबियों वाला नहीं बनाया जा सकता है। हम तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अच्छा काम करके मेरे खराब कामों को भुलाकर यशस्वी हो जायं लेकिन यह होने वाला नहीं है। इसलिये मैं आपको सचेत कर रहा हूं।

(इस समय 4 बजकर 23 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

आपसे उम्मीद है जितने प्राइमरी स्कलों में शिक्षा मित्र पढ़ाते हैं वह शिक्षामित्र जान हो गये हैं। कल कोई कह रहा था कि 70 लड़कों का खाना बनता है और 300 लड़कों को दिखाया जाता है

इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि कुछ प्राइमरी स्कूलों में 70 लड़के भी नहीं हैं। आपने इस एजूकेशन को चौपट कर दिया है। एजूकेशन को आप प्राइवेट सेक्टर में ले जाना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी और हायर एजूकेशन में फीस बढ़ा दी है। मैं इसलिये कह रहा हूं कि वित्त मंत्री जी आप स्टूडेन्ट लीडर रहे जो समाजवादी चिन्तन के आदमी हैं। गांव स्वर्ग तभी बनेगा जब फ्री एजूकेशन हो। नहीं किया और तो और तुम स्टूडेन्ट लीडर थे। बेकार स्नातकों को जो भत्ता मिल रहा था आपने उसको भी खारिज कर दिया। बेटियों के साथ पीले होने और बेटियों की तालीम में बाधा पहुंचा दी। उनको भत्ता देना बन्द कर दिया। यही लोकहित कारी कार्य है क्या ? आप लोकहित कारी कार्य करिये। हम तो कहते हैं कि आप एक ही काम कर दीजिये क्योंकि आपकी मुख्य मंत्री एक महिला है, इसलिये लड़कियों की पढ़ाई हायर एजूकेशन तक फ्री कर दीजिये। आप यह करवा दीजिये। तुम को दाद देंगे और प्रोमोट हो जाओगे, आपको एक दो महकमें और मिल जायेंगे। अगर आप अपने बजट में महिलाओं का उपकार करें, अपने बजट में प्राविधान करें, उनको नौकरियां दें उनको बेकारी भत्ता दें और विवाह के लिये पैसे अगर यह कर देते तो महिला मुख्य मंत्री का होना कम से कम औरतों को सार्थक लगता और बेटियों के बाप को भी सार्थक लगता। इसीलिये मैं यह एक सुझाव दे रहा हूं। आप ड्रेनों की सफाई नहीं करवायेंगे, खेतों में पानी नहीं पहुंचायेंगे, बाढ़ से क्षेत्र को नहीं बचायेंगे। बिजली कितना पैदा किया है ? अंधेरा साफ है। प्रमोद जी ने विद्यार्थियों के लिये बिजली की व्यवस्था करने के लिये कहा था कि गांवों में विद्यार्थियों को 7 बजे से 10-11 बजे तक बिजली उपलब्ध कराई जाय। तीन घण्टे की बिजली मांगी थी विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिये। मैं कहना चाहता हूं कि मुद्दे तो बहुत से हैं। मैं डा0 लोहिया की बात कहना चाहता हूं, जो कहा करते थे कि सरकारें काम से बोलती हैं। माइक, समाचार पत्र, लिटरेचर और टी0वी0 से सरकार नहीं बोला करती है। साल भर से आपका काम बोल रहा है कि आप नकारा है। आने वाला साल बतायेगा कि आप क्या हैं ? मैं कह देना चाहता हूं कि आप भ्रष्टाचार में इस तरह से डूब गये हैं कि सेन्ट्रल गर्वनमेन्ट आपको पैसा देने से पहले सोचती है और पैसा आपको किश्तों में देती है थोड़ा-थोड़ा करके। डर के मारे रुक-रुक पर पैसा दे रही है। उसमें 55 परसेन्ट, 60 परसेन्ट कमीशन है। इसको रोक दो। आपके पास एक टोकरी विधायक हो और दूसरी बात करते हो और यहां दूसरी बात करते हो।

श्री अध्यक्ष-

विश्वनाथ जी अब समाप्त करिये।

श्री विश्वनाथ-

मान्यवर, आज तो आपका दीदार हो रहा है। एक मिनट बैठ लीजिये। कुछ अपने मित्र से अपनी बात कह लूं। यह अलग बात है कि यह दूसरी बात करते हैं। दोहरी बात, दोहरा चरित्र है और दो जीभ वाले काम अच्छे नहीं हुआ करते। अलग हमसे होते हैं और यहां बैठकर जो हम बोलते हैं उसी पर छींटाकशी करते हैं। आप भक्ति का वरदान चाहते हो क्या ? सजा तो निश्चित मिल जायेगी। जनता सजा देगी। (व्यवधान) हमको सजा दी है तो भी छठवीं बार आया हूं। आपको वरदान मिलेगा तो इससे कम ही बार आओगे। यह नहीं कहता कि फिर आओगे कि नहीं आओगे। जनता का वरदान मुझे है और आपसे ही लड़कर आया हूं औरों से लड़कर नहीं आया हूं। कहीं लड़ाई हो जाय तो पता

चले। अब वर्मा जी हमारे दोस्त हैं। हम एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं तो कान में बतियाते हैं अब तो छोड़ दो। मैने तो नहीं कहा है छोड़ दो, पर आज तुम्हें छोड़ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय विश्वनाथ जी, अब समाप्त करिये।

श्री विश्वनाथ-

मान्यवर, जब बजट पर बोलूंगा ठीक से बोलूंगा। आज तो वर्मा जी का ही दिन था। वित्त मंत्री हुए हैं लेकिन वित्त मंत्री बेबस मंत्री हैं, अफसोस के साथ यह कहना है। आपने अवसर दिया, चर्चा में शरीक हुआ, धन्यवाद।

श्री घूरा राम-

मान्यवर, आपका आभारी हूं कि आपने माननीय वित्त मंत्री, श्री लालजी वर्मा के बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, हम करोड़ों करोड़ दलितों, गरीबों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और अगणों के दिशा एवं दशा को, विकास को अग्रसारित करने वाली माननीय मुख्य मंत्री जी की नीतियों और प्राथमिकता को स्पष्ट करते हुए हमारी सरकार का लक्ष्य है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धान्तों पर समतामूलक समाज समरसता कायम करने के लिए तथा पिछड़ेपन के कुचक्र को तोड़कर प्रदेश के समग्र विकास के लिए ग्रामीण एवं शहरी विकास रोजगार एवं भौतिक एवं समाजिक स्थापना का विकास, सरकार की प्राथमिकता है उस अवसर पर मैं बोलना चाहता हूं और आपने अवसर भी दिया। हमारी सरकार का मानना है कि समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्य धारा में शामिल कर लिया जाए। जिसका सामना समाजवादी, साम्राज्यवादी पूंजीवादी व्यवस्था न कर सके। हमारी सरकार ने एक नई मध्य वर्गीय अर्थनीति लागू करने का निर्णय लिया है उसमें मान्यवर, वैट भी आता है। वैट पर विपक्ष के साथियों ने अपने-अपने विचार रखे हैं लेकिन वैट से हम मान्यवर गरीब कमजोर लोगों को निर्धारित मूल्य पर सारी सामग्रियां देंगे और अनियमितताओं और शोषण का कार्य उसमें नहीं होगा लेकिन विपक्ष के लोग इस नीति के कार्य से डर रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। मान्यवर, मैं इस विषय पर प्रकाश डालना चाहता हूं कि टेण्डर आज से पूर्ववर्ती सरकार में अपराधी माफिया चारों ओर से अधिकारियों और विभागों पर दबाव डालकर गलत तरीके से धन की उगाही करते थे और गलत तरीके से प्रयोग करते थे मैं बधाई देना चाहता हूं इस सरकार को .....

(मेजें थपथपाई गईं)

जिसने टेण्डर प्रणाली लागू किया है। जिस टेण्डर प्रणाली से आज अपराधियों का मनोबल टूटा है लेकिन जिन पार्टियों का उन माफियाओं से, उन अपराधियों से सम्बन्ध थे उनके निश्चत रूप से पेट जरूर गड़ रहे हैं वरना आज हमारी सरकार ने जो टेण्डर प्रणाली लागू किया है उस टेण्डर प्रणाली से मान्यवर, टेण्डर डालने वाले कम से कम रेट पर टेण्डर डालते हैं और अच्छे से अच्छा काम करते हैं तो सरकार के धन की काफी बचत होती है और कार्य भी उत्तम श्रेणी का होता है लेकिन परेशानी उन लोगों को है जिन्होंने माफियागिरी किया है और आपराधिक तौर से शोषण किया है। उनको परेशानी है। मान्यवर मैं बिजली पर भी प्रकाश डालना चाहता हूं आज शहरी इलाकों में ग्रामीण इलाकों में हमारी

सरकार ने बिजली की व्यवस्था कराई है और उसकी आपूर्ति करके उसको पूर्ण रूप से लागू करना चाहती है लेकिन विपक्ष के लोगों का और ऊपरी सरकार का भी सहयोग न होने के कारण से हमारी सरकार उसको पूरा नहीं कर पा रही है लेकिन फिर भी हमारी सरकार कटिबद्ध है इसकी आपूर्ति को पूरा करेगी और बिजली पूर्ण रूप से देने की व्यवस्था करेगी। मान्यवर, मैं सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के बारे में प्रकाश डालना चाहता हूं जो समाज सामाजिकता के रूप में विकलांग है और निराश्रित है उसके लिए हमारी सरकार ने व्यवस्था बनायी है कि निराश्रित विधवाओं के लिए, विकलांगों के लिए, मैं बधाई देना चाहता हूं अपनी सरकार को ... (मेजें थपथपाई गईं)

जिन्होंने इनकी पेंशन के लिए वृद्धि किया है। मान्यवर, मैं गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में बोलना चाहता हूं। मैं बलिया का रहने वाला हूं मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं बलिया जनपद में ही नहीं पूरे पूर्वांचल में गंगा के किनारे बालू का बालू एक-एक डेढ़ किलोमीटर तक पड़ा रहता है। वहां खेती नहीं होती है न किसी प्रकार की उपज होती है चाहे वह बंगाल जाते हैं चाहे महाराष्ट्र जाते हैं चाहे हरियाणा जाते हैं, चाहे दिल्ली जाते हैं, चाहे पंजाब जाते हैं मजदूरी करने के लिए, मान्यवर, हमारी सरकार ने गंगा एक्सप्रेस वे आठ लेन की सड़क की घोषणा की तो हमारे गरीबों में खुशी की लहर दौड़ गई। कि हम दूसरे प्रदेशों में मजदूरी के लिए जाते हैं काम करने के लिए जाते हैं निश्चित रूप से गंगा एक्सप्रेस बनेगा हम इधर आएंगे हम गरीबों का उद्धार होगा। लेकिन यह काम क्यों कर रहे हैं जिनको इन गरीबों से कोई लेना देना नहीं है उनके पेट में दर्द हो रहा है और राजनीतिक कारणों से विरोध कर रहे हैं। मान्यवर, एक सदस्य हमारे बलिया के हैं, बड़े जोरदार तरीके से बोल रहे थे, बड़े भाई अम्बिका चौधरी जी नहीं हैं, होते तो मैं कहता भी कि गंगा के किनारे उनका घर था और भाग कर कपूरी में आकर के घर बनाया, उधर के घर उजड़ गये, आज भी वहां खेती नहीं होती है लेकिन उनको कष्ट है। उधर के किसानों ने मीटिंग किया और बहन कुमारी मायावती जी और हमारी सरकार को बधाई दिया, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अम्बिका चौधरी जी के परिवार के लोग और उस गांव के लोग काफी दुखित हैं, मान्यवर, मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि गंगा एक्सप्रेस वे से हमारे तमाम गरीब लोगों का उद्धार होना है और यहां पर गरीबों को मजदूरी मिलेगी। पूर्वांचल के रहने वाले मान्यवर, आप भी हैं, पूर्वांचल के तमाम गरीब लोग महाराष्ट्र में जाते हैं, महाराष्ट्र के कुछ लोग आज गुंडई कर रहे हैं, अत्याचार, जुल्म-ज्यादती कर रहे हैं, उससे निजात पाने के लिए अगर यह 8 लेन की सड़क बनती है तो निश्चित रूप से इन गरीबों का उद्धार होगा, पूर्वांचल का विकास होगा और 40 हजार करोड़ से जब सड़क बनती है, मान्यवर, तो निश्चित रूप से इन गरीबों को मुआवजा दिया जायेगा, बालू का और तमाम व्यवस्थाओं का मुआवजा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

जल्दी अपनी बात समाप्त करें।

श्री घूरा राम-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से ग्रामीण अवस्थापना के बारे में प्रकाश डालना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास के लिए, शहरी विकास के लिए, गांवों में खड़ंजा लगाने के लिए, गांव में नाले बनाने के लिए, सी0सी0 रोड बनाने के लिए जो हमारी सरकार ने व्यवस्था किया है, मैं कोटि-कोटि अपनी

सरकार को बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, मैं अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूं, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, जनजाति के लोगों के लिए हमारी सरकार ने एक व्यवस्था बनाया है, महामाया आवास की व्यवस्था, इन्दिरा आवास की व्यवस्था और अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के छात्रवृत्ति की व्यवस्था तथा मान्यवर, बैकलांग के द्वारा पिछड़ी जाति के लोगों की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है मैं अपनी सरकार को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, में जिस विषय पर प्रकाश डालना चाहता हूं, हमारी सरकार ने यह व्यवस्था बनायी है कि अस्पतालों के लिए, अभी हमारे साथी बोल रहे थे, इसलिए मैं इस पर कुछ कह देना चाहता हूं कि हर विधान सभा क्षेत्र में हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक इलाके में इनको बनाने की व्यवस्था किया है, प्राथमिक अस्पताल बनाने की व्यवस्था किया है। सामुदायिक अस्पताल बनाने की व्यवस्था किया है। मान्यवर, इतना ही नहीं किया है, अभी चर्चा चल रही थी, हमारी सरकार ने 2050 प्राथमिक विद्यालय और 4 हजार जूनियर विद्यालय बनाने की व्यवस्था किया है।

श्री अध्यक्ष-

अब बहुत समय हो गया है, समाप्त करें।

श्री घूरा राम-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं थोड़ा सा इस लिए बोलना चाहता हूं क्योंकि बलिया के बारे में यहां बहुत चर्चा हुई है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि शहरी इलाकों में कांशी राम विकास योजना की हमारी सरकार ने योजना बनायी है जिसके तहत रोजगार भी दिया जायेगा और जिसके तहत विकास का काम भी किया जायेगा तो मान्यवर, हमारी सरकार ने जो करोड़ों-करोड़ों गरीबों के लिए व्यवस्था बनाया है उसके लिए आप सब को सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं, बलिया के लिए हमारी सरकार ने व्यवस्था बनायी है, में कहना चाहता हूं, एक सड़क डबल लेन का जो बलिया से आजमगढ़ होकर जायेगी, यह वहां के लोगों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री घूरा राम-

मान्यवर, मैं एक अनुशासित सदस्य होने के नाते आपके आदेश का पालन करता हूं और बजट का समर्थन करते हुए, उस पर बल देते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

*ठाकुर सूरज पाल-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस बजट भाषण के सम्बन्ध में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करते हुए सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशन में हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उस बजट की मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष के द्वारा बार-बार टिप्पणियां की जा रही थीं तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे विपक्ष के साथियों की प्राथमिकता तो सिर्फ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बजट का विरोध करना है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब बिजली की बात आती है तो मैं कहना चाहता हूं कि पिछली सरकारों में बिजली के क्षेत्र में जो दुर्दशा उत्तर प्रदेश की थी तो अब हमारी सरकार ने 10330 करोड़ रुपये का जो बजट में प्राविधान किया है और 10500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन का जो लक्ष्य रखा है तो मैं कहना चाहता हूं कि इसके पूर्ण होने पर उत्तर प्रदेश से बिजली की समस्या दूर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश का कोना-कोना बिजली की रोशनी से अछूता नहीं रह पाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारे साथी सदस्य कह रहे थे कि बहन जी ने घोषणा की थी कि पिछले अम्बेडकर ग्रामों को सड़कों के माध्यम से संतृप्त किया जाएगा। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना के अन्तर्गत 3800 ग्राम सभाओं को सम्पर्क मार्गों से संतृप्त किया जाएगा। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के लिए 3500 किमी0 की हमारे बजट में व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 2246 करोड़ रुपये का प्राविधान इस बजट में सरकार ने रखा है जिससे 2346 बसावटों को मार्गों से जोड़ा जा सकेगा। मान्यवर, विपक्ष द्वारा यह कहा गया कि बहन जी की सरकार ने ग्रामीण सड़कों के लिए क्या व्यवस्था की है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश की 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है।

श्री अध्यक्ष-

कृपया जल्दी समाप्त करें।

ठाकुर सूरज पाल-

मान्यवर, बहन जी ने ग्रामों के विकास के लिए संकल्प लिया है नाली खडंजा का काम कराने का, पहले उसकी बड़ी दुर्दशा होती थी, अब हमारी सरकार में ग्रामीण सड़कें सी0सी0 कार्यों के माध्यम से बनाये जाने का निर्णय लिया है यह सराहनीय है। मान्यवर, कांशीराम योजना के अन्तर्गत हमारी सरकार ने गरीब, मलिन बस्तियों में काम कराने के लिए योजना को मूल रूप दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि आतंक के साये में हमारी बहन जी के दिशा निर्देशन में ठोकिये जैसे आतंकवादी को नेस्तनाबूत किया गया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पिछली सरकारों के द्वारा अगर कहीं बजट बढ़ा था तो आतंकवाद में बढ़ा था, गुण्डागर्दी में बढ़ा था, अपहरण में बढ़ा था। तो इनके समझ में चहुमुखी विकास का बजट कैसे आयेगा। मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में कहना चाहूंगा कि प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत सरकारी विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जाय इस हेतु इस बजट में 85,000 स्कूलों में शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य है। इस बजट में 2500 नवीन प्राथमिक विद्यालय, चार हजार नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराये जाने की बात है तथा बच्चों के बैठने के लिए पन्द्रह हजार अतिरिक्त कक्ष-कक्षों का निर्माण कराया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

ठाकुर सूरज पाल-

मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत बालिका शिक्षा हेतु इस बजट से 30 नये राजकीय बालिका विद्यालयों की स्थापना की जायेगी। उच्च शिक्षा के अन्तर्गत प्रदेश में 51 राजकीय महाविद्यालयों में बी0बी0ए0/बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम संचालित किये जायेंगे। प्राविधिक शिक्षा के अन्तर्गत स्पेशल

कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत मान्यवर, कांशी राम इंजीनियरिंग कालेज ऑफ इन्फॉरमेशन एण्ड टेक्नोलॉजी के नाम से उत्तर प्रदेश में दो इंजीनियरिंग कालेज एवं महामाया पालीटेक्निक ऑफ इन्फॉरमेशन एण्ड टेक्नोलोजी के नाम से चार पालीटेक्निक की स्थापना की जायेगी। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी आधारित इंजीनियरिंग कालेज तथा 12 सूचना प्रौद्योगिकी पालीटेक्निक की स्थापना की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका बहुत हो गया है, कृपया बैठ जायें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, बहुत से लोगों को आज अपने निवास पर जाना है, क्षेत्र में जाना है और विधेयक भी है, जिसे आपने स्थगित कर दिया था उसको भी लेना है, इसको ध्यान में रखते हुए अनुरोध है कि मुझे बोलने का अवसर दे दें तो कृपा होगी।

श्री राम प्रकाश कुशवाहा-

मान्यवर, दो मिनट हमें भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

सूरज पाल जी ने सबके हिस्से का कह दिया है।

श्री प्रमोद तिवारं-

मान्यवर, सूरज पाल सिंह जी ने, जो वित्त मंत्री को भी कहना था वह भी रख दिया है। अब इनके बोलने की भी आवश्यकता नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह चर्चा चार दिन की होनी थी लेकिन आपने इसे दो दिन कर दिया। अभी बहुत से सदस्यों को बोलना है। अब उसके बाद अगर माननीय सदस्य एक-दो घण्टे अगर हाउस ज्यादा चल जायेगा, तो क्या दिक्कत हो जायेगी। मान्यवर, यह हाउस रात के 12-12, 1-1 बजे तक चला है, आज मान्यवर, 7.00 बजे तक चल जायेगा, तो क्या दिक्कत होगी।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा है कि कुछ माननीय सदस्यों को अपने घर की भी चिन्ता है, वह लोग अपने घर जाना चाहते हैं।

श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)-

मान्यवर, सबको घर जाना है, लेकिन माननीय खन्ना जी को तो घर की कोई चिन्ता है नहीं, इसीलिये वह ऐसी बात कह रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय ओ0पी0 सिंह कह रहे हैं कि खन्ना जी को घर की कोई चिन्ता है नहीं।

श्री अध्यक्ष-

तो आज वह हमारे साथ में रहें। क्या दिक्कत है ?

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, वर्तमान में सरकार ने लाखों करोड़ों का जो बजट पेश किया है और उसमें अपनी बहुत सारी बातें रखी हैं जिसमें राजकोषीय घाटे को कम किया गया है और राजस्व बचत को दिखाया गया है, यह सारा बजट बिल्कुल कल्पना पर आधारित है और इसमें रचनात्मक कोई दृष्टिकोण नहीं है मान्यवर, एक तरफ समतामूलक समाज की स्थापना की बात की गई है उसी रूप में मैं कहना चाहूंगा कि विद्युत आपूर्ति का जिसमें सबको अधिकार है विद्युत आपूर्ति होनी चाहिये, लेकिन आज गांव की क्या हालत है गांव में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको तीन-तीन घण्टे बिजली मिल पाती है आखिर उनका भविष्य क्या होगा। इसमें बिजली की आपूर्ति के लिये 65 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, लेकिन आज विद्युत कर्मियों के द्वारा सिवाय राजस्व बढ़ाने के दूसरा कार्य नहीं किया जा रहा है मान्यवर, जिस गांव में बिजली लाईन नहीं है और वहां पर बगैर देखे भाले रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है और मुकदमा दर्ज किया जा रहा है मान्यवर, कृषि की तरफ अगर हम देखें आज पाले से, कोहरे से तमाम किसान ग्रसित है गन्ना किसानों का गन्ना, मिल एक महीने लेट चला, पहला भुगतान मिला नहीं, गेहूं की बुवाई बहुत देर से हुई है तो उत्पादन जो गेहूं का होगा वह बहुत कम होगा। जिससे किसान की हालत बहुत खराब होने की आशंका है। डी0ए0पी0 उर्वरक खाद बाजार में कहीं देखने को नहीं मिल पाई, मान्यवर, दूसरी तरफ पर्यटन की बात कहना चाहता हूं, आज पर्यटन उद्योग को अगर बढ़ावा दिया जाये तो बहुत सारी रोजगार की सुविधायें और अक्सर प्राप्त होंगे लेकिन मेरा गढ़मुक्तेश्वर गाजियाबाद में स्थित है। हरिद्वार के उत्तराखण्ड में जाने के बाद से बृजघाट और गढ़मुक्तेश्वर को सरकार ने निर्णय लिया था कि इसको पर्यटन की तरह हरिद्वार की तर्ज पर विकसित किया जायेगा, लेकिन जब से वर्तमान सरकार आई है तब से वहां का विकास बिल्कुल अवरुद्ध है। वहां पर कार्तिक का मेला जो नवम्बर में प्रत्येक वर्ष लगता है सम्भवतः वह पूरे देश का लाखों लोगों का एक मात्र मेला होता है, वहां पर प्रान्तीय गजट की बात करना चाहता हूं कि वह प्रान्तीय गजट पर होना चाहिये और जो विकास की सम्भावनायें गढ़मुक्तेश्वर में है उसको गंगा के घाट को लेकर बाजार को लेकर, सड़क को लेकर वह तमाम सुविधा से आज गढ़मुक्तेश्वर में नहीं मिल पा रही है मेरा अनुरोध है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये हरिद्वार की तर्ज पर गढ़मुक्तेश्वर को विकसित किया जाये। मान्यवर, पेंशन की बात की जाती है। जरूर उसमें वृद्धि की गई है, लेकिन क्या यह लाभकारी योजनाओं का लाभ उन गरीबों को बी0पी0एल0 वाले लोगों को मिल पा रहा है। जिनको लाभ पाने के लिये तहसील का चक्कर लगाते-लगाते आय प्रमाण-पत्र के लिये और जाति प्रमाण-पत्र बगैर पैसे दिये आज नहीं बन पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौहान साहब, अब आप समाप्त करें, दो-दो मिनट और कुछ माननीय सदस्यों को भी बोलना है।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, आपने अभिभाषण पर भी नहीं बोलने दिया, अब भी बड़ी मुश्किल से बोलने का मौका आया। मेरा आपसे निवेदन है कि हमें भी मौका मिले। मान्यवर, सरकार ने अपने बजट में अवस्थापना की बात की है। गंगा एक्सप्रेस वे, ताज एक्सप्रेस वे की बात की है। ताज एक्सप्रेस वे को

पहले जिस संस्था को आवंटित किया गया था, विकास करने का जिम्मा रखा गया था, किसानों की जो जमीन 300 रुपये में ली गई थी आज वही जमीन एक लाख रुपये गज पर बेची जा रही है। उसी तरह से मान्यवर, जो चालीस हजार करोड़ रु0 की गंगा एक्सप्रेस वे योजना है, एक मंत्री जी उस पर कह रहे थे कि उसके बनने से हाईवे पर डाकुओं की समस्या नहीं होगी। जबकि मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उस पर हाईवे बनने डाकुओं को आम नागरिकों को लूटने की अच्छी जगह मिल जायेगी। उस पर उद्योग धन्धे आयेंगे उससे जो पूंजीपति है वह और पनपेंगे। मान्यवर, पूर्व की सरकार में नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में जहां निर्माण हुआ है वहां पर गरीब लोगों के लिये झुग्गी झोपड़ी बनाने का काम किया गया था। उसमें छोटे घर बनाकर आवंटित किये गये थे लेकिन आज वह योजना अवरुद्ध हो गई है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार का इस बजट के साथ रचनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। मान्यवर, आप स्वास्थ्य विभाग की बात को लें। मैं एक दृष्टांत देना चाहता हूं कि किसी महिला को प्रसूति का मामला था, तो जो चिकित्सालय की प्रभारी थी, रात का मामला था तो एक घंटा उन्हें इंतजार करते हो गया। उस पर मैंने भी कहा और लोगों ने भी कहा और जब एसडीएम ने कहा तो डा0 ने उस मामले पर ध्यान दिया। तो यह स्थिति है अस्पतालों की। मान्यवर, जब अस्पतालों में दवायें उपलब्ध नहीं हैं तो अनायास ही इतना भारी बजट क्यों लिया जा रहा है। आपको चिकित्सकीय सुविधाओं को बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। मान्यवर, गढ़मुक्तेश्वर ऐसी जगह है जो जिला मुख्यालय से लगभग अस्सी कि0मी0 दूर है वहां पर ट्रामा सेन्टर की बहुत आवश्यकता है उस पर आप विचार करें। मान्यवर, जो 7 कि0मी0 सड़क की योजना और विशेष मरम्मत कार्य की योजना हम लोगों को दी गयी थी उसमें काफी कार्य अधूरे पड़े हैं उन्हें पूरा कराने पर ध्यान दिया जाये। मान्यवर, कानून व्यवस्था के मामले में यह सरकार बहुत दम भरती है कि काफी सुधार हुआ है। मान्यवर नोएडा में ग्रेटर नोएडा में जिस तरह से आपराधिक घटनायें हुई हैं वह सूचक है कि अपराध बढ़े हैं। मान्यवर, वहां 50 लाख की डकैती की घटना हुई है। गाजियाबाद में घटना हुई है। इसी तरह से वहां एक हत्या की घटना हुई। मान्यवर, आप एक मिनट सुन लें। मान्यवर, दिल्ली में अपहृत किया गया बच्चा कल नोएडा में मिला है। मान्यवर, कानून व्यवस्था में सुधार की बहुत दुहाई देती हैं यह सरकार जबकि गरीबों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री सुरेश्वर सिंह-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट की साधारण चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं बहराइच के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र महसी से चुनकर आया हूं। मान्यवर, बेलहा-बहरौली तटबंध का निर्माण 1955-56 में हुआ था जो वर्तमान में जर्जर हालत में है। मान्यवर, जनपद का क्षेत्रफल 4,97,598 हेक्टेयर है। बांध के अन्तर्गत जो प्रभावित होता है वह क्षेत्रफल 84980 हेक्टेयर है। मान्यवर, उसमें तीन तहसीलें पड़ती हैं नानपारा महसी और कैसरगंज। और उसके अन्तर्गत तीन विधान सभा क्षेत्र आते हैं। उससे करीब साढ़े तीन लाख की आबादी प्रभावित होती है। मान्यवर, वहां पर केन्द्रीय जांच दल आया था। उस जांच दल से मैं एवं जिला प्रशासन ने मांग की थी कि जो किसान बेघर हो गये हैं उनको बसाने हेतु भूमि, भवन हेतु इन्दिरा आवास, स्वच्छ जल के लिये

इण्डिया मार्का हैण्डपम्प, अन्त्योदय बी0 पी0 एल0 कार्ड उपलब्ध कराने हेतु आग्रह किया था। यही मांग उत्तर प्रदेश सरकार ने भी की थी। साथ ही उसमें बाढ़ पीड़ित सभी किसानों का कृषि से सम्बन्धित देय, जैसे फसली ऋण का ब्याज, लगान एवं बिजली का बिल माफ करने का भी आग्रह किया गया था। लेकिन इस बजट में उस बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों से प्रभावित लोगों के लिये इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां जो बाढ़ से लोगों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिये व्यवस्था की जाये। मान्यवर, इसी तरह से नाबार्ड से एक योजना आयी जिसमें यह कहा गया कि जितने भी लकड़ी के पुराने जर्जर पुल हैं उनके स्थान पर नये पुल बनाये जायें और लकड़ी के पुल समाप्त किये जायें। लेकिन लोक निर्माण विभाग के बजट में इस तरह का कोई भी पुख्ता आश्वासन नहीं दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष जी, किसानों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन में 5000 जहां टैक्स लगता था 500 रुपये कर दिया गया था। और ट्राली रजिस्ट्रेशन से मुक्त कर दी गयी थी। आज हालत यह है कि आज किसान ईंटा लादकर अपने घर ले जाता है या गन्ना लादकर अपने घर से गन्ना क्रय केन्द्र ले जाता है तो उसके ऊपर आर0 टी0 ओ0 द्वारा 9000 रुपये जुर्माना लिया जाता है। यह किसानों की विरोधी सरकार है। मेरी मांग है कि कम से कम ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है उसको वापिस लिया जाय। एक दैवी आपदा से सम्बन्धित घटना बता रहा हूं। यह श्रावस्ती जनपद के बहोरवा ग्राम में हुई है कल 3 बजकर 30 मिनट पर बिजली गिरी थी आकाश से जिसमें प्रदीप कुमार पुत्र राम फेरन आयु 8 वर्ष तथा पूरे पुत्र रामदीन आयु 18 वर्ष की मृत्यु हो गयी है और महेश प्रसाद पुत्र मंगल आयु 14 वर्ष तथा फरेंदे पुत्र सीताराम आयु 13 वर्ष यह दो लोग घायल हुए हैं। आपदा प्रबन्धन में बजट में क्या प्राविधान हैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते हैं यह सारे लोग अनुसूचित जनजाति के हैं। मान्यवर, दो लोग मरे हैं और दो लोग घायल हुए हैं। इनको तत्काल आपदा राहत उपलब्ध कराई जाये। इसके साथ ही आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

(अनेक सदस्यों द्वारा बोलने का आग्रह करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अभी काफी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

(श्री लालजी वर्मा के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

डा0 अजय तोमर साहब, अनुदान मांगों पर आप लोगों को लम्बा मौका मिलेगा। मैं मौका दूंगा। आप लोग बैठ जायें फिर माननीय मंत्री जी बोल लें।

अनुदान मांगों पर 8 दिन चर्चा है। अपने क्षेत्र की समस्या को रखिये और सरकार को जो भी कहना है कहिये, अनुदान मांगों पर लम्बा आपको समय मिलेगा।

श्री जावेद अंसारी-

मान्यवर, दो दिन से लगातार इस उम्मीद से नये सदस्य बैठे हुए हैं कि उनको अवसर मिलेगा। फिर आगे मिलेगा साल भर या नहीं मिल पायेगा। तो कम से कम जिनको नहीं मिल पाया है

अवसर जैसे पिछली बार आपने एक निर्देश जारी किया था कि जो लोग नहीं बोल पाये हैं वह लिखकर अपना भाषण दे देंगे तो उसको शामिल कर लिया जायेगा। बहुत से साथी बोलना चाहता हैं तो उनको यही अवसर प्रदान कर दिया जाये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, लिखकर ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। आज ही लिखकर दे दें।*

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आज सामान्य बजट की चर्चा में मुझे विश्वास था कि सरकार द्वारा जो बजट बहन कु0 मायावती जी के दिशा निर्देशन में तैयार हुआ है, उस सामान्य बजट की चर्चा में माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा विभिन्न दलों के नेतागण हिस्सा लेकर महत्वपूर्ण सुझाव देंगे लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष और ज्यादातर दलों के नेताओं के विचार यहां पर नहीं आ पाये लेकिन उनके प्रतिनिधियों द्वारा विचार रखने का काम किया गया। मैं उन सभी व्यक्तियों का, सदस्यों का, जिन्होंने सामान्य बजट की चर्चा में हिस्सा लिया, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, यह बजट जैसा कि मैंने पहले ही बजट रखते हुए इस बात का कहा था कि प्रदेश के विकास का एक महत्वपूर्ण बजट है और हमारे बहुत से साथियों ने इस बजट भाषण को ही सम्पूर्ण बजट मान लिया। बजट भाषण में पूरे बजट की चर्चा नहीं होती है, केवल कुछ प्रमुख बिन्दुओं का ही उसमें उल्लेख किया जाता है और सम्पूर्ण बजट का जो साहित्य आपने प्राप्त किया है, उसमें विस्तार से किस विभाग का कितना बजट रखा गया है, इस बात का उसमें उल्लेख किया गया है। अगर आपने इस साहित्य का अध्ययन करने का काम किया होता तो बहुत से लोगों ने चर्चा में जो इंगित करने का काम किया कि बजट अमुक मद में कम रखा गया है, अमुक मद के लिये उसमें ध्यान नहीं दिया गया है तो इन सारी बातों का उल्लेख उसमें आ जाता। मान्यवर, जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया है, उनके द्वारा जो प्रमुख बिन्दु उठाये गये हैं, मैं उन पर संक्षेप में अपनी बात रखना चाहूंगा। मान्यवर, मैं अपनी बात रखूं, उसके पहले मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि मुझ जैसे एक किसान के बेटे को, स्वयं जिसने खेती किसानी की हो और ऐसे किसान का बेटा जिसके मां बाप पढ़े लिखे न रहे हों, ऐसा अवसर देकर बहन कु0 मायावती जी ने किसान के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि विधान सभा में प्रदेश का बजट रखने का मुझे अवसर मिलेगा। मैंने स्वयं अपने हाथों से खेती करने का काम किया है, इसलिये यह बात कहना कि किसानों के लिये कुछ नहीं किया गया है, मैं समझता हूं कि किसानों का सबसे बड़ा सम्मान यह है कि बहन कु0 मायावती जी ने एक किसान को प्रदेश का वित्त मंत्री बनाकर बजट रखने का अवसर देने का काम किया है। हमारी माननीय सदस्य शादाब फातिमा जी ने किसानों के बारे में कहा पिछले बजट में 1646 करोड़ रुपये का था, इस बार उसे घटा दिया गया। मान्यवर, कृषि विभाग की जो अनुदान मांग है, उसमें अनुदान संख्या-11 (7, 8) को देखें तो जो पहले

---

* (देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 202-212 पर)।

1646 करोड़ रुपये का बजट था उसे 2008-2009 में बढ़ाकर 2574 करोड़ रुपये करने का काम किया गया है। मान्यवर, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस बात का उल्लेख किया कि इस बजट में नियोजित बजट नहीं है। उनकी चाहत थी कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का 5 वर्ष का सम्पूर्ण बजट पहले ही अनुमानित किया जाय और उसको विभिन्न वर्षों में बांटने का काम किया जाये। यह एक नियोजित बजट है और मान्यवर, 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो विकास के लिये आकार है 1.81 लाख करोड़ रुपये विकास के लिये अनुदानित हुआ है और मान्यवर, उसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने अपने बजट भाषण के समय माननीय सदन को अवगत कराया था कि ग्यारहवीं योजना में अपेक्षित विकास दर के लिये, विनियोग जुटाये जाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सरकार कटिबद्ध है। ग्यारहवीं योजनावधि में 10 प्रतिशत विकास का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिये 8.11 लाख करोड़ रुपये के विनियोजन की आवश्यकता आंकलित हुई है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत 2.36 लाख करोड़ के विनियोग का आंकलन सम्मिलित है, जिसके सापेक्ष 2.80 लाख करोड़ रुपये के विनियोजन की व्यवस्था हो गयी है। शेष धनराशि हम निजी क्षेत्र से जुटाने का प्रयास करेंगे। मान्यवर, मैं यह भी अवगत करना चाहूंगा कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में वित्तपोषण में केन्द्र की सहभागिता 31.8 प्रतिशत थी जो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में केवल मात्र 14 प्रतिशत ही रहेगी। इस प्रकार से केन्द्र सरकार से जो मिलने वाला योगदान था उसमें बराबर कमी आ रही है। इस सम्बन्ध में हमारा यह प्रयास रहेगा कि केन्द्र से राज्य को राज्य के विकास के लिये अधिक भागीदारी मिले। मान्यवर, हमारे साथी मा0 नरेश अग्रवाल जी ने इस बात का उल्लेख किया कि पिछले वर्ष का जो बजट पारित किया गया था उसके सापेक्ष जो योजनागत व्यय था वह 26 फीसदी ही मात्र जनवरी तक पूरा हुआ है, उस बारे में मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि 26 प्रतिशत नहीं बल्कि 43 प्रतिशत उसका उपयोग किया गया है। मान्यवर, जहां तक पिछले वर्ष के बजट की बात है, पिछले वर्ष का बजट 17 जुलाई को यहां पर पास हुआ था, चुनाव का वर्ष था और 17 जुलाई के बाद वर्षा का समय था, वर्षा का समय होने के कारण बहुत सी योजनाओं पर जो खर्च होता है वह नहीं हो पाता और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष का बजट समय से लाने का काम किया गया है। इस बजट को 12 फरवरी को इस सदन में रखने का काम किया गया है और 11 मार्च को विनियोग विधेयक भी पास हो जायेगा। इस प्रकार से पहली अप्रैल से ही हमें धन उपलब्ध रहेगा जिसे हम वित्तीय वर्ष 2008-2009 में खर्च करने का काम कर सकेंगे। इस तरह से हमारा यह पूरा प्रयास होगा कि जो बजट का धन है वह केवल हम निर्धारित ही न करें बल्कि उनको जमीनी धरातल पर लाकर प्रदेश की अवस्थापना विकास में महत्वपूर्ण काम करें। इसके साथ ही साथ चर्चा में बुन्देलखण्ड का भी जिक्र आया। मान्यवर, सभी पत्रकार बन्धुओं ने भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी बजट प्रस्तुत होने के बाद इस बात की चर्चा की कि यह बजट बुन्देलखण्ड के लिये ही है। यानि कि सबसे ज्यादा ध्यान अगर दिया गया है तो बुन्देलखण्ड के सूखे से प्रभावित हितों का विशेष ध्यान देने का काम किया गया है। मान्यवर, उसके लिये जो अभी तक हमारा लगभग 412 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई, जिससे सूखाग्रस्त प्रभावित क्षेत्रों की जनता को राहत पहुंचाने के लिये ठोस कदम उठाये जायेंगे। 31 मार्च, 2008 तक के राजस्व विनियोग को बुन्देलखण्ड में वसूली स्थगित कर दी गयी है, सूखाग्रस्त जनपदों के गांवों में खाद्य बैंक तथा सामुदायिक

रसोई की स्थापना की गई है। अभी तक 2448 ग्रामों में खाद्य बैंक तथा 2118 सामुदायिक रसोई की स्थापना की जा चुकी है। पेयजल की समस्या से निपटने के लिये लगभग 1 लाख हैण्डपम्प चालू हालत में हैं, 5324 तालाबों की खुदाई की गयी है, 2051 तालाब निर्माणाधीन हैं। बुन्देलखण्ड के क्षेत्र में 20 घण्टे की बिजली व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। गर्मियों की छुट्टियों में भी बच्चों के लिये मध्याह्न भोजन का विद्यालय में व्यवस्था करने का काम किया गया है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सूखे से राहत दिलाने के लिये 1600 करोड़ रुपये की योजना तैयार की गयी है। किसानों का बकाया जो 50,000 तक का कर्ज ऋणों पर जो बकाया ब्याज है उसको माफ करने का कार्य किया जायेगा।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ मैंने विस्तार से बजट में उल्लेख किया है कि इसलिये यहां समय नहीं लेना चाहूंगा। मान्यवर, वैट के बारे में विशेष रूप से अग्रवाल जी ने बड़ी चर्चा की हालांकि वैट प्रणाली दुनिया के सभी देशों में लागू है, भारत के सभी प्रदेशों में लागू है, जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है उन राज्यों में भी लागू है। हमारे कुछ साथियों ने यह आशंका जाहिर की कि वैट लागू होने से महंगाई में वृद्धि हुई है। मैं इस सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूं कि लगभग वैट व्यवस्था के अन्तर्गत 188 वस्तुओं पर पूर्व व्यापार कर व्यवस्था की तुलना में व्यापार कर की दरों में कमी की गयी है। मान्यवर, दालें, वनस्पति, दवायें, बर्तन, पैकिंग सामग्री, साइकिल, ट्राई साइकिल, खादें कीटनाशक, चाय, काफी, मक्खन, कॉटन-यार्न, सिल्क यार्न, लकड़ी के बोर्ड, दरवाजे आदि सम्मिलित हैं जिनमें कर की कमी की गयी है। खाद्यान्न में आटा, मैदा, सूजी आदि पर भी कर की दर व्यापार कर व्यवस्था के बराबर रखी गयी है। इसलिये यह कहना कि वैट लागू होने से महंगाई में वृद्धि हुई है, यह तथ्यों से परे है।

मान्यवर, हमारे कुछ साथियों ने जिक्र किया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, कई साथियों ने समाजवाद का उल्लेख किया। बहिन मायावती जी ने चर्चा किया कि जो पहले के समाजवादी लोग थे उनमें और आज के समाजवादी लोगों में जमीन-आसमान का अन्तर है। मेरे बारे में जो उल्लेख किया गया, मैं बताना चाहता हूं कि मैं तो कभी समाजवादी नहीं रहा। चौधरी चरण सिंह जी का नेता प्रतिपक्ष जिनकी वकालत किया करते हैं, चौधरी चरण सिंह जी हमेशा समाजवादी व्यवस्था के विरोधी थे, उन्होंने समाजवादी व्यवस्था के आधार पर, जो व्यवस्था थी जो आर्थिक नीति थी, समाजवादी आर्थिक नीति उसका भी पुरजोर उन्होंने उल्लेख किया था, अपनी किताबों में उसका विरोध भी दर्ज कराया था। मान्यवर, आर्थिक स्थिति का लाभ समाज के अन्तिम सीढ़ी तक खड़े व्यक्ति को पहुंचाना हमारा इस नई मध्यमार्गी यथार्थवादी एवं व्यवहारिक अर्थनीति का मुख्य उद्देश्य है। हमारी यह चाहत है कि विकास की जो किरणें हैं वह अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचे और उस अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिये ही हमने इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इस नीति को महत्वपूर्ण अंग मानते हुए इसको रखने का काम किया है। कुछ साथी चर्चा कर रहे थे, उसमें इस बात का उल्लेख किया कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये इस बजट में धन की कमी की गयी है।

मान्यवर, मैं बहिन कुमारी मायावती जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके ही शासनकाल में सबसे पहले अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति देने के कार्य का शुभारम्भ करने का काम किया गया है। आज भी अल्पसंख्यक कल्याण के लिये 248 करोड़ रुपये की बजट की व्यवस्था अलग से है और

इसके साथ ही साथ जो अन्य योजनायें हैं उसका भी लाभ अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अलग से, जो सामान्य योजनायें हैं उसका भी प्राप्त होगा। इसलिये यह सरकार हर समाज के हितों के लिये कटिबद्ध है उनके लिये इस बजट में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। मान्यवर, बहुत सी चर्चा विशेष रूप से गन्ना के मूल्य के भुगतान पर करने का काम किया गया है मैं इस सम्बन्ध में अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे गन्ना मंत्री जी ने स्वयं इस बात को बार-बार कहा है कि जब 13 मई, 2007 को सरकार का गठन हुआ था तो लगभग 3 हजार करोड़ से अधिक गन्ना मूल्य बकाया था। 2400 करोड़ की धनराशि का भुगतान हमारी सरकार के द्वारा कराया गया। जिन मिलों ने गन्ना मूल्य का भुगतान करने में विलम्ब किया ऐसी 46 मिलों पर गन्ना मूल्य वसूली हेतु कार्यवाही की गई। इसी के साथ-साथ जो वर्तमान में गन्ना मूल्य है उसके बारे में भी गन्ना मंत्री जी ने आज ही एक प्रश्न के उत्तर में बताने का काम किया। इसके साथ साथ रोजगार सृजन का हमने इस बात का उल्लेख किया जब हमारी सरकार बनी थी तो हमने इस बात को कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता नहीं बल्कि रोजगार देने का काम करेंगे और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह सरकार कटिबद्ध है। हमारा यह मानना है कि बेरोजगारी भत्ता देकर हम लोगों को कमजोर बनाने का काम करते हैं। इसकी जब चर्चा आई थी प्रदेश में कितने ग्रेजुएट बेरोजगार हैं ? ग्रेजुएट बेरोजगारों के साथ हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट तक के कितने बेरोजगार हैं केवल कुछ चुने हुए लोगों को बेरोजगारी भत्ता देकर आम लोगों को उससे दूर रखा यह उचित नहीं था इसलिये सरकार ने उस योजना को बन्द करने का काम किया।

रोजगार सृजन सरकार की प्राथमिकता में है ग्यारहवीं योजना में 125 लाख नये रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार प्रतिवर्ष लगभग 25 लाख नये रोजगार सृजन की व्यवस्था की जा रही है। मान्यवर, इसी परिप्रेक्ष्य में सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण के आधार पर बैकलॉग था उसको पूरा करने का अभियान चलाया गया और लगभग 35 हजार लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ उसके अन्तर्गत। सामान्य वर्ग के पदों पर जो रिक्तियां बन्द थीं उसको खुलवाने का बहन कुमारी मायावती जी ने निर्णय लेने का काम किया है। इसके साथ-साथ हमारे बहुत से साथियों ने प्राथमिक शिक्षा के बारे में विश्वनाथ जी ने जो यहां से भाग गये हमारी बात सुनने के लिये तैयार नहीं थे उन्होंने प्राइमरी शिक्षा पर विशेष जोर देने का काम किया।

श्री हुकुम सिंह-

भाग नहीं चले गये हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मैंने जो शब्द भाग गये का इस्तेमाल किया उसके लिये क्षमा चाहता हूं। मैंने संशोधन कर लिया है विश्वनाथ जी चले गये। यह अच्छा होता कि वह हमारी बात सुनने के लिये उपस्थित रहते। हमारी सरकार ने प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर देने का काम किया है। इसलिये 88,365 जो शिक्षकों के रिक्त पद थे उनकी भर्ती के लिये जिसमें 60 हजार पदों पर चयन की प्रक्रिया अन्तिम चरण में है जिसका चयन जल्द कर लिया जायेगा। 28 हजार 365 अतिरिक्त पदों के भी चयन की कार्यवाही प्रारम्भ करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ 13 हजार उर्दू शिक्षकों की भर्ती के लिये कार्यवाही की जा रही है। प्राइमरी शिक्षा को अधिक उपयोगी बनाया जायेगा। हम इसके लिये व्यवस्था करने का काम

करेंगे। 17 लाख नये रोजगार सृजन किये गये हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना प्रदेश के 39 जनपदों में लागू करने के लिये व्यापक पैमाने पर कार्यवाही की जा रही है और 1341 करोड़ रुपये धनराशि की व्यवस्था कर ली गई है और योजना में लगभग 911 लाख मानव दिवस का सृजन हुआ है। योजना से लगभग 38 लाख परिवार आच्छादित हुए हैं। बहुत से साथियों ने गंगा एक्सप्रेस वे चर्चा की इसका उत्तर दिया जा चुका है इसलिये इसका उत्तर देकर मैं समय नहीं लेना चाहता हूं। मान्यवर, इसके साथ-साथ हमारी यह चाहत है कि जो प्रदेश में हमारे साथियों ने जिक्र किया विशेष रूप से राय साहब ने पिछली बार सरकार ने इस बात का उल्लेख किया था कि अम्बेडकर ग्राम सभा का चयन सभी विधान सभा क्षेत्रों में किया जायेगा। सभी विधान सभा क्षेत्रों का विकास पूरे प्रदेश को एक आधार मानकर करने का कार्य इस सरकार ने किया है। इस सरकार ने केवल चुनिन्दा क्षेत्रों में ही प्रदेश के बजट को पूरी तरह से लगाने का कार्य न करके पूरे प्रदेश को एक यूनिट मानकर, पूरे प्रदेश का विकास करने का कार्य किया गया है। पिछली बार हमने इस बात की व्यवस्था की थी कि जो पुराने अम्बेडकर गांव थे, हमने उसके लिये दिसम्बर तक का समय निर्धारित किया था कि उसके जो विकास के कार्य रह गये हैं उसको पूरा किया जाय और जनवरी से लेकर 31 मार्च तक 5 गांव प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में गांव सभा के गांव एक गांव सभा में कहीं चार-चार कहीं तीन-तीन, कहीं 5 भी राजस्व गांव आते हैं इस तरह से प्रदेश में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में हमने पारिदर्शिता रखने का काम किया है। इसमें चूज करने के लिये नहीं कि किसी व्यक्ति के किसी एक क्षेत्र में कार्य करें। हमने यह अवसर भी नहीं दिया और उसमें सभी लोगों को सामान्य अवसर दिया। दो तीन जो हैं सबसे बड़ी गांव सभा है उसको और दो जो सबसे छोटी आबादी की गांव सभा है उनका चयन करके सबको समान अवसर देने का काम किया और 2008-2009 में यह निर्धारित करने का काम किया है कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 10 गांवों का चयन किया गया है और 5 सबसे बड़ी आबादी के और 5 सबसे छोटी आबादी के, उसमें किसी को भी इस बात का विभेद करने का अवसर देने का काम नहीं किया बल्कि प्रदेश का एक साथ सर्वांगीण विकास हो सके, बिना किसी भेदभाव के विकास हो सके इसलिये पूरे प्रदेश के साथ इस स्थिति को लाने का कार्य बहिन कुमारी मायावती जी ने करने का काम किया है। मान्यवर, चर्चा में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि उर्वरक की कमी है। उर्वरक की कमी की बात जो कही गई है उसके लिये मैं माननीय कृषि मंत्री जी को और साथ ही साथ बहिन कुमारी मायावती जी के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि यह पहली सरकार है जिसने एडवांस पैसा देकर फॉसफोरिस उर्वरक को भी खरीदने का काम किया और साथ ही साथ यूरिया को भी, जो नत्रजन खाद है, उसको भी पर्याप्त मात्रा में खरीदने का काम किया। इसके पहले भी हम लोग इस सदन में चर्चा करते थे और मान्यवर, जहां माननीय हुकुम सिंह जी हैं, वहां पर मैं बैठा करता था। 2006-2007 में जब हमने इस बात को उठाने का काम किया था, आप सभी लोग, राय साहब आप भी अपने क्षेत्र में गये होंगे उस समय जिस तरह से खाद की कमी थी, आज वह कमी नहीं है। हम मानते हैं कि डाई अमोनियम फासफेट की जिस पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि होनी चाहिये थी वह हुई। लेकिन लोगों के बीच में एक शंका बनी हुई थी कि शायद कमी है इसलिये एक साथ खरीदने की मानसिकता के कारण कहीं कहीं कुछ दिक्कतें आई हैं लेकिन जितना स्टाक है उसमें भी पूरे वितरण की आवश्यकता नहीं हुई क्योंकि

पर्याप्त मात्रा में आज भी डी0ए0पी0 खाद मौजूद है। (मेजे थपथपाई गई) यूरिया खाद की तो कहीं किसी तरह से कमी ही नहीं है। इस तरह से इस सरकार ने उर्वरक के मामले में पूरी तरह से ध्यान देने का काम किया है। जहां तक हमारे माननीय साथी ने कहा कि इस बजट में अस्पताल की बिल्डिंग बनवाने के लिये व्यवस्था की गई है लेकिन चिकित्सकों की कमी है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि चिकित्सकों की कमी है। हमने इस बात का प्रयास किया है कि जितने भी पद रिक्त हैं लोक सेवा आयोग में चाहे वो मेडिकल कालेज के हों या स्वास्थ्य विभाग में हों उसका अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजने का काम किया है। लोक सेवा आयोग जितने भी लोग सेलेक्ट करके भेजने का काम करेगा हम उतने लोगों को पूरी तरह से नियुक्त करने का काम करेंगे। इस तरह से इस दिशा में भी हमने काम करने का काम किया है।

मान्यवर, हमारे कुछ साथियों ने इस बात का उल्लेख करने का काम किया कि इस बजट में महिलाओं के लिये ध्यान नहीं दिया गया है और उनके जेण्डर बजटिंग के आधार पर उनका धन कम किया गया है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि 2007-2008 में महिला एवं बाल विकास विभाग का जो बजट प्राविधान था वह 1948 करोड़ रुपये का था और 2008-2009 में उसको बढ़ाकर 2292 करोड़ रुपये करा दिया जो कि 18 प्रतिशत की वृद्धि है। इसी तरह से मान्यवर, महिलाओं के लिये विशेष रूप से ध्यान देने का काम किया है। मान्यवर, दूसरा मेरा निवेदन है अवगत कराना चाहूंगा कि प्रदेश में अवस्थापना विकास, उद्योगों का विकास उसके लिये वातावरण की जरूरत होती है इस बात से मैं सहमत हूं कई नेताओं ने इस बात की चर्चा किया कि जब तक कानून व्यवस्था की हालत सुदृढ नहीं होगी तब तक प्रदेश में उद्योगपति आने का काम नहीं करेंगे। इसलिये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि इस प्रदेश को अपराधमुक्त प्रदेश बनाने का काम करेंगे। हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बहन कुमारी मायावती जी ने नेतृत्व में सरकार बनने के बाद अपराधों में कमी आई है साथ ही साथ गिरोहबन्द अपराध पूरी तरह से समाप्त हुआ है उसमें अब कहीं भी किसी अपराधी की हिम्मत नहीं है किसी व्यक्ति को धमकाने का काम कर सके। मान्यवर, सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से यह सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है और मुझे खुशी होती अगर सभी सदस्यों द्वारा जब चर्चा कर रहे हैं तो इस कार्य का उल्लेख किया जाता। बहन कुमारी मायावती जी ने, प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक वर्ष में 28 लाख लोगों को अतिरिक्त पेंशन देने का काम हम करने जा रहे हैं जो अति गरीब निर्धन असहाय है वृद्धा विकलांग और वृद्ध हैं, अब तक 24 लाख लोगों को पेंशन मिलती थी इस वर्ष 28 लाख अतिरिक्त लोगों को पेंशन से आच्छादित करने का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं जो पात्रता का लक्ष्य था एक हजार तक जिनकी आमदनी होगी वह पात्र होंगे हमने उसको बढ़ाकर गरीबी की रेखा के स्तर तक करने का काम किया है यह प्रदेश के लिये बड़ी उपलब्धि है और उसके लिये 961 करोड़ रुपया अतिरिक्त की व्यवस्था इस बजट में करने का काम किया गया है। मा0 सदस्यों द्वारा जब उल्लेख किया जा रहा था ऋण ग्रस्तता के सम्बन्ध में, मान्यवर, इस सम्बन्ध में उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घटा वर्ष 2007-2008 के बजट में अनुमानित 3.60 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2008-09 के बजट में जो अनुमानित है वह 2.98 प्रतिशत है। इसके अलावा ऋण कोष का जो

सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2007-08 के बजट में अनुमानित 43 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2008-09 में 39.6 प्रतिशत अनुमानित है। मान्यवर, इस तरह से जो ऋण लेने का सवाल आया है जो अर्थशास्त्री हैं, जो हम ऋण ले रहे हैं उतना विकास के लिये जरूरी मानते हैं विभिन्न अर्थशात्रियों का जो सुझाव है उसकी सीमा के अन्दर ऋण लेने का काम कर रहे हैं और यह प्रदेश के विकास के लिये जरूरी है। जिसके लिये हम यह कर रहे हैं। मान्यवर, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये 82 करोड़ की व्यवस्था इस बजट में की गई है मान्यवर, इसके साथ ही साथ सिंचाई के बारे में विशेष रूप से लोकदल के सम्मानित सदस्यों ने उल्लेख करने का काम किया है। पूर्वी जमुना नहर प्रणाली के कृषकों को सिंचाई सुविधा की कमी को दूर करने के लिये ऊपरी गंगा नहर प्रणाली से 11 सौ क्यूसेक जल लाकर समानान्तर नहर परियोजना बनाई जा रही है इस नहर के बनने के उपरान्त मुजफ्फरनगर एवं बागपत के कृषकों की सिंचाई समस्या दूर हो जायेगी। इसी के साथ-साथ लगभग 28 हजार राजकीय नलकूप प्रदेश में है जिसमें से 4.6 प्रतिशत नलकूप विद्युत दोष के कारण एवं यांत्रिक दोष के कारण बन्द हैं इनको भी चालू करने की व्यवस्था की गई है। माननीय हुकुम सिंह जी ने विशेष रूप से परिवहन के बारे में उल्लेख किया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसों के संचालन में दिक्कत आई है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा बसों का संचालन किया जा रहा है। न्यायालय के आदेशों के उपरान्त निजी आपरेटरों से निगम की बसों के संचालन के बदलाव के समय बसों के संचालन में अवरोध होना स्वाभाविक था, वर्तमान में बसों की कमी नहीं है और जनवरी, 2008 की स्थिति के अनुसार 1756 बसें संचालित हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं 20 तारीख की स्थिति बता रहा हूं, 1700 में से 17 बसें भी यदि संचालित हों बस आपरेटर घूम रहे हैं, मान्यवर, मा0 वर्मा जी कोई समय निकाल करके किसी भी बस स्टैण्ड पर खड़े होकर देखलें, एक-एक हजार आदमी वहां खड़े मिलेंगे, डग्गामार बसें चल रही हैं, मैं आपसे जानकारी चाहूंगा कि जिन रूटों पर आपने बन्द किया था, क्या उन रूटों पर प्राइवेट बस चालू हो गया है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, 25 तारीख को परिवहन विभाग की अनुदान मांग रखी जायेगी, अब विस्तृत चर्चा कि किस रूट पर चल रही है या नहीं चल रही है, उसका उल्लेख उस दिन हो जायेगा लेकिन जो स्थिति है, उससे अवगत कराने का कार्य किया है। मान्यवर, जहां सड़क और सेतु के बारे में बजट में उल्लेख है हमारे कुछ मा0 सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया कि हम नयी सड़कों के लिये तो पैसा दे रहे हैं जिसके लिये 6347 करोड़ रुपये की बजट में व्यवस्था है लेकिन उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया जो पुरानी सड़कें हैं उनके सुदृढ़ीकरण के लिये इसमें कोई व्यवस्था नहीं है, मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि प्रदेश में 77900 कि0मी0 गड्ढामुक्त करने के लिये तथा नवीनीकरण और पुनर्निर्माण, विशेष मरम्मत के लिये इस बजट में व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, ऊर्जा के बारे में कल मा0 मंत्री जी ने चर्चा कर दी थी इसलिये मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहूंगा। मान्यवर, इस तरह से यह बजट प्रदेश के विकास के लिये एक महत्वपूर्ण बजट है और मुझे पूरा

विश्वास है कि बहन कुमारी मायावती जी के मुख्य मंत्री रहते और उनकी कृपा दृष्टि से और उनकी सलाह से प्रदेश के विकास के लिये एक महत्वपूर्ण कार्य लेकर हम इस बजट के माध्यम से आये हैं और मान्यवर, अभी 13 तारीख को समाचार-पत्रों को भी मैंने पढ़ने का काम किया, विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो कमेण्ट था, उसको भी मैंने पढ़ने का कार्य किया। इस बजट की सार्थकता इसी से सिद्ध हो जाती है कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने भी विशेष रूप से इस बजट को अवस्थापना सुविधाओं की वृद्धि का प्रतीक बताया है, प्रदेश के विकास के लिये कारगर बजट का उल्लेख करने का कार्य किया है। विभिन्न समाचार-पत्रों के माध्यम से जो सम्पादकीय लिखे गये हैं उसके माध्यम से भी इस बजट की सराहना करने का काम किया गया है। निश्चित तौर पर यह बजट प्रदेश के विकास की एक कड़ी है, एक महत्वपूर्ण अंग है और प्रदेश को विकास की दिशा में ले जाने के लिये एक कारगर बजट है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सभी मा0 सदस्यों का जिन्होंने बजट में हिस्सा लेने का काम किया, उनको बधाई देते हुए, आभार व्यक्त करते हुए आपका भी आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं धन्यवाद।

दिनांक 25 फरवरी, 2008 को पारित होने वाले बजट अनुदानों का साहित्य और कार्यक्रम अभी तक प्राप्त न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

अब कौन सा व्यवस्था का प्रश्न है ?

डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, अभी चर्चा हो रही है और जल्दी-जल्दी मा0 सदस्य सदन समाप्त करने के मूड में हैं, हम फिर 25 तारीख को मिलेंगे और 25 तारीख से विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। नियमावली में है कि 4 दिन पहले जो मांग ली जानी है, उसकी सूचना मिल जानी चाहिए लेकिन वह सूचना अभी तक हम लोगों को उपलब्ध नहीं हो पायी है और न ही उसका साहित्य उपलब्ध हुआ है। जो तिथिवार अनुदान की मांग ली जानी है, कौन सा बजट लिया जा रहा है, उसके आगे क्या कार्यक्रम है, मान्यवर, इसमें आप यह सुनिश्चित करा लें कि हम लोगों को उसकी सूचना और साहित्य मिल जाये। कार्यक्रम और साहित्य दोनों नहीं है।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जहां तक मेरी सूचना है कार्यक्रम तो पिजन होल में होगा और जहां तक साहित्य का सवाल है, हो सकता है कि उसमें विलम्ब हुआ हो और चूंकि यह पहले से निर्धारित नहीं था कि आज से हाउस नहीं होगा, कल ही हमने निर्णय लिया है और दूसरी बात कि अनुदान की जो मांगें ली जानी थीं उसमें चूंकि आज ही सर्कुलेट हुई है इसलिये सम्बन्धित विभागों के द्वारा जो नियमावली के अनुसार साहित्य उपलब्ध कराया जाता रहा, हो सकता है कि उसमें विलम्ब हुआ हो। मैं कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य इसको अन्यथा न लें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, चूंकि हमें कृषि पर कटौती रखने का दायित्व मिला है। कृषि 25 को है ?

श्री लालजी वर्मा-

कृषि 25 को नहीं है। 25 को ग्राम्य विकास विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, परिवहन विभाग और श्रम विभाग है।

श्री हुकुम सिंह-

तो कृषि कब है ?

श्री लालजी वर्मा-

कृषि एक मार्च को है।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

जब अनुदान मांग आयेगी उस दिन आप उसको रख दीजिएगा। मान्यवर, एक विधेयक भी है जिसको आपने स्थगित किया था। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि उसको भी ले लें। मान्यवर, विधेयक को ले लें।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ग्राम्य विकास का जो बजट है उसमें पेयजल की अवस्थापना सुविधाओं की बात कही गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय विधायकों द्वारा जो 225 हैण्डपम्प दिये गये थे क्या वह व्यवस्था जारी रहेगी ? जैसे माननीय सदस्य की भावना है कि वह कम पड़ते हैं, उसका उल्लेख कहीं नहीं आया है। क्या आप उसकी व्यवस्था अलग से करेंगे ? क्या उसको 225 के स्थान पर 500 करेंगे ताकि पेयजल संकट से जो क्षेत्र ग्रसित हैं वहां पर पेयजल का संकट दूर किया जा सके। ग्राम्य विकास अवस्थापना और शहरी अवस्थापना, मान्यवर, मैं इस पर गम्भीरतापूर्वक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

25 तारीख को ग्राम्य विकास से पूछ लीजिएगा।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट-

मान्यवर, बजट में सारे विभागों का उल्लेख होता है। अब आप यह कहें कि जब ग्राम्य विकास का बजट हो तब पूछ लीजिएगा लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या यह आपके मस्तिष्क में है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी उस दिन बता देंगे, अब आप बैठ जाइये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, समय पर सूचित किया जायेगा। मान्यवर, हमेशा यही रहा है कि नेता सदन, समय पर जब अवसर आता है, घोषणा जब होनी होती है तब वह होती है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

अब मैं सदन को सूचना दे रहा हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 20 फरवरी, 2008 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 21 फरवरी, 2008 से 12 मार्च, 2008 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1. दिनांक 12 मार्च, 2008 को असरकारी दिवस हो तथा उस दिन केवल नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें ली जायं एवं नियम-51,56,300 तथा 311 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायं।
2. दिनांक 13 तथा 14 मार्च, 2008 को सदन के उपवेशन न हों।
3. दिनांक 21 फरवरी, 2008 से 12 मार्च, 2008 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

फरवरी, 2008

21 गुरुवार 22 शुक्रवार 23 शनिवार 24 रविवार	बैठक नहीं होगी।

फरवरी, 2008

25 सोमवार 26 मंगलवार 27 बुधवार 28 गुरुवार 29 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

मार्च, 2008

01 शनिवार	वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
02 रविवार	बैठक नहीं होगी।
03 सोमवार 04 मंगलवार 05 बुधवार	वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मार्च, 2008

06 गुरुवार	(महाशिवरात्रि का अवकाश) बैठक नहीं होगी।
07 शुक्रवार 08 शनिवार 09 रविवार	बैठक नहीं होगी।
10 सोमवार	वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
11 मंगलवार	1-वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2-3.00 बजे अपराह्न उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2008 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण।
12 बुधवार	असरकारी दिवस।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा रखा गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमागत)

नगर विकास, पर्यावरण, संस्कृति, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं मा0 सदस्य हुकुम सिंह जी का कि उन्होंने इस विधिक बिन्दु पर हम सबका ध्यान आकृष्ट किया। उसके पश्चात् अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि महामहिम श्री राज्यपाल जी के द्वारा दिनांक 15-12-2007 को यह अध्यादेश जारी किया गया था। चूंकि सदन आहूत होने के बयालीस दिनों के अन्दर हमको इस अध्यादेश को सदन के पटल पर रखना है और चूंकि इस संशोधन के माध्यम से भविष्य में होने वाले प्रभाव विनियमित होंगे और पूर्व में भी इसी सदन के द्वारा इस तरह के संशोधन किये गये हैं अतः मैं पुनः यह निवेदन करता हूं कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अध्यादेश, 2008, जो पुनर्विचार के लिये प्रस्तुत किया गया है, उसे मा0 सदस्य वापस ले लें और इस विधेयक को पारित करने की कृपा करें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक अध्यादेश हुआ और उसे रिप्लेस करने के लिये यह लाये। मेरी आपत्ति यह नहीं है । मेरी आपत्ति यह है कि जिस अधिनियम को संशोधित कर रहे हैं वह अधिनियम है नहीं, उसका निरसन हो गया। जब यह रिपील हो गया तो संशोधन कहां लेकर आये हैं। मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं मंत्री जी स्वयं देखें, इसमें कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। एक विज्ञप्ति संलग्न की गई है वह 15 जनवरी, 2004 की है और इसमें देखेंगे कि उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम यानी जनरल क्लाजेज ऐक्ट, जनरल ऐक्ट ही एक ऐसा ऐक्ट हमारे पास में है जो 1904 में बना था मान्यवर, जिसकी बार-बार हम लोग सहायता लेते रहते हैं। उसमें दिये गये अधिकार का इस्तेमाल करते हुए, उस वक्त यह नोटीफिकेशन निकाला गया, इसमें कुछ वस्तुओं के ऊपर कर की सीमा निर्धारित की गई उसके बाद में उसमें संशोधन किया गया। संशोधन करने के बाद मान्यवर, फिर दूसरी विज्ञप्ति आई जो 11 अक्टूबर, 2007 की है और इसमें भी जो अधिकार दिया गया वह अधिकार लिया गया जनरल क्लाजेज ऐक्ट से और दूसरा अधिकार लिया गया उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या-15, 1948 से। चूंकि ऐक्ट-15, 1948 उस वक्त वजूद में था, इस धारा के अन्तर्गत आपने अधिकार लिया और जिस धारा के अन्तर्गत अधिकार ले कर के आपने विज्ञप्ति की उस वक्त वह अधिकार आपको उपलब्ध था चूंकि ऐक्ट वजूद में था। आज जो आप संशोधन करने जा रहे हैं, उस ऐक्ट का करने जा रहे हैं, जिसका वजूद है ही नहीं, अगर उसका वजूद रहा होता तो मैं क्यों इसमें आपत्ति करता। मैं ऐसी स्थिति के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, सरकार का भी ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं इसमें जीत-हार का कोई प्रश्न नहीं है। हम लोग सब एक ही काम के लिये यहां बैठे हुए हैं मान्यवर, लेकिन इसमें यह तो देखना पड़ेगा कि जो हम काम कर रहे हैं वह विधि के अनुरूप है या नहीं है। मान्यवर, आपने कहा कि पहले भी ऐसा हुआ है, आप एक उदाहरण दे दीजिये जब ऐक्ट वजूद में न हो उसका अस्तित्व न हो और उसमें संशोधन किया गया हो। संशोधन तो मान्यवर, उस चीज में होता है जो चीज वजूद में होती है। है कानून में ? आप उसमें संशोधन कर सकते हैं ? जो कानून ही नही है, मूल ही नहीं है तो संशोधन काहे के करेंगे, संशोधन तो मूल में ही होता है, यह मेरी आपत्तियां है। अब यह बहस कि एक आर्डिनेन्स हुआ पहले, अध्यादेश जारी हुआ, महामहिम राज्यपाल ने अध्यादेश जारी कर दिया, मुझे नहीं पता कि उस समय स्थिति क्या थी, मुझको यह भी पता नहीं मान्यवर, यह 15 दिसम्बर में आपने किया, 15 दिसम्बर में यहां से ऐक्ट तो पास हुआ नहीं, 15 दिसम्बर में उत्तर प्रदेश विधान मण्डल में कोई ऐक्ट पास नहीं हुआ था वैट का, जब तक तो पुराना अधिनियम चल ही रहा था, वह तो पास होने के बाद की स्थिति है और उसकी सूचना आज ही माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने खुद दिया खुद आपत्ति उन्होंने खड़े हो कर के की कि यह तो बजट ऐक्ट पास भी हो गया, आज आप उस पर बात कर रहे हैं, जब उन्होंने कहा तो सही बात कही उन्होंने, विद्वान है जब उन्होंने यह बात कही तो देखने की स्थिति यह है मान्यवर, कि किस चीज में संशोधन ला रहे हैं। खाली कह देना मात्र पर्याप्त नहीं है कि आर्डिनेन्स हो गया, उसको रि-प्लेस करने के लिये हम ला रहे हैं। वह तो एक कारण बनता है, उसकी एक अवधि होती है, यह सही है उसकी अवधि समाप्त हो जायेगी तो उसका वजूद समाप्त हो जायेगा, वह तो एक अलग चीज है। वह

एक प्रोसीजरल बात होगी मान्यवर, आप प्रश्न मूल रूप से यह है कि जिस अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव माननीय मंत्री जी ले करके आये हैं वह अधिनियम इक्जिस्ट करता है या नहीं करता है। आप कह दीजिये करता है। जब नहीं करता है, तो संशोधन काहे का फिर मगर मैं आपसे आग्रह करूंगा, मेरे लिये यह कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं है और मैं सरकार के काम में कोई अड़चन डालने में विश्वास नहीं करता। इसका परीक्षण आप करा लें मान्यवर, यह सदन के मान-सम्मान का प्रश्न है मान्यवर, और इसमें किसी की जीत और किसी की हार बिल्कुल नहीं है मान्यवर, हम सबके लिये एक बिन्दु है मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपकी सहायता के लिये मान्यवर, संविधान में व्यवस्था की गई है। जब कभी ऐसे बिन्दु आते हैं हम अधिवक्ता को बुलाते हैं इस सदन में, इसीलिये बुलाते हैं कि वह ला के एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ है। उनको संविधान में एक अधिकार मिला हुआ है, उसके लिये इस सदन में मान्यवर, स्थान भी है, एक सीट भी उनके लिये रिजर्व होती है, वह इसीलिये तो होती है कि जब कभी आवश्यकता पड़ेगी, जब कभी कोई दिक्कत हमारे सामने आयेगी, उनका परामर्श हमें मिलेगा और उस परामर्श से हमारा मार्ग दर्शन हो जायेगा, मान्यवर, मैं बहुत विनम्रता के साथ आपसे आग्रह कर रहा हूं मान्यवर, कि इस बिन्दु पर अगर हां, न में जबरदस्ती पास करायेंगे तो यह संविधान के ऊपर सबसे बड़ी चोट होगी। एक बड़ा भारी कलंक हमारे माथे पर लग जायेगा कि हमने केवल एक प्रतिष्ठा का सवाल बना करके एक ऐसा काम यहां पर कर दिया जो हमको नहीं करना चाहिये था, मेरा विनम्र आग्रह है मान्यवर, आपसे भी और मंत्री जी से भी कि अभी तो बहुत आगे जाना है और उसके लिये स्वीकार करना किसी बात को,

(सत्ता पक्ष से "दिल्ली जाना है" की आवाज आने पर)

श्री हुकुम सिंह-

दिल्ली जायें, दिल्ली से जा करके हिल में चले जायें, कोई बात नहीं, इसकी मुझे कोई चिन्ता नहीं, यू0एन0ओ0 में चले जायें बहुत अच्छी बात है और जायेंगे भी अगर सही निष्कर्ष पर पहुंचोगे, सही रास्ते पर चलने का प्रयास करोगे, अध्ययन करने के बाद में इस विधान सभा का मार्ग दर्शन करने का प्रयास करोगे तो कोई सीमा नहीं है फिर कौन कहां तक जायेगा। मान्यवर, हम केवल एक अड़ियल रवैया अख्तियार कर लें क्योंकि आपके पास में संख्या बल है और उसके आधार पर आप इसे पास करा लें यह उचित नहीं है। मान्यवर, आप हमारे अधिकारों के, संविधान की भावना के और प्रक्रिया नियमावली के संरक्षक के रूप में यहां पर बैठे हुए हैं और आप पर हमारा पूरा विश्वास है ऐसी स्थिति में जिस संशोधन को आप लाये हैं वह पूर्णतया संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है। आपसे आग्रह है कि आप एडवोकेट जनरल साहब को यहां पर परामर्श के लिये बुला लें।

श्री अध्यक्ष-

जिस ऐक्ट में संशोधन आप ला रहे हैं यह मंत्री जी किस परपज के लिये संशोधन ला रहे हैं जब वह एक्जीस्ट नहीं कर रहा है ऐसा माननीय सदस्य का कहना है। लेकिन किन्हीं प्राविधानों के आधार पर उस आर्डिनेंस और ऐक्ट के बीच का जो समय था उस समय के लिये किस सन्दर्भ में आप इसे ला रहे हैं इस संशोधन को थोड़ा सा स्पष्ट कर दें।

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, मैं पुनः निवेदन कर दूं कि बार-बार यह प्रश्न उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 एक जनवरी, 2008 से निरस्त किया जा चुका है। बहुत स्पष्ट है माननीय अध्यक्ष महोदय कि यह अध्यादेश 15 दिसम्बर, 2007 से लेकर 31 दिसम्बर, 2007 के पीरियड में जो भी कार्य व्यापार कर अधिनियम में किये गये थे उनकी वैधता के लिये यह संशोधन लाया जा रहा है और जहां तक इसके कानूनी पहल का प्रश्न है मैं पुनः अवगत करा दूं कि जब कोई ऐक्ट रिपील होता है उस ऐक्ट के भविष्य लक्षी परिणाम का प्रयोग होता है। इसमें एक बिन्दु है व्यापार कर ऐक्ट के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष 2005-06 के लिये कर निर्धारण/पुनः कर निर्धारण की अवधि 31 मार्च, 2008 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2009 तक करने के लिये ऐक्ट की धारा 21 में प्राविधान किया गया। मान्यवर, इस संशोधन को ला देने से न तो कहीं किसी की गरिमा को ठेस पहुंच रही है और न किसी कानून का उल्लंघन हो रहा है। चूंकि यह कार्य हम लोगों के द्वारा क्रियान्वित किया जा चुका है लेकिन सदन के सत्र में न होने के कारण सदन के समक्ष नहीं ला सके थे। सदन जैसे ही आया है इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय भविष्य के लिये हम इसके माध्यम से नये कार्य नहीं करने जा रहे हैं। पूर्व में जो कार्य किये गये हैं उसको विनियमित करने के लिये यह किया जा रहा है। अतः मेरे विचार से इसमें कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं भी यही कह रहा हूं जो आपने कहा है। जितने भी अधिनियम बने हुए हैं सबमें एक धारा होती है उस धारा में यह रहता है कि पूर्व में जो कार्य किये गये हैं उनकी वैधता बनी रहेगी। आपने वैट कानून एक जनवरी, 2008 से पास कराया उसका आप अवलोकन कर लें उसमें भी यही प्राविधान है। यह अपवाद स्वरूप धारा हर ऐक्ट में होती है। ताकि पुराने ऐक्ट के अन्तर्गत किये गये कार्य अवैध न हो जायें। यह आपने कौन सी नई बात कह दी है। मान्यवर, मेरा तो मौलिक प्रश्न दूसरा है। आपके लिये यह आवश्यक हो सकता है आपकी मजबूरी हो सकती है लेकिन हमारा भी एक विधिक पक्ष है। आज आप जिस अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव लेकर आये हैं उसका वजूद आज नहीं है तो संशोधन कैसे कर देंगे। आपके लिये जो विधिक कठिनाई हो सकती है उसको हल करने के लिये दूसरे रास्ते हैं। जो रास्ता उसमें पुनः संशोधन करने के लिये आप एक स्वतंत्र बिल ला सकते हैं। आप इस तरह से एक गैर कानूनी काम हम लोगों से करायें यह उचित नहीं है। बीच का जो गैप है आर्डिनेन्स पास हुआ है और वह ऐक्ट पास हुआ है उस बीच के कार्य जो हुए हैं उसको विधिवत कैसे करें उसका तो प्राविधान हमेशा होता है, जब भी कोई अध्यादेश होता है जब कोई भी ऐक्ट बनता है उसमें प्राविधान होता है, जो उन्होंने काम किये हैं वेलिडेस रहेंगे। वरना पुराना ऐक्ट, पुराने कार्य गैर कानूनी हो जायेंगे। मान्यवर, अब जैसे पिनल कोड में संशोधन है अगर यही स्थिति रही और अगर आप 302 धारा हटायेंगे तो फिर 302 धारा में जो कार्य हुए हैं वह अवैध हो गये ? मैं अपना आशय

स्पष्ट कर रहा हूं आप सी0आर0पी0सी0 में संशोधन रखें, इंडियन एवीडेंस ऐक्ट में संशोधन रखें अगर उस संशोधन को आज हम ले रहे हैं तो संशोधन करने का मतलब आज से प्रभावी होगा। पुराने जितने काम हैं हमारे वह तो वैध रहेंगे। आप जो कह रहे हैं संशोधन लाकर के मुझे तो एक शर्म भी इस बात पर है कि जिस ऐक्ट का एक्जिसटेंस नहीं है, जो ऐक्ट वजूद में नहीं है उस ऐक्ट का हम संशोधन नहीं कर सकते, न हमें करना चाहिये। आपकी कठिनाई है आप एक नया बिल ले आइये, स्वतंत्र बिल ले आइये, उसको पास करा लीजिये कोई दिक्कत नहीं आयेगी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट किया इस स्थिति को और वह बहुत ऐक्ट के अमेंडमेंट पर जोर नहीं दे रहे हैं बल्कि भविष्य में कोई ऐसी आपत्तियां आ जायें उसके लिये सावधानी बरत रहे हैं। 15 दिसम्बर को आर्डिनेन्स हुआ पहली जनवरी को वह ऐक्ट बना 15 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक का जो पीरियड है इस बीच में लोगों ने कुछ कार्य किया और उसको यह समझ रहे हैं कि भविष्य में कोई ऐसी स्थितियां न आने पाये, ऐक्ट इक्जिस्ट करता न करता। लेकिन इस तरह से एक सावधानी के तौर पर उन्होंने एक अमेंन्डमेंट ला दिया कि मैं एक अमेन्डमेंट ला दे रहा हूं और इस अमेन्डमेंट के माध्यम से भविष्य में कहीं कुछ इन कार्यों की कोई आपत्तियां कर दे या चैलेन्ज करें तो उस पीरियड की वैलिडिटी के लिये, मान लीजिये आर्डिनेन्स उस बीच का लैप्स भी हो सकता है जब इसके कार्यों का तो लैप्स भी हो सकता है तो इसी के लिये इतना यह ला रहे हैं कि भविष्य में हो सकता है कि कोई इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न कर दें कि इस पीरियड में आर्डिनेन्स और ऐक्ट बनने का पीरियड की आपने वैधता को कहीं पर इसमें थोड़ा संशोधन कर दें कि भविष्य में कोई सावधानी बरत ले कि कोई आपत्ति इस तरह न हो तो इसी तरह का संशोधन ये लाये हैं।

श्री हुकुम सिंह-

इस तरह का बिल ला करके जो संशोधन बिल न हो उस वैधता को पूर्वगामी प्रभाव से आप लागू कर सकते हैं। यही मैं कह रहा हूं कि पूर्वगामी प्रभाव से इसको लागू कर सकते हैं एक अलग से बिल ला करके। लेकिन आप यह कह करके कि मैं यह संशोधन विधेयक लाया हूं उस ऐक्ट के लिये जो ऐक्ट आज है नहीं, यह गलत काम हो जायेगा। मैं आपकी दिक्कत का एहसास कर रहा हूं वह दिक्कत जिस प्रकार की है उसका समाधान भी ठीक होना चाहिये। यह समाधान कैसे हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

यह दिक्कत का एहसास कर रहे हैं कि भविष्य में कोई इस तरह की आपत्ति कर दे ?

श्री हुकुम सिंह-

आप बिल ले आयें और बिल लाकर के पूर्वगामी प्रभाव से इसको लागू कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप अनुभवी हैं क्लाज में भी इस तरह का प्राविधान है कि पुराने ऐक्ट जो निरसन हो चुके हों।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक उदाहरण पूरे भारत वर्ष में ऐसा मिल जाय कि जो निरसन हो चुका है रिपील हो चुका हो, उस ऐक्ट के बाद में संशोधन किया गया हो, एक उदाहरण पूरे भारत वर्ष में देख लीजिये आप। मैं भी पुस्तकालय में था और कुछ सीनियर लोगों से परामर्श करके आ रहा हूं। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो इस आसन को सुशोभित कर चुके हैं।

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम लोगों के साथ प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है बार-बार एक बात को आपके सामने इंगित करने का प्रयास कर रहा हूं, पुनः प्रयास करता हूं कि अध्यादेश, 15 दिसम्बर, सन् 2007 को आ चुका था और उसमें व्यवस्था यह की गई थी कि जो व्यवस्था मैंने आपके सामने इंगित करने का प्रयास किया। उसमें 3 बिन्दुओं पर यह जारी हुआ था इसमें कतिपय लोगों को कुछ लाभ मिल सकता है। उस अध्यादेश के प्राविधान माननीय अध्यक्ष जी, 15 दिसम्बर को ही लागू हो गये थे और 31 दिसम्बर, 2007 के बाद यह ऐक्ट रिपील हुआ। चूंकि 15 दिसम्बर से ले करके 31 दिसम्बर के बीच में यह प्राविधान उस ऐक्ट के अंग माने जायेंगे भले ही उस वक्त यह विधान सभा के पटल पर नहीं रखा गया है। मेरा माननीय सदस्य महोदय से पुनः निवेदन है कि इस संशोधन के पास हो जाने से किसी तरह की कोई विधिक कठिनाई नहीं उत्पन्न हो रही है। यद्यपि व्यापार कर ऐक्ट निरसित हो चुका है लेकिन फिर भी कुछ कृत्यों को विधिक रूप दिया जाना है। अतः पुनः निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को पारित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, माननीय मंत्री जी का यह कहना है कि अगर विधेयक मैं नया लाया हूं तो अध्यादेश में जो कार्यवाहियां की गई हैं, वह कैसे वैध हो जायेंगी।

श्री हुकुम सिंह-

मैं उनसे इस बात की उम्मीद ही नहीं कर रहा था। यह तो लग रहा था जैसे हाईकोर्ट में बहस कर रहे हों। यह संवैधानिक बेंच के सामने इस तरह बहस करते होंगे। वह ऐसी बात कहें कि आर्डीनेंस हो गया, आर्डीनेंस रिप्लेसिंग बिल नहीं आयेगा तो वह अवैध हो जायेगा। वह मान्यवर, अवैध नहीं होगा। हम सामान्य बिल लाकर पूर्वगामी प्रभाव से इसको लागू कर सकते हैं। जितनी भी कार्यवाही उस अध्यादेश के माध्यम से हुई है, उनको वैलीडेट कर सकते हैं लेकिन हम एक ऐसे ऐक्ट को, जिसका वजूद न हो, संशोधित नहीं कर सकते। मान्यवर, यह ऐसा होगा कि विधान भवन में कुछ संशोधन कर दो और विधान भवन वहां है ही नहीं। कहीं मकान बना दो और मकान बनाने के बाद दो कमरे जोड़ दो पता लगा कि मकान वहां है ही नहीं तो कमरे कहां जोड़ दोगे।

श्री अध्यक्ष-

व्यक्ति नहीं होता है लेकिन उसकी शान्ति के लिये भी तो कार्यक्रम होता है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह तो कामन सेंस की बात है कि जिस बिल का वजूद नहीं है उसमें जोड़े जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

एक चीज बता दें कि संशोधन अध्यादेश लावें इस संबंध में। लेकिन जो अध्यादेशों में कार्यवाही होगी वह कैसे वैध होगी।

श्री हुकुम सिंह-

मैं वही बता रहा हूं। अध्यादेशों में जो कार्यवाही होगी हम इन्डीपेंडेंट बिल जब लायेंगे तो हम यह कहेंगे कि फलां अध्यादेश के अन्तर्गत जो कार्यवाही हुई थी उसको वैध माना जायेगा, इस ऐक्ट के अन्तर्गत। मान्यवर, यह पावर हमें है। यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है न जाने कितने ऐक्ट का मैं हवाला दे सकता हूं जिसमें यह रखा गया है कि जो-जो कार्यवाही हुई है वह वैध मानी जायेगी, इसमें भी तो आप पूर्वगामी प्रभाव से ही लागू कर रहे हैं।

श्री नकुल दुबे-

यह व्यवस्था जो माननीय सदस्य सुझा रहे हैं यह व्यवस्था भी एक विकल्प है। लेकिन हमारे पास यह विकल्प भी उपलब्ध है कि 42 दिन के अन्दर हम यह प्राविधान करके माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत कर सकते थे इसलिये माननीय अध्यक्ष जी हम लोगों ने इसको आज पटल पर रखा है अगर यह प्राविधान संशोधन के पश्चात उन अमुक धाराओं में धारा 8 डी में, धारा 21 में ऐड हो जायेगा तो यह ऐड हो जाने से उसकी एक कानूनी ऐक्टिविटी हो जायेगी और इससे भविष्य में कोई विधिक अड़चन वादों में और अन्य कार्यों में उत्पन्न नहीं होगी। मैं बड़ी विनम्रता के साथ और सम्मान के साथ पुनः निवेदन करना चाहता हूं चूंकि 15 दिसम्बर से 31 दिसम्बर के बीच में यह अध्यादेश आ चुका था और सदन उस वक्त आहूत नहीं था अतः सदन के आहूत होते ही इस संशोधन के माध्यम से उस ऐक्ट में दो तीन धाराओं को संशोधन ऐड कर दिया जायेगा। जिसका लाभ यह होगा कि भविष्य में जो भी वाद उत्पन्न होंगे उसमें यह बताया जायेगा कि यह अध्यादेश 15 दिसम्बर को आ गया था, जिसके तहत यह संशोधन किया गया है।

श्री हुकुम सिंह-

मैं बहस को और छोटा कर रहा हूं। आप किसी ऐक्ट की धारा में संशोधन कर रहे हैं और ऐक्ट है नहीं। जब ऐक्ट है नहीं तो धारा कहां से रह गई। मान्यवर, बात कहने का तरीका है, अब चूंकि मैं सामान्य व्यक्ति हूं और सामान्य भाषा बोलता हूं, कानून की भाषा मुझे नहीं आती। अभी आपने कहा कि फलां ऐक्ट की धारा में संशोधन कर रहे हैं ताकि हम अध्यादेश का रिप्लेसमेंट कर सकें। मैं कह रहा हूं कि आप धारा में संशोधन कर रहे हैं, फिर मैं कह रहा हूं इसी बात को, कि धारा तो ऐक्ट की ही होगी। धारा अधिनियम की तो होगी। लेकिन जब अधिनियम ही नहीं है तो धारा कहां रह गई और जब वह है नहीं तो संशोधन काहे में कर रहे हैं आप। मैं तो आग्रह कर रहा हूं,

अध्यक्ष जी आप जो निर्णय लेना चाहें, ले लीजिये, आपको अधिकार है। लेकिन हम इस असंवैधानिक काम के भागीदार नहीं बनना चाहते। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप हमारी बात मान लीजिये अगर नहीं मानते हैं तो निश्चित रूप से यह काम इस विधान सभा के कार्यकाल में एक बहुत गलत कार्य होगा, संविधान के प्रतिकूल होगा। हम अपनी बात बार-बार कह चुके हैं, बल दे चुके हैं बाकी आपको सब अधिकार है आप अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मान्यवर, हम इसके भागीदार नहीं बनेंगे।

श्री अध्यक्ष-

नहीं नहीं भागीदार का सवाल नहीं है। एक पीरियड की वैधता के लिये यह एक अध्यादेश लाये, आपने कहा वह ऐक्ट है ही नहीं जिसमें आप पीरियड की वैधता की बात कर रहे हैं। आप तो अनुभवी हैं, इस बीच के पीरियड का दिसम्बर से जनवरी तक जो भी है, उसकी वैधता करने के लिये भविष्य के लिये एक सावधानी बरत रहे हैं तो इसमें कौन सा संवैधानिक संकट है। ऐक्ट तो इनका नया बन ही गया है, इंफोर्समेंट तो नये का ही करेंगे। इसे तो यह प्रकाशन के तौर पर ले रहे हैं कि भविष्य में कोई बात न हो, मैं सदन के अन्दर विधायिका से एक सहमति लिये ले रहा हूं एक संशोधन के रूप में कि आर्डिनेंस का पीरियड और ऐक्ट के पीरियड में थोड़ी एक वैधता का प्रश्न है और इसका बहुत ज्यादा इंफोर्समेंट भी नहीं होना है। मैं तो मा0 मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि वह मा0 सदस्य से निवेदन कर लें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपके आदेश का सम्मान करते हुए विधान सभा के द्वारा यह गलत कार्य हो रहा है। एक ऐसा कार्य हो रहा है जो पूर्व में कभी नहीं हुआ और मैं चाहता हूं कि भविष्य में भी कभी न हो। संविधान की इस प्रकार से अनदेखी करके एक गलत परम्परा डाली जा रही है, हम उसके भागीदार नहीं बनना चाहते हैं, इसलिये हम सदन का बहिर्गमन कर रहे हैं।

(श्री हुकुम सिंह ने अपने दल के साथ सदन का त्याग किया)

डा0 पी0 के0 राय-

इस असंवैधानिक कार्य में हमारी पार्टी भी भागीदार नहीं बनेगी इसलिये हमारी पार्टी भी सदन से बहिर्गमन करती है।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य भी सदन से बहिर्गमन कर गये।)

श्री अध्यक्ष-

इस पर एक व्यवस्था है। वैट अधिनियम 01 जनवरी, 2008 में प्रवृत्त हुआ है और उसी के द्वारा व्यापार कर अधिनियम 1948 निरसित हुआ है। इससे पूर्व 15 दिसम्बर, 2007 के व्यापार कर अधिनियम को संशोधित करने के लिये जो अध्यादेश लाया गया था इसका प्रतिस्थानी विधेयक सदन द्वारा पारित कराये जाने में कोई आपत्ति नहीं है इसलिये मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2008 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-5 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2008

उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जायेगा।

(2) यह 15 दिसम्बर, 2007 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15 सन् 1948 की धारा 8-घ का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट 1948, जिसे आगे मूल ऐक्ट कहा गया है, की धारा 8 घ में,-

(क) पार्श्व शीर्षक में शब्द "संकर्म संविदाकार को देय धनराशि से कर की कटौती" के स्थान पर शब्द "स्रोत पर कर की कटौती" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

"(1-क) सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग, निगम उद्यम और सरकारी कम्पनियां, राज्य के भीतर से माल का क्रय किये जाने के मामले में, ऐसे क्रय के लिये विक्रेता को भुगतान करते समय कर की धनराशि की कटौती करेंगी।"

(ग) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

"(2-क) (एक) स्रोत पर कर कटौती करने के लिये उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति, यदि वह पंजीकृत नहीं है, कर निर्धारक प्राधिकारी

के समक्ष कर कटौती संख्या आवंटित करने के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा;

(दो) कर कटौती संख्या का उल्लेख जमा सम्बन्धी सभी चालानों, प्रमाण-पत्रों और ऐसे समस्त दस्तावेजों में किया जायेगा जैसा राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाये;

(तीन) यदि कोई सरकारी, अर्द्धसरकारी विभाग, निगम, उद्यम या सरकारी कम्पनी आदि पंजीकृत नहीं है किन्तु उन्हें इस धारा के अधीन स्रोत पर कटौती करने के लिये उत्तरदायी बनाया जाता है तो वे कर कटौती संख्या आवंटित करने के लिये तत्काल आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी व्यक्ति भुगतान तब तक प्राप्त नहीं करेगा जब तक कि कर की धनराशि की कटौती न कर ली जाय।

(घ) उपधारा (3), (4), (6) और (9) में शब्द और अंक "उपधारा (1) या उपधारा (2)" के स्थान पर शब्द और अंक "उपधारा (1) या उपधारा (1-क) या उपधारा (2)" रख दिये जायेंगे।

(ङ) उपधारा (4 क) में, शब्द "संविदाकार या उप-संविदाकार" के स्थान पर शब्द "संविदाकार या उप-संविदाकार या विक्रेता" रख दिये जायेंगे।

(च) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

"(6-क) यदि कर की कटौती के लिये उत्तरदायी कोई व्यक्ति, कटौती करने के पूर्व कर कटौती संख्या हेतु आवेदन करने में विफल रहता है तो कर निर्धारक प्राधिकारी उसे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त लिखित आदेश द्वारा, निदेश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति अर्थदण्ड के रूप में काटने योग्य धनराशि के दुगुने से अनधिक धनराशि का भुगतान करेगा।"

धारा 21 का संशोधन

3-मूल ऐक्ट की धारा 21 की उपधारा (2) में चतुर्थ प्रतिबन्ध के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्ध अन्त में बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

"प्रतिबन्ध यह भी है कि कर निर्धारण वर्ष 2005-2006 के लिये कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण 31 मार्च, 2009 तक किया जा सकेगा।"

भूतलक्षी प्रभाव से विज्ञप्ति का प्रवर्तन

4-सरकारी विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-2359/ग्यारह-7(159)/91-उ0प्र0 अधि0-15-48-आदेश-(10)-2007, दिनांक 11 अक्टूबर, 2007 द्वारा यथासंशोधित सरकारी विज्ञप्ति संख्या क0नि0-2-163/ग्यारह-9(203)/92- उ0प्र0 अधि0-15-48-आदेश-4(5)-2004, दिनांक 15 जनवरी, 2004 में क्रम संख्या 1, 4 और 5 के सामने स्तम्भ 3 में आने वाले मद (घ), (ख) और (घ) को छोड़कर और क्रम संख्या 1, 4 और 5 के सामने स्तम्भ 3 में आने वाले शब्द "किन्तु हाई स्पीड डीजल, लो सल्फर हाईस्पीड डीजल, अल्ट्रा लो सल्फर हाईस्पीड डीजल, लाइट डीजल आयल, सुपर लाइट डीजल आयल, सुपीरियर किरोसीन आयल, फर्नेश आयल, रेजीडुअल फ्यूल आयल, लो सल्फर हैवी स्टाक्स, हैवी पेट्रोलियम स्टाक्स और इनके समस्त स्वरूप सम्मिलित नहीं है" को छोड़कर शेष 16 दिसम्बर, 2003 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

स्पष्टीकरण :-इस भाग में किये गये अपवाद दिनांक 15 जनवरी, 2004 के उपर्युक्त विज्ञप्ति के जारी होने के दिनांक से प्रभावी हो जायेंगे।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-36 सन् 2007

5-(1) उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सरवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-5 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नकुल दुबे-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 20 फरवरी, 2008 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 46 सूचनायें प्राप्त हुई। स्वीकृत सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

पहली सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी की जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड रेहरा बाजार स्थित प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

दूसरी सूचना श्री राधेश्याम जायसवाल की जनपद-सीतापुर के जिला पुनर्वास केन्द्र में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

तीसरी सूचना श्री उमेश पाण्डेय की जनपद मऊ स्थित हाहा नाला बैरियाडीह के अधूरे पुल एवं रामपुर बेलौली के टूटे पुल के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

चौथी सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की जनपद-सिद्धार्थनगर के ग्राम गौरा बड़हारी में थानाध्यक्ष द्वारा किसानों का जबरन पेड़ कटवाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पांचवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद उन्नाव के कस्बा मौरावां स्थित मदरसा दारुल उलूम जियाउल इस्लाम में 26 जनवरी, 2008 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्र विरोधी बयान दिये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

छठवीं सूचना श्री राम बिशुन आजाद की जनपद-गोण्डा में जिला पंचायत द्वारा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि को अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से खर्च किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

सातवीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की इलाहाबाद शहर की मलिन बस्तियों में 'मा0 श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना' के अन्तर्गत निःशुल्क विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

आठवीं सूचना श्री सुन्दर लाल लोधी की जनपद-उन्नाव के विकास हेतु बारहवें वित्त शासन से स्वीकृत कार्यों में अनियमितता किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

नवीं सूचना श्री अशोक सिंह चन्देल की बुन्देलखण्ड क्षेत्रान्तर्गत पुलिस द्वारा दस्यु संरक्षण अधिनियम की धारा-216 के अन्तर्गत राजनैतिक विद्वेष के तहत कार्य किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

दसवीं सूचना श्री दशरथ प्रसाद चौहान की जनपद-संतकबीरनगर स्थित घाघरा नदी के बाढ़ से बचाने हेतु अधिग्रहीत किसानों की भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाएं, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं।

ग्यारहवीं सूचना श्री बिरजू राम की जनपद-जौनपुर के ग्राम-नरहन में चकबन्दी का रुका कार्य पुनः शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

बारहवीं सूचना श्री इमरान मसूद की जनपद-सहारनपुर के ग्राम-मिर्जापुर व फैजाबाद में आग के कारण मृत जानवरों के मालिकों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

तेरहवीं श्री विद्यासागर गुप्ता की उ0 प्र0 अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2005 के उपबंधों में 24 जनवरी, 2005 से पहले बने भवनों/अनुमोदित मानचित्रों के सम्बन्ध में शिथिलता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

चौदहवीं सूचना श्री सनातन पाण्डेय की जनपद-बलिया के ग्राम-मुरैनी के छात्रों द्वारा मध्याह्न भोजन खाने से इन्कार किये जाने के कारण निर्दोष व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किये जाने के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं:-श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री अनिल कुमार सिंह यादव, डा0 आर0 ए0 उस्मानी, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री संजीव दरियावादी, श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री हरपाल सिंह, श्री जोखूलाल यादव, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लल्लू सिंह, श्री शम्भू चौधरी, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री राधेश्याम जायसवाल, श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री संजय कपूर, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री मदन भैया, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री राम किशुन, श्री मदन चौहान, श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री प्रमोद तिवारी, श्री सत्य नारायण जैसल, श्री अब्दुल वारिस खां, श्री हुकुम सिंह, श्री राजेन्द्र कुमार, डा0 अजय तोमर, श्रीमती कृष्णा राज, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी व डा0 धर्मपाल सिंह।

बुन्देलखण्ड में सूखा राहत चेकों के वितरण में की जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चौधरी धू राम लोधी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर

राजस्व मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, प्रश्नगत प्रकरण में जिलाधिकारी हमीरपुर से आख्या प्राप्त की गई है। जिलाधिकारी, हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि श्री हलके उर्फ राम रतन .....

निर्वाचन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राम हेत भारती)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[निवासी मवई द्वारा कुछ किसानों को चेक एकत्र करके संबंधित बैंक से भुनाने का प्रयास किया गया, जिसके संज्ञान में आने पर श्री हलके के विरुद्ध दिनांक 9.2.2008 को थाना राठ में आई0पी0सी0 की धारा 406 (वाद संख्या-273/08) क्षेत्रीय नायब तहसीलदार द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई गई तथा उसे दिनांक 10.2.2008 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। श्री हलके की जमानत नहीं हुई है और वह अभी भी जेल में हैं। इसके अतिरिक्त अपने पदीय कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से न करने के कारण संबंधित लेखपाल को निलम्बित कर दिया गया है।

राजस्व कर्मियों द्वारा चेकों का वितरण किया गया है तथा जिस कृषक के नाम चेक बनी है, उसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई गई है। अभी तक किसी भी कृषक द्वारा यह शिकायत नहीं की गई है कि उनकी चेक उन्हें नहीं मिली है या उनकी चेक का भुगतान अन्य व्यक्ति को कर दिया गया है।

जहां तक चेक वितरण की सूची उपलब्ध कराने का संबंध है, इस संबंध में अवगत कराना है कि चेक वितरण की सूची प्रत्येक तहसील में उपलब्ध है, जिन्हें किसी भी व्यक्ति द्वारा संबंधित तहसील से देखी जा सकती है।]

जनपद आगरा के अकोला निवासी श्री प्रवेन्द्र कुमार शर्मा के पुत्र की डी0पी0टी0 वैक्सीन लगाने के कारण हुई मृत्यु के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[डा0 धर्मपाल सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 के अधीन यह सूचना दी गई कि दिनांक 30-01-2008 को जनपद आगरा के अकोला निवासी श्री प्रवेन्द्र कुमार शर्मा के 02 वर्षीय पुत्र पुनीत को डी0पी0टी0 वैक्सीन लगने के कारण हुई मौत से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अकोला पर तैनात अधिकारी/कर्मचारियों की लापरवाही को उजागर करता है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बरती गई लापरवाही के लिये कौन जिम्मेदार है ? और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही सरकार द्वारा की जायेगी ?

2-मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई उक्त सूचना पर अवगत कराना है कि पुनीत पुत्र प्रवेन्द्र कुमार शर्मा जिसकी जन्म तिथि 30-10-2005 है, की उम्र 02 वर्ष तीन माह थी। इसको सभी टीके समय से लग चुके थे। दिनांक 30-01-2008 को पुनीत को नियमानुसार केवल विटामिन "ए" तीसरी खुराक पूर्वाह्न 11.15 बजे दिलवाई गई थी। डी0पी0टी0 का टीका नहीं लगाया गया था। विटामिन "ए" की बोतल संख्या-एम0एच0-0225 एक्सपायरी दिनांक मार्च, 2009 है। उसी बोतल से

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

29-01-2008 को एक बच्चे को दवा 30-01-2008 को पुनीत के उपरान्त 05 और बच्चों को बिटामिन "ए" की दवा पिलवाई गई थी। अन्य सभी बच्चे स्वस्थ हैं, जांच करने पर बच्चे के घरवालों ने अवगत कराया कि वह कुछ देर खेलने के बाद सो गया था और अपराह्न 1.00 बजे जगाने पर मृत पाया गया। बच्चे को डी0 पी0 टी0 का अन्तिम टीका बूस्टर के बाद 09 माह पूर्व दिया गया था। बच्चे का शव विच्छेदन कराया गया तथा बिसरा जांच हेतु भेज दिया गया है। जिसकी जांच रिपोर्ट अपेक्षितं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में डी0पी0टी0 के टीके से बच्चे की मौत सम्भव नहीं है।]

जनपद मुजफ्फरनगर के ढिढाली गांव के प्राथमिक विद्यालय में मिड-डे-मील की भोजन सामग्री में जहरीले पदार्थों के मिलावटी के सम्बन्ध में श्री अब्दुल वारिस खां द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[मा0 सदस्य द्वारा दी गई उपरोल्लिखित सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद मुजफ्फरनगर में ग्राम ढिढाली के प्राथमिक पाठशाला में मिड-डे-मील की खाद्य सामग्री में विषैला पदार्थ मिलाये जाने का प्रकरण दिनांक 20-10-07 को संज्ञान में आने पर प्रकरण की जांच मुख्य विकास अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, ऊन, थानाध्यक्ष, झिंझाना द्वारा की गई। उक्त जांच के दौरान यह पाया गया कि रात्रि में रसोईघर का ताला तोड़कर वहां उपलब्ध नमक व हल्दी में अज्ञात तत्वों द्वारा विषैला पदार्थ मिलाया गया था, जिसकी लिखित रिपोर्ट प्रधानाध्यापक श्री प्रद्युम्न कुमार द्वारा दिनांक 20-12-07 को ही पुलिस चौकी ऊन में दर्ज करा दी गई थी। इस घटना के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी एवं निरीक्षण के दौरान उपस्थित अन्य अधिकारियों के साथ प्रधानाध्यापक द्वारा दिनांक 21-12-07 को मु0अ0सं0-142/759/07 धारा 284 आई0पी0सी0 थाना झिंझाना में दर्ज कराया गया है। जिसकी विवेचना पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है।

घटना की जानकारी होने पर दिनांक 20-12-07 को सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय पहुंचकर अपनी उपस्थिति में उच्च प्राथमिक विद्यालय ढिंढाली के प्रांगण में खाना तैयार कराया गया तथा सर्वप्रथम स्वयं खाना चखकर सभी बच्चों को खाना खिलवाया गया। उक्त घटना से विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं हुआ है। प्रकरण अद्यतन विवेचनाधीन है।]

गाजीपुर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र जमानियां में फाक्सगंज चोचकपुर मार्ग की मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराने के सम्बन्ध में डा0 राज कुमार सिंह गौतम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा नक्सल प्रभावित जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जमानियां के अंतर्गत फाक्सगंज, चोचकपुर तथा नई बाजार से देवैथा मार्गों की मरम्मत तथा चौड़ीकरण वं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गई है।

उक्त मार्गों की स्थिति प्राप्त सूचना के अनुसार निम्नवत् है :-

फाक्सगंज-चोचकपुर मार्ग :-इस मार्ग का वास्तविक नाम गाजीपुर-चोचकपुर मार्ग है। यह अन्य जिला मार्ग की श्रेणी में आता है। इस मार्ग के कि0मी0 4 व 5 में फाक्सगंज ग्राम स्थित है।

गाजीपुर-चोचकपुर मार्ग वाराणसी-गोरखपुर मार्ग (रा0मा0 सं0-29) के कि0मी0 77 से निकलता है। इस मार्ग की कुल लम्बाई 18.895 कि0मी0 है जिसमें प्रारम्भ से 4.00 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग का 7.00 मीटर चौड़ाई में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य वर्ष 1999-2000 में किया गया है। शेष लम्बाई 14.895 कि0मी0 3.70 मीटर चौड़ाई में लेपित है। कि0मी0 19 में चोचकपुर बाजार के भाग 200.00 मीटर लम्बाई एवं 3.00 मीटर चौड़ाई में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा गाजीपुर द्वारा वर्ष 2007-08 में सीमेंट कंक्रीट मार्ग का निर्माण किया गया है।

वर्ष 2005-06 में मार्ग के कि0मी0 6 एवं 16 में नवीनीकरण का कार्य किया गया है। वर्ष 2006-07 में मार्ग के कि0मी0 1,2,3 एवं कि0मी0 4 में 500 मीटर कुल लम्बाई 3.500 कि0मी0 में एस0डी0बी0सी0 से एवं मार्ग के कि0मी0 5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18 एवं कि0मी0 19 में 700 मीटर कुल लम्बाई 12.700 कि0मी0 में पी-2 से नवीनीकरण का कार्य किया गया है।

मार्ग के कि0मी0 1 से 3 एवं कि0मी0 4 में 500 मीटर तक कुल लम्बाई 3.50 कि0मी0 में पक्का पैच मरम्मत करा दिया गया है। मार्ग के कि0मी0 5 से 12 एवं कि0मी0 19 में 695 मीटर कुल लम्बाई 8.695 कि0मी0 में कहीं-कहीं पर पैच/पाट होल्स हो गये हैं। उनमें कच्चा दाग मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। मौसम अनुकूल होते ही पक्का दाग मरम्मत का कार्य कराया जायेगा। सामान्यतः मार्ग की सतह संतोषजनक एवं ठीक है।

2-नई बाजार से देवैथा मार्ग :-जनपद गाजीपुर में जमानियां से नई बाजार मार्ग (ग्रामीण मार्ग) 3.00 कि0मी0 लम्बाई में निर्मित है जिसमें प्रारम्भ का 1.00 कि0मी0 का भाग जनपद-गाजीपुर में तथा शेष 2.00 कि0मी0 लम्बाई जनपद चन्दौली में पड़ता है। जमानियां नई बाजार मार्ग के कि0मी0 1.00 से जमानियां देवैथा माइनर मार्ग (अन्य जिला मार्ग) निकलता है, जिसकी लम्बाई 14.00 कि0मी0 है। यह क्षेत्र काली कपास मिट्टी वाला क्षेत्र है।

जमानियां नई बाजार मार्ग के 1.00 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग की सतह ठीक है। वर्ष 2007-08 में जमानियां देवैथा माइनर मार्ग के कि0मी0 9, 10, 11 तथा 14 में विशेष मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य प्रगति पर है।

यह क्षेत्र काली कपास मिट्टी का क्षेत्र होने के कारण जमानियां-देवैथा माइनर मार्ग पर दबक वा पॉट होल्स/पैच हो गये हैं, जिसका पुनर्निर्माण एवं मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गौतमबुद्ध नगर में दादरी तहसील में ग्राम घोड़ी व मथुरापुर में किसानों को प्रतिकर समान रूप से देने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[इस सम्बन्ध में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि मुआवजे की धनराशि पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों, स्थानीय भूस्वामियों के प्रतिनिधि संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों व प्राधिकरण के पक्ष को सुनकर तथा अभिलेखों का गहन परीक्षण कर वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिये करार नियमावली के अन्तर्गत पुश्तैनी कृषकों हेतु अधिकतम रु0 800 से रु0 850 प्रति वर्गमीटर की दर से प्रतिकर भुगतान की संस्तुति की गई।

प्राधिकरण की 67वीं बोर्ड बैठक दिनांक 5-02-2008 में समिति द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर वर्ष 2007-08 में करार नियमावली के अन्तर्गत पुश्तैनी कृषकों हेतु रु0 850 प्रति वर्गमीटर तथा गैर पुश्तैनी कृषकों के लिये रु0 739 प्रतिवर्गमीटर की दर से प्रतिकर भुगतान करने का निर्णय लिया गया है।

ग्राम घोड़ी बछेड़ा की भूमि के अर्जन का प्रस्ताव भूअर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4/17 की विज्ञप्ति दिनांक 3-10-05 की धारा-6/17 की अधिसूचना दिनांक 5-01-06 को जारी होने के उपरान्त भूमि का कब्जा दिनांक 14-06-06 तथा ग्राम मथुरापुर का कब्जा भी दिनांक 27-10-06 को हस्तांतरित हुआ है। अतः वित्तीय वर्ष 2006-07 में करार नियमावली के अन्तर्गत रु0 322 प्रति वर्ग गज पुश्तैनी कृषकों के लिये तथा रु0 280 प्रति वर्ग गज गैर पुश्तैनी कृषकों के लिये अनुमोदित दरों के अनुसार प्रतिकर भुगतान हेतु धनराशि कलेक्टर को उपलब्ध कराई जा चुकी है तथा अधिकतर प्रतिकर कलेक्टर द्वारा वितरित हो चुकी है। समिति द्वारा 2007-08 के लिये की गई संस्तुतियों के आधार पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा वर्ष 2007-08 के लिये लिये गये निर्णय में ग्राम घोड़ी बछेडा व मथुरापुर के प्रतिकर का प्रकरण आच्छादित नहीं है।]

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं ग्रेटर नोयडा में किसान प्रतिकर की राशि बढ़ाने के लिये आन्दोलन कर रहे थे और जब अब निर्णय हुआ है कि 800 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान किया जाये तो जो कई वर्षों से आन्दोलन कर रहे थे उन लोगों को आज भी 300 से कुछ ज्यादा रुपये प्रतिवर्गमीटर के हिसाब से प्रतिकर दिया जा रहा है। वहां लोग काफी आन्दोलित हैं, धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं और महीनों से धरना स्थल पर बैठे हैं क्योंकि आसपास के गांवों का

800 रुपये प्रति वर्गमीटर के हिसाब से दिया जा रहा है तो वह क्यों वंचित रहें। माननीय मंत्री जी इस पर कृपापूर्वक विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी इसको भी दिखवा लें।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, भेदभाव किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात का संज्ञान ले लिया है अब आप बैठें।

मेरठ स्थित दौराला चीनी मिल द्वारा उत्सर्जित गन्दे पानी से फैल रहे जल एवं वायु प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[उद्योग द्वारा 10000 टन/दिन की पिराई कर चीनी का उत्पादन किया जाता है। उद्योग वर्ष 1932 से स्थापित है।

प्रक्रिया से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है, जिसके अन्तर्गत आयल, ग्रीस, ट्रेप, इक्वेलाइजेशन टैंक, एनरोबिक फिल्टर (2), प्राइमरी क्लेरीफायर, एइनेशन टैंक, सेकेण्ड्री क्लेरीफायर, स्लज ड्राइंग बेड्स इकाइयां स्थापित हैं। उद्योग से निस्तारित शुद्धिकृत उत्प्रवाह की गुणता निर्धारित मानकों के अनुरूप पाई गई है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	नमूना एकत्रण की तिथि	बी0ओ0डी0 (मि0ग्रा0/ली0)	सी0ओ0डी0 (मि0ग्रा0/ली0)	निलम्बित ठोस (मि0ग्रा0/ली0)
1	17-04-2007	22	224	26
2	24-12-2007	25	196	24
3	03-01-2008	22	208	26
	बोर्ड मानक	30	250	30

उद्योग द्वारा व्यायलरों पर वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र वेट स्क्रवर एवं भूतत्व से निर्धारित मानकों के अनुरूप चिमनी स्थापित की गई है। दिनांक 03-01-2008 को किये गये स्टैक उत्सर्जन अनुश्रवण में निलम्बित ठोस कण की मात्रा 128, 138, 142, 128, 136 मि0ग्रा0 प्रति नार्मल घन मीटर पाई गई है, जो पर्यावरण अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित मानकों (250 मि0ग्रा0 प्रति नार्मल घन मीटर) के अनुरूप है।

उद्योग द्वारा व्यायलर की राख का निस्तारण स्वयं की भूमि पर किया जाता है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उद्योग द्वारा जल (प्रदूषण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21/22 के अन्तर्गत सहमति प्राप्त की गई है।]

जनपद बलरामपुर के ग्राम सिसवां अन्तर्गत मुस्लिम दरगाह की दीवार, शिलापट्ट तोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[जनपद बलरामपुर के थाना पचपेड़वा अन्तर्गत ग्राम सिसवां के अन्तर्गत एक बहुत पुरानी मुस्लिम मजार व दरगाह स्थित है, जिस पर प्रतिवर्ष क्षेत्र के हिन्दू, मुसलमान एकत्र होकर इस मजार पर अपनी पूजा अर्चना करते हैं। यहां एक बहुत बड़ा मेला उसी अवसर पर लगता है। इस दरगाह के सुन्दरीकरण एवं यात्रियों के निवास के लिये वर्ष 2005-06 में पर्यटक विभाग ने शासनादेश दिनांक 9-1-2006 के द्वारा रु0 10.00 लाख आवंटित हुआ था जिसमें से रु0 5.00 लाख से पर्यटन विकास एवं रु0 5.00 लाख से यात्री छादन कार्य कराया गया। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त इसे ग्राम प्रधान सिसवां को हस्तांतरित कर दिया गया है। दिनांक 10/11-2-2008 की रात्रि को शिलान्यास के शिलापट जो मजार व उसकी चहारदीवारी से कुछ दूरी पर स्थित है, को कुछ व्यक्तियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया था जिसके परिप्रेक्ष्य में ग्राम प्रधान सिसवां की तहरीर पर सलीम पुत्र यूनुस जो मेला समिति के अध्यक्ष एवं उसी ग्राम के निवासी हैं, के विरुद्ध मु0अ0सं0 24/08 अन्तर्गत धारा 427 भादवि पंजीकृत कराया गया है। वर्तमान में स्थिति शान्तिपूर्ण एवं नियंत्रण में है। उभयपक्षों के व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही प्रगति पर है तथा प्रकरण पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है।]

जनपद गाजियाबाद की लालबाग कालोनी स्थित हरित पट्टी की भूमि से माफियाओं के अवैध कब्जे हटवाने के सम्बन्ध में श्री मदन भैया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[इस सम्बन्ध में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से प्राप्त सूचनानुसार जनपद-गाजियाबाद के कस्बा लोनी में लालबाग कालोनी का तलपट मानचित्र निजी विकासकर्ता मै0 वसुधा लैण्ड एण्ड फाइनेंस कम्पनी, दिल्ली द्वारा विकास प्राधिकरण के गठन से पूर्व नियत प्राधिकारी द्वारा वर्ष 1963 में स्वीकृत कराया गया था, जिसमें संदर्भित क्षेत्र हरित पट्टी के रूप में दर्शित है। स्पष्टः उक्त भूमि, जिस पर तलपट मानचित्र स्वीकृत है। यह निजी स्वामित्व की भूमि है, प्राधिकरण की अर्जित, भूमि नहीं है। लोनी क्षेत्र में प्रभावी महायोजना-2021 में उक्त क्षेत्र का भू-उपयोग बाग/वन हेतु आरक्षित है। उक्त क्षेत्र के भू-उपयोग को परिवर्तन करने का प्रस्ताव प्राधिकरण की बोर्ड बैठक वर्ष 2006 में रखा गया था, जिसे स्थगित कर दिया गया। संदर्भित स्थल पर कच्ची चिनाई से लगभग साढ़े चार फीट ऊंची चहारदीवारी बनायी गयी है, जिसे उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत हटाये जाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है।]

नोटः-[ ] यह अंश पढा हुआ माना गया।

जनपद चन्दौली के ग्राम जलालपुर के श्री योगेन्द्र यादव एवं उनकी पत्नी की घर में घुसकर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम किशुन द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा गया माना गया)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[जनपद चन्दौली के ग्राम जलालपुर के श्री योगेन्द्र यादव एवं उनकी पत्नी की घर में घुसकर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, चन्दौली से आख्या प्राप्त की गई। प्राप्त आख्या के अनुसार दिनांक 16-12-2007 को वादी श्री झगटू यादव पुत्र श्री रामस्वरूप निवासी ग्राम जलालपुर, थाना अलीनगर द्वारा थाने पर लिखित सूचना दी गई कि आज प्रातः छः बजे वह व उसके परिवार के लोग सोकर जगे तो देखा कि उसके घर की पिछली दीवार का ईंटा निकाला हुआ है तथा काफी बड़ा होल हो गया है। कमरे मे सो रहे उसके पुत्र योगेन्द्र यादव व उसकी पत्नी कौशिल्या देवी के सिर व चेहरे पर चोट पहुचाकर उनकी हत्या कर दी गई है।

इस सूचना पर थाना अलीनगर पर मु0अ0सं0-388/07 धारा 460 भा0दं0वि0 पंजीकृत कर विवेचना थानाध्यक्ष अलीनगर द्वारा प्रारम्भ की गई। घटनास्थल का निरीक्षण क्षेत्राधिकारी सदर, अपर पुलिस अधीक्षक, चन्दौली तथा तत्कालीन पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया। उसी दिन पुलिस महानिरीक्षक, वाराणसी जोन, वाराणसी द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। घटना से सम्बन्धित विधिक कार्यवाहियों को पूर्ण करते हुए संदिग्ध अभियुक्तों के यहां दबिश दी जा रही हैं तथा मुखबिर मामूर किये गये हैं। कई संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करने के उपरान्त भी अभी तक कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल सका है। घटना के अनावरण हेतु सतत् प्रयास किया जा रहा है।]

जनपद झांसी के ऐतिहासिक "लक्ष्मी तालाब" की सफाई एवं उसका विकास कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप जैन आदित्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[इस सम्बन्ध में उ0प्र0 जल निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार नगर निगम, झांसी सीमा के अन्तर्गत स्थित लक्ष्मी ताल में 06 नालों से गिरने वाले सीवेज के कारण हो रहे प्रदूषण को रोकने हेतु उ0प्र0 जल निगम द्वारा वर्ष 2000-01 में रु0 205.30 लाख का आगणन जिला प्रशासन के माध्यम से पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया था जिसके सापेक्ष पर्यटन विभाग के शासनादेश दिनांक 25-1-2002 द्वारा प्रथम चरण में रु0 83.58 लाख अवमुक्त किया गया था। उक्त अवमुक्त धनराशि से सीवेज पम्पिग स्टेशन नं0-1, राइजिंग मेन, लक्ष्मी गेट नाला, कुमरयाऊ नाला एवं कसाई मण्डी नाला के इण्टर सेप्सन तथा डायवर्जन के कार्य पूर्ण कराये गये।

उक्त के अतिरिक्त प्रदूषण नियंत्रण के अवशेष कार्य तथा लक्ष्मीताल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट के कार्य को सम्मिलित करते हुए उ0प्र0 जल निगम द्वारा

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

859.44 लाख रु0 का आगणन वर्ष 2005-06 में शासन के लोक निर्माण विभाग को प्रेषित किया गया। इस आगणन के सापेक्ष लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 8-2-2006 द्वारा रु0 787.57 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में 236.27 लाख की धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त की गयी थी। उक्त अवमुक्त धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि रु0 118.13 लाख जल निगम को मार्च, 2006 में जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी। प्राप्त धनराशि में से रु0 76.79 लाख का व्यय करते हुए सीवेज पम्पिंग स्टेशन नं0-2 नाला संख्या-1 व 2 एवं स्लूस गेट का निर्माण करा दिया गया है।

उपर्युक्त कार्य हेतु जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि पर श्रीमती इन्द्रा मिश्रा आदि द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-64995/2006 दाखिल की गयी जिस पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने स्थगन आदेश दिनांक 30-11-2006 द्वारा सम्बन्धित कार्य को तत्काल बन्द करते हुए यथास्थिति के आदेश दिये गये। मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के समादर में जिला प्रशासन द्वारा वर्णित कार्य को तुरन्त रोकने के निर्देश दिये गये जिसके अनुपालन में सम्प्रति कार्य बन्द है। उ0प्र0 जल निगम द्वारा उक्त रिट याचिका में स्वयं पार्टी बनकर जिला प्रशासन के साथ स्थगन आदेश निरस्त कराने हेतु तुरन्त सुनवायी का प्रार्थना पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया है। प्रकरण दिनांक 19-2-2008 की सुनवायी हेतु सूचीबद्ध है।]

जनपद गाजीपुर के डेहमा, बेनीपुर मार्ग से दलित बस्ती कुसहा तक सड़क बनाएं जाने के सम्बन्ध में श्री कालीचरन राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[जनपद गाजीपुर विधान सभा क्षेत्र जहूराबाद के अन्तर्गत डेहमा बेनीपुर मार्ग से दलित बस्ती कुसहा (डेहमा) रामशीष राम के दरवाजे तक सड़क मार्ग बनवाने के सम्बन्ध में श्री काली चरन राजभर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली-1958 के नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 15-02-2008 को यह सूचना दी गयी और यह मांग की गयी कि इस लोकमहत्व की अविलम्बनीय मांग को ध्यान में रखते हुए डेहमा बेनीपुर मार्ग से दलित बस्ती कुसहा (डेहमा) रामशीष के दरवाजे तक सड़क मार्ग बनाया जाये।

विधान सभा क्षेत्र जहूराबाद के अन्तर्गत डेहमा, बेनीपुर मार्ग से दलित बस्ती कुसहा (डेहमा) रामशीष के दरवाजे तक मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार डेहमा बेनीपुर मार्ग से दलित बस्ती कुसहा (डेहमा) तक चकरोड उपलब्ध है जो निर्मित नहीं है। यह चकरोड दलित बस्ती तक पहुंचने से पहले ही समाप्त हो जाता है, चकरोड से बस्ती के बीच लगभग 100 मीटर कोई लिंक मार्ग नहीं है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी गाजीपुर को निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने स्तर से मार्ग बनवाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करें एवं कृत कार्यवाही से शासन को शीघ्र अवगत करायें।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद प्रतापगढ़ के बेलहा देवी मन्दिर के पास सई नदी के प्रदूषित जल से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यावरण मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[सई नदी जनपद हरदोई से निकलकर जनपद रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए लगभग 600 कि0मी0 की दूरी तय करके जलालपुर (जौनपुर) नामक स्थान पर गोमती नदी में मिलती है। सई नदी का उद्गम मैदानी क्षेत्र होने के कारण सतत प्रभावी नहीं है। केवल नहरों बरसाती नालों तथा नदी के किनारे बसे शहरों के सीवेज उत्प्रवाह तथा औद्योगिक उत्प्रवाह ही उसके प्रमुख जल स्रोत हैं।

सई नदी का जल गुणता की मानिटरिंग जनपद प्रतापगढ़ के गायघाट पर क्षेत्रीय अधिकारी, रायबरेली द्वारा दिनांक 18-01-2008 को की गई जिसमें घुलित आक्सीजन की मात्रा 8.0 मि0ग्रा0/ली0 पायी गयी तथा सई नदी, बेलामाई घाट, प्रतापगढ़ पर जल में घुलित आक्सीजन की मात्रा 7.8 मि0ग्रा0/ली0 पायी गयी तथा सई नदी, डाउन स्ट्रीम प्रतापगढ़ (निकट रेलवे ब्रिज निकट सिटी नाला मिलने के बाद) पर जल में घुलित आक्सीजन की मात्रा 7.6 मि0ग्रा0/ली0 पायी गयी जो बोर्ड के मानकों के अनुरूप है।

जनपद प्रतापगढ़ में कोई प्रदूषणकारी उद्योग स्थापित नहीं है जनपद रायबरेली में पांच उद्योग स्थापित हैं जिसमें 4 उद्योग द्वारा दिनांक 18-01-2008 को निरीक्षण के दौरान उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप पाये गये। रायबरेली स्थित सरकारी चीनी मिल का उत्प्रवाह मानक के अनुरूप नहीं पाया गया, जिसे नोटिस प्रेषित किया गया है।]

लखनऊ स्थित राजाजीपुरम् क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त चिकित्सालय में मानक के अनुरूप डाक्टरों एवं स्टाफ को नियुक्ति एवं संचालन न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्तमान में यहां पर 30 शैय्या का चिकित्सालय स्थापित एवं पूर्णतः क्रियाशील है। इसमें 70 शैय्या वृद्धि करते हुए इसे 100 शैय्या मानक के अनुसार उपकरणों/साज-सज्जा की व्यवस्था तथा आवश्यक पदों के सृजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यहां पर आकस्मिक इकाई, अन्तःरोगी विभाग, आपरेशन थियेटर, आर्थोपैडिक इकाई, फिजियोथेरेपी इकाई, ई0एन0टी0 इकाई,नेत्र इकाई, रेडियोलाजी इकाई, नियोनेटलाजी इकाई, मेडिसिन इकाई, पैथालाजी इकाई, डेन्टल इकाई, आई0सी0सी0यू0 वार्ड गायनकोलाजी, ओ0टी0/लेबर रूम इकाई, प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न यूनिट इकाई की स्थापना की जा रही है। इन इकाईयों हेतु आवश्यक उपकरणों/साज-सज्जा हेतु रु0 195.72 लाख की वित्तीय स्वीकृति अन्तिम चरण में हैं। इसके साथ ही पदों के सृजन की कार्यवाही भी प्रक्रियाधीन है।

नोटः-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वर्तमान में यहां पर जनसामान्य को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत विशेषज्ञतावार तैनात चिकित्सकों/पैरा मेडिकल स्टाफ की स्थिति निम्नवत् है:--

क्र0सं0	पदनाम	संख्या
1	अधीक्षक एवं प्रभारी भण्डार	01
2	फिजीशियन	01
3	बाल रोग विशेषज्ञ	01
4	शल्यक	02
5	स्त्री रोग विशेषज्ञ	04
6	रेडियोलाजिस्ट	01
7	दंत रोग विशेषज्ञ	02
8	पैथालाजिस्ट	01
9	ई0 एम0 ओ0	03
10	नर्स	03
11	स्टाफ नर्स	03
12	एक्स-रे टेक्नीशियन	01
13	डार्क रूम असिस्टेंट	01
14	डेन्टल हाईजेनिस्ट	01
15	पैथालाजी लैब टैक्नीशियन	02
	कुल योग :-	27

इसमें 70 शैय्या विस्तार कर 100 शैय्या मानक के अनुरूप उपकरण/साज-सज्जा की व्यवस्था एवं आवश्यक पदों का सृजन कर वित्तीय वर्ष 2007-08 के अन्त तक स्थापित/क्रियाशील करा दिया जायेगा।]

चीफ फार्मासिस्ट, सी0एम0एस0डी0 स्टोर आजमगढ़ द्वारा दवाओं में की गयी हेराफेरी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है:--

1-प्रधान महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आजमगढ़ के सी0एम0एस0डी0 स्टोर के वर्ष 2004 से 2007 की कराई गई सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के आधार पर

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 से प्रकरण की प्रारम्भिक जांच कराई गई। महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 द्वारा प्रकरण से कुल धनराशि रु0 9,50,602/- के दुर्विनियोग की पुष्टि की गयी और प्रकरण में निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया:--

1-डा0 चन्द्रशेखर कन्नौजिया, तत्कालीन, एस0एम0ओ0 स्टोर आजमगढ़।

2-श्री एच0एन0 सिंह, चीफ फार्मासिस्ट, सी0एम0एस0डी0 स्टोर, आजमगढ़।

3-डा0 एस0सी0 पाण्डेय, तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी आजमगढ़, सम्प्रति सेवानिवृत्त।

2-श्री एच0एन0 सिंह, चीफ फार्मासिस्ट, सी0एम0एस0डी0 स्टोर, आजमगढ़ के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने हेतु शासन के पत्र संख्या- 3237(II)/सेक-5/पांच-08-761/07, दिनांक07-01-2006 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0, प्र0 को निर्देश दिये गये, जिसके आधार पर महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 के आदेश दिनांक 19-02-2008 द्वारा श्री एच0एन0 सिंह को निलम्बित करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर दी गयी है।

3-डा0 चन्द्रशेखर कन्नौजिया, तत्कालीन, एस0एम0ओ0 स्टोर आजमगढ के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने की कार्यवाही की जा रही है।

4-डा0 एस0सी0 पाण्डेय, तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़ सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अतः इनके विरुद्ध सिविल सर्विसेज रेगुलेशन (सी0एस0आर0) के अनुच्छेद-351ए के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने की कार्यवाही की जा रही है।]

जनपद गोण्डा के मनकापुर एवं छपिया-पंचायत क्षेत्र में बी0पी0एल, अन्योदय कार्ड धारक को मिड-डे-मील खाद्य सामग्री एवं मिट्टी का तेल न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, गोण्डा से प्रकरण की जांच करायी गयी। जिलाधिकारी, गोण्डा से प्राप्त सूचना के अनुसार विकास खण्ड मनकापुर एवं छपिया में कार्यरत उचित दर विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न का वितरण नियमानुसार किया जा रहा है। जनपद में प्रत्येक ग्राम सभा में खाद्यान्न/मिट्टी तेल के वितरण करने हेतु एक तिथि निर्धारित कर दी गई है। इन तिथियों पर पर्यवेक्षणीय अधिकारियों द्वारा अपने समक्ष खाद्यान्न/मिट्टी तेल का वितरण कराया जा रहा है। पर्यवेक्षणीय अधिकारी विभिन्न विभागों से सम्बन्धित है यथा राजस्व विभाग, भूमि सरंक्षण विभाग, शिक्षा विभाग आदि। जहां तक राशन की दुकानों को निलम्बित/निरस्तीकरण कर एक ही चिन्हित दुकान से सम्बद्धीकरण करने का सम्बन्ध है

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

यह सही नहीं है। ग्राम सभाओं में कार्यरत सरकारी सस्ते गल्ले के विक्रेताओं के विरुद्ध यदि निलम्बन और निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाती है, तो उनका सम्बद्धीकरण भी ग्राम प्रधान की संस्तुति के आधार पर नजदीक की ग्राम सभा से किया जाता है। जनपद में यह भी व्यवस्था लागू की गयी है कि जिस ग्राम सभा की दुकान का निलम्बन/निरस्तीकरण किया जाता है, तो उसके उपभोक्ताओं को खाद्यान्न/मिट्टी तेल का वितरण उसी ग्राम सभा से कराया जाए, ताकि राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न/मिट्टी तेल लेने हेतु दूसरी ग्राम सभा में न जाना पड़े।

यहां यह भी उल्लेख करना है कि किसी भी सरकारी सस्ते गल्ले के विक्रेता को आगामी माह का खाद्यान्न/मिट्टी तेल तभी उपलब्ध कराया जाता है, जब विगत माह में उठाया गया खाद्यान्न/मिट्टी तेल के वितरण का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाता है। यदि किसी ग्राम सभा में राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता के कारण सम्बन्धित ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों मे प्रशासनिक समिति के सदस्यों, राजस्व कर्मचारियों तथा विकास विभाग के कर्मचारियों की देख-रेख में प्रमाण पत्र लिया जाता है। इन प्रमाण-पत्रों के अतिरिक्त प्रतिमाह प्रत्येक ग्राम सभा में तैनात पर्यवेक्षणीय अधिकारियों द्वारा भी कैम्प लगाकर खाद्यान्न/मिट्टी तेल का वितरण कराया जा रहा है।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। 25 तारीख को 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन सायंकाल 06 बजकर 20 मिनट पर सोमवार दिनांक 25 फरवरी, 2008 को दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक : 20 फरवरी, 2008।

राजेन्द प्रसाद पाण्डेय,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिये अतरांकित प्र0सं0-5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 33 पर।)

विधान सभा के प्रथम सत्र 2008 के द्वितीय बुधवार हेतु निर्धारित श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-05 के उत्तर का संलग्नक

क्र0सं0	मार्ग का नाम	स्वीकृत वर्ष	कार्यदायी संस्था
1	अरैला भाट पट्टी महरूपुर मार्ग का निर्माण 6 कि0मी0 व पीली नदी पर पुल का निर्माण	2002-03	लो0नि0वि0
2	रूरे से लालगंज मार्ग	2002-03	ग्रा0अभि0सेवा
3	भिखमपुर तेलयानी लखनूडीह	2002-03	ग्रा0अभि0सेवा
4	गोधल पट्टी से गोविन्दपुर मार्ग का निर्माण	2002-03	लो0नि0वि0
5	अम्बेडकर ग्राम सोभीपुर मार्ग का निर्माण	2002-03	लो0नि0वि0
6	अम्बेडकर ग्राम तारडीह का निर्माण	2002-03	लो0नि0वि0
7	कोहडौर चन्दौका मार्ग कि0मी0 0-8 (मंगरौरा)	2002-03	ग्रा0अभि0सेवा
8	पट्टी बंधवा मार्ग पर हरिहरपुर बरदैता चौरा से नन्हें सिंह के घर तक (पट्टी)	2003-04	ग्रा0अभि0सेवा
9	पदमपुर से हलसारा (मंगरौरा)	2003-04	ग्रा0अभि0सेवा
10	बंधवा बाजार से के0एन0 सिंह प्राचार्य के घर तक (पट्टी)	2003-04	ग्रा0अभि0सेवा
11	देवकली सम्पर्क मार्ग (मंगरौरा)	2005-06	ग्रा0अभि0सेवा
12	जौनपुर रजबहा से महाकर यादव के घर तक (पट्टी)	2005-06	ग्रा0अभि0सेवा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिये अतरांकित प्र0सं0-6 का उत्तर पीछे पृष्ट 33पर।)

विधान सभा के प्रथम सत्र 2008 के द्वितीय बुधवार हेतु निर्धारित श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-06 के उत्तर का संलग्नक

क्र0सं0	मार्ग का नाम	स्वीकृत वर्ष	कार्यदायी संस्था
1	कोहडौर गौरी पट्टी मार्ग	2000-01	लो0नि0वि0
2	रेडीगारापुर घुई मार्ग	2000-01	लो0नि0वि0
3	प्यारे गौसपुर मार्ग	2000-01	लो0नि0वि0
4	पट्टी वाई पास से बिबिपुर दशरथपुर मार्ग	2000-01	लो0नि0वि0
5	रामपुर बेला कोंसा पट्टी वाया कल्लहागंज मार्ग	2001-02	लो0नि0वि0
6	उपाध्यायपुर से महदहा मार्ग का अवशेष	1999-02	लो0नि0वि0
7	संरक्आर लिक मार्ग	1999-2000	ग्रा0अभि0सेवा
8	कुंहिया शराय शंकर मार्ग	1999-2000	ग्रा0अभि0सेवा
9	बभनपुर रमई दमड़ी सम्पर्क मार्ग	1999-2000	ग्रा0अभि0सेवा
10	तरदहा लोनियापुर बेलसण्डी असुड़ी	1999-2000	ग्रा0अभि0सेवा
11	नोही डिड़ई सम्पर्क मार्ग	1999-2000	ग्रा0अभि0सेवा
12	चिन्तामणी अन्देवरी मुजाही	1999-2000	ग्रा0अभि0सेवा
13	मनईपुर कोटिला रजगढ़ा मार्ग	2000-2001	ग्रा0अभि0सेवा
14	केसा पट्टी महदहा बेला चांदा पट्टी मार्ग	2000-2001	ग्रा0अभि0सेवा
15	रेड़ीगारा से उसरौला मार्ग	2000-2001	ग्रा0अभि0सेवा
16	अमरगढ़ बैजलपुर से खारी गोविन्दपुर मार्ग	2000-2001	ग्रा0अभि0सेवा
17	मदाफरपुर धरौली बकुलाही मार्ग	2000-2001	ग्रा0अभि0सेवा
18	आनापुर बैलसण्डी असूढ़ी से पूरे सनात गड़ौली	2001-2002	ग्रा0अभि0सेवा
19	कटारी कजास का शेष भाग	2001-2002	ग्रा0अभि0सेवा
20	बारंकला परसण्डी धरौली सिकरी	2001-2002	ग्रा0अभि0सेवा
21	ढोडर बतरौरा भाटी कला	2001-2002	ग्रा0अभि0सेवा
22	विलविला सराय रजई मार्ग से कटारी	1999-2000	लो0नि0वि0
23	सिकरी कानपुर से सिकरी पडान मार्ग	1999-2000	लो0नि0वि0
24	लखनामऊ से मंगापुर सम्पर्क मार्ग	1999-2000	लो0नि0वि0
25	शिवपुर सम्पर्क मार्ग	1999-2000	लो0नि0वि0

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	मार्ग का नाम	स्वीकृत वर्ष	कार्यदायी संस्था
26	शैफाबाद लवैदा मार्ग से बाबाराम चन्द्र समाधी स्थल (भाउपुर)	2001-2002	लो0नि0वि0
27	रसूलपुर से हैदरपुर कुर्टी	2001-2002	लो0नि0वि0
28	चिलबिला मधुपुर से मधुपुर मार्ग	1999-2000	ग्रा0अभि0सेवा
29	इटवा से नेवला सम्पर्क मार्ग मंगरौरा	1999-2000	ग्रा0अभि0सेवा
30	इलाहाबाद-फैजाबाद मार्ग से बारा मंगरौरा	2000-2001	ग्रा0अभि0सेवा
31	इलाहाबाद-फैजाबाद रोड से लाखीपुर मंगरौरा	2000-2001	ग्रा0अभि0सेवा
32	मछौली सम्पर्क मार्ग (पट्टी)	2000-2001	ग्रा0अभि0सेवा
33	कोहडौर चन्दौका मार्ग से शाहपुर (मंगरौरा)	2001-2002	ग्रा0अभि0सेवा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ग"

(देखिये अतरांकित प्र0सं0-70 का उत्तर पीछे पृष्ठ 60 पर।)

सम्बन्धित खण्डों के राजवहों एवं अल्पिकाओं पर स्वीकृत पुलों के निर्माण के ग्रामवार सूची

क्र0सं0	राजवहा/अल्पिका का नाम	स्वीकृत पुलों की संख्या	ग्रामों की सीमा
शारदा सहायक खण्ड-51, प्रतापगढ़			
1	नागापुर राजबहा	09 अदद	रघुरामपुर, सरसी डीह, जैतीपुर, नवालपुर, बनी, जोलाहापुर, विजहरा, आमहरा, अरैयाडीह
2	सरौली माइनर	03 अदद	कटारी, कटारी, सरौली
3	सल्हीपुर कंजास माइनर	04 अदद	सरौली, सरौली, सरौली
4	सराय जमुआरी माइनर	01 अदद	सराय जमुआरी
5	सरसी डीह माइनर	02 अदद	सरसी डीह, उतरास
6	उमरपुर माइनर	01 अदद	पंडारी
7	असुढ़ी माइनर	03 अदद	बनीगांव, आनापुर, परमी पट्टी
8	महोखरी माइनर	01 अदद	धरमपुर
9	जयसिंहगढ़ माइनर	03 अदद	लवार, परखोतमपुर, जयसिंहगढ़
10	गोलाही माइनर	01 अदद	लक्ष्मनपुर
11	नौपाई माइनर	01 अदद	सरखेलपुर
12	गदाफरपुर राजबहा	03 अदद	देवकली, सकरा, अस्थरा
13	चदुवांडीह माइनर	02 अदद	अतरसण्ड, अतरसण्ड
14	नरायनपुर माइनर	01 अदद	रतनगिरीपुर
15	चिलबिला राजबहा	01 अदद	वासुदेवपुर
16	कोहडौर माइनर	04 अदद	रामपुर, रामपुर, रामपुर, रामपुर
17	पूरे कोलाहल माइनर	03 अदद	बारासराय, बारासराय, पूरे कोलाहल
18	कन्धई मधुपुर माइनर	02 अदद	बोझी, बोझी
19	गंगापुर माइनर	02 अदद	चन्द्रभानपुर, मलक
20	सुजानगढ़ माइनर	05 अदद	नरायनपुर, पूरे थिलहन, सुजानगढ़, सुजानगढ़, सुजानगढ़

क्र0सं0	राजबहा/अल्पिका का नाम	स्वीकृत पुलों की संख्या	ग्रामों की सीमा
सिंचाई खण्ड, सुल्तानपुर			
21	रामगंज राजबहा	01 अदद	कादीपुर
22	सिंगरामऊ राजबहा	03 अदद	हरिहरपुर, गोपालपुर, गोपालपुर
23	वासूपुर राजबहा	02 अदद	सारडीह, सारडीह
शारदा सहायक खण्ड-36, जौनपुर			
24	जौनपुर राजबहा	03 अदद	पिण्डरा, पहलमापुर, टेईडीह दरारा
25	धरौली राजबहा	15 अदद	तातोमुरैनी, अमुवाही, बनपुरवा, रायपुर, पर्वतपुर, संलेमान, विड़ाला, बेहटा, बेहटा, मण्डरामऊ, कोटिया, महुली, महुली, सीतापुर, सरायचण्डी, करनपुर
26	नवेदा माइनर	05 अदद	पर्वतपुर, हरईपट्टी, हरईपट्टी, हरईपट्टी, लेवदा
27	धनसार माइनर	02 अदद	आँगापुर, धनसारी
28	भीखमपुर माइनर	07 अदद	कोपा, कोपा, निदुरपुर, निदुरपुर, निदुरपुर, देहरा, देहरा
29	खानपुर माइनर	03 अदद	तेलियानी, लर्खापुर, लर्खापुर
30	अमरगढ़ माइनर	03 अदद	पहलमापुर, करौंधा, परहतखास
31	चिलांवा माइनर	04 अदद	ऊमरपुर, चिलावां, चिलावां, चिलावां
32	रामपुर माइनर	11 अदद	रामपुर, बेला, रामपुर बेला, नारंगपुर, अरौनी, केतकारपुर, केतकारपुर, अकारीपुर, अकारीपुर, पूरे दलपतशाह, रघवापुर, रघुवापुर
33	अनदेवरी माइनर	03 अदद	अनदेवरी, मुआर, मुआर
34	करैला माइनर	02 अदद	मरियमपुर, इटहरा
35	डफरा माइनर	11 अदद	पहलगापुर, अर्जुनपुर, पिपरी, मतकारपुर, घाघरपुर, भांटीकलां, दुबरा, दमडी, सोनबरसा, सदहा, सदहा, दफरा
36	देदुवां माइनर	03 अदद	सोभवा, देदुवां, अतरौरा
37	भालेपुर माइनर	06 अदद	खास, भगवानपुर, रेडियारा, गधियांव, गधियांव, गधियांव

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

क्र0सं0	राजबहा/अल्पिका का नाम	स्वीकृत पुलों की संख्या	ग्रामों की सीमा
38	भरोखनपुर माइनर	02 अदद	भरोखन, भरोखन
39	गोपालपुर माइनर	05 अदद	मोनेपुर, फतेहपुर, नेवादा, भोपालपुर, भोपालपुर
40	होशियार माइनर	03 अदद	रामकोला, रामकोला, होशियारपुर
41	नेवादा माइनर	02 अदद	बहुता, बहुता
42	गोपालपुर माइनर	01 अदद	गोपापुर
43	उसरौली माइनर	07 अदद	सलाहपुर, उसरौली, उसरौली, पटखौली, पटखौली, पटखौली, पटखौली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पृष्ठ 161पर।)

मा0 अध्यक्ष के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक की अनुदान की मांगों पर चर्चा पर आज दिनांक 20 फरवरी, 2008 को समयाभाव के कारण जो माननीय सदस्य चर्चा में भाग नहीं ले सके तथा उन्होंने अपने लिखित सुझाव प्रस्तुत किये हैं, वे संलग्न हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री त्रिभुवन दत्त-

माननीय अध्यक्ष जी, आज आपने वर्ष 2008-2009 के आय-व्यय के साधारण बजट पर जो मुझे अपनी बात कहने का जो अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

मान्यवर, जैसा कि आप विदित हैं कि उत्तर प्रदेश में आदरणीया बहन कु0 मायावती जी के कुशल नेतृत्व में जो सरकार बनी है उसे उ0 प्र0 के समुचित विकास हेतु उ0 प्र0 का खोखला राजकोष प्राप्त हुआ।

मान्यवर, निश्चित रूप से इस खोखले राजकोष के लिए नेता प्रतिपक्ष श्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में खरीद-फरोख्त एवं असंवैधानिक रूप से बनी पूर्व की सरकार दोषी है।

मान्यवर, आप विदित हैं कि उ0 प्र0 के विगत वर्षों में वित्तीय स्थिति पर नजर डालें तो पूर्व की सरकार में प्रदेश की हालत बड़ी ही चिन्ताजनक रही है। राजनैतिक अस्थिरता एवं साझा सरकारों की कार्य-प्रणाली बहुत ही भयावह रही है। परिणामस्वरूप उ0 प्र0 का सामाजिक एवं आर्थिक विकास बाधित रहा है लेकिन ऐसी बदतर हालत में भी बहन कु0 मायावती जी के नेतृत्व वाली सरकार में माननीय वित्त मंत्री श्री लालजी वर्मा द्वारा वर्ष 2008-09 का प्रस्तुत किया गया बजट जहां एक तरफ राजकोषीय अनुशासन को दर्शाता है वहीं पर उ0 प्र0 के समुचित विकास के लिये प्रतिबद्ध है।

बजट में 2008-09 के लिये राजस्व बचत का 10977.68 करोड़ रुपये का लक्ष्य एवं बीते वर्ष के सापेक्ष कुल बजट अकार में 11 प्रतिशत की वृद्धि से राजकोषीय अनुशासन के साथ विकास की वृद्धि होती है।

लेकिन मान्यवर, जनहित में प्रस्तुत किया गया इतना लोकप्रिय बजट हमारी विरोधी पार्टियों के लोगों को दिशाहीन व तथ्यहीन समझ में आता है। मान्यवर, इनमें इनकी सोच का कसूर है क्योंकि देश आजाद होने के बाद इस देश में सत्ता में रहने वाली पार्टियों ने ऐसी आर्थिक नीति बनाने का काम किया जिसके कारण इस प्रदेश एवं देश का गरीब गरीब होता गया और अमीर अमीर होता गया।

धन्य है नेता सदन उ0 प्र0 की लोकप्रिय मुख्य मंत्री बहन कु0 मायावती जी कि जब-जब इनको सरकार बनाने का मौका मिला तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब से गरीब समाज के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिये नीतियां तैयार कीं।

उदाहरण स्वरूप बाबा साहब के नाम पर डा0 अम्बेडकर ग्राम योजना के तहत प्रदेश के हजारों गांवों में बिजली, पानी, आवास, शिक्षा, चिकित्सा एवं पिच मार्गों से संतृप्त करने का ही नहीं बल्कि एक इतिहास रचने का कार्य किया कि गांवों में चलकर एक मुख्य मंत्री की हैसियत से विकास कार्यों की समीक्षा की और उन अधिकारियों के अन्दर भय पैदा की कि यदि लापरवाही करेंगे तो हमें बड़ी से बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी।

मान्यवर, किसी प्रदेश एवं राष्ट्र के समुचित विकास का मूलमंत्र शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, परिवहन सुविधा एवं सुरक्षा है। जहां तक सुरक्षा की बात है तो इस प्रदेश की सरकारें दस्यु उन्मूलन के नाम पर करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाती रहीं लेकिन नीयत साफ न होने के कारण जुल्म-ज्यादती बढ़ती रही, लेकिन हमारी नेता बहन कु0 मायावती जी के नेतृत्व वाली सरकार

ने 100 दिन पूरा होने से पहले ही ददुआ जैसे दुर्दान्त अपराधी का अन्त करके अपराध मुक्त, भयमुक्त समाज की तरफ सराहनीय कार्य किया। आज प्रदेश के गुण्डे-माफिया या तो जेल की सलाखों के पीछे हैं या तो उ0 प्र0 की सीमा से बाहर हैं जिसके कारण आज उ0 प्र0 की जनता राहत की सांस ले रही है। जब आज उ0 प्र0 का अपराध मुक्त भयमुक्त वातावरण बना है तो उद्यमी भी स्वतंत्र रूप से पूंजी निवेश करने की लालसा लिये हुए हैं।

मान्यवर, इसी सदन में माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं विरोधियों द्वारा सन्तों, गुरुओं एवं महापुरुषों के सम्मान में बनाये जा रहे स्मारक एवं यादगार की खिल्ली उड़ाते हुए करोड़ों रुपया पानी में बहाने का इल्जाम लगाते हैं। मान्यवर, यह मुल्क सन्तों, गुरुओं एवं महापुरुषों का देश रहा है जिन्होंने धर्म-राजनीति एवं परिवारवाद से ऊपर उठकर समाज में व्याप्त कुरीतियों, अशिक्षा को दूर कर इंसानियत एवं मानवता का संदेश दिया और उनको किसी सरकार ने आदर एवं सम्मान देने का कार्य नहीं किया। आज जब प्रदेश की लोकप्रिय मुख्य मंत्री बहन कु0 मायावती जी ऐसे सन्तों गुरुओं एवं महापुरुषों को आदर एवं सम्मान दे रही हैं तो विरोधी पार्टियों के पेट में दर्द हो रही हैं, जबकि मान्यवर, इतिहास गवाह है, परमपूज्य बाबा साहब डा0 अम्बेडकर दुनिया के छटे नम्बर एवं एशिया के प्रथम नम्बर के विद्वान थे और उन्होंने इस मुल्क में इंसान होते हुए जानवरों की जिन्दगी जीने वाले करोड़ों समाज के लोगों को इंसानियत, मानवता एवं कानूनी अधिकार दिलाने वाले बाबा साहब के सम्मान में पत्थर ही नहीं स्वर्ण-पत्थर लगाने का काम किया जाय तो कम ही है।

मान्यवर, कुछ साथियों का आरोप है कि इस बजट में अल्पसंख्यक समाज के लिए कोई योजना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उन साथियों ने बजट भाषण को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है जबकि हमारी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षा में प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु वर्ष 2008-09 में छात्रवृत्ति मद में 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, मदरसों, मकतबों में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक विषयों की शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 3700 प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति प्रस्तावित है और इतना ही नहीं, मान्यवर, कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सहायता देने का प्रावधान है और प्रदेश के तीव्र विकास हेतु विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी करके प्रदेश को विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिये सरकार की प्रतिबद्धता किसी से छिपी नहीं है।

लगभग चार वर्षों से सूखे की मार झेल रहे बुन्देलखण्ड के लिए बजट में विशेष राहत एवं विकास योजनाओं का प्रावधान करके वहां के लोगों के लिये जो योजनाएं बनायी गयी हैं सराहनीय एवं स्वागत योग्य है।

अन्त में सब मिलाकर यह बजट विकासोन्मुखी बजट है जिसमें 'सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय' का नारा प्रलक्षित होता है जिसको बहन कु0 मायावती जी समता मूलक समाज कराने के लिये कृत संकल्प है।

अन्त में मा0 वित्त मंत्री श्री लालजी वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, प्रदेश के बजट पर मुझे आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, जहां उ0 प्र0 विभिन्न दैवीय आपदाओं से घिरा हुआ है वहीं पर मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान, मजदूर व्यापारी आज बहुत तंगहाल है साहूकारों के चंगुल में है विवाह शादी, बच्चों को पढ़ाई, घरेलू आवश्यकताओं जैसे अति आवश्यक कार्य हेतु भी इस क्षेत्र का आम व्यक्ति एक-एक पैसे के लिये मुहताज है इसका मुख्य कारण यहां के मुख्य आय के साधन खेती है जो कि बहुत दयनीय स्थित में है गन्ना किसान परेशान हैं, आलू का किसान, गेहूं का किसान, दलहन तिलहन का किसान कौन नहीं परेशान है, चीनी मिल देर से चली हैं पूरी तरह गेहूं की बुआई नहीं हुई पिछले वर्ष का गन्ना मूल्य का भुगतान अभी बाकी है गेहूं की पैदावार की कोई गारन्टी नहीं है चारों तरफ भुखमरी के आलम है। मान्यवर, बजट में गन्ना विभाग व मण्डी विभाग की मरम्मत की पुनः निर्माण की कोई घोषणा नहीं है। मान्यवर, कृषि कार्यों हेतु प्रयोग किये जाने वाले विद्युत ट्रांसफार्मर फुकने के बाद दो तीन महीने में मिलते हैं मान्यवर, ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता की कोई घोषणा नहीं है। मान्यवर, जनपद बागपत में निजी नलकूपों की मोटर की क्षमता वृद्धि कर दी गयी है लेकिन मान्यवर, नये विद्युत उपकेन्द्र खोलने या पुराने विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि का कोई प्राविधान नहीं है डार्क ब्लाकों के गिरते जल स्तर को दृष्टिगत रखते हुये कोई बजट में विवरण नहीं है। मान्यवर, प0 उ0 प्र0 आज बुन्देलखण्ड जैसी स्थित में पहुंच रहा है। इसीलिये यहां का आम जनमानस हरित प्रदेश की मांग कर रहा है। मान्यवर, आपके माध्यम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग पैकेज मांग करता हूं। मान्यवर, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूं।

डा0 राज कुमार सिंह गौतम-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी के सर्वजन समाज की प्रतिबद्धता के तहत आम जनता के हित का कर विहीन बजट पेश करने पर मैं सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री श्री लालजी वर्मा जी को बधाई देना चाहता हूं। बजट पर आयी प्रतिक्रियाओं खासकर विपक्ष के विचारों से मुझे दुख पहुंचा है क्योंकि एक लम्बे अन्तराल के बाद राज्य में व्यवस्थित विकास का बजट ही नहीं पेश किया गया बल्कि चरणबद्ध एवं समयबद्ध विकास की योजनायें लागू कर उन्हें पूरा करने की रूपरेखा तैयार की गई है।

यहां मैं मान्यवर, कांशीराम शहरी एवं ग्रामीण विकास योजनाओं का जिक्र करना जरूरी समझता हूं क्योंकि इन योजनाओं में पहली बार ग्रामीण इलाके में विकास खण्ड स्तर पर और शहरी क्षेत्रों में वार्डों में विकास के लिए सभी जन सुविधायें जुटाने के लिए न केवल समयबद्ध प्रतिबद्धता जतायी है बल्कि रूपरेखा भी पेश की है और इसके लिये पर्याप्त धनराशि का प्राविधान भी बजट में किया गया है। इसके बावजूद भी विपक्ष ने इस अभिनव प्रयोग की तारीफ नहीं की, बल्कि विरोध किया-

"इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूं
मेरी आदत है मैं झुककर सलाम करता हूं।
मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है,
मैं विरोधियों का भी एहतिराम करता हूं।।"

बहुजन समाज पार्टी यानि बी0एस0पी0 समाज की और विकास की जरूरतों की मूल को सबसे अच्छी तरह समझती है और यही कारण है कि उसके एजेण्डे में बिजली, सड़क, पानी यानि बी0एस0पी0 सबसे ऊपर है। बजट में इन्हीं जरूरतों के मद्देनजर बिजली के क्षेत्र में अनेकों नयी परियोजनायें लगाने के संकल्प पत्र ही नहीं तैयार हुए हैं बल्कि वर्तमान पंचवर्षीय योजना में 10500 मेगावाट बिजली उत्पादन की दिशा में काम भी शुरू हो गया है। इसके लिये बजट में 12801 करोड़ रुपये निवेश होंगे। जहां तक सड़क एवं सेतुओं का प्रश्न प्राविधान किया गया है जो कि अब तक की किसी भी शीर्ष धनराशि से 12 प्रतिशत अधिक है पानी की समस्या भी सरकार की निगाह में कितनी महत्वपूर्ण है यह बजट में उसके लिये आवंटित धनराशि से स्वतः स्पष्ट है। शहरी एवं ग्रामीण जलापूर्ति के साथ-साथ भू-जल संग्रह के लिये भी इसमें व्यवस्था की गयी है। पिछले चार वर्षों से सूखे की मार झेल रहे बुन्देलखण्ड में ड्रिप एरिगेशन प्रणाली के लिए धनराशि का आवंटन अपनी सरकार के शुरुवाती बजट में भी इस बात का प्रमाण है कि पानी की जरूरतों का सरकार को कितना ख्याल है। अवस्थापना सुविधाओं के लिए 22554 करोड़ रुपये का आवंटन विकास के दूरगामी परिणाम देने वाला साबित होगा। यही नहीं चालीस हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली गंगा एक्सप्रेस हाइवे भी बहन कुमारी मायावती के सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो अवस्थापना सुविधाओं के विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। इस परियोजना में आने वाली भूमि के लिए बाजार दर पर किसानों की इच्छा से मुआवजा देकर भूमि लेने का प्राविधान है। भूमि अधिग्रहण अर्जन के लिये जो भी प्राविधान किये गये हैं वह उत्तर प्रदेश ही नहीं बाकी प्राइवेट पार्टनरशिप का जो खाका हमारी सरकार ने इस बजट में तैयार किया है उससे राज्य में न केवल परिसम्पत्तियों का सृजन होगा बल्कि अवस्थापना के विकास का रास्ता भी आसान होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के चलते इनके रख-रखाव की स्थिति भी अच्छी होगी।

मैंने उद्यान विज्ञान में डाक्ट्रेट की उपाधि बी0एच0यू0 से प्राप्त की है इसलिये जरूरी है कि कृषि के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की चर्चा करूं। अध्यक्ष जी मैं यहां आपका संरक्षण चाहूंगा क्योंकि सिर्फ बजट में ही नहीं बल्कि कृषि के क्षेत्र में राज्य सरकार ने जितना कुछ किया है उसका जिक्र करने में समय की आवश्यकता पड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की पहली सरकार है जिसने अपनी घोषित काण्टेक्ट फर्मिंग नीति को किसानों की रायशुमारी के बाद वापस लेने का साहस किया है। आज तक देश के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता जिसमें जन अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर किसी सरकार ने फैसला किया हो।

गन्ना किसानों का भुगतान नहीं करने वाले मिल मालिकों के खिलाफ आर0सी0 जारी कर सरकार ने समाजवादी पार्टी द्वारा विरासत में मिले 3000 करोड़ से अधिक बकाया भुगतान को न सिर्फ किसानों को दिलाया है। बल्कि तमाम जटिलताओं के बावजूद सरकार का साहसिक प्रयास जारी है। हमारी सरकार किसानों के प्रति कितना संवेदनशील है इसका ही यह प्रमाण है कि 9-10 महीने के कार्यकाल में विधान सभा में सबसे अधिक चर्चा इसी सवाल पर हुई है। कृषि शिक्षा के लिये राज्य सरकार ने न सिर्फ बुन्देलखण्ड इलाके में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में दोनों हाथों से धन मुहैया कराया है।

अध्यक्ष जी, शिक्षा हमें स्वावलम्बी बनाती है। सरकार ने 2500 नवीन प्राइमरी स्कूल, 4000 जूनियर हाई स्कूल, असेवित ब्लाकों में नये बालिका इण्टर कालेज, 4 इंजीनियरिंग कालेज एवं 16 नये पालिटेक्निक, 4 मेडिकल कालेज, 3 पैरा मेडिकल कालेज, 2 होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों का निर्माण, सभी 51 राजकीय महाविद्यालय, कृषि शिक्षा के लिये 100 करोड़ की लागत से बुन्देलखण्ड में विश्वविद्यालय, दृष्टिबाधितों एवं विकलांगों के लिये विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु इस बजट में पर्याप्त धन की व्यवस्था की गई है। छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय को सेन्टर आफ एक्सीलेंस के तौर पर विकसित करने के लिये 447 करोड़ की व्यवस्था की गई है। शिक्षा को इतने व्यवस्थित ढंग से रखकर ही 85 प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने की प्रतिबद्धता बजट में व्यक्त की गयी है।

रोजगार की दृष्टि से भी इस बजट के प्रावधान अद्वितीय हैं। 30 हजार नये बुनकरों को रोजगार, 88000 प्राइमरी विद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती, 6500 नयी ग्रामोद्योग इकाइयों के माध्यम से 52000 व्यक्तियों को रोजगार, ग्रामीण उद्योग रोजगार सृजन के अन्तर्गत 396000 व्यक्तियों को रोजगार, डा0 अम्बेडकर दुग्ध स्वरोजगार योजना और अनेकों ऐसी रोजगार की योजनायें हैं जिसके माध्यम से पांच वर्षों से सवा करोड़ रोजगार सृजन की बात हमारी सरकार ने की है। बैकलाग भर्ती के साथ ही सामान्य भर्ती खोलना भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

महोदय, हम सभी जानते हैं कि देश की सर्वाधिक आबादी वाले राज्य में 20.8 प्रतिशत आबादी शहर में तथा 79.2 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है। देश में जहां महिला साक्षरता की दर 53.7 प्रतिशत वहीं अपने प्रदेश में केवल 42.2 प्रतिशत। कृषि में विद्युत उपभोग का प्रतिशत जहां भारत का 22.93 प्रतिशत है वहीं उ0 प्र0 का केवल 17.42 प्रतिशत है। गरीबी रेखा के नीचे जहां देश में 27.5 प्रतिशत आबादी जीवन बसर करती है वहीं प्रदेश में 32.80 प्रतिशत। राज्य की इस पिछड़ते आंकड़ों का जिक्र करना इसलिये जरूरी है कि आजादी के 60 वर्षों में ज्यादातर समय प्रदेश कांग्रेस, सपा और भाजपा की सरकारें ही सत्ता में रहीं। बहुजन समाज पार्टी की सरकार केवल साढ़े तीन-चार वर्ष ही रही और वह भी गठबन्धन की सरकारें रहीं। यही कारण रहा कि बहन कुमारी मायावती जी को विकास के सपने पूरा करने में बाधायें आती रहीं। परन्तु वर्तमान में जनता ने जो स्पष्ट बहुमत की सरकार चुनी है इसका परिणाम कानून व्यवस्था के क्षेत्र में तो दिखने ही लगा है। इसका आभास विकास के क्षेत्र में भी होने लगा है। विकास योजनाओं में ठेकेदारों माफियाओं का वर्चस्व ध्वस्त होने से तमाम शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार का अवसर प्राप्त हो रहा है।

उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय मुख्य मंत्री बहन कु0 मायावती जी की कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है तभी तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के साथ ही बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल के विकास के लिये केन्द्र की सरकार से जब मांगें गये 80000 करोड़ रुपये नहीं मिले तो भी अपने सीमित संसाधनों में से बुन्देलखण्ड के लिये पूर्वांचल के लिये 1200 करोड़ रुपयों का आवंटन बजट में किया है।

खुद को सहकारिता आन्दोलन का मसीहा बताने वाले लोग और दल इस सदन में बैठे हुए हैं। राज्य के 10 जिलों में सहकारी बैंक बन्दी के कगार पर हैं। इन बैंकों में जमा गरीब जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई सदस्यों और अध्यक्षों के लिये पानी की तरह बहाया गया। बहन कुमारी

मायावती की इस सरकार ने सहकारी बैंकों की स्थिति मजबूत करने के लिये 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके लिये सहकारिता के स्वयंभू आकाओं को हमारी सरकार से सीखना चाहिए।

भूख पर सियासत करने वाले लोगों को बहन जी की सरकार से सीखना चाहिए। बुन्देलखण्ड के लोगों के कर्जा माफी के लिये न केवल 300 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है बल्कि 100 करोड़ रुपये भी अवमुक्त कर दिये गये हैं। यही नहीं बुन्देलखण्ड के लिये 1600 करोड़ रुपये की एक अभिनव योजना भी तैयार की गयी है। जो सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाले बुन्देलों को तंगहाली और गरीबी से बाहर निकालने में मील का पत्थर साबित होगी।

इस बजट की कल्पना और उसे मूर्तरूप देने के लिये प्रदेश की सर्वप्रिय मुख्य मंत्री बहन मायावती जी को माननीय वित्त मंत्री और सदन के माध्यम से हार्दिक बधाई, अभिनन्दन एवं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा जिनके कुशल नेतृत्व में बाबा साहब डा0 भीम राव अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब के सपनों को साकार करने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के निमित्त लोक प्रिय सरकार द्वारा पेश बजट ने इस बात को चरितार्थ कर दिया है। बजट लोक कल्याण का सशक्त माध्यम होता है। वंचितों और शोषितों के लिये इस बजट में व्यापक स्तर पर प्राविधान किये गये हैं। त्वरित और पारदर्शी विकास की एक नई मुहिम का इस बजट के माध्यम से सूत्रापात हुआ है। रोजगार के नये अवसर इस बजट के माध्यम से उपलब्ध कराये गये हैं संसदीय परम्परा एवं मर्यादा का हवाला देने वाले विपक्ष को स्वस्थ संसदीय परम्परा और लोकतंत्र के हित में इस बजट की मुक्त कंठ से सराहना करनी चाहिए। बी सपोर्टिंग प्लीज :

हम वो राही हैं जो मंजिल की खबर रखते हैं
पांव कांटों पे शिगूफों पे नजर रखते हैं
कितनी रातों से निचोड़ा है उजाला हमने
रात की कद्र पे बुनियादे सहर रखते हैं।

श्री अमेरिका प्रधान-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। प्रदेश की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी के नेतत्व में मा0 वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, मैं उसका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। माननीया मुख्य मंत्री सुश्री मायावती जी के नेतृत्व में चल रही यू0पी0 की सरकार एक स्थायी सरकार है तथा जो कार्य कर रही है वह भी पूरे हिन्दुस्तान में एक नसीहत के रूप में देखा जा रहा है। बजट का लगभग 70 प्रतिशत लाभ पहली बार प्रदेश के गांव के गरीब, मजदूर, किसान के लिए सीधे गांव में जा रहा है। यह सरकार मान्यवर, कांशीराम जी के सपनों को साकार करते हुए "समतामूलक समाज" की स्थापना एवं "सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय" के आधार पर कार्य कर रही है। मान्यवर, आपने मुझे जो मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने वर्ष 2008-09 के बजट पर विचार करने का अवसर दिया है। इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं कहना चाहूंगा कि यह बजट उ0 प्र0 के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर विकासोन्मुख महत्वपूर्ण एवं सर्वसमाज के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

वर्तमान बसपा सरकार द्वारा पिछली सपा सरकार के समय चरमराई दयनीय कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। हमारी सरकार में अपराधी को केवल अपराधी माना जाता है एवं उसके द्वारा किये गये अपराध के आधार पर कार्यवाही की जाती है, जाति-धर्म को महत्व नहीं दिया जाता है। नेता प्रतिपक्ष श्री मुलायम सिंह यादव ने 13-2-08 को सदन में कहा था कि समाजवादी पार्टी के 11 हजार लोग जेल में बन्द हैं। मैं कहना चाहूंगा कि यह वही लोग हैं जिन्होंने सपा के शासनकाल में गुण्डई आतंक फैलाकर गुण्डा राज कायम कर रखा था। ये लोग अपने नियत स्थान पर पहुंच गये हैं। हमारी सरकार ने पिछली सरकार के समय में जो मुकदमें पंजीकृत नहीं थे, उन्हें भी विशेष अभियान चलाकर एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर निष्पक्षता पूर्वक कार्यवाही की गयी है।

1989 के बाद बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में कोई नयी इकाई नहीं लगायी गयी है। जबकि विद्युत की मांग लगातार बढ़ती जा रही है पहली बार बसपा की वर्तमान सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए पूर्व में 3970 मेगावाट पैदा की जा रही है बिजली में 700 मेगावाट अतिरिक्त बिजली विगत 9 माह में पैदा की गयी है। आगामी 5 वर्षों में लगभग 15 हजार मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य हमारी सरकार द्वारा रखा गया है। जिसके सम्बन्ध में बजट में प्राविधान करके सराहनीय कार्य किया गया है।

विकास को ध्यान में रखकर टेण्डर प्रक्रिया में व्यापक परिवर्तन करके पारदर्शिता बनाकर अराजक तत्वों एवं भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने के लिये इलेक्ट्रानिक टेण्डर प्रणाली लागू हुई है जिससे ठेकों में माफिया राज [illegible] होगा। विकास को बढ़ावा देने के लिये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लागू करके विकास को नई दिश[illegible] गई है।

हमारी सरकार द्वारा वैट को लागू करके दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए सराहनीय कार्य किया गया है क्योंकि भारत में उ0 प्र0 ही एक मात्र ऐसा राज्य था जहां पर वैट लागू नहीं था। इसके लागू होने से कर अपवंचकों एवं भ्रष्टाचारियों पर प्रभावी अंकुश लगेगा। इससे उपभोक्ता, ईमानदार व्यापारियों, किसानों एवं उद्योगों को लाभ होगा।

सड़क निर्माण के लिए हमारी सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। 500 से अधिक जनसंख्या वाली बस्तियों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने, जिलों एवं राजमार्ग को इण्डियन रोड कांग्रेस के मानक के अनुसार उत्तम गुणवत्ता वाले [illegible] मार्गों के बनाये जाने की व्यवस्था की गयी है। पिछले 18 वर्षों से ग्राम पंचायतों में आबादी [illegible] नाली/खड़न्जा का निर्माण कार्य कराया जाता रहा है जिसके रख-रखाव में समस्या उत्पन्न [illegible] थी, उसको ध्यान में रखकर हमारी सरकार द्वारा डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम सभाओं में खड़न्जा/नाली के स्थान पर सी0सी0 रोड व के0सी0 ड्रेन का निर्माण कार्य कराया जायेगा, जिसके लिये बजट में एक हजार करोड़ की व्यवस्था भी की गयी है, जो एक सराहनीय एवं क्रांतिकारी कार्य होगा।

हमारी सरकार ने वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन एवं विधवा पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखकर 150/-रु0 के स्थान पर दोगुना करते हुए 300/-रु0 किया गया है।

हमारी सरकार द्वारा सभी को शिक्षा देने के उद्देश्य से शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया गया है। जिसके लिये वर्ष 2008-09 में 2500 नवीन प्राथमिक विद्यालय एवं 4000 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा बच्चों को बैठने के लिये 15000 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण की व्यवस्था की गयी है।

विद्यालयों में शिक्षा को पूर्ण महत्व देते हुए शिक्षा मित्रों के मानदेय को 2400/-रु0 से बढ़ाकर 3000/-रु0 कर दिया गया है तथा 88 हजार नये अध्यापकों का चयन का भी काम शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रत्येक असेवित ब्लाक में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये 30 नये राजकीय बालिका महाविद्यालय खोले जाने की व्यवस्था की गयी है। प्राविधिक शिक्षा के विस्तार के लिये दो इंजीनियरिंग कालेज व 12 पालीटेक्निक कालेज खोलने की व्यवस्था की गयी है।

पहली बार गांवों के विकास को ध्यान में रखकर यह बजट तैयार किया गया है। पूर्व में किसी भी सरकार में 58 प्रतिशत से अधिक धनराशि गांव के विकास पर नहीं खर्च की गयी थी, जबकि इस बजट में 76 प्रतिशत धनराशि गांव के विकास पर खर्च करने की व्यवस्था करके सराहनीय कार्य किया गया है। पिछली सरकार द्वारा बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान हमारी सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार व उसके मुखिया अपने परिवार, गांव, जिला व व्यक्तिगत घटनाक्रम के संक्रीर्णता से ऊपर नहीं उठ सके थे उनका पूरा बजट सैफई-इटावा के आस-पास् केन्द्रित था, जबकि वर्तमान बहुजन समाज पार्टी की सरकार बहन कु0 मायावती के नेतृत्व में पहली बार आम लोगों के चेहरों पर खुशहाली लाने के लिये सर्वसमाज के हितों को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण विकासोन्मुख बजट मा0 मंत्री, लालजी वर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो स्वागत योग्य है। मैं इस पर बल प्रदान करता हूं।

श्री राम सागर अकेला-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मा0 वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट वर्ष 2008-2009 पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। मान्यवर, जब से उत्तर प्रदेश सरकार की बागडोर बहन कुमारी मायावती जी के कुशल हाथों में प्रदेश की महान जनता द्वारा बहुमत के साथ सौंपा गया है तबसे उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। मान्यवर, विकास की धुरी स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, सड़क, पानी एवं परिवहन पर विशेष रूप से निर्भर है। इसलिये मान्यवर, प्रस्तुत मध्यमार्गी बजट में इन चीजों पर विशेष बल दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2008-2009 में चिकित्सा शिक्षा के लिये 5,626 करोड़ रुपये रखे गये हैं जो कि वर्ष 2007-2008 के बजट से 20 प्रतिशत अधिक है। इसके अतिरिक्त सरकार को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 1,330 करोड़ रुपये भी मिलेंगे। इस प्रकार मा0 वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट सराहनीय है कि आम जनता के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मान्यवर, औषधि हेतु 234 करोड़ रुपये जो विगत वर्ष 2007-2008 से 37 प्रतिशत अधिक है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु 383 करोड़ रुपये तथा एस0एस0टी0 के लिए 25 करोड़ रुपये रखे गये हैं। प्राथमिक शिक्षा के लिए मान्यवर, वर्तमान वित्तीय वर्ष में हमारी सरकार ने 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिये गुणवत्तापरक शिक्षा दिलाने के लिये कृतसंकल्प है, जिसके मान्यवर, विद्यालय मरम्मत हेतु 40 करोड़ रुपये, शौचालय हेतु 85 हजार रुपये रखे गये हैं। स्कूलों में चहारदीवारी तथा विद्युतीकरण की भी व्यवस्था करने की भी हमारी सरकार की योजना है। वर्ष 2008-2009 में 2500 नवीन प्राथमिकता विद्यालय, 4000 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय, 15,000 नवीन अतिरिक्त कक्ष का निर्माण किया जायेगा। आउट आफ स्कूल

बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 3900 शिक्षा गारन्टी केन्द्र, 5000 वै0 नवाचारी, 800 आ0 ब्रिजकोर्स तथा 2000 गैर आवासीय ब्रिजकोर्स खोले जायेंगे।

श्री राम सागर अकेला-

माध्यमिक शिक्षा 2008-09 में असेवित विकास खण्ड में 30 नये राजकीय विद्यालय एवं 11 विद्यालयों का उच्चीकरण।

3-बिजली-मान्यवर, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र एवं संयुक्त क्षेत्र में 10,500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन कार्य प्रारम्भ किया गया है तथा 2008-09 में बिजली परियोजना हेतु 10,330 करोड़ रु0 की व्यवस्था प्रस्तावित है जो विगत वर्ष से 12 प्रतिशत अधिक है।

4-सड़क-मान्यवर, 2008-09 में सड़कों एवं सेतुओं हेतु (6347 करोड़ रु0) की व्यवस्था प्रस्तावित है। मान्यवर, 1095 करोड़ रु0 से 18000 कि0मी0 सड़कों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कराया एवं मान्यवर श्री कांशी राम जी शहरी समग्र विकास योजना में 175 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। स्टेट रोड प्रोजेक्ट के तहत 2008-09 में 470 करोड़ रु0 से 600 कि0मी0 लम्बी सड़क का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण एवं मान्यवर 1239 करोड़ रु0 से 25000 कि0मी0 सड़कों को गड्ढामुक्त करने का विशेष लक्ष्य है। 1575 करोड़ से पुलों एवं उपरिगामी रेल पुल बनाने की बात है।

5-पानी-इण्डिया मार्क हैण्डपम्प, जल संचयन नलकूपों, पाताल तोड़ कुआं एवं सिंचाई पर 2008-09 में 3789 करोड़ की व्यवस्था है।

6-परिवहन-शताब्दी श्रेणी बसों का संचालन, बसों में समाचार की व्यवस्था, शुद्ध पानी, टेलीफोन आपरेट की व्यवस्था, बसों का सही समय पर संचालन प्रमुख है।

7-समाज कल्याण-सभी बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को पेंशन देने की योजना गरीबों को सुख प्रदान कर बहन जी ने सराहनीय कार्य किया है।

अन्त में मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में कन्या महाविद्यालय तथा विकास खण्ड विशेश्वरगंज एवं पयागपुर विकास खण्ड को जनपद बहराइच में रखते हुए 'पयागपुर' तहसील को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म कर दिया था। उसे बहाल करने व भूपगंज बाजार को टाउन एरिया का दर्जा दिया जाना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार मान्यवर, जनपद बलरामपुर में बन्द जिला सहकारी बैंक में गरीब जमाकर्ताओं का धन भुगतान किये जाने की मांग करते हुए जनपद बलरामपुर में गौरा चौराहा को मछुआ न्याय पंचायत सिंहवापुर न्याय पंचायत को मिलाकर ब्लाक बनाने की मांग करते हुए प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए एक बार आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।

श्री जावेद अंसारी-

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2008-2009 के बजट पर सामान्य चर्चा में हिस्सा लेने का अवसर दिये जाने पर सादर आभार प्रकट करता हूं।

मौजूदा सरकार को एक साल के अन्दर दूसरी बार बजट पेश करने का मौका मिला है। सरकार की कोई घोषित नीति न होने की वजह से बजट में कल्पनाओं की उड़ान भरने की कोशिश की गई है। आंकड़ों की बाजीगरी भले ही दिखाई गयी है लेकिन बजट में सबसे ज्यादा निराशा प्रदेश के अल्पसंख्यकों को हुई है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देकर समतामूलक समाज की बात की

गई है लेकिन प्रदेश के अल्पसंख्यकों को बिना उनकी हिस्सेदारी के कैसा समतामूलक समाज बनाये जाने की कल्पना की जा रही है।

प्रदेश के मुस्लिम नौजवानों को रोजी-रोटी रोजगार शिक्षा की व्यवस्था के बजाय उनकी देश निष्ठा को संदिग्ध बनाया जा रहा है। निःसंदेह आतंकवाद विश्वव्यापी समस्या है। आतंकवादी का कोई मजहब नहीं हो सकता लेकिन बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को आतंकवादी के नाम पर उत्पीड़ित कर उनके मन में भय और निराशा भरने का काम हो रहा है और उनका मनोबल तोड़ा जा रहा है।

एक लाख बारह हजार चार सौ बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख रुपये का बजट आकर पिछले वर्ष के मुकाबले में 11 प्रतिशत अधिक बताया गया है। बजट में केवल 60 करोड़ रुपये अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति देकर और उन्हें व्यवसाय उद्योग स्थापित करने पर सहायता करने की बात करके उनकी घोर उपेक्षा की गयी है। भयमुक्त वातावरण देकर शान्ति व्यवस्था कायम करने की बात कही गयी है। मैं समझता हूं कि ऐसी व्यवस्था से सरकार खुद कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहती है।

मान्यवर, बजट में पर्यटन पर एक शब्द भी नहीं कहा गया। प्रदेश में पर्यटन के विभिन्न केन्द्र हैं। जौनपुर जनपद जिसे कभी शीराजे हिन्द होने का गौरव प्राप्त था, अकबर-बाबर-हुमायूं और औरंगजेब आदि शासकों को यह जनपद आकृष्ट कर चुका है। मलिक सरवर ने मालिक अस-शर्क के तौर पर यहां शासन किया। इब्राहीम शाह शर्की ने यही पर दुनिया की बेमिसाल अटाला मस्जिद, बड़ी मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद, झंझरी मस्जिद, चार अंगुल की मस्जिद तामीर कराया तो अकबर के जमाने में मुइन खान ने शहर के बीचोबीच शानदार शाही पुल बनवाया, फिरोज शाह तुगलक का शाही किला, बारादरी आज भी उसी शानो-शौकत के साथ विद्यमान है। हिन्दू आस्था का केन्द्र शीतला माता की शक्ति पीठ, मैहर देवी का मन्दिर, पांचों शिवाला, बड़े हनुमान जी का मन्दिर आदि दर्जनों ऐसे दर्शनीय स्थल है जो पर्यटकों को बरबस अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। पर्यटन की असीम संभावनाओं का शहर और शेरशाह सूरी जैसे शासकों की शिक्षा स्थली, जौनपुर को पर्यटन की सुविधाओं से वंचित रखा गया है।

मान्यवर, बजट में 292 नई योजनायें प्रस्तावित है लेकिन जौनपुर में शर्की शासन काल में स्थापित गृह उद्योग चमेली, जूही, चम्पा, बेला, गुलाब के फूलों से तैयार कोल्हू-बैलों से निर्मित तेल उद्योग मर रहा है। उपेक्षा के शिकार इस उद्योग पर वैट की मार पड़ेगी। सरकार का बिना एक पैसा खर्च हुए हजारों परिवारों को रोजी रोटी मिला करती थी वह भी बन्दी के कगार पर है। इस ओर सरकार का विशेष ध्यान होना चाहिए था। बैल कोल्हू के बजाय दो हार्स पावर की छोटी बिजली की मोटर से धीमी गति से चलने वाला यह उद्योग संचालित किया जा सकता था। अच्छा होता सरकार घोषणा करती कि जौनपुर में इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिये सारी सुविधाओं के साथ-साथ अधिभार मुक्त दो हार्स पावर की मोटर लगाने की उद्यमियों को अनुमति दी जायेगी।

मान्यवर, जौनपुर जैसे महत्वपूर्ण शहर व पूरे जिले को 8 घण्टे मात्र बिजली मिल पा रही है। बड़ी कृपा होगी यदि जौनपुर को बी0 श्रेणी का जनपद घोषित करते हुए उसे कटौती मुक्त घोषित किया जाय।

पी0एस0यू0पी0-एल0 40 विधान सभा (73)-9-6-08-813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।